"परित्यक्ता महिलाओं का मनः सामाजिक अध्ययन"

(बाँदा नगर की 300 परित्यक्ता महिलाओं का अध्ययन न्यायालय में निर्वाह भत्ता सम्बन्धित केसों पर आधारित)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में समाजशास्त्र विषय में पी-एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2008

शोध-निर्देशिका
डॉ0 सबीहा रहमानी
प्रवक्ता-समाजशास्त्र
राजकीय महिला पी0जी0कालेज,
बाँदा (उ0प्र0)

शोधकर्ता
मिर्जा खुर्रम शिकोह कजि़लबाश
एम0ए0-समाजशास्त्र

शोध केन्द्र- पं0जे0एन0पी0जी0कालेज, बाँदा (उ0प्र0)

डॉ0 सबीहा रहमानी
प्रवक्ता–समाजशास्त्र
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बाँदा (उ0प्र0)
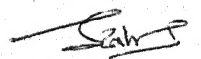
आवास :
डी0ए0वी0 कालेज रोड,
गूलरनाका, बाँदा (उ0प्र0)
: 9451850662

प्रमाण-पत्र
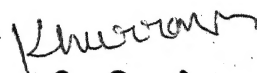
प्रमाणित किया जाता है कि मिर्जा खुर्रम शिकोह कजिलबाश द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध "परित्यक्ता महिलाओं का मनः सामाजिक अध्ययन" (बाँदा नगर की 300 परित्यक्ता महिलाओं का अध्ययन न्यायालय में निर्वाह भत्ता सम्बन्धी केसों पर आधारित), मेरे निर्देशन में समाजशास्त्र विषय में शोध कार्य हेतु पंजीकृत हुए थे। इन्होंने मेरे निर्देशन में आर्डीनेन्स 07 द्वारा वांछित अवधि तक कार्य किया। मैं इस शोध प्रबन्ध को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान करती हूँ।

(डॉ0 सबीहा रहमानी)

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के अन्तर्गत समाजशास्त्र विषय में डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध "परित्यक्ता महिलाओं का मनः सामाजिक अध्ययन" (बाँदा नगर की 300 परित्यक्ता महिलाओं का अध्ययन न्यायालय में निर्वाह भत्ता सम्बन्धी केसों पर आधारित), मेरा मौलिक कार्य है। मेरे अभिज्ञान से प्रस्तुत शोध का अल्पांश अथवा पूर्णाश किसी भी विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ फिलासफी अथवा अन्य किसी भी उपाधि के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Khurram

(मिर्जा खुर्रम शिकोह कजि़लबाश)

एम0ए0समाजशास्त्र

आभारोक्ति

प्रस्तुत शोध को पूरा कराने का सम्पूर्ण श्रेय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत तथा मेरी निर्देशिका डॉ0 सबीहा रहमानी को है, जिनका मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। डॉ0 सबीहा रहमानी का मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने प्रारम्भ से अन्त तक कार्य को पूर्ण कराने में मेरा पथ–प्रदर्शन किया।

मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ पं0 जे0एन0पी0जी0कालेज, बाँदा के समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ0 एस0एस0 गुप्ता जी का जिन्होंने अनुसंधान के शीर्षक प्रणयन से लेकर अन्त तक मेरा पथ–प्रदर्शन किया।

जिला परिषद कृषि महाविद्यालय, बाँदा के प्राचार्य एवं बुन्देलखण्ड समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष आदरणीय डॉ0 जे0पी0 नाग का मैं हृदय से आभारी रहूँगा जिन्होंने अनुसंधान से सम्बन्धित छोटी–छोटी बातों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और उनको प्रस्तुत करने में अपना अमूल्य निर्देशन दिया।

मैं हृदय से आभारी हूँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बाँदा में प्रवक्ता पद पर कार्यरत डॉ0 राजेश कुमार पाल एवं अपने मित्र व अग्रज प्रवीण कुमार पाण्डेय का जिन्होंने सारणीयन में मेरा मार्गदर्शन किया।

मैं अपने पिता श्री मिर्जा यावर हुसैन कज़िलबाश एवं बड़े भाई हैदर शिकोह कज़िलबाश का भी आजीवन ऋणी रहूँगा जिनके स्नेह एवं प्रेरणा से मैं शोध कार्य पूर्ण कर सका।

मैं उन सभी उत्तरदाताओं का आभार व्यक्त करना परम कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने इस शोध से सम्बन्धित कार्य में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कीं।

अन्त में मैं बिहारी कम्प्यूटर्स के प्रो0 बिहारी शरण निगम व कम्प्यूटर आपरेटर श्री हिमांशु का भी आभार व्यक्त करना परम कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने शोध–प्रबन्ध की लेजर कम्पोजिंग का कार्य बड़ी ही सुगमता से पूर्ण किया।

Khurram

(मिर्जा ख़ुर्रम शिकोह कज़िलबाश)

अनुक्रमणिका

सारणी सूची

अध्याय प्रथम

प्रस्तावना

अध्याय प्रथम
प्रस्तावना

नारी का मनुष्य जाति की सृष्टि में ही महत्वपूर्ण योग नहीं है, अपितु समाज निर्माण में भी वह अपरिहार्य अंग है। "पत्नी और माता अपने लिए जैसा आदर्श निश्चित करती हैं, जिस रूप में वह अपने कर्तव्य और जीवन को समझती हैं, उसी से समग्र जाति का भाग्य-निर्णय होता है। उसकी निष्ठा दांपत्य प्रेम का उज्जवल तारा है और उसका प्रेम ही वह जीवनी शक्ति है, जो उसके आत्मीय जनों के भविष्य का निर्माण करती है। स्त्री ही परिवार के उद्धार या विनाश का कारण है। परिवार के समस्त भाग्य को मानों वह अपनी ओढ़नी के छोर में बांधे फिरती है।"[1]

पुराणों तथा प्राचीन भारतीय इतिहास में इस बात के सुस्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों को समुचित सम्मान प्राप्त था। वैदिक युग भारतीय इतिहास का गौरवमय काल है। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था यद्यपि पितृसतात्मक थी किन्तु पारिवारिक कार्यों में माँ की भी प्रस्थिति उच्च थी तथा घरेलू विषयों में उसकी सत्ता सर्वोपरि थी। समुदाय समग्र रूप से स्त्रियों के प्रति लगाव या रूचि तथा सम्मान प्रदर्शित करता था।[2] स्त्रियों की स्थिति को देखते हुए वैदिक समाज उच्चकोटि की सभ्यता वाला समाज था। पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियाँ मेलों-उत्सवों में शामिल होती थीं, सभाओं व खेलकूद के आयोजनों में निर्द्वन्द्व होकर भाग लेती थीं।

धार्मिक कृत्यों में स्त्रियों-पुरुषों को समान रूप से भाग लेने का अधिकार था। उन्हें धार्मिक कृत्यों में बाधक नहीं माना जाता था और धर्म की दृष्टि में वे पुरुष के समकक्ष थीं। नारी (पत्नी) के बिना पुरुष (पति) अधूरा माना जाता था और स्त्री के शामिल हुए बिना अनुष्ठान पूरा नहीं होता था। डॉ0 ए.एस. अल्टेकर ने भी लिखा है कि ईसा सम्वत् के प्रारम्भ होने के लगभग उपनयन (वैदिक अध्ययन की दीक्षा) का लड़कों के ही समान लड़कियों में ही प्रचलन था। धर्मग्रन्थों के आधार पर गोपाल राव ने बताया कि स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त थे तथा वे

---

1. त्रिपाठी, संभुरत्न; भारतीय समाज व संस्कृति, 1963, पृष्ठ 326.

2. अल्टेकर,ए.एस., दि पोजिशन आफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, 1962, पृष्ठ 338.

स्वतंत्र थीं। स्त्रियों को उपनयन का अधिकार था, वे यज्ञोपवीत धारण करती थीं। बालकों के ही समान कन्याओं के उपनयन संस्कार का प्राविधान था ताकि उन्हें वेदाध्ययन की दीक्षा दी जा सके। वास्तव में स्त्रियों की शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण माना जाता था कि अथर्ववेद में जोर देकर कहा गया है कि विवाहित जीवन में स्त्रियों की सफलता ब्रह्मचर्य की अवधि में प्रदत्त समुचित प्रशिक्षण पर निर्भर है। अनेक स्त्रियों ने शिक्षकों, दृष्टाओं, दार्शनिकों, कवियित्रियों एवं चिंतकों के रूप में ख्याति अर्जित की।

वैदिक काल में आजीवन अध्ययन एवं चिंतन–मनन के प्रति समर्पित ब्रहमवदिनियों तथा विवाह से पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाली सधोवधू कन्याओं का अस्तित्व था। वृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य को गार्गी ने चुनौती दी थी और अनेक सूक्ष्म एवं जटिल प्रश्न पूछे थे। उपनिषदों में सर्वाधिक विख्यात अंश है मैत्रेयी और उसके प्रति याज्ञवल्क्य के बीच का वार्तालाप। याज्ञवल्क्य अपनी सम्पति को अपनी दो पत्नियों के बीच बांटकर वैराग्य लेने का निश्चिय किया था। मैत्रेयी ने पति की सम्पत्ति ग्रहण करने की अपेक्षा ब्रहमविधा की दीक्षा लेना पसंद किया।

यद्यपि विवाह को धार्मिक तथा सामजिक कर्त्तव्य के रूप में देखा जाता था और जबकि यह माना जाता था कि अविवाहित व्यक्ति वैदिक यज्ञों में भाग लेने का अधिकारी नहीं था, फिर भी विवाह को बालिकाओं के लिए अनिवार्य नहीं माना जाता था। उपयुक्त जीवन साथी मिलने तक कन्या का विवाह नहीं हो सकता था। इच्छा होने पर वह अविवाहित भी रह सकती थी। जो स्त्रियाँ अविवाहित रहती थीं और माता–पिता के ही परिवार में रहती थी "असाजु" कहलाती थीं। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। सम्पूर्ण ऋग्वेद संहिता में इस प्रकार के विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता।[1] वैदिक स्त्रियाँ वयस्क प्रौढ़ एवं शिक्षित होने के कारण अपने पतियों के चयन का अधिकार रखती थीं। बाल विवाह का प्रचलन न होने से विधवाओं की संख्या कम थी। ऋग्वेद में विधवा जीवन में अत्यन्त अल्प प्रसंग हैं किन्तु इस पर अभी वैदिक उपरान्त युग समान प्रतिबन्धों एवं घोर अनुशासन आरोपित नहीं किया गया था। विधवाओं के

---

1. वी.एस. उपाध्याय; वीमेन इन ऋग्वेद, 1941, पृष्ठ 130.

पुनर्विवाह की अनुमति थी। सन्तान उत्पत्ति के निमित्त नियोग की प्रथा के अनेक प्रसंग मिलते हैं। विवाह कर लेने वाली विधवा पुनर्भू कहलाती थी।[1] जहाँ तक सती प्रथा का सम्बन्ध है अर्थात् विधवाओं के पति के साथ सहमरण का प्रश्न है, शकुन्तला राव शास्त्री ने लिखा है कि ऋग्वेद में कहीं भी विधवाओं के अपने दिवंगत पतियों के साथ जीवित दाह अथवा समाधि लेने का उल्लेख नहीं है। ए.एस. अल्टेकर के अनुसार स्त्रियों का सम्पत्ति विषयक अधिकार सीमित था। अविवाहित कन्या को सामान्यता पितृगृह में भरण–पोषण का अधिकार प्राप्त था। निःसंतान विधवा को भी अपने पति की सम्पत्ति में अंश प्राप्त था किन्तु विवाहित स्त्री को अपने पिता या पति की सम्पत्ति में अंश प्राप्त नहीं था। वह सम्पत्ति न रख सकती थी न विरासत में पा सकती थी। किन्तु निजी सम्पत्ति अथवा स्त्री धन पर उसे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त था।

स्मृतिकाल में स्त्री (अपने अधिकार से ही) पुरुष के समकक्ष नहीं रह गई। पुरुष समाज में स्त्री पराधीन हो गई। मनु ने नियोग, विधवा विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह का अनुमोदन किया। कन्या के लिए उसने उपनयन को वर्जित कर दिया।[2] फलतः वह शिक्षा अर्जित करने के अधिकार से वंचित हो गई। उसे न धर्मग्रन्थों के अध्ययन का अधिकार रहा, न वह अब अविवाहित ही रह सकती थी। मनुस्मृति में ब्रहमचारिणी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वस्तुतः मनु ने स्त्री के जीवन के किसी भी भाग में कोई स्वतन्त्रता नहीं दी। मनु के अनुसार बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र उसका संरक्षक था। मनु ने बाल विवाह अथवा रजोदर्शन–पूर्व विवाह का निर्देश दिया और 30 तथा 24 वर्ष का पुरुष 12 या 8 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता था। मनु ने स्त्रियों में अनेक दुर्गुण बतायें तथा पुरुष को सचेत रहने की चेतावनी दी। स्त्रियों पर अनेक ऐसे प्रतिबन्ध आरोपित किये गए जिनसे पुरुष मुक्त थे। स्त्री से सदैव अपने पति के प्रति निष्ठावन होने की आशा की जाती थी, भले ही वह दुराचारी हो या समस्त गुणों से रहित हो किन्तु उसका (पति का) पत्नी के प्रति निष्ठावन होना आवश्यक नहीं था। पुरुष एक से अधिक पत्नी रख सकता था किन्तु स्त्री को दूसरे पति का अधिकार नहीं था। स्त्री धन को छोड़कर वह न तो सम्पत्ति अर्जित कर सकती,

1. देशाई, मीरा; वीमेन इन माडर्न इण्डिया, 1947. पृष्ठ 12.

2. मनुस्मृति, 67.

न उसकी स्वामिनी हो सकती थी।

भारतीय इतिहासकारों द्वारा पुत्रियों की तुलना में पुत्रों को अधिक महत्व दिए जाने का कारण यह बताया गया कि जब आर्य पंजाब से पूर्व की ओर बढ़े तो गंगा की घाटियों में बसने वाली विभिन्न जनजातियों से उनका मुकाबला हुआ। इससे पुत्रों की कामना बलवती हुई जो शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में सहायक होते। दूसरी अवधारणा यह है कि ऋग्वैदिक काल के मुकाबले पितृपूजा के प्रचलन में वृद्धि हुई। फलतः पुत्रों का महत्व पुत्रियों की तुलना में बढ़ गया।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वैदिक युग के बाद स्त्री स्वतन्त्र नहीं रह गयी। अनेक धार्मिक, सामाजिक जंजीरों में उसे जकड़ दिया गया। वह अधिकाधिक पर निर्भर या पराश्रित होती गयी, वर्जनाओं से लदती चली गयी और सामाजिक दृष्टि से इतनी पराधीन हो गई कि व्यावहारिक रूप से उन्हें "द्वितीय श्रेणी का मानक" कहा जा सकता है। बौद्ध काल से पहले ही उनकी स्वतन्त्रता को सीमित करने वाले विधि–विधान निर्मित हो गए। सांसारिकता में लिप्त करने वाली मानकर उन्हें तिरस्करणीय समझा जाने लगा।[1] विभिन्न राजनीतिक दशाओं का भी स्त्रियों की प्रस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।[2]

लुई–अफगान तथा मुगल काल में इस्लाम के अभ्युदय के साथ ही हिन्दू समाज अधिक रूढ (अनमनीय) हो गया। तुर्कों व मंगोलों के आक्रमणों के फलस्वरूप जीवन असुरक्षित हो गया था। स्त्रियों का बलात् धर्मान्तरण करके उनसे विवाह किया जाता। फलस्वरूप पर्दा प्रथा का तेजी से प्रसार हुआ। बाल विवाह का भी प्रचलन तीव्र गति से बढ़ा। दहेज का प्रचलन हुआ। कन्या का जन्म अब और भी क्लेशकर माना जाने लगा जो माता–पिता के लिए भारस्वरूप प्रतीत होती थी। इसके कारण अनेक स्थानों पर कन्या–वध का प्रचलन हुआ। कतिपय परिवारों ने सती प्रथा को प्रोत्साहन दिया। विधवाओं की स्थिति असंतोषजनक हो चली। बहुविवाह, बहुपत्नित्व की प्रथा का उरोपोत्तर प्रसार हुआ। मुसलमान शासक वर्ग में मदिरा व स्त्री के प्रति बड़ी आसक्ति थी। इस्लाम के अनुसार मुसलमान चार स्त्रियाँ रख सकते

---

1. Sredevi, S., A Century of Indianwood .

2. Chaudhary, S.C; An Advanced History of Indian, Mc- Millan, Co. London, 1946.

थे। मुसलमानों में पर्दा व बाल विवाह का प्रचलन था। हिन्दू व मुसलमान स्त्रियाँ अधिकांशतः अपने पति या पुरुष सम्बन्धियों पर ही आश्रित थीं।[1]

ए.एस. अल्टेकर के अनुसार ई.पू. 200 से ई. सन् 1800 तक, 2000 वर्षों तक स्त्रियों की दशा निरन्तर दयनीय होती चली गई। यद्यपि माता–पिता उसका दुलार करते थे, पति उसे प्रेम करता था, बच्चे उसका सम्मान करते थे परन्तु सती प्रथा के प्रचलन, पुनर्विवाह का निषेध, पर्दा प्रथा के प्रसार और बहुविवाह के व्यापक प्रचलन ने उसकी स्थिति को बहुत बुरा बना दिया। उसके प्रति समाज का रुख भी संरक्षकत्वपूर्ण अनुग्रह का ही था। निःसंदेह (समाज) इस बात पर जोर देता था कि उस पर समुचित ध्यान दिया जाए किन्तु उसकी प्रकृति एवं योग्यता के सम्बन्ध में अत्यन्त निर्दयतापूर्ण एवं कठोर अन्यायपूर्ण टीका–टिप्पणी करने की पनपती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। यह समाज पति को विवाह–विषयक शपथ का स्पष्टरूपेण उल्लंघन करने की अनुमति प्रदान करता था परन्तु उसका आग्रह था कि पत्नी उस शपथ का अवश्य अनुसरण करे, भले ही उसका पति नैतिक रूप से पतित ही क्यों न हो। इस प्रकार प्रारम्भिक वैदिक काल और 19वीं शाताब्दी के बीच स्त्रियों की प्रस्थिति में भारी अन्तर आ गया। मनु द्वारा प्रतिपादित द्वैध मानदण्ड 1950 तक प्रचलित रहे।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सुख, सम्पत्ति और शक्ति का प्रतीत माना गया है जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा की जाती रही है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगनी के रूप में स्थान दिया गया है जिसके बिना किसी भी कर्त्तव्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। शत्पथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी निश्चयपूर्वक पति का आधा हिस्सा है, जब तक वह पत्नी नहीं प्राप्त करता, उस समय तक वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकता और अपूर्ण रहता है। जब स्त्री को प्राप्त करता है, प्रजा पैदा करता है, तभी वह पूर्ण होता है।[2]

महाभारत में भी पत्नी को पति का आधा अंग मानते हुए कहा गया है कि भार्या पति

---

1. Dutt. K.K., An Advanced History of India, P. 400.

2. शतपथ ब्राहमण, 5/2/1/10 –"हिन्दू परिवार मीमांसा," हरिदत्त वेदालंकार द्वारा उद्धृत.

का आधा अंग, श्रेष्ठतम सखा और मित्रों में उत्तम होती है और वही धर्म, अर्थ, काम का मूल है।[1] मनुस्मृति में भी स्त्री और पुरुष को अभिन्न मानते हुए कहा गया है कि केवल पुरुष अपने में अपूर्ण ही रहता है किन्तु स्त्री स्वदेह तथा संतान–ये तीनों मिलकर ही पुरुष (पूर्ण रूप) होता है। ऐसा वेद ज्ञाता कहते हैं और जो पाते हैं वही स्त्री है अतएव उस स्त्री में (परपुरुष से भी) उत्पन्न संतान उस स्त्री के पति की ही होती है।[2] स्त्री की श्री (लक्ष्मी) से समानता स्थापित करते हुए कहा गया है कि संतानोत्पादन के लिए वस्त्राभूषण से आदर सत्कार के योग्य घर की शोभा रूपणी ये स्त्रियां और लक्ष्मी घरों में समान हैं। जिस प्रकार शोभा के बिना घर सुन्दर नहीं लगता उसी प्रकार स्त्री के बिना घर सुन्दर नहीं लगता। अतः श्री तथा स्त्री में कोई भेद नहीं है।[3]

वैदिक और उत्तर वैदिक काल के पश्चात हमारे समाज की मौलिक व्यवस्थाएं, परम्पराओं एवं रूढ़ियों के रूप में परिवर्तित होने लगी जिसके परिणामस्वरूप स्त्रियों में लज्जा, ममता और स्नेह के गुणों को उनकी दुर्बलता समझकर पुरुष ने उनका मनमाना शोषण प्रारम्भ कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियों को स्मृतिकारों और धर्मशास्त्रकारों का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण स्त्री धीरे–धीरे परतंत्र, निस्सहाय और निर्बल बन गई है।

भारतीय वाङ्मय में नारी पर कामांधता का आरोप करते हुए, उस पर हर–दर्जे का अविश्वास प्रकट किया गया। पद्मपुराण के अनुसार स्त्रियाँ इसलिए साध्वी रहती हैं कि उन्हें गुप्त स्थान नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता और उनसे प्रार्थना करने वाला कोई पुरुष नहीं होता।[4] मध्ययुग के संस्कृत साहित्य में स्त्रियों को परपुरूष को छलने, बहकाने, धोखा देने, अत्याधिक कुटिल तथा कामुक होने का दोषारोपण है। ब्राह्मण ग्रन्थों के कर्मकाण्ड–प्रधान धर्म के विरुद्ध विद्रोह करने वाली तथा प्रवज्या और त्याग पर बल देने वाली बौद्ध एवं हिन्दू विचारधाराएं भी स्त्री की स्थिति को गिराने में सहायक हुई।

---

1. महाभारत, आदिपर्व, 1/74/41
2. मनुस्मृति, 9/45
3. मनुस्मृति, 9/26
4. वेदालंकार, हरिदत्त; हिन्दू परिवार मीमांसा, पृष्ठ 79.

समय ने पुनः एक मोड लिया और हमारे समाज के एक बड़े भाग ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के व्यापक प्रयन्त किए। उन्होंने यह अनुभव किया कि राष्ट्र के विकास में स्त्रियों की भूमिका अपरिहार्य है। इन्हें तिरस्कृत कर राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास नहीं जा सकता। पुरुषों एवं स्त्रियों के संयुक्त क्रियाकलापों से ही विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इनकी उपेक्षा कर राष्ट्र के विकासात्मक लक्ष्य को कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता। नारी शक्ति का साकार रूप है। उसे पहचानना और सेवा के लिए नियोजित करना आज के भारतवर्ष का प्रमुख कार्य है। भारतवर्ष के पिछड़ेपन में अन्य कारकों में प्रमुख कारण यहाँ की स्त्रियों के प्रति उदासीनता रहा है। स्वतन्त्रता के अभाव में स्त्रियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पा रहा है जिससे आज भी आर्थिक–उत्पादन क्षेत्र में इनका सहयोग बहुत कम है। जब तक भारतीय स्त्रियों में जागरुकता एवं चेतना नहीं आएगी तब तक न तो ये स्वतन्त्रता का रसास्वादन ही कर सकेंगी और न ही अपने व्यक्तित्व को विकसित कर देश का सामाजिक, आर्थिक उन्नयन ही कर सकेंगी।

भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ माने जाते हैं। इनमें सामवेद में नारी की चर्चा ही नहीं है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में नारी का उल्लेख आता है किन्तु बहुत कम। केवल ऋग्वेद ही ऐसा वेद है जिसमें तत्कालीन नारी समाज की अवस्था के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान हो सकता है। देव संसार के अतिरिक्त मनुष्य समाज में स्त्रियों का स्थान उच्च था। स्त्रियों की अच्छी सामाजिक प्रस्थिति ऋग्वेदिक काल के अंत में बिगड़ने लगी थी। पुत्री को एक अभिशाप माना जाने लगा। महाभारत की रचना उत्तरवैदिक काल के आरंभिक वर्षों में ही किसी समय हुई थी। महाभारत के अनेक उद्धरणों से पता चलता है कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में इस समय तक स्त्रियों को पूर्ण अधिकार बना हुआ था। महाभारत के अनुशासन पर्व में स्त्रियों को पूज्यनीय बताया गया है।[1] महाभारत काल से ही स्त्रियों के व्यवहारों पर यद्यपि कुछ नियंत्रण लगना प्रारंभ हो गया था लेकिन तो भी इस काल में स्वयंबर प्रथा द्वारा स्त्रियों का विवाह होने और वेदों का अध्ययन करने के आधार पर उनकी उच्च सामाजिक प्रस्थिति को प्रमाणित किया

---

1. महाभारत, अनुशासनपर्व 13/46/5

जा सकता है। जैन और बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण इसी काल की भारतीय हिन्दू महिलाओं का इन धर्मों में प्रवेश प्रारंभ हुआ। अनेक महिलाएं धर्म प्रचार के कार्य में लग गयीं। किन्तु इन धर्मों की पवित्रता लुप्त होने लगी। इन धर्मों के पतन के कारण महिलाएँ भी पथभ्रष्ट और पतनोंमुख होने लगीं। परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त होने लगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आने के कारण इनकी सामाजिक प्रस्थिति गिरने लगी। डॉ0 ए.एस. अल्टेकर ने भारतीय हिन्दू महिलाओं के पतन का काल 1000 ईसा–पूर्व से 500 ईसा पश्चात माना है।[1] इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस काल में भारतीय महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति में गिरावट के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे। किन्तु कुल मिलाकर उनकी स्थिति संतोषजनक थी।

तीसरी शताब्दी के बाद याज्ञवल्क्य संहिता, विष्णु संहिता और पाराशर संहिता की रचना हुई जिनमें वेदों के नियमों को पूर्णतया तिलांजलि देकर 'मुनस्मृति' को ही व्यवहार की कसौटी मान लिया गया। यह काल सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता का युग था। स्त्रियाँ भी इस संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनीं। इस काल में स्त्रियाँ 'गृहलक्ष्मी' से 'याचिका' के रूप में दिखाई देने लगीं। 'माता' 'सेविका' बन गई, जीवन और शक्ति प्रदायिनी देवी अब निर्बलताओं की प्रतीक बन गई। स्त्री जो किसी समय अपने प्रबल व्यक्तित्व द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब परतन्त्र, पराधीन निस्सहाय और निर्बल बन चुकी थी।[2] मनुस्मृति में यहाँ तक कह दिया गया कि–

पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा व स्त्री स्वातन्त्रयमर्हति।।

अर्थात् स्त्री कभी भी स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है। अविवाहित होने पर पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र ही उसका सरंक्षक है।[3]

वहीं दूसरी ओर उसी काल में स्त्रियों को पूज्यनीय दर्शाते हुए उनकी महत्ता वर्णित की

---

1. अल्टेकर. ए.एस; दि पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ 245.

2. लखनपाल, चन्द्रावती ; स्त्रियों की स्थिति, पृष्ठ. 25.

3. मनुस्मृति, 9/3.

गई है –

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

'अर्थात् जहाँ स्त्रियाँ पूजी जाती हैं वहीं देवता रमण करते हैं, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, वहाँ सभी धार्मिक क्रियाएँ निष्फल होती हैं।[1]

स्त्रियों की उच्च प्रस्थिति के प्रमाणस्वरूप इन श्लोकों को प्रायः उद्धृत किया जाता हैं। दूसरी ओर इनसे यह झलकता है कि स्त्रियों की स्थिति पराधीनता की थी और शिष्टता तथा सभ्यता की मांग थी कि इनका उचित आदर किया जाय। वैधिक स्थिति निम्न ओर आश्रितों जैसी थी पर इसका समाधान माँ की स्थिति देवी जैसी पूज्य बनाकर, पत्नी के प्रति सौजन्यपूर्ण व्यवहार की और पुत्री के प्रति दुलार की व्यवस्था करके कर दिया गया था।[2]

वास्तविकता यह है कि स्त्रियों की स्थिति के पतन को इस काल को आधारभूत कहा जा सकता है, जिसके बाद स्त्रियाँ एक 'वस्तु' बन गयी, जिन्हें पुरुष अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार उपयोग में ला सकता था। मध्यकाल का समय 16वीं शताब्दी की स्थिति के पतन को इस काल को आधारभूत कहा जा सकता है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में जितना ह्मस हुआ, इसे हमारा सामाजिक इतिहास एक कलंक के रूप में संभवतः कभी नहीं भूलेगा। यह सच है कि 11वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतीय समाज पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ने के कारण भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्हें समस्त अधिकारों से ही वंचित कर देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस काल में स्त्रियों को नियन्त्रित रखने के लिए कड़े नियम बनाये जाने लगे। यहाँ तक की पुत्री जन्म को ही दुर्भाग्य समझा जाने लगा। परिणामस्वरूप बालिका हत्या, बाल विवाह, पर्दा–प्रथा, जौहर व्रत, सती प्रथा और दासता जैसी प्रमुख सामाजिक बुराईयों के कारण स्त्रियों की स्थिति और अधिक प्रभावित हुई। स्त्रियों को स्वतन्त्रता देना सर्वनाश के समान माना जाने लगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर

---

1. मनुस्मृति, 3/56

2. Karve Irawati; Kinship Organization in India, P. 77.

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के काल में भी स्त्रियाँ प्रायः उपेक्षित ही रही हैं। ब्रिटिश शासक ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार आए। जनवरी 1927 में 'अखिल भारतीय महिला सभा' की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य महिलाओं में शैक्षिक और सामाजिक कार्य करना था। भारतीय समाज में 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में स्त्रियों की स्थिति के बारे में अनेक सुधार आन्दोलन हुए। स्वार्थ, अन्याय और अत्याचार जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं तब उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी प्रारम्भ हो जाती है। स्त्रियों के प्रति अमानुषिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध होने वाले सुधार आन्दोलन इसी प्रतिक्रिया को स्पष्ट करते हैं। इस युग में स्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिति में सुधार कार्य करने वाले महान पुरुषों में राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानन्द सरस्वती, डॉ0 कर्वे, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी आदि प्रमुख हैं। इन लोगों के सतप्रयासों से सती–प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या (बालिका वध) आदि के प्रश्नों का कुछ समाधान होना प्रारम्भ हुआ। गांधी जी के राष्ट्रीय आन्दोलन में लाखों स्त्रियों ने भाग लिया जिससे उनमें चेतना आयी। वे अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति जागरुक होने लगीं। वे स्वयं अपनी अवस्था में सुधार के प्रति प्रयत्नशील हुईं। उनके स्वयं, सुधार संस्थाओं तथा सुधारकों के प्रयत्नों से उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व शैक्षिक अवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने लगे।

यद्यपि पिछली एक शताब्दी से ही स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, सम्पूर्ण विश्व उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता था। डॉ0 एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता को इन परिवर्तनों का प्रमुख कारण माना है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने व औद्योगीकरण के फलस्वरूप भी उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुए। इससे स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक–निर्भरता कम होने लगी और उन्हें स्वतन्त्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिले। संचार के साधनों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास होने से स्त्रियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना प्रारम्भ किया। संयुक्त परिवारों का

विघटन होने से स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई। सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा और अंतर्जातीय विवाह की समस्याओं से छुटकारा पाना आसान हो गया।

परिवर्तित होते हुए प्रतिमान के अनुसार वैश्वीकरण आज के युग की अपरिहार्यता है जिसके प्रभाव से विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं रहा सकता। वैश्वीकरण ने निःसंदेह भारतीय महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण ने महिलाओं को एक वस्तु बना दिया है और उपभोक्तावादी संस्कृति धडल्ले से महिलाओं का प्रयोग (दुरूपयोग) एक वस्तु के रूप कर रही है, विशेषकर इलेक्ट्रानिक मीडिया। कोई भी फैशन शो या विज्ञापन महिलाओं के अभाव में संभव नहीं है।

वैश्वीकरण ने आधुनिक युवा महिलाओं को ग्लोबल सिटीजन बना दिया है जो आत्मानिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी है जिसने पुरुष प्रधान, चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल नर्स, शिक्षिका, स्त्री रोगों की डाक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही है। वस्तुतः 21वीं शती महिला शती है तथापि भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सोनिया गांधी, सुश्री मायावती, सुश्री जयललिता, सुश्री ममता बैनर्जी, सुश्री मेधा पाटेकर, श्रीमती किरण मजूमदार, सुश्री इला भटट्, श्रीमती वृन्दाकारत, श्रीमती सुधा मूर्ति, सानिया मिर्जा जैसी सामाजिक, राजनीतिक जीवन की ख्याति प्राप्त उंगलियों पर गिनी जाने वाली महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो समाज की अधिसंख्यक महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष उपलब्धि जैसा परिवर्तन नहीं आया है और निकट भविष्य में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा, ऐसी संभावना भी नहीं है।

निर्विवाद रूप से यह सत्य है कि स्वाधीनता उपरान्त न केवल शहरों अपितु ग्रामों में भी जागरुकता बढी है। महिलाएँ घर–परिवार की चारदीवारी से निकलकर घर और बाहर दोनों दायित्वों को निभा रही हैं और दोहरी जिम्मेदारी के बोझ तले पिस रही हैं। सार्वजनिक जीवन और क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। भारतीय संविधान

की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि इसका लक्ष्य न्याय प्राप्ति व समस्त नागरिकों को स्तर और अवसर की समानता प्रदान करना है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान के 73–74वें संशोधन द्वारा देशभर की पंचायतों व जिला परिषदों में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा, महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया गया। सैद्धान्तिक रूप से महिलाओं को कानून के सभी अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों को प्राप्त हैं, परन्तु व्यवहार में अनेक विसंगतियाँ है जिनकी भुक्तभोगी हममें से अधिकांश महिलाएँ हैं (अपवादों को छोड़कर)। परिवार के अन्दर ही लड़कियों को भाइयों के समान शिक्षा, खेलकूद, खाने–पीने तक की छूट नहीं मिलती, लड़कों को बचपन से गैर–शाकाहारी मिलता हैं, लड़कियों को नहीं, लड़के देर रात तक मटरगश्ती करते हैं, लड़कियों को अंधेरा होने से पूर्व घर लौटना होता है अन्यथा जब तक लड़की घर वापस नहीं आती माता–पिता के प्राण अधर में लटके रहते हैं।

विवाह निश्चित करते समय लड़का दिखाकर उसकी मर्जी जानने की रस्म पूरी कर ली जाती हैं। बचपन से लड़कियों को शिक्षा–तुम्हें दूसरे (सास) के घर जाना है। अतः सारी नैतिकता, संस्कार, रसोई बनाने, गृहस्थी संभालने का दायित्व उसी का है। शहरी लड़कियों को ग्रामीण लड़कियों की अपेक्षा अधिक छूट और सुविधाएँ प्राप्त हैं। शादी के बाजार में नौकरीपेशा लड़कियों की मांग ज्यादा है, अतः अब पहले की अपेक्षा लडकियों को काफी छूट मिल गई है। हालांकि नौकरी पेशा लड़कियों की समस्याएँ घर–बाहर दोनों जगह बढ़ गई हैं। पग–पग पर वह तिरस्कृत, असुरक्षित और उत्पीडित है। नारी उत्पीड़न की घटनाएँ द्रौपदी के चीर–हरण की तरह बढ़ रही हैं। कोई भी महिला ऐसी नहीं है जिसने जीवन में कभी–न–कभी उत्पीड़न, शोषण, हिंसा किसी न किसी रूप में सहन न की हो। यद्यपि सभी पुरुष बलात्कारी, अभद्र, पिटाई करने वाले, अपहरणकर्ता, शोषणकर्ता नहीं है तथापि महिलाएँ सभी आयु में संभावित शिकार हैं। भारत में आईपीसी के अन्तर्गत प्रतिवर्ष घटित कुल अपराध लगभग–6 प्रतिशत महिलाओं के प्रति होते हैं। प्रतिवर्ष 31000 यातना मामले (पति व अन्य द्वारा), 28000 छेड़खानी के मामले, 14000 अपहरण के मामले, 28000 दहेज प्रताड़ना सम्बन्धी मामले, 14000

बलात्कार के मामले ,एक दो मामले सती प्रथा के घटित होते हैं।

लड़कियों और महिलाओं की स्थिति पर दिल्ली स्टेट कमीशन की रिपोर्ट रोंगटे खड़े करने वाली है—मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तीनों मैट्रो शहरों से दोगुने बलात्कार के मामले दिल्ली में होते हैं। दस वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार पूरे देश से चार गुना अधिक, 88 प्रतिशत अपराध परिचितों और रिश्तेदारों द्वारा घटित और सबसे दुखद् पहलू 89 प्रतिशत अपराध घर की परिधि में होते हैं। इन सबके बावजूद रोशनी कि किरण यही है कि देश की विकसित अर्थव्यवस्था, 9 प्रतिशत विकास दर ने महिलाओं के समक्ष संभावनाओं के नए असीमत क्षेत्र खोल दिए हैं। एसौचैम व इकोपल्स के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1998 से वर्ष 2004 के मध्य महिलाओं को मिलने वाले रोजगार में 3.35 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं पुरुषों को इस मामले में 8 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ा है। निजी सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या वर्ष 1998—47.74 प्रतिशत, वर्ष 2004—49.34 प्रतिशत थी। पुरुषों की संख्या वर्ष 1998—2.34 करोड़, वर्ष 2004—2.15 करोड़ थी।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 'महिला वैश्विक रोजगार' रिपोर्ट के अनुसार समान काम के लिए अभी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वेतन कम मिलता है। विश्व के कुल 2.9 अरब रोजगार शुदा लोगों में महिलाओं की संख्या पहले से अधिक है। बड़ी संख्या में महिलाएँ कम वेतन वाले कार्यों में लगी हुई हैं जैसे खेती। महिलाओं की कार्य क्षमता सम्बन्धी निम्न आंकड़े आश्चर्य चकित कर देने वाले हैं—कुल आबादी में आधी होते हुए भी महिलाएँ दो तिहाई काम करती हैं, पर उनके काम का एक तिहाई दर्ज हो पाता है। 70 प्रतिशत महिलाएँ खेती के कार्य में संलग्न, विश्व के कार्य का 60 प्रतिशत कार्य महिलाएँ सम्पन्न करती हैं। किन्तु केवल एक प्रतिशत विश्व भूमि पर महिलाओं को स्वामित्व प्राप्त है और विश्वव्यापी आय में केवल 10 प्रतिशत की भागीदारी है। विश्व के 10 खरब गरीबों में 60 प्रतिशत महिलाएँ हैं तथापि आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा सुधार महिलाओं की स्थिति में नहीं हुआ है। वस्तुतः किसी भी देश का विकास लगभग सभी क्षेत्रों में एवं नागरिकों का कल्याण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है जिन्होंने आधा आसमान सिर पर उठा रखा है उनकी

मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुँच है और सामाजिक–राजनीतिक निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में कितनी सहभागिता है। महिलाओं की स्थिति विकास का एक प्रकार का संकेतक भी है। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की रैकिंग के अनुसार महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत का स्थान 115 नम्बर पर है। श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में सबसे कम है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (एशिया प्रशांत के लिए) के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण 2007 के अनुसार यदि भारत में महिलाओं की भागीदारी अमेरिका के बराबर हो जाए तो देश का सकल घरेलू उत्पाद 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा और वृद्धि दर 1.08 प्रतिशत बढ़ जाएगी जिससे अर्थव्यवस्था को 19 अरब डालर का लाभ होगा। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की सुलभता सीमित होने के कारण इस क्षेत्र को प्रतिवर्ष 42 से 47 अरब डालर का घाटा उठाना पड़ रहा है। शिक्षा में लड़के–लड़की के बीच अन्तर के कारण 16 से 18 अरब डालर का नुकसान हो रहा है और यदि अन्तर कम नहीं किया गया तो प्रतिवर्ष 30 अरब डालर की अतिरिक्त कीमत चुकानी होगी।

महिला विकास व अधिकारों की बात करना व्यर्थ है जब तक विश्व की आधी जनसंख्या को मूलभूत अधिकार प्राप्त न हो। भारत में विश्व की जनसंख्या का 1/7 वां हिस्सा है। लगभग 800 करोड़ में से 50 प्रतिशत महिलाएँ हैं और उनकी आंधी संख्या 20 वर्ष से नीचे है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 12 करोड़ कन्याओं का जन्म होता है जिसमें डेढ़ करोड़ अपना प्रथम जन्म दिवस नहीं देख पाती हैं अथवा 5 वर्षो में 850000 अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं। केवल 9 करोड़ कन्याएँ अपना 15वाँ जन्म दिवस मना पाती हैं। कन्याएँ अनचाही होने के साथ–साथ अपने परिवार पर बोझ मानी जाती हैं। इसी कारण लड़कियों का शोषण जन्म से पूर्व प्रारम्भ होकर मृत्युपर्यंत चलता रहता है। कन्या को जन्म से शैशवावस्था, किशोरावस्था, वैधत्य सभी अवस्थाओं में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। लिंग निर्धारण की उच्च तकनीक, चिकित्सीय नैतिकता के अभाव के कारण लाखों बेटियाँ जन्म से पहले ही खो जाती हैं। अनैतिक मेडिकल व्यवसायिकता ने 1000 करोड़ के देशव्यापी व्यवसाय को बढ़ावा दिया है। लिंग निर्धारण परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या के सम्बन्ध में सरकार को ठोस

कदम उठाना होगा, कानूनों को सख्ती से क्रियान्वित करना होगा, उनका सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक शोषण रोकना होगा, यही समय की मांग है। मुस्कराती लक्ष्मी ही आधुनिक भारत का भविष्य है। जहाँ दक्षिण एशिया में मातृत्व मृत्युदर 10000 लाख पर 540 की मृत्यु हो जाती है वहीं भारत में प्रति 5 मिनट में एक महिला की मृत्यु। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 136000 महिलाएँ गर्भावस्था सम्बन्धी जटिलताओं से मृत्यु को प्राप्त होती हैं। यूरोप में पूरे वर्ष में मातृत्व सम्बन्धी जितनी मृत्यु होती हैं उतनी भारत में केवल एक सप्ताह में, तथापि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष योजना या आन्दोलन नहीं है।

आज के वैज्ञानिक, वैश्वीकरण के युग में भी अधिकतर मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि अधिकांश महिलाएँ समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाती अन्यथा 70 प्रतिशत महिलाओं को बचाया जा सकता है। टिटनेस और एनीमिया आज की महिलाओं के दो बड़े शत्रु हैं क्योंकि शिशु के जन्म के उपरान्त भी महिलाओं को बहुत कम अथवा देखभाल उपलब्ध नहीं होती। शबाना आजमी के शब्दों में सुरक्षित मातृत्व समाज के विकास का सूचक है और भारत माता का जीवन दांव पर है। आज के दौर में भी महिलाओं के समझ बड़ी गंभीर चुनौती है। उसे गृहिणी के साथ–साथ अपने को प्रोफेशनली भी सिद्ध करना है। दोनों मोर्चों पर उससे असीमित अपेक्षाएँ हैं और अनेकों सीमाएँ भी। विशेषकर भारतीय समाज जो परम्परावाद, पुरातनता और आधुनिकता में सामंजस्य स्थापित कर रहा है। परिवार व समाज में महिला की भूमिका को लेकर यद्यपि पुरुष मनोवृत्ति में कुछ परिवर्तन आया है। परन्तु आज भी महिला की भूमिका प्रमुखतः पत्नी, माता, पति की अनुगामिनी के रूप में ही है चाहे उसकी शिक्षा और कैरियर का स्वरूप कुछ भी क्यों न हो। महिला के चिन्तन का केन्द्र बिन्दु पति और परिवार ही है। ईधन, चारा, पानी तीनों जिम्मेदारी पूरी करने का दायित्व महिला पर ही है। जाति प्रथा, बाल विवाह व दहेज यह तीनों महिला की दुरावस्था के सबसे बड़े कारण है। आज के समय में भी महिला को अपने शरीर पर, अपनी जननात्मक क्षमता पर अधिकार नहीं है। पति का घर स्त्री की सबसे निरापद जगह माना जाता है पर वहीं पर वह सबसे अधिक उत्पीड़ित होती है। पति ही उस पर अत्याचार करता है, पति ही उसके अधिकार के टुकड़े–टुकड़े कर देता है।

भारतीय समाज में बहुत कम महिलाओं को अपनी स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। अधिकतर महिलाएँ काफी सीमा तक अपने पिता, पति अथवा भाइयों, बेटों पर आश्रित हैं। अधिकांश महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार अथवा परिवर्तन नहीं हुआ है। महिला विकास के लिए समाज और पुरुषों के दृष्टिकोण के साथ-साथ स्वयं महिलाओं को भी अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करना होगा कि उनका घर परिवार से पृथक एक मनुष्य के रूप में भी अस्तित्व है और ऐसा व्यापक स्तर पर जागृति, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण द्वारा ही संभव है।

परिवर्तन एक सार्वभौमिक सत्य है। समाज और उसका कोई भी अंग परिवर्तन के प्रभाव से बच नहीं सका। 18वीं सदी के अन्त से ही यूरोप में और भारत में 19वीं से ही जबकि औद्योगीकरण एवं नगरीकरण में वृद्धि हुई, परिवार में अनेक परिवर्तन हुए। औद्योगीकरण से पूर्व परिवार एक उत्पादनशील ईकाई था किन्तु औद्योगीकरण होने पर उत्पादन कारखानों में होने लगा। पति-पत्नी और बच्चे सभी कारखानों में काम पर जाने लगे। इससे बच्चे की उपेक्षा हुई, पिता का परिवार पर नियन्त्रण शिथिल हुआ एवं सदस्यों में स्वतन्त्रता एवं व्यक्तिवादिता में वृद्धि हुई। औद्योगीकरण ने स्त्रियों को आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान की। वे पुरुष की आर्थिक दासता से मुक्त हुई। अब स्त्री घर की चारदीवारी से बाहर आयी और घर अस्त-व्यस्त हुआ। स्त्री-पुरुषों में समानता की मांग हुई। राज्य एवं उसके कार्यों के विस्तार ने भी परिवार के कई कार्य हथिया लिए। नगरीकरण के कारण लोग गांव छोड़कर शहरों में जाने लगे। शहरों में एकाकी परिवार की बहुतायत पायी जाती है तथा वहाँ परिवार में स्त्री पुरुषों को अधिक स्वतन्त्रता एवं अधिकार प्राप्त हैं। आधुनिक चिकित्सा एवं औषधि विज्ञान ने भी परिवार नियोजन में सहयोग देकर परिवार के आकार को छोटा किया है। पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति, व्यक्तिवादी विचार, यातायात के नवीन साधनों एवं विभिन्न प्रकार के संघों एवं संगठनों के निर्माण ने भी परिवार की संरचना एवं प्रकार्यों को प्रभावित किया है और उनमें अनेक परिवर्तन लाने में योग दिया है। परिवार में आने वाले प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार है :-

(i) अब परिवार केवल एक उपभोग की ईकाई ही रह गया है, निर्माण एवं उत्पादक नहीं।

(ii) परिवार का आकार छोटा हो गया है। माता-पिता और बच्चों के अतिरिक्त परिवार में

अन्य सम्बन्धी साधारणतः नहीं रहते। परिवार में बच्चों की संख्या घटी है। अब निर्वाध गति से बच्चों को जन्म देना उचित नहीं माना जाता।

(iii) परिवार के कार्यों में परिवर्तन हुआ है। पहले परिवार उत्पादन एवं उपयोग की इकाई था। सारा निर्माण कार्य परिवार में ही होता था। परिवार में ही व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती, शिक्षा–दीक्षा, लालन–पालन, बीमारी एवं वृद्धावस्था में सेवा–सुश्रूषा होती थी। किन्तु अब परिवार के इन कार्यों को अन्य संस्थाओं ने ग्रहण कर लिया है। लालन–पालन का कार्य अब नर्सरी में तथा शिक्षा स्कूलों में होती है। अनाथों एवं वृद्धों के लिए अनाथालय, पुअर होम एवं रैन बसेरों का प्रबन्ध किया जाता है। खाने के लिए होटल एंव रेस्तरां, वस्त्र धोने के लिए लाउन्ड्री का उपयोग बढ़ा है। चिकित्सा तथा शिशु एवं मातृ कल्याण का कार्य अस्पताल ले रहे हैं।

(iv) परिवार के सहयोगी आधार में कमी हुई है। अब परिवार का सदस्य अन्य सदस्यों की तुलना में स्वयं के बारे में अधिक सोचने लगा है। वह व्यक्तिवादी होता जा रहा है।

(v) पति–पत्नी के सम्बन्ध में परिवर्तन हुआ है। अब पति परमेश्वर की धारणा के स्थान पर मित्रता एवं साथी के भाव पनपे हैं।

(vi) अब विवाह एक धार्मिक संस्कार न रहकर समझौता मात्र रह गया है जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता है। अब अन्तर्जातीय विवाह व प्रेम विवाह होने लगे हैं। लड़के–लड़की का चयन अब माता–पिता के स्थान पर स्वयं वर–वधू करने लगे हैं।

(vii) परिवार में पिता के अधिकारों में ह्रास हुआ है और पारिवारिक निर्णयों में परिवार के अन्य सदस्यों की भी सलाह ली जाने लगी है।

(viii) स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार मिला है। इससे पूर्व पुरुष ही परिवार की सम्पत्ति में उत्तराधिकारी थे।

(ix) स्त्रियों को गृह–बन्धन से मुक्ति मिली है। वे आर्थिक एंव सामाजिक दृष्टि से स्वतन्त्र हुई है। अब पत्नियों एवं पुत्रियों को पिता से स्वतन्त्र धनोपार्जन की छूट मिली है।

(x) परिवार में विघटन बढ़ा है। दिनोंदिन तलाकों में वृद्धि होने लगी हैं।

(xi) नातेदारी का महत्व घटा है। लोग रिश्तेदारों से दूर भागने लगे हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आधुनिक परिवार परिवर्तन के दौरं से गुजर रहा है। उसकी संरचना और प्रकार्यों को आधुनिक परिवर्तनकारी शक्तियों ने परिवर्तित किया है। फिर भी उसके समाप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है।

वर्तमान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत का सामाजिक संगठन एंव सामाजिक ढांचा बहुत कुछ बदल गया है। भारतीय समाज में परिवार का संगठन स्त्री एवं पुरुष के समन्वय से रहता है लेकिन जब विवाह–विच्छेद अथवा तलाक हो जाता है तो वह पारिवारिक विघटन समझा जाता है। तलाक या विवाह विच्छेद दोनों पक्षों के लिए अत्यधिक कठिनाईयां पैदा कर देता है। आजीवन साथ निभाने के संकल्प के कारण विवाह अविघटनीय माना जाता था, अब यह धारणा धीरे–धीरे क्षीण हो रही है। जब विवाह होने की परिस्थितियाँ और कारण बदले तब विवाह विच्छेद की दर भी बढ़ने लगी। आज भारत की सभी विधिक प्रणालियों में विवाह–विच्छेद के अधिकार को सम्मिलित कर दिया गया है किन्तु कानूनों में विभिन्नताएँ एवं स्त्री–पुरुषों को लेकर असमानताएँ पाई जाती हैं।

विवाह–विच्छेद के पश्चात् स्त्री तथा पुरुष दोनों के सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक व मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। विवाह की जो भूमिका सामाजिक स्तर पर मानी जाती है, तलाक के कारण उसकी महत्ता समाप्त होती नजर आती है। विवाह–विच्छेद के बाद पुरुष एवं स्त्री पर तलाकशुदा का धब्बा लग जाता है जिससे उनमें मानसिक तनाव बढ़ता है। विवाह–विच्छेद का प्रभाव पुरुषों की तुलना में महिलाओं के जीवन पर अधिक पड़ता है। परित्यक्ता स्त्री को समाज में सम्मानपूर्वक पद प्राप्त नहीं होता है और स्त्री को असम्मानजनक यहाँ तक कि अनैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जाता है। साथ ही पुनर्व्यवस्थापन (दूसरे विवाह) में सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना कठिन हो जाता है। पति से अलग अथवा विवाह–विच्छेद (तलाक) के परिणामस्वरूप अलग रहती महिला को समाज ने 'परित्यक्ता' की संज्ञा प्रदान की अर्थात् जिसे पति रूपी पुरुष ने अपनी दासी या अनुगामी न बनने पर छोड़ दिया। भारतीय समाज में परित्यक्ता महिला को प्रारम्भ से लेकर आज तक

सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसे कुलक्षणी, कलंकिनी, कुलटा तथा दुश्चरित्रता आदि संज्ञाएँ प्रदान की जाती है।

विवाह–विच्छेद के पश्चात् आज स्त्रियाँ अपने भरण–पोषण या निर्वाह भत्ता के लिए न्यायालय जाने लगी हैं। पहले इनकी संख्या बहुत कम हुआ करती थी परन्तु आज इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। हमारा अध्ययन क्षेत्र इन्हीं परित्यक्ता महिलाओं के भरण–पोषण से सम्बन्धित है, इसलिए वैधानिक रूप से भरण–पोषण को परिभाषित करना यहाँ पर आवश्यक है।

सामान्यतः हिन्दू विधि में भरण–पोषण को वृहत रूप में लिया गया हैं और इसके अन्तर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय परिचर्या के लिए उपबन्ध आते हैं। अविवाहित पुत्री की स्थिति में उसके विवाह के युक्तियुक्त और प्रासंगिक व्यय भी आते हैं। हिन्दू समाज में संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली की पृष्ठभूमि में भरण–पोषण का विशेष महत्व है। संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों को संयुक्त कुटुम्ब के कोष में से भरण–पोषण पाने का अधिकार है, चाहे उनकी कुछ भी आयु या प्रस्थिति क्यों न हो। इसके साथ–साथ कुछ नातेदारों के भरण–पोषण के व्यक्तिगत दायित्व को हिन्दू विधि ने सदैव मान्यता दी है। अपत्य, पत्नी और वृद्ध जनकों का भरण–पोषण करने का व्यक्तिगत दायित्व प्रत्येक हिन्दू का है। हिन्दू विधि ने इस नियम को भी मान्यता दी है कि जो भी व्यक्ति किसी अन्य की सम्पत्ति लेता है, उसका यह दायित्व है कि वह उस व्यक्ति के आश्रितों का भरण–पोषण करें। इस भांति हम हिन्दू विधि के अन्तर्गत भरण–पोषण का अध्ययन निम्न तीन शीर्षकों को अन्तर्गत कर सकते हैं –

(i) भरंण–पोषण का व्यक्तिगत दायित्व

(ii) आश्रितो के भरण–पोषण का दायित्व और

(iii) संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों के भरण–पोषण का दायित्व

उपर्युक्त भरण–पोषण का व्यक्तिगत दायित्व और संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों के भरण–पोषण का दायित्व के अन्तर्गत भरण–पोषण का दायित्व सम्पत्ति के साथ समविस्तीर्ण (Co-Extensive) है जबकि भरण–पोषण का व्यक्तिगत दायित्व के अन्तर्गत दायित्वं व्यक्तिगत

है। भरण–पोषण का व्यक्तिगत दायित्व और आश्रितों के भरण–पोषण का दायित्व के अन्तर्गत आने वाली विधि को हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अध्याय तीन में संहिताबद्ध कर दिया गया हैं। वैवाहिक कार्यवाही के दौरान और वैवाहिक कार्यवाही में डिक्री पारित होने के पश्चात् पति और पत्नी एवं अपत्यों के अन्तरिम और स्थाई भरण–पोषण का प्रावधान है।

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत अन्तरिम भरण–पोषण और कार्यवाही के व्यय और धारा 25 के स्थायी निर्वाहिका और भरण–पोषण के उपबन्ध हैं। अंग्रेजी विधि में अन्तरिम और स्थाई निर्वाहिका और भरण–पोषण पत्नी द्वारा ही मांगा जा सकता है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन यह पति या पत्नी किसी के भी द्वारा मांगा जा सकता हैं।

कार्पस जुरिस के अनुसार निर्वाहिका वह भत्ता है जो विधि के अन्तर्गत पति की सम्पत्ति में से पक्षकारों के बीच विवाह सम्पन्न हो जाना सिद्ध होने पर और यह सिद्ध होने पर कि वह पृथक भरण–पोषण की अधिकारिणी है, वैवाहिक कार्यवाही के दौरान या उसकी सम्पत्ति पर पत्नी को दिया जाता है। निर्वाहिका और भरण–पोषण का सिद्धान्त यह है कि पति या पत्नी के भरण–पोषण और निर्वाह या उत्तरदायित्व न केवल उस समय है जबकि वह पत्नी है बल्कि उस समय भी जब वह उसकी पत्नी नहीं रहती है जैसे विवाह–विच्छेद के पश्चात् जब तक कि वह दूसरा विवाह न कर लें। प्रारम्भ में यह नियम विवाह–विच्छेद पर लागू होता था परन्तु अब यह नियम विवाह की अकृतता पर भी लागू होता है।

आज स्त्री–पुरुष की समानता के युग में जहाँ स्त्रियाँ भी उपार्जन करने लगी हैं, प्रश्न यह उठाया जाता है कि भरण–पोषण और निर्वाहिका पत्नी द्वारा पति को भी देनी चाहिए, यदि पत्नी उस योग्य है। लगभग सभी सम्यवादी देश इस नियम को मान्यता देते हैं। अन्य देशों में भी यह नियम मान्यता प्राप्त कर रहा है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पति और पत्नी दोनों एक–दूसरे से भरण–पोषण की रकम मांग सकते है। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के अन्तर्गत भरण–पोषण और निर्वाहिका का अधिकार हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम के उपबन्धों से स्वतन्त्र और पृथक है।

वादकालीन भरण-पोषण और कार्यवाही का व्यय :- वादकालीन भरण–पोषण को अन्तरिम भरण–पोषण या अस्थाई भरण–पोषण भी कहते हैं। यह वह भरण–पोषण है जो कार्यवाही आरम्भ होने से डिक्री पास होने तक (चाहे याचिका मंजूरी की डिक्री हो, चाहे खारिजी की) न्यायालय की आज्ञा द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम में इसका उपबन्ध धारा 24 में है। इस धारा के अनुसार यदि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि यथास्थिति, पति या पत्नी की कोई ऐसी स्वतन्त्र आय नहीं है जो उसके सम्भाल और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वहाँ वह पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अर्जीदाता को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान में प्रतिमास ऐसी राशि संदत्त करे जो आर्जीदाता की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हो। इन तथ्यों के सिद्व होने पर न्यायालय को भरण–पोषण और कार्यवाही के व्यय का आदेश देना ही होगा। न्यायालयों को अपत्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी रकम निर्धारित करने का अधिकार है। इस भांति धारा 24 निम्न दो बातों के बारे में उपबन्ध बनाती है–

(i) प्रार्थी का भरण–पोषण और

(ii) कार्यवाही का आवश्यक व्यय

उपर्युक्त कथित दोनों अनुतोषों के लिए विवाह की अकृतता, विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण और दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की कार्यवाहियों में न्यायालय आदेश दे सकता है।

प्रार्थना पत्र कौन दे सकता :- धारा 24 के अन्तर्गत प्रश्न उठता है कि पति और पत्नी से क्या तात्पर्य है। स्पष्ट है कि वैध विवाह के पति–पत्नी में से कोई अन्तरिम भरण–पोषण के प्रार्थना पत्र दे सकता परन्तु यहाँ पर यह तकनीकी अर्थ नहीं लिया गया है। विवाह के अवैध या शून्य होने पर भी उस विवाह के युगल पति–पत्नी कहलायेंगे और उनमें से कोई भी अन्तरिम भरण–पोषण के लिए प्रार्थना–पत्र दे सकता है।

प्रार्थना पत्र का आधार :- प्रार्थी के पास उसकी सम्भाल और कार्यवाही के आवश्यक व्यय के लिए कोई पर्याप्त स्वतन्त्र आय नहीं है। कुछ मित्र और नातेदार उसकी आर्थिक सहायता कर रहे हैं या आर्थिक सहायता करने को तत्पर हैं, यह कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिस पर न्यायालय आदेश देते समय ध्यान रखेगा। न्यायालय को प्रार्थी और प्रतिपक्षी की स्वतन्त्र आय को ध्यान में रखना है न कि अनुदान या खैरात को जो उसे दूसरे से मिलती है। न्यायालय पक्षकारों की अन्य परिस्थितियों का ध्यान भी रख सकता है जैसे प्रार्थी का बीमार रहना या प्रतिपक्षी का परिवार बड़ा होना आदि।

प्रार्थी की आय :- यह सिद्ध होने पर कि प्रार्थी के पास भरण–पोषण के पर्याप्त साधन नहीं है, न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह भरण–पोषण की आज्ञा प्रदान करें। आधार यह है कि भरण–पोषण के लिए उसके पास पर्याप्त आय नहीं है। यदि पत्नी को अस्थाई नौकरी मिल भी गई है तो यह उसकी आय नहीं कहलायेगी। अन्तरिम भरण–पोषण की राशि निर्धारित करते समय न्यायालय पक्षकारी की सामाजिक और आर्थिक संस्थिति, प्रार्थी की औचित्यपूर्ण आवश्यकतायें, प्रार्थी की आय, प्रतिपक्षी की आय, आश्रितों की संख्या, उनकी नातेदारी आदि का ध्यान रखता है। किसी भी पक्षकार द्वारा सिद्ध करने पर कि परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है, न्यायालय इन आदेशों को बदल भी सकता है। प्रार्थी के भरण–पोषण की राशि निर्धारित करना न्यायालय के स्वविवेक पर है और यह हर मामले के अपने–अपने तथ्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह ध्यान देने की बात है कि अन्तरिम भरण–पोषण के सम्बन्ध में पक्षकारों का आचरण महत्वहीन है। अंग्रेजी न्यायालयों की प्रथा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यायालयों ने कहा है कि अन्तरिम भरण–पोषण की रकम प्रतिपक्षी की आय का पांचवा भाग होगा। परन्तु यह कोई कानूनी नियम नहीं है और इसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि आय के पांचवें भाग का नियम न ही औचित्वपूर्ण हैं और न ही विवेकपूर्ण। परन्तु कुछ न्यायालयों ने इसे माना है।

हिन्दू विधिवेत्तओं ने भरण–पोषण के दायित्व को प्रारम्भ से ही महत्व दिया है। कुछ व्यक्तियों के भरण–पोषण का दायित्व व्यक्तिगत और पूर्ण दायित्व माना गया है। मनु ने लिखा

है कि वृद्धजनों, शीलवती पत्नी और अपत्यों का भरण–पोषण सदैव करना चाहिए, उसके लिए चाहे सौ अपकृत्य करने पड़े। यही बात वृहस्पति ने इस भांति कही है–अपने कुटुम्ब को भोजन और वस्त्र देने के पश्चात जो बचे उसका दान किया जा सकता है। इससे अधिक का दायी (जो दान के कारण अपने कुटुम्ब को भूखा और नंगा रखता है) पहले तो मधु खाता सा प्रतीत होता है परन्तु अन्ततः विषपान करता है।[1] मिताक्षरा के अनुसार वृद्धजन, पत्नी और अपत्यों के भरण–पोषण का दायित्व व्यक्तिगत है। स्मृतिकारों के अनुसार जो व्यक्ति इस दायित्व का पालन करता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने वृद्ध जनों, पत्नी और अपत्यों को भूखा रखकर, पुण्य–दान करता है, वह नरक का भागी होता है। अंग्रेजी शासनकाल में यह नियम पूर्णतया स्थापित था कि हिन्दू का अपनी पत्नी, अपत्य और वृद्धजनों के भरण–पोषण का दायित्व व्यक्तिगत है। आधुनिक विधि के अन्तर्गत हर हिन्दू पुरुष या स्त्री का दायित्व है कि वह अवयस्क अपत्य और वृद्ध माता–पिता का भरण–पोषण करें।

स्मृतिकारों से लेकर संहिताबद्ध हिन्दू विधि तक वृद्ध और शिथिलांग जनकों के भरण–पोषण का दायित्व व्यक्तिगत और पूर्ण दायित्व रहा है। अन्तर केवल यह है कि संहिताबद्ध हिन्दू विधि के पूर्व यह दायित्व केवल पुत्र का था, अब यह दायित्व पुत्र और पुत्री दोनों का है। विवाहित पुत्री का भी अपने माता–पिता के भरण–पोषण का दायित्व है। पुरानी विधि में जनक के अन्तर्गत सौतेला जनक सम्मिलित नहीं था परन्तु अब संतानहीन सौतेली माता जनक की परिभाषा में आती है।[2] सौतेला पिता अब भी इस परिभाषा में नहीं आता। वृद्ध और शिथिलांगजनों के भरण–पोषण का दायित्व पुत्र और पुत्रियों का अपने जीवन काल के दौरान है। वे माता–पिता जो अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं वे शिथिलांग की परिभाषा में आते है। वह माता जिसने सारी सम्पत्ति दान कर दी हैं या बेच दी है और जिसके पास जीवन का कोई साधन नहीं है, भरण–पोषण पाने की अधिकारिणी है। यह दायित्व इस पर निर्भर नहीं करता है कि पुत्र या पुत्री के पास सम्पत्ति है या नहीं। परन्तु वर्तमान हिन्दू विधि से माता–पिता के भरण–पोषण का दायित्व तभी होता हैं जबकि माता–पिता अपनी आय

1. वृहस्पति XV. 3.

2. हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, धारा 20.

या सम्पत्ति द्वारा अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हों। माता या पिता द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर भरण–पोषण का दायित्व समाप्त हो जाता है।

सामान्य रूप में विवाह का अर्थ होता है कि पक्षकार साथ–साथ रहकर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। परन्तु यदि साथ–साथ रहना सम्भव न हो तो पक्षकार पृथक हो सकते हैं। यह पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण दो तरह का हो सकता है :–

1. पक्षकारों की पारस्परिक सम्मति द्वारा। इसे स्वेच्छापूर्वक पृथक्करण भी कहते हैं।
2. न्यायिक पृथक्करण, यह न्यायालय की डिक्री के द्वारा होता है।

पृथक्करण किसी भी भांति का हो उसका अर्थ खान–पान और रहन–सहन का पृथक्करण होता है। पृथक्करण के पश्चात् पक्षकार दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं है, न मैथुन उनके लिए अनिवार्य है, न साहचर्य। पृथक्करण के पश्चात् सब मूल वैवाहिक दायित्व, कर्त्तव्य और अधिकार निलम्बित हो जाते है। दूसरे शब्दों में उन वैवाहिक दायित्वों, अधिकारों या कर्त्तव्य को छोड़कर जिसे पृथक्करण के करार ने संजोये रखा है, अन्य सब निलम्बित हो जाते हैं। परन्तु पृथक्करण के पश्चात् पक्षकार पति पत्नी ही रहते हैं, विवाह विघटित नहीं होता।

स्वेच्छा से पृथक्करण में पृथक्करण की स्थिति का अन्त उसी समय हो जायेगा जब वे पृथक्करण के करार को विघटित कर दें और दाम्पत्य जीवन आरम्भ कर दें। न्यायिक पृथक्करण में यदि पक्षकार दाम्पत्य जीवन फिर आरम्भ करना चाहते हैं तो न्यायालय द्वारा पृथक्करण की डिक्री को रद्द करने की आज्ञा आवश्यक होगी।[1]

करार द्वारा पृथक्करण :– करार द्वारा प्रथक्करण के सम्बन्ध में हिन्दू विवाह अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है। करार द्वारा पृथक्करण वैवाहिक विधि का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिन्दू विधि में विवाह अधिनियम के पूर्व और अब भी करार द्वारा पृथक्करण मान्य रहा है। करार की सामान्य विधि करार द्वारा पृथक्करण पर लागू होता है। कभी–कभी ऐसा होता है कि पति–पत्नी साथ–साथ रहना नहीं चाहते, किसी कारणवश या हो सकता है अकारण ही।

---

1. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 10 (2)।

परन्तु न तो वे विवाह–विच्छेद चाहते है और न ही न्यायिक पृथक्करण। यह भी हो सकता है कि उन्हें विवाह–विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण के कोई आधार उपलब्ध ही न हों।

करार द्वारा पृथक्करण में पृथक्करण रहना अनिवार्य है। करार वर्तमान पृथक्करण से सम्बन्धित होना चाहिए, भविष्य में नहीं। करार द्वारा पृथक्करण में भरण–पोषण का अधिकार समाप्त नहीं होता है। पृथक्करण करार के अन्तर्गत कभी यह शर्त भी होती है कि पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की मांग नहीं करेंगे। इस भांति की शर्त प्रवर्तित की जा सकती है, परन्तु न्यायालय उसे प्रवर्तित करने के लिए बाध्य नहीं है।

न्यायिक पृथक्करण :– सामान्यतया न्यायिक पृथक्करण किसी आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। कभी–कभी ऐसा होता है कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह–विच्छेद एक आधार पर ही होते हैं।[1] कभी ये आधार पृथक–पृथक होते हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत सन् 1976 के संशोधन के पश्चात् विवाह–विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण के आधार एक हैं। न्यायिक पृथक्करण का अन्त या तो पक्षकारों के पुनः मिलन में होता है या विवाह–विच्छेद में। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि पक्षकार जीवन भर पृथक्करण में रहते हैं

हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम की धारा 18 (2) के अन्तर्गत कुछ आधारों के होने पर पत्नी, पति से पृथक रह सकती है और भरण–पोषण की मांग कर सकती है। यह उपबन्ध हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक पृथक्करण के उपबन्ध से भिन्न है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में पत्नी, पति से न्यायिक पृथक्करण न ले परन्तु वह उसके साथ भी रहना चाहे, यह भी हो सकता है कि न्यायिक पृथक्करण का आधार ही उपलब्ध न हो। इन परिस्थितियों में यदि उसे हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम की धारा 18(2) के अन्तर्गत कोई आधार उपलब्ध है तो वह पृथक रहकर भरण–पोषण की मांग कर सकती है।

न्यायिक पृथक्करण और विवाह–विच्छेद में मूलभूत अन्तर है। विवाह–विच्छेद विवाह को ही समाप्त कर देता है। पक्षकारों के बीच विवाह के अन्तर्गत उपबंध में सब कर्तव्य,

---

1. विशेष विवाह अधिनियम, 1954, धारा 18.

अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं। पक्षकार पति–पत्नी नहीं रहते हैं और वे अपना पृथक–पृथक जीवन व्यतीत करने के लिए स्वतन्त्र हो जाते हैं। उनके बीच कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत पक्षकारों के भरण–पोषण की कार्यवाही और धारा 26 के अन्तर्गत की अभिरक्षा और भरण–पोषण की कार्यवाही पक्षकारों के बीच विवाह–विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण के पश्चात् भी हो सकती है। दूसरी ओर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के पश्चात् भी पक्षकार पति–पत्नी रहते हैं, विवाह विद्यमान रहता है केवल दाम्पत्य सम्बन्ध निलम्बित रहते हैं। विवाह–विच्छेद न्यायिक पृथक्करण की अपेक्षा बड़ा अनुतोष है। अतः यदि विवाह–विच्छेद की याचिका में विवाह का आधार स्थापित न हो सके और न्यायिक पृथक्करण का आधार स्थापित हो जाए तो न्यायालय को यह विवेक है कि वह न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर दे। विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम 1976 के संशोधन द्वारा न्यायिक पृथक्करण और विवाह–विच्छेद के आधार एक बना दिए गए हैं।

विवाह–विच्छेद विवाह को विघटित कर देता है। पक्षकरों के बीच सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं और वे पुनः अविवाहित की प्रस्थिति प्राप्त करते हैं। विवाह की अकृतता का सम्बन्ध विवाह के पूर्व की अवबाधाओं से है, विवाह–विच्छेद का सम्बन्ध विवाह के पश्चात् उत्पन्न होने वाली अवबाधाओं से है। धारणा यह रही है कि इन अवबाधाओंके कारण निर्दोष पक्ष के लिए पक्षकार के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करना असंभव होगा। अतः यह विवाह के विघटन की याचिका प्रेषित कर सकता है। इन अवबाधाओं को ही विवाह–विच्छेद के आधार या हेतु कहते हैं। कुछ विधि व्यवस्थाओं में विवाह–विच्छेद के आधार न्यूनमत हैं, कुछ में अनेक हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 प्रारम्भ में विवाह–विच्छेद दोषिता सिद्धान्त पर आधारित था। सन् 1964 के संशोधन द्वारा विवाह–भंग सिद्धान्त को मान्यता दी गई। सन् 1978 के संशोधन द्वारा पारस्परिक अनुमति द्वारा विवाह–विच्छेद के सिद्धान्त को मान्यता दी गई। आज स्थिति यह है कि हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह–विच्छेद के तीनों सिद्धान्तों को स्वीकारा गया है। साथ ही साथ रूढ़िगत विवाह–विच्छेद और विशेष अधिनियमों द्वारा मान्य विवाह–विच्छेद को भी संजाये रखा गया है।

बिना किसी कारण के या बिना पति की सहमति से पतिगृह छोड़कर चली जाने वाली पत्नी भरण–पोषण की अधिकारिणी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि पति की सहमति या औचित्यपूर्ण कारण से पतिगृह से बाहर रहने वाली पत्नी भरण–पोषण की अधिकारिणी हैं। इस सम्बन्ध में विधि के नियमों में सुधार करके उसे सन् 1946 में एक अधिनियम का रूप दिया गया था। इस अधिनियम के उपबन्धों को अब हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम का धारा 18(2) में अधिनियमित किया गया है। धारा 18 की उपधारा (2) पतिगृह से पृथक निवास बनाकर रहने के सात आधार देती हैं। ये आधार निम्नवत् हैं :–

(i) अभित्यजन

(ii) क्रूरता

(iii) उग्र कुष्ठ रोग

(iv) अन्य पत्नी का जीवित होना

(v) उपपत्नी को होना

(vi) धर्म परिवर्तन करना

(vii) अन्य कोई न्यायोचित आधार

पृथक रहने के औचित्यपूर्ण कारण के रूप में अभित्यजन की परिभाषा धारा 18 (2) के खण्ड (क) में इस भांति है, युक्तियुक्त कारण के बिना और उसकी सम्पत्ति के बिना या उसकी इच्छा के विरूद्ध पति उसका परित्याग करने का या जानबूझकर उपेक्षा करने का दोषी है। पृथक निवास और भरण–पोषण के आधार के रूप में अभित्यजन के लिए कोई भी कालावधि आवश्यक नहीं है। केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्णपीठ के अनुसार पत्नी के लिए यह स्थापित करना अनिवार्य नहीं है कि पति ने अभित्यजन स्वेच्छा से किया है।

धारा 18 (2) के खण्ड (ख) क्रूरता की व्याख्या इस प्रकार दी गई है, पति का "ऐसी क्रूरता का व्यवहार जिसके कारण पत्नी के इस बात की युक्ति–युक्त आशंका पैदा हो कि उसका पति के साथ रहना अपहानिकर या क्षतिकारक होगा। यह परिभाषा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 10 (1) (क) 1876 के संशोधन के पूर्व में दी गई परिभाषा के सादृश्य है।

धारा 18(2) के अन्तर्गत कुष्ठरोग की व्याख्या में कहा गया है कि पति के उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित होने पर पत्नी पृथक निवास बनाकर रह सकती है। उग्र कुष्ठ रोग हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह–विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण का आधार है। कुष्ठ रोग विवाह के पूर्व का हो या पश्चात् का, पृथक निवास का दावा करते समय पति कुष्ठ रोग से पीड़ित होना चाहिए।

धारा 18 (2) (घ) के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि यदि पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है तो पत्नी पृथक निवास कर सकती है। इस आधार के अन्तर्गत दूसरी पत्नी का जीवित होना मात्र पर्याप्त है। दूसरी पत्नी साथ रह रही है या नहीं निरर्थक बात है। धारा 18(2)(ड़) के अनुसार यदि उसका पति उसी गृह में जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है, कोई उपपत्नी रखता है या किसी उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान में अभ्यासतः निवास करता है तो पत्नी को पृथक निवास करने का अधिकार है। इस धारा के अन्तर्गत रखैल का होना मात्र पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि या तो उस गृह में जहाँ पत्नी निवास करती है, रखैल रह रही है या पति अन्य गृह में रखैल के साथ अभ्यासतः (Habitually) रहता है। धारा 18 (2) के अन्तर्गत पति के धर्म–संपरिवर्तन द्वारा अहिन्दू होने पर पत्नी पति से पृथक रह सकती है। धारा 8(2)(छ) के अन्तर्गत अन्य किसी न्यायोचित आधार पर भी पत्नी पति से पृथक रह सकती है। यदि पत्नी का भरण–पोषण का दावा किसी भी एक आधार पर पूर्णतया सिद्ध नहीं होता हैं तो इस उपधारा की सहायता से पत्नी को भरण–पोषण दिया जा सकता है।

पितृसत्ता युग के प्रारम्भ से ही पतिगृह में पत्नी की प्रमुख स्थिति रही है वह अपने पतिगृह की प्रबन्धक रही है। जीविकोपार्जन का भार उसका नहीं रहा है। आज भी भिन्न वर्ग की स्त्रियों को छोड़कर अधिकांश हिन्दू स्त्रियाँ जीविकोपार्जन में संलग्नक नहीं है। पत्नी के भरण–पोषण के पति के दायित्व की यह एक पृष्ठभूमि रही है। दूसरी पृष्ठभूमि पति–पत्नी के सम्बन्धों की है। पितृसत्ता युग के प्रारम्भ से ही लगभग सभी समाजों में वैवाहिक जीवन के दौरान पत्नी का भरण–पोषण करने के पति के दायित्व को मान्यता दी गई है। पत्नी के भरण–पोषण का दायित्व किसी अनुबन्ध के उपार्जित नहीं होता है बल्कि यह पति–पत्नी के

विधिक सम्बन्ध के अन्तर्गत सृजित होता है। आधुनिक युग में पति का यह दायित्व विवाह–विच्छेद के पश्चात् भी विद्यमान रहता है।

पितृसत्तात्मक समाज में प्रारम्भ से ही पत्नी का परम कर्त्तव्य माना गया है कि पतिगृह में रहकर वह अपने समस्त दाम्पत्य उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों का पालन करें। इस नियम के साथ–साथ ही विवाह सम्बन्ध होने की तिथि से ही पत्नी के भरण–पोषण का दायित्व आरम्भ होता है। पतिगृह में रहने वाली पत्नी का भरण–पोषण करना पति का परम कर्त्तव्य माना गया है। पति अपनी विपिन्नावस्था (Poverty) के आधार पर पत्नी के भरण–पोषण के दायित्व से नहीं बच सकता है। पत्नी के भरण–पोषण करने का पति का कर्त्तव्य व्यक्तिगत है। अपरिपक्व (Immature) पत्नी के पितृगृह में रहने पर भी उसके भरण–पोषण का दायित्व पति का है।

मुस्लिम विधि एवं कुरान की विभिन्न आयातों में भी स्त्री के भरण–पोषण की बात कही गयी है।

कुरान में कहा गया कि "पुरुष स्त्रियों के रक्षक और भरण–पोषण करने वाले होते हैं।"

(कुरान सूत्र 4 : आयत 34)

कुरान–सूरा 65 : आयत 6 तथा 7 में कहा गया है कि "समृद्ध व्यक्तियों को अपने साधन के अनुसार खर्च करने दो और वह व्यक्ति जिसका साधन सीमित है तो जो कुछ ईश्वर ने उसे दिया है उसके अनुसार वह व्यय करने दो।

कुरान–सूरा 2 : आयत 233 के अनुसार "पति समान रूप में उनके भोजन और वस्त्र का व्यय वहन करेगा।"

कुरान–सुरा 4 : आयत 240 तथा 241 के अनुसार "तलाकशुदा स्त्रियों के लिए (इददत की अवधि में) भरण–पोषण उचित मात्रा में दिया जाएगा।"

भरण–पोषण शब्द पत्नियों, तलाकशुदा पत्नियों, विधवाओं, बच्चों, वृद्ध तथा निर्बल माता–पिता, रखैलियों आदि के भरण–पोषण से सम्बन्धित हो सकता है। भरण–पोषण (नफका) का अर्थ है भोजन, भवन और वस्त्र तथा शिक्षा का व्यय वहन करना। पत्नियों आदि

के लिए अनिवार्य भरण–पोषण की व्यवस्था करने के लिए सामान्य विधि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत दी गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 उपबन्ध करती है कि पत्नी शब्द के अन्तर्गत ''तलाकशुदा पत्नी'' सम्मिलित है। यद्यपि पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 में पत्नी के परिभाषा में तलाकशुदा पत्नी सम्मिलित नहीं थी।

मुसलमानों का तर्क यह था कि उनकी स्वीय विधि तलाकशुदा पत्नी को इददत की अवधि के बाहर भरण–पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं बनाती है। किन्तु उच्चतम् न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि तलाकशुदा पत्नी अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है तो ऐसे मामलों में मुस्लिम विधि के सिद्धान्त को विस्तृत करना अन्याय होगा। यह निर्णय दिया गया था कि मुस्लिम स्वीय विधि उन मामलों में प्रयोज्य होगी जहाँ एक तलाकशुदा पत्नी स्वयं का भरण–पोषण करने में समर्थ है और पति का दायित्व इददत की अवधि के पश्चात् समाप्त हो जाएगा किन्तु जहाँ वह स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है, वहाँ वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भरण–पोषण पाने की अधिकारिणी है।

प्रस्तुत अध्ययन चूँकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, इसलिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास, जलवायु, क्षेत्रफल इत्यादि के बारे में जानकारी भी अति आवश्यक है। बुन्देलखण्ड शब्द का अर्थ स्पष्ट है कि जिस क्षेत्र में बुन्देले ठाकुरों का राज्य रहा है उस क्षेत्र को बुन्देलखण्ड के नाम से पुकारा जाता है। बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना ईसा की चौदहवी शताब्दी से मानी जाती है। उसी समय से इस भू–भाग को बुन्देलखण्ड के नाम से पुकारा जाता है। बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना सर्वप्रथम पंचम सिंह ने की थी। यह राज्य पहले गढकूढ्ढार में स्थापित हुआ, बाद में इसकी राजधानी ओरछा बनाई गयी। उस समय से ओरछा राज्य को ही बुन्देलखण्ड का प्रमुख केन्द्र माना जाता रहा। बुन्देलों ने अपना राज्य इस क्षेत्र में लगभग 1128 ई0 में स्थापित किया। इसके संस्थापक हेमकरण थे जिन्हें पंचम सिंह के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का विस्तार बाद में अकबर के काल में वीर सिंह बुन्देला ने किया। उसके बाद औरंगजेब के काल में बुन्देलखण्ड केसरी छत्रसाल ने इस राज्य का विस्तार किया और जहाँ तक छत्रसाल का राज्य रहा, उस राज्य को बुन्देलखण्ड कहा जाने लगा।

भारतवर्ष के मानचित्र के अनुसार बुन्देलखण्ड की स्थिति नक्शे पर 23–45 और 26–50 उत्तरीय तथा 77–52 और 82–0 पूर्वीय भू रेखाओं के मध्य में है। इस क्षेत्र के समस्त मानचित्रों का अध्ययन करने के बाद इस क्षेत्र का क्षेत्रफल सब मिलाकर 48,310 वर्ग मील है। बुन्देलखण्ड की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए उस मानचित्र को ध्यान में रखना होगा और साथ ही इस दोहे को ध्यान में रखना होगा।

इत जमुना उत नर्मदा, इत चम्बल उत टोंस।
छत्रसाल को लरन की रही न काहू हौंस।।

इस दोहे से यह बात स्पष्ट है कि यमुना, नर्मदा, चम्बल, टोंस के मध्य भाग को बुन्देलखण्ड का क्षेत्र माना जाता रहा है। बुन्देलखण्ड की प्राकृतिक बनावट विभिन्न प्रकार की है। दीवान प्रतिपाल सिंह ने बुन्देलखण्ड के इतिहास के समर्पण भाग में लिखा है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर पर्वतों की गगन चुम्बी चोटियाँ, बडे–बड़े नदी–नाले, घाटियाँ आदि हैं। इस क्षेत्र में हीरे एवं अन्य कीमती पत्थर प्राप्त होते है। सभी प्रकार से यह क्षेत्र आत्मनिर्भर है। कहीं–कहीं उपजाऊ मैदानी भाग हैं जहाँ कृषि होती है और अच्छी बस्तियाँ हैं। कहीं–कहीं पर ऊँची पर्वत श्रेणियाँ है। कहीं पर फल–फूल से लदे वन हैं, सुन्दर सरोवर हैं जिनके किनारे नगर बसे हुए हैं। कहीं पर धन–धान्य से लहराते हुए खेत हैं। कहीं पर तने घनघोर जंगल एंव निर्जन स्थान हैं कि वहाँ पर एक बूँद पानी भी सुलभ नहीं होता। शीत ऋतु में इतना अधिक जाड़ा पड़ता है कि यहाँ के निवासियों का एक–एक अंग शीत से कांपने लगता है। गीष्म ऋतु में यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। धूप तेज होती है, लू चलती है जिससे बाहर निकलने में देह झुलस जाती है। चार नदियों के मध्य बसे हुए इस क्षेत्र का सौन्दर्य देखते ही बनता है। अतः संक्षेप में बुन्देलखण्ड की प्राकृतिक बनावट का वर्णन करना आवश्यक है :–

भूमि की बनावट :– यहाँ पर अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र हैं परन्तु जहाँ भी मैदानी भाग है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर मार भूमि, काबर भूमि, पडुआ भूमि, राकड़ भूमि, हड़काबर भूमि, दो मटिया भूमि, तरी ताल या कछार भूमि इत्यादि पाई जाती हैं।

बुन्देलखण्ड की पर्वत श्रेणियाँ :– बुन्देलखण्ड का क्षेत्र सर्वत्र पहाड़ों से भरा हुआ है। केवल यमुना के तट के बाँदा, हमीरपुर, जालौन एवं अन्य जिलों के थोड़े से भू–भाग को छोड़कर कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहाँ पर्वत श्रेणियाँ न हों। इन पर्वत श्रेणियों को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया जाता है :–

(i) विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियाँ

(ii) पन्ना पर्वत श्रेणियाँ

(iii) भांडेर के पहाड़

(iv) कैमूर पर्वत श्रेणियाँ

इन पर्वत श्रेणियों के अतिरिक्त और भी बहुत से पहाड़ बुन्देलखण्ड में हैं जो सर्वत्र फैले हुए हैं। इन पहाड़ियों को टीरिया घाटी कहते हैं। इसमें हमीरपुर जिले की नवगाँव महेश्वर श्रेणी, अजनर कुलपहाड़ श्रेणी, जबलपुर जिले की बतियागढ़ श्रेणी, सागर जिले में मालधौन राहतगढ श्रेणी तथा लुधौरा, वण्डा तथा सागर आदि की श्रेणियाँ हैं। झांसी जिले में अमझरा की घाटी, मदनपुर की घाटी और नारहट भसनेही की घाटियाँ हैं। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों को घाटी कहा जाता है तथा यहाँ पहाड़ों के बीच के रास्ते को खदिया कहते हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की नदियाँ :– बुन्देलखण्ड में प्रमुख रूप से चार नदियाँ ऐसी हैं जो बुन्देलखण्ड की सीमा का निर्धारण करती हैं। इन नदियों के नाम यमुना, टोंस, नर्मदा, चम्बल हैं। इन चारों नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही बुन्देलखण्ड माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में धसान और केन, बागै, पैसुनी जैसी नदियाँ हैं।

बुदेलखण्ड के वन :– इस प्रदेश में यमुना के किनारे के भाग को छोड़कर शेष सभी भागों में जंगल हैं। जहाँ पर पहाड़ नहीं हैं वहाँ पर जंगलों की कमी है। जिन क्षेत्रों में पहाड़ हैं वहाँ जंगल ही जंगल हैं। इन जंगलों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाये जाते हैं जिनमें साल या सागौन, तेंदू, महुआ, बांस, चन्दन, आचार, इमली, आम, शरीफा, चिरौंजी का वृक्ष, खजूर, बबूल, बेर, सेमल, अमलताश, गूलर, सिंहार, कचनार, जामुन, चिल्ला, दूधी, करधई आदि वृक्ष पाये जाते हैं।

बुन्देलखण्ड के जीव-जन्तुः- बुन्देलखण्ड के जंगली क्षेत्र में बड़े-बड़े हिंसक जीव-जन्तु पाए जाते हैं। उचित वातावरण न होने के कारण यहाँ पर छोटे शेर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में शेर, तेंदुआ, चीता, भालू, कुत्ता, भेड़िया, गीदड़, खरगोश, सूअर आदि जानवर पाये जाते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो हिंसक नहीं हैं पर शिकार की दृष्टि से उपयोगी हैं। ये जंगली जानवर हिरण या मृगरोज, नीलगाय, चिन्कारा, सांभर, चीतल, भेड़िया आदि हैं। इसके अतिरिक्त वनों में सांप, बिच्छू, छिपकली, गिरगिट, गिरधौना आदि जन्तु पाए जाते हैं। मछलियों के अतिरिक्त यहाँ के नदी तालाबों में घडियाल, कछुआ, सर्प, केकड़ा और बहुत प्रकार जल जीव पाये जाते हैं। पक्षियों में मोर, तोता, कौआ, गौरैया, सारस, मुर्गी, बत्तख, कबूतर, तीतर, बटेर, राजहंस, छपका, गलगलिया, पनडुब्बी आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त पालतू जानवरों में हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, बिल्ली, कुत्ता, सुअर इत्यादि हैं।

बुन्देखण्ड के खनिज पदार्थ :- जो भी खनिज पदार्थ जहाँ पैदा होता है उस खनिज पदार्थ से सम्बन्धित उद्योग वहाँ स्थापित हो जाते हैं। बुन्देलखण्ड के जंगली भागों में अनेक प्रकार की धातुएँ और पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ के पहाडी क्षेत्रों में इस प्रकार के पत्थर पाए जाते है जिनसे बहुत से सामान तैयार किए जाते हैं। कलई, चूना, चीप, सड़क के बेलन, इत्यादि बहुत सी उपयोगी सामान इन पत्थरों से बनाए जाते हैं।

पत्थरों के अतिरिक्त यहाँ पर विभिन्न प्रकार की धातुएँ भी पाई जाती हैं। धातुओं में लोहा, तांबा आदि काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। कई जगहों पर पहाड़ों पर खाने हैं। कुछ स्थानों पर यह खाने भूमि पर भी हैं। इन स्थानों पर बिल्लौर, हीरा, कोयला आदि पाया जाता हैं। यहाँ पर कलई अथवा चूने के पत्थर कटनी, मैहर, सतना आदि स्थानों में पाए जाते हैं। शजर पत्थर नर्मदा तथा केन नदी के किनारे पाया जाता है। इससे बड़ी-बड़ी सुन्दर वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। बाँदा में शजर पत्थर के सामान बनते तथा बिकते हैं तथा यहाँ से विदेशों को भेजे जाते हैं। किसी-किसी शजर पत्थर में प्राकृतिक जीव-जन्तु के चित्र अंकित रहते हैं। वर्तमान खोजों के अनुसार बुन्देलखण्ड के कई क्षेत्रों में अभ्रक होने की सम्भावनाएँ पाई जाती हैं। अभी

यह केवल सागर एवं झाँसी जिलों में ही निकलता है। खनिज पदार्थों में सबसे मूल्यवान वस्तु हीरा है। यह पन्ना पहाड़ी और उसके आस–पास वाले इलाकों में पाया जाता है।

बुन्देलखण्ड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद औद्योगिक दृष्टि से प्राचीनकाल से ही पिछड़ा हैं। यहाँ के शासकों ने यहाँ के उद्योग धन्धों, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कोई योजना नहीं बनाई जिसके कारण यह क्षेत्र गरीब होता चला आया है। यहाँ के व्यक्तियों को केवल अपनी उदरपूर्ति के लिए कृषि और उससे सम्बन्धित उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ा। कुछ छोटे–मोटे कुटीर उद्योग जो आदि काल से यहाँ चलते आ रहे हैं, अंग्रेजो के यहाँ आ जाने के कारण वे भी नष्ट प्राय हो गए। बुन्देलखण्ड एक प्रान्त में न होने के कारण भी इसकी उपेक्षा की गई। आज भी यह क्षेत्र भारतवर्ष का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोग देश के अन्य भागों से अधिक गरीब और पिछड़े हुए हैं।

प्रस्तुत अध्ययन चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाले बाँदा जिले पर आधारित है। चित्रकूट धाम मण्डल बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत ही आता है। इसलिए बुन्देलखण्ड के बारे में संक्षिप्त जानकारी के बाद चित्रकूटधाम मण्डल एवं उसके अन्तर्गत आने वाले बाँदा जनपद के बारे में जानना भी आवश्यक है। चित्रकूटधाम मण्डल अभी हाल में विकसित मण्डल है। चित्रकूटधाम मण्डल चार जिलों से मिलकर बना है– बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर एंव महोबा। चित्रकूट धाम मण्डल का मुख्यालय बाँदा है। चित्रकूटधाम मण्डल के चारों जिलों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्रमवत हैं :–

चित्रकूट धाम मण्डल के चारों जिलों का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	वर्ष	जनपद				
				हमीरपुर	बाँदा	महोबा	चित्रकूट	योग
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग किमी0	2001	4282	4460	2884	3164	14790
2.	जनसंख्या							
2A	पुरुष	हजार में	2001	536.7	807.32	406.79	428.41	2179.22
2B	स्त्री	"	2001	457.09	694.29	351.59	373.55	1876.52
2C	योग	"	"	993.79	1501.6	758.38	801.96	40.5573
2D	ग्रामीण	"	"	819.98	1257.58	603.48	725.4	3406.44
2E	नगरीय	"	"	173.81	244.02	154.9	76.56	649.29

2F	अनुसूचित जाति	"	"	224.48	311.66	196.04	210.4	942.58
2G	अनुसूचित जनजाति	"	"	0.17	0.03	0.06	0.02	0.28
3.	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सं0							
3A	ग्रामीण	संख्या	2002	80834	105663	37109	78047	301653
3B	नगरीय	"	"	16029	17721	6123	2594	42467
3C	योग	"	"	98863	123384	43232	80641	344120
4.	तहसील	"	2007	04	04	03	02	13
5.	सामुदायिक विकास खण्ड	"	"	07	08	04	05	24
6.	न्याय पंचायत	"	"	59	71	39	47	216
7.	ग्राम सभा	"	"	314	437	247	330	1328
8.	ग्रामों की सं0							
8A	आबाद ग्राम	"	2001	501	660	441	567	2169
8B	गैर आबाद ग्राम	"	"	126	34	80	87	327
8C	वन ग्राम	"	"	0	0	0	06	06
8D	कुल ग्राम	"	"	627	694	521	654	2496
9.	नगर एवं नगर समूह	"	2001	07	08	05	03	23
10.	नगर पालिका	"	2007	03	02	02	01	08
11.	नगर पंचायत	"	"	04	06	03	02	15
12.	राष्ट्रीयकृत बैंक	"	"	27	28	17	12	84
13.	ग्रामीण बैंक	"	"	29	49	18	29	125
14.	सहकारी बैंक	"	"	08	12	12	07	39
15.	सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक	"	"	03	03	02	01	09
16.	पशु चिकित्सालय	"	"	17	20	09	12	58
17.	पशुधन सेवाकेन्द्र	"	"	21	17	12	11	61
18.	कृषि ऋण समितियाँ	"	"	47	47	42	41	177
19.	शिक्षा							
19A	प्राथमिक विद्यालय	"	"	1141	1454	797	943	4335

19B	उच्च प्रा0विद्यालय	,,	,,	389	573	285	307	1554
19C	माध्यमिक विद्यालय	,,	,,	61	87	37	51	236
19D	वैकल्पिक शिक्षाकेन्द्र	,,	,,	41	0	86	40	167
19E	महाविद्यालय	,,	,,	03	05	0	03	11
19F	स्नातकोत्तर महा0	,,	,,	02	03	02	0	07
19G	औद्यो0प्रशि0संस्थान	,,	,,	01	01	03	0	05
19H	पॉलीटेक्निक	,,	,,	0	01	01	0	02
19I	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	,,	,,	01	01	01	01	04
20.	चिकित्सालय							
20A	एलोपैथिक	,,	,,	04	19	06	06	35
20B	आयुर्वेदिक	,,	,,	22	22	15	07	66
20C	होम्योपैथिक	,,	,,	20	25	07	14	66
20D	यूनानी	,,	,,	02	04	01	0	07
20E	सामु0स्वा0केन्द्र	,,	,,	02	03	03	02	10

चित्रकूटधाम मण्डल के संक्षिप्त वर्णन के पश्चात् बाँदा जनपद के बारे में संक्षिप्त वर्णन आवश्यक हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित जनपद– बाँदा, चित्रकूट धाम मण्डल का एक जिला है। इसके पूर्व में जनपद चित्रकूट, उत्तर में जनपद फतेहपुर, पश्चिम में महोबा और हमीरपुर, दक्षिण में मध्यप्रदेश के सतना, पन्ना और छतरपुर जिले हैं। पूरब में बागै, उत्तर में यमुना और पश्चिम में केन नदी से घिरा यह क्षेत्र उच्च कोटि की मोरम (Sand) का प्राकृतिक श्रोत हैं। यहाँ पर काली मिट्टी, मार, काबर व पडुवा मिट्टी पाई जाती हैं। पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों से घिरे इस क्षेत्र में कभी हरे भरे जंगल थे, पर आज अधिकांशतया इस वन सम्पदा का विनाश हो चुका है।

जनपद बाँदा की पूर्व से पश्चिम की दूरी 75 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। जनपद मुख्यालय सड़क मार्ग से कानपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, झाँसी एवं मध्यप्रदेश से लगे हुए जिलों सतना, पन्ना और छतरपुर से जुडा है। बाँदा से इलाहाबाद, झाँसी कानपुर, लखनऊ एवं सतना के लिए रेल सेवा भी

उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बाँदा से 219 किलोमीटर दूरी पर है।

जल के अभाव एवं जागरुकता की कमी के कारण यहाँ की अधिकांश भूमि एक फसली है। चना, मसूर, धान एवं गेहूँ यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी, फलों एवं औषधियों की खेती यहाँ का आर्थिक कालाकल्प कर सकती है। यहाँ के प्रमुख खनिजों में ग्रेनाइट पत्थर, मोरम, शजर पत्थर हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ प्रति एक हजार पुरुषों पर 860 महिलाएँ हैं जबकि 1919 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर 832 महिलाएँ थीं। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं टीकाकरण कार्यक्रमों से लड़कियों की मृत्यु दर में कमी आयी है। साथ ही यह भी इंगित होता है कि महिला भ्रूण की हत्या के घृणित अपराध जिसने अनेक अग्रणी राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है से यहाँ का जागरुक समाज बचा हुआ है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कुल जनसंख्या का 54.84 प्रतिशत लोग साक्षर हैं जिसमें पुरुष साक्षरता 69.82 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 37.10 प्रतिशत हैं जो चिंतनीय है। यहाँ की जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि 18.49 हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के चार सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिलों में से एक है।

ऊबड़–खाबड़ क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर अपनी विकसित नहर प्रणाली है। यहाँ नहरों की कुल लम्बाई 1193 किलोमीटर है। नहरों के साथ–साथ यहाँ पर 460 राजकीय नलकूप है। केन नहर प्रणाली यहाँ की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और जगह–जगह पर यहाँ लिफ्ट नहर प्रणाली भी विकसित की गई है।

जनपद में अप्रशिक्षित श्रम की बहुलता है। रोजगार की तलाश में यहाँ के मजदूर अन्य जिलों एवं राज्यों में पलायन कर जाते हैं। यदि इनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में मजबूती आ सकती है। प्रशासनिक दृष्टि से यह जनपद चार तहसीलों, आठ विकासखंडों एवं 17 थानों में बंटा हुआ है जिनका विवरण निम्नवत् है :–

तहसील

(i) अतर्रा

(ii) बबेरू

(iii) बाँदा

(iv) नरैनी

विकासखण्ड

(i) बड़ोखर खुर्द

(ii) बबेरू

(iii) महुआ

(iv) नरैनी

(v) बिसण्डा

(vi) कमासिन

(vii) तिन्दवारी

(viii) जसपुरा

थाना

(i) अतर्रा

(ii) बबेरू

(iii) बिसण्डा

(iv) बदौसा

(v) चिल्ला

(vi) फ़तेहगंज

(vii) गिरवां

(viii) जसपुरा

(ix) कालिंजर

(x) कमासिन

(xi) कोतवाली नगर

(xii) कोतवाली देहात

(xiii) मर्का

(xiv) मटौंध

(xv) नरैनी

(xvi) पैलानी

(xvii) तिन्दवारी

विश्व प्रसिद्ध अजेय कालिंजर, बाँदा जनपद में ही स्थिति है। वर्तमान में यह क्षेत्र दस्यु सरगनाओं की चहलकदमी से सूना सा पड़ गया है। बामेश्वर मन्दिर, महेश्वरी देवी मन्दिर, जामा मस्जिद, नवाब टैंक, महावीरन, विंध्यवासिनी मन्दिर आदि यहाँ के कुछ दैवीय दर्शनीय स्थल हैं। नौटंकी, बेड़नी नृत्य, दीवारी, नृत्य, हुड़क नृत्य, ढिमरियाई, स्वांग, जवारा नृत्य, आदि बाँदा जनपद के कुछ प्रमुख लोकनृत्य हैं।

अध्याय द्वितीय

पद्धतिशास्त्र

अध्याय द्वितीय
पद्धतिशास्त्र

प्रत्येक शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इनकी प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि योजनाबद्ध रूप में शोध कार्य आरम्भ नहीं किया जाता। इसी योजना की रूपरेखा को अनुसंधान कहा जाता है। अनुसंधान विश्लेषण के वैज्ञानिक ढंग के प्रयोग की औपचारिक क्रमबद्ध एवं विस्तृत प्रक्रिया है। Green Could के मतानुसार "अनुसंधान की परिभाषा ज्ञान के खोज में प्रमाणीकृत कार्यरीतियों के प्रयोग में की जा सकती है।"

अनुसंधान ज्ञान की अभिवृद्धि, संशोधन एवं प्रमाणीकरण की दिशा में सामान्यीकरण करने के उद्देश्य से वस्तुओं, अवधारणाओं अथवा संकेतों में परिवर्तन करता है। इन परिवर्तनों का अंतिम उद्देश्य सिद्धान्तों के निर्माण तथा कला के प्रयोग को संभव बनाता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक घटनाओं के बारे में सत्य की खोज करना ही सामाजिक शोध है। इसीलिए Karl Pearson ने कहा है कि "सत्य तक पहुँचने के लिए संक्षिप्त पथ नहीं है। विश्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरना ही पड़ेगा।"[1]

पद्धति वह प्रणाली है जिसके द्वारा वैज्ञानिक या एक अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से सम्बन्धित विवेचना करता है। पद्धति अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली है। इसके विपरीत प्रविधि वह तरीका है जिसके माध्यम से अध्ययन विषय से सम्बन्धित सूचनाओं तथा आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है। कोई भी वह पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक अनुसंधानकर्ता पक्षपात रहित होकर, विभिन्न घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यक्ति की भावना, दर्शन तथा तत्व ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। वैज्ञानिक पद्धति के अन्तर्गत वस्तुनिष्ठ अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली को इसकी श्रेणी में रखा जाता है। अध्ययन को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों से गुजरना पड़ता है। किसी भी सामाजिक

---

1. Pearson, Karl; The Grammer of Science, A and C Black, London, 1911, P-1.

अनुसंधान में अपनाए जाने वाले वैज्ञानिक ढंग या पद्धति के अन्तर्गत सामान्यतः निम्न चरण होते हैं :–

1. अनुसंधान क्षेत्र का चयन
2. इस क्षेत्र से सम्बन्धित उपलब्ध विचारों की जानकारी की प्राप्ति
3. इस क्षेत्र में पहले किए गए अनुसंधान कार्यों का प्रयोग
4. अध्ययन के विषय क्षेत्र की परिभाषा
5. परिकल्पनाओं का प्रतिपादन
6. अनुसंधान प्ररचना का चुनाव
7. आंकड़ो के संग्रह के लिए आवश्यक उपकरणों एवं प्रविधियों का विकास
8. उत्तरदाताओं का चुनाव तथा विभिन्न समूहों का निर्धारण
9. आंकड़ों का संग्रह
10. संग्रहीत सूचना का सम्पादन, संकेतीकरण, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं विवेचन
11. निष्कर्षों एवं सुझावों का प्रस्तुतीकरण

उपर्युक्त वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को हमने अपने अध्ययन में निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समाहित करने का प्रयास किया है :–

1. समस्या का चुनाव
2. साहित्य का पुनरावलोकन
3. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व
4. अध्ययन के उद्देश्य एवं उपकल्पनाएँ
5. अध्ययन क्षेत्र
6. अध्ययन पद्धति

उपर्युक्त अध्ययन पद्धति के प्रमुख चरणों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करना अनिवार्य है। क्योंकि बिना विस्तारपूर्वक वर्णन किए बिना न तो प्रस्तावित शोध को समझा जा सकता है और न ही उसके उद्देश्यों को। अतः प्रस्तुत शोध के पद्धतिशास्त्र के प्रमुख चरणों का वर्णन

निम्नवत् है:–

समस्या का चुनाव :- किसी भी शोध के लिए समस्या का चयन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उसी के द्वारा शोध की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। प्रस्तुत शोध में समस्या के चयन के रूप में "परित्यक्ता महिलाओं का मन : सामाजिक अध्ययन" को रखा गया है। प्रस्तुत अध्ययन बाँदा नगर की 300 परित्यक्ता महिलाओं पर आधारित है और ये महिलायें न्यायालय में निर्वाह भत्ता सम्बन्धित केसों में लम्बित हैं।

साहित्य का पुनरावलोकन :– शोध की परम्परागत श्रृंखला में साहित्य का पुनरावलोकन एक अपरिहार्य कड़ी होने के कारण पूर्व अध्ययनों का विवरण आवश्यक है। इन उपलब्ध समीक्षाओं के आधार पर ही शोध की परिकल्पना एवं विषय वस्तु का निर्माण किया जाता है। यद्यपि महिलाओं से सम्बन्धित अनेक अध्ययन हुए हैं परन्तु परित्यक्ता महिलाओं के ऊपर अध्ययन न के बराबर हुए हैं। एन.ए. देशाई एवं बी.एल. गुप्ता ने वेश्यावृत्ति का अध्ययन किया और बताया कि इस समस्या के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। पी. मेहता ने 1975 में चुनाव प्रचार एवं सामूहिक प्रभाव में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन प्रस्तुत किया। एच.आर. त्रिवेदी (1976) ने अनुसूचित जाति की महिलाओं का शोषण सम्बन्धी अध्ययन प्रस्तुत किया और यह बताया कि इनकी निम्न आर्थिक स्थिति इनके शोषण के लिए उत्तरदायी है। प्रमिला कपूर (1978) ने अपने अध्ययन कालगर्ल की जीवन शैली एवं व्यावसायिक व्यवहार में बताया कि असीमित धन की लालसा उन्हें इस व्यवसाय की ओर आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त जे. सी. दार एवं एम.के. राम द्वारा आदिवासी भोटिया महिलाओं के आर्थिक रूपान्तरण का अध्ययन, एम.ए. खान एवं नूर आयशा (1982) द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं की परिस्थिति सम्बन्धी अध्ययन, एम. कृष्णाराज (1987) द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी अध्ययन आदि इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

डॉ0 डी.एस. विष्ट ने अपने अध्ययन "महिलाएँ, यौन हिंसा तथा बढ़ते अपराध" में बताया कि स्त्रियाँ स्वयं अपने बचाव में हथियार उठाने के कानूनी अधिकार का प्रयोग कर सकती हैं। बलात्कारी, कानूनी प्रक्रिया में सजा से बच सकता है लेकिन जिस दिन महिलाएँ

खुद हथियार उठा लेगीं, उसे कोई नहीं बचा सकता है। महिलाओं को अपने अधिकारों पर दृढ रहना चाहिए और अपनी नई भूमिकाओं को स्वीकार करना सीखना चाहिए। उन्हें जीवन की ओर एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

डॉ0 सुमेधा नीरज ने अपने अध्ययन "हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और महिला सशक्तिकरण" में यह बताने का प्रयास किया कि इस अधिनियम से देश में महिलाओं की स्थिति आर्थिक क्षेत्र में काफी सशक्त हुई है। परन्तु अभी उस सीमा तक नही पहुँची जहाँ तक आशा थी। तमाम सरकारी व कानूनी प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब समाज की सम्पूर्ण सोंच, रवैये और पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाओं में भी उनके प्रति बदलाव आए। पितृसत्तात्मक समाज में भटके जीवन दर्शन के बीच महिलाएँ स्वयं को आज भी दबा हुआ महसूस कर रही है।

श्वेता सिंह ने अपने अध्ययन "संवैधानिक अधिकारों के प्रति उच्च शिक्षित महिलाओं की संज्ञानात्मक जागरुकता" में यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान में स्त्री पुरुष को समान मानने के बावजूद महिलाओं की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनकी उन्नति, समृद्धि एवं सुरक्षा हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में कतिपय विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। किन्तु इन विशेषाधिकारों के प्रति स्वयं महिलाओं की संज्ञानात्मक जागरुकता के अभाव में इनका प्रत्याशित लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है। व्यावहारिक पक्ष को देखने से स्पष्ट होता है कि महिलाओं को लगभग सभी क्षेत्रों में कानूनी संरक्षण प्राप्त है लेकिन उसका व्यावहारिक प्रयोग बहुत कम है।

डॉ0 आभा सक्सेना एवं डॉ0 बृजेश पाण्डेय ने अपने अध्ययन "उच्च शिक्षित महिलाएँ: सामाजिक विधान एवं सशक्तिकरण" में बताया कि आज उच्च शिक्षित महिलाओं में संवैधानिक अधिकारों के विषय में सम्यक जानकारी का अभाव है। शिक्षित महिलायें कुछ चर्तित और महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित विधानों के सम्बन्ध में जानकारी रखती हैं किन्तु यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि महिलाओं से सम्बन्धित उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले विधानों के विषय में जैसे भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 498 ए, 125, 304 बी आदि के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है न ही वे इसे जानने के लिए जागरुक हैं।

डॉ0 मीनाक्षी व्यास ने अपने अध्ययन "मध्यम एवं निम्नवर्गीय स्त्रियों की पारिवारिक स्थिति" में यह बताया कि परिवार का निर्माण करने के रूप में महिलाओं की बहुआयामी भूमिका को सामाजिक स्वीकृति प्रदान की जाए। लिंग सम्बन्धी भेदभाव दूर करने जो निम्न व मध्यम वर्ग में ज्यादा देखा जाता है, के लिए तीन पहलुओं महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार के मामलों में लिंग सम्बन्धी अड़चने दूर करना और लोकतन्त्र में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इससे भारत की करोड़ों महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

डॉ0 जाहेदुन्निसा ने अपने अध्ययन "मुस्लिम समाज में परिवार का बदलता हुआ प्रतिमान" में यह बताने का प्रयास किया कि मुस्लिम परिवार एक धर्म प्रधान संस्था है जो कुरान से स्पष्टतः निर्देशित एवं प्रभावित है। परम्परागत मुस्लिम परिवार में संयुक्त प्रवृत्ति, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पर्दा प्रथा, स्त्रियों की निम्न स्थिति, धर्म पर आधारित परम्पराओं की प्रधानता पाई जाती रही है। किन्तु वर्तमान समय में एक ओर हिन्दू संस्कृति के प्रभाव तथा दूसरी ओर परिवर्तित सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप मुस्लिम परिवारों का ढांचा, प्रकृति तथा प्रकार्यों में अनेकानेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

हरिन्द्र कुमार ने अपने अध्ययन "परित्यक्त महिलाओं का पुनर्व्यवस्थापन" में यह बताने का प्रयास किया कि विवाह विच्छेद का प्रभाव पुरुषों की तुलना में महिलाओं के जीवन पर अधिक पड़ता है। परित्यक्ता स्त्री को समाज में सम्मानजनक पद प्राप्त नहीं होता है और स्त्री को असम्मानजनक यहाँ तक की अनैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए भी बाध्य किया जाता है। साथ ही पुनर्व्यवस्थापन (दूसरे विवाह) में सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना कठिन हो जाता है।

डॉ0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने अपने अध्ययन "महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका" में बताया कि आज महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। यह तभी सम्भव है जबकि उसके संदर्भ में महिलाओं को पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तथा महिलाएँ स्वयं महिला उत्थान के लिए आगे आएं।

डॉ0 मंजू जैन ने "विवाह के प्रति छात्राओं में बदलती अभिवृत्तियाँ" नामक अपने अध्ययन में बताया कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव एवं शिक्षा के बढ़ते प्रचार ने विवाह संस्था में अनेक परिवर्तन कर दिए हैं जिनमें सबसे अहम यह है कि अन्तर्जातीय विवाह एवं प्रेम विवाह को बढ़ावा मिल रहा है। इन्होंने अपने अध्ययन में यह भी बताया कि आज युवक–युवतियाँ विवाह की अनिवार्यता नहीं मानते तथा विवाह एवं कैरियर के चयन में कैरियर को प्राथमिकता देते हैं।

डॉ0 अंजलि गुप्ता ने अपने अध्ययन "महिलाओं की स्थिति पर वैश्वीकरण का प्रभाव" में यह बताया कि वैश्वीकरण ने भारतीय महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण ने महिलाओं को एक वस्तु बना दिया है और उपभोक्तावादी संस्कृति धड़ल्ले से महिलाओं का दुरुपयोग एक वस्तु के रूप में कर रही है, विशेषकर इलेक्ट्रानिक मीडिया। कोई भी फैशन शो या विज्ञापन महिलाओं के अभाव में संभव नहीं है।

सचिन कुमार जैन ने अपने अध्ययन "भुखमरी का स्त्रीलिंग" में बताया कि देश के गोदामों में करोड़ों टन अनाज भरा हुआ है फिर भी गरीब, वंचित और आदिवासी भूख से मर रहे हैं। इस मजबूरी के साथ कुछ स्त्रियाँ गलत रास्ता अपना लेती है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :– महिलाओं को पारिवारिक उत्पीड़न से मुक्त कराने हेतु भारतीय संविधान के अन्तर्गत कानूनी तौर पर समय–समय पर विभिन्न अधिनियम बनाये गए। इसी का परिणाम है कि स्त्रियों की स्थिति पहले से बेहतर है। महिलाएँ अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं या समाज में वस्तुस्थिति व सम्मान पाने हेतु इच्छुक हैं जो पुरुषों को प्राप्त हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में हिन्दू व मुस्लिमों मे विवाह विच्छेद से सम्बन्धित समस्याओं के निदान में काफी फर्क हैं। मुस्लिम समाज में तलाक एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्यायालय के बाहर कुछ स्थितियाँ पूर्ण होने पर दिया जा सकता है। जैसे पंचायत (कुरान 2:228, 4:35) के पश्चात मेहर की रकम अदा करके तलाक दिया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम विवाह एक संविदा है। इसके विपरीत हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो साधारणतया समाप्त नहीं हो सकता

परन्तु 1956 में हिन्दू विवाह अधिनियम पारित होने के पश्चात उसमें दी गई शर्तों के आधार पर पति अथवा पत्नी तलाक ले सकते हैं।

पहले के समाजशास्त्रियों द्वारा यह कहा गया कि भारत मे पति–पत्नी के अलगाव का मुख्य कारण भारतीय संयुक्त परिवार, उससे उत्पन्न होने वाली कलह आदि की समस्याएँ तथा महिलाओं की अशिक्षा थी। परन्तु अब तथ्य इसके विपरीत दर्शाते हैं। पुरातन समय में न्यायालयों में भत्ता पाने हेतु मुकदमों की संख्या बहुत कम थी तथा यह मुकदमें सामान्य मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा अन्य मुकदमों के साथ ही सुने जाते थे परन्तु अब ऐसे मुकदमों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि केवल इसी प्रकार के मुकदमें सुनने हेतु अलग न्यायालय देश भर के प्रत्येक जनपद में गठित करने पड़े हैं, जहाँ मुकदमों की संख्या लाखों में है।

पति पत्नी के बीच अलगाव के कारणों में औद्योगीकरण, नगरीकरण, आर्थिक स्वतन्त्रता, धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन, शिक्षा, महिला आन्दोलन, मीडिया व यातायात के साधन, नगरों–महानगरों में फैलता मानसिक असंतुलन, राजनैतिक व सामाजिक चेतना, प्रताड़ना, पति अथवा पत्नी के अनैतिक सम्बन्ध तथा महिलाओं को दिया गया वैधानिक संरक्षण है। पुराने धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्य महानगरीय जीवन में लगभग समाप्त हो चुके हैं जिसका प्रमाण यह है कि केवल दिल्ली में लगभग 35 तलाक के मुकदमें प्रतिदिन दायर किए जाते हैं। जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत पति–पत्नी दोनों की ओर से मिलकर दायर होते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार पति–पत्नी मुकदमें में डिक्री होने के पश्चात आम दोस्तों व रिश्तेदारों को भोज देते हैं ताकि लोगों को मालूम हो सके कि दोनों विवाहित व्यक्ति दोबारा शादी करने हेतु खाली हैं (टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली 2004)। जो कुछ भी बचे हुए संयुक्त परिवार हैं उनमें महिलाएँ घर के काम से घबराकर कई–कई घण्टे तक अस्पताल में जाकर केवल इस कारण बैठती हैं कि उनको घर के कामकाज से छुटकारा मिल जाएगा। इससे प्रतीत होता हैं कि घर का कामकाज भी एक समस्या है जो अलगाव का कारण बन सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियाँ इस कारण पैदा हो रही हैं क्योंकि पूरा विश्व एक ग्राम में बदल

चुका है, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताएँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं तथा पाश्चात्य संस्कृति को कम से कम महानगरवासियों ने पूर्णतया स्वीकार कर लिया है। लंदन टाइम्स की एक हाल की रिपोर्ट के अनुसार ई–मेल तथा एस.एम.एस. सूचना पारिवारिक पति–पत्नी के अलगाव में मुख्य भूमिका इस प्रकार अदा कर रही है कि वह अपने विवाह से बाहर दूसरे पुरुषों अथवा महिलाओं से इसके द्वारा अवैध सम्बन्ध स्थापित करते हैं। 62 प्रतिशत लंदनवासियों ने स्वीकार किया कि वह हफ्ते में एक बार तथा 22 प्रतिशत ने प्रतिदिन इस अवैध सम्बन्ध को उपरोक्त माध्यम द्वारा स्थापित करना स्वीकार किया। इस प्रकार की समस्या भारत के महानगरों में भी व्याप्त है जो पति–पत्नी के बीच कलह का कारण बनती है। एक समय जब अमेरिका में 80 प्रतिशत विवाह विच्छेद होने लगे तो अमेरिकी सरकार को समाजशास्त्रियों का एक कमीशन गठित करना पड़ा। आज की महानगरीय महिला व पुरुष पूर्णरूप से शिक्षित, जागरुक, आर्थिक रूप से स्वतन्त्र तथा पाश्चात्य महिला आन्दोलन से ओत–प्रोत है। पुरुषों में भी अधिक धन कमाने की लालसा तथा कार्य की अधिकता के कारण मानसिक तनाव स्थाई रूप से बना रहता है जिसके कारण छोटी सी बात भी अलगाव का कारण बन जाती है क्योंकि महिलाएँ भी अब अपने वैधानिक अधिकारों के प्रति पूर्ण सचेत हैं।

प्रस्तावित अध्ययन की आवश्यकता इस दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है कि विवाह जैसी संस्था के महत्त्व तथा समाज की मूल इकाई परिवार को विघटित करने वाले कारकों का पता लगाया जा सके। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि पत्नी के रूप में महिला के साथ समानतापूर्ण व्यवहार किया जाए, फिर भी यदि विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो आवश्यक हो जाता है कि परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक व मानसिक विकारों से बचाने हेतु उन्हें पूर्ण सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्रदान किए जायें। सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसी महिलाओं को सामाजिक उपेक्षा व तिरस्कार नहीं अपितु समाज में उन्हें न्यायोचित अधिकार प्रदान कर उनकी सम्मानपूर्णक स्थिति व भूमिका का निर्धारण किया जाए।

अध्ययन के उद्देश्य :– वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो अब महिलाओं के शोषण, अत्याचार, दुराचार के विरुद्ध सम्पूर्ण विश्व में क्रान्ति छिड़ चुकी है। महिला आयोगों के गठन

हो रहे हैं। अनेक संवैधानिक अधिकार व कानून भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु बन चुके हैं। आवश्यकता है उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करने की। भारत सरकार भी अब इस ओर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है। महिला विकास एवं सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि पति–पत्नी के मध्य अलगाव की प्रवृत्तियों के मूल कारण क्या हैं तथा इन कारणों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन के कुछ उद्देश्य निम्नवत् हैं :–

(i) समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए विवाह संस्था के महत्व को बनाए रखने हेतु परिवार में पत्नी के रूप में रह रही महिला के साथ, समान व सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है या नहीं। यह जानना प्रस्तुत अध्ययन का प्रथम उद्देश्य है।

(ii) समाज में बढ़ती हुई विवाह–विच्छेद की प्रक्रिया को रोकने हेतु कौन–कौन से उपाय सहायक सिद्ध होंगे, यह जानना प्रस्तुत अध्ययन का द्वितीय उद्देश्य है।

(iii) पति द्वारा शोषित व उत्पीड़ित महिला जो पति से अलग जीवन व्यतीत कर रही है, उसकी मनः स्थिति को ज्ञात करना प्रस्तुत अध्ययन का तृतीय उद्देश्य है।

(iv) पति–पत्नी के मध्य अलगाव के कारणों को ज्ञात करना प्रस्तुत अध्ययन का चतुर्थ उद्देश्य है।

(v) परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक दृष्टिकोण से तिरस्कार व उपेक्षा नहीं अपितु न्यायोचित अधिकार मिलना चाहिए, यह जानना प्रस्तुत अध्ययन का पंचम उद्देश्य है।

(vi) परित्यक्ता महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को ज्ञात करना प्रस्तुत अध्ययन का षष्ठम उद्देश्य है।

(vii) दिन–प्रतिदिन बढ़ती अलगाव की प्रवृत्ति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे जानना प्रस्तुत अध्ययन का सप्तम् उददेश्य है।

उपर्युक्त उददेश्यों के आधार पर प्रस्तुत शोध की कुछ उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है जो निम्नवत् हैं :–

(i) वर्तमान समय में पति–पत्नी के मध्य अलगाव व विवाह विच्छेद की प्रक्रिया बढ रही है।

(ii) समाज की मूल ईकाई परिवार का औचित्य खतरे में पड़ता जा रहा है।

(iii) वर्तमान में भौतिकतावाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण पति–पत्नी के सम्बन्ध टूट रहे हैं।

(iv) महिलाओं की आर्थिक निर्भरता उनके सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण का मूल कारण है।

(v) आज भी समाज में परित्यक्ता महिला को हेय दृष्टि से देखा जाता है जिसके फलस्वरूप उसे अनेक मनः सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

(vi) पति द्वारा छोड़े जाने पर आवश्यक है कि पति उसे अपनी आय के अनुसार गुजारा भत्ता दे जिससे महिला अपना भरण–पोषण कर सकें।

(viii) पति–पत्नी के मध्य अलगाव के कारणों को जानकर उसके कारगार सुझाव प्रस्तुत करना ताकि अलगाव, विवाह विच्छेद की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाया जा सके।

अध्ययन क्षेत्र :– प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट धाम मंडल के अन्तर्गत आने वाले बाँदा जनपद पर आधारित है। चित्रकूट धाम मंडल के अन्तर्गत महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट एंव बाँदा जनपद आते हैं। बाँदा नगरपालिका परिषद 2006 के परिसीमन के अनुसार बाँदा 28 वार्डों में विभक्त है। इसका क्षेत्रफल 4112 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बाँदा जनपद की जनसंख्या 20.00 लाख है तथा हर 1000 पुरुष पर 930 महिलाएँ हैं। साक्षरता की दृष्टि से 54.84 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हैं जिसमें 69.89 प्रतिशत पुरुष तथा 37.10 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। जिला बाँदा आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। बाँदा जिले के अन्तर्गत नरैनी, बबेरू, अतर्रा एवं बाँदा चार तहसीलें आती हैं। बाँदा जनपद जसपुरा, महुआ, तिन्दवारी, कमासिन, बबेरू, नरैनी, बिसण्डा एवं बडोखर आदि आठ विकासखंडों में विभक्त है। प्रस्तुत अध्ययन बाँदा जनपद की ऐसी परित्यक्ता महिलाओं पर आधारित हैं जिनके बाँदा न्यायालय में मामले दायर हैं, मामले लम्बित हैं और जो अपने पति से गुजारा भत्ता पाना चाहती हैं। प्रस्तुत अध्ययन के लिए हमने जो 300 परित्यक्त महिलाओं को लिया है। इन 300 महिलाओं की सूची हमने न्यायालय से प्राप्त की है। इन 300 महिलाओं का विवरण जैसे मुकदमा संख्या, उत्तरदाता का नाम, बनाम एवं पता निम्नवत् है :–

क्र. सं.	मुकदमा संख्या	उत्तरदाता का नाम	बनाम	पता
1.	1043/2002	सितारा खातून	नफीस	अलीगंज, बाँदा
2.	1044/2002	किशोरी	कौशल किशोर	तिन्दवारी, बाँदा
3.	1045/2002	श्रीमती जमुना देवी	जगत प्रसाद आदि	जौरही, बाँदा
4.	1047/2002	श्रीमती सुइया	दिनेश	खुरहंड, गिरवाँ, बाँदा
5.	1048/2002	मोनका देवी	राकेश कुमार	भुगनीपुरवा,बिसण्डा, बाँदा
6.	1049/2002	कमला	कल्लू	निधवापुरवा, बाँदा
7.	1050/2002	हमीदुन्निशा	मु0 उबैद	तरहटी कालिंजर, बाँदा
8.	1069/2002	विद्यादेवी	चन्द्रबली	बबेरू, बाँदा
9.	1070/2002	श्रीमती मुन्नी	शिवप्रसाद	गोडानाका, मर्का, बाँदा
10.	1071/2002	श्रीमती मुसीदा	महेश	बाँदा
11.	1072/2002	सविता	केदार	लुकतरा, बाँदा
12.	1084/2002	श्रीमती मिथला	रामनारायण	चिल्ला, बाँदा
13.	1085/2002	श्रीमती सुमित्रा	तुलसीदास	बोधीपुरवा, मटौंध, बाँदा
14.	1086/2002	संध्या देवी	महाबीर सिंह	पिपरगवाँ, बाँदा
15.	1087/2002	गीता देवी	हेमन्त आसवानी	छावनी, बाँदा
16.	1088/2002	विद्या देवी	भोला केवट	गडरिया, बाँदा
17.	1090/2002	महरी	चैतू	तिन्दवारा, बाँदा
18.	1091/2002	श्रीमती विद्या	राजाराम	ममसीखुर्द, बाँदा
19.	1096/2002	सुखदेइया	जोगीलाल	बिजली खेडा, बाँदा
20.	1097/2002	कलावती	रामफल	सर्वोदय नगर, बाँदा
21.	1098/2002	सुनीता सिंह	वीरेन्द्र सिंह	सुमेरपुर, हमीरपुर
22.	1099/2002	मुबीना खातून	मनसूर बेग	नसेनी, नरैनी, बाँदा
23.	1041/2002	पूजा	रवि कुमार	बाँदा

24.	1115/2002	अर्चना	राजेश कुमार साहू	कालिंजर, बाँदा
25.	1116/2002	सुनीता देवी	नन्हू	सिन्धनकला, पैलानी, बाँदा
26.	1117/2002	रईसा खातून	अमीर बक्स	बलखण्डी नाका, बाँदा
27.	1118/2002	श्रीमती सुशीला	शिवनरेश	बिसण्डा, बाँदा
28.	1119/2002	पन्नू देवी	उमेश कुमार	गुढ़ा, नरैनी, बाँदा
29.	1120/2002	श्रीमती रामदुलारी	शिवबरन	जमालपुर, कोत0 देहात
30.	1121/2002	श्रीमती रेखा देवी	रामबाबू	राजापुर तहसील, बबेरू
31.	1122/2002	राजवती	संतोष रैकवार	बारीगढ़, बदौसा
32.	1123/2002	माया देवी	सुरेन्द्र धुरिया	सिंधौली, तिन्दवारी
33.	1125/2002	जमुनिया	रामस्वरूप	मुसींवा, कमासिन
34.	1126/2002	अलका	मुकेश सिंघल	बाँदा
35.	1127/2002	श्रीमती मीरा देवी	ओमवीर सिंह	इंगुवा, मर्का बबेरू
36.	1128/2002	माया	देवराज	कैरी, बिसण्डा
37.	1129/2002	अनीता साहू	रविन्द्र कुमार	बबेरू, बाँदा
38.	1130/2002	प्रेमा देवी	जयकरन	पैलानी, बाँदा
39.	1131/2002	आंमना खातून	भूरा उर्फ रफीक	बिसण्डा, बाँदा
40.	1132/2002	सोमा गुप्ता	अनुराग गुप्ता	छोटी बाजार, बाँदा
41.	1133/2002	आशा	कुबेर	कमासिन, बाँदा
42.	1134/2002	सबाना खातून	जमील	अलींगज, बाँदा
43.	1135/2002	रेहाना खातून	हाशिम खाँ	खाईपार, बाँदा
44.	1136/2002	शान्ति देवी	शिवलाल	तिन्दवारी, बाँदा
45.	1137/2002	मंजू	रमेश	तिन्दवारी, बाँदा
46.	1138/2002	रानी	सुरेश	सीम्माखोढ़, मटौंध, बाँदा
47.	1139/2002	सुमैना	ननकाई	बबेरू, बाँदा

48.	1162 / 2002	शकुन्तला	बुद्धविलाश	छनेहरा, लालपुर, बाँदा
49.	1163 / 2002	माया देवी	बरदनिया	नेतानगर, बबेरू
50.	1164 / 2002	ममता देवी	सचान मिश्र	पिण्डारन, मर्का, बाँदा
51.	1165 / 2003	सोनी	पप्पू	बबेरू, बाँदा
52.	1166 / 2003	श्रीमती रानी देवी	राजेश	गिरवाँ, बाँदा
53.	1168 / 2003	अख्तरी बेगम	निसार अहमद	मदनपुर, चिल्ला, बाँदा
54.	1169 / 2003	कुरैशा	अल्लादीन	तिन्दवारा, बाँदा
55.	1170 / 2003	भगवती	रामकुमार सिंह	सैंमरी, तिन्दवारी, बाँदा
56.	1171 / 2003	आशा देवी	दिनेश कुमार साहू	कंचनपुरवा, बाँदा
57.	1172 / 2003	रीता देवी	रामप्रसाद	मर्का, बाँदा
58.	1173 / 2003	राबिया बानों	अशफाक	बबेरू, बाँदा
59.	1174 / 2003	श्रीमती सुलेखा	संतोष कुमार	पचनेही, जमालपुर, बाँदा
60.	1175 / 2003	श्रीमती रानी	रघुराज सिंह	बड़ोखर खुर्द, बाँदा
61.	1176 / 2003	हिरिया	कैलाश	बलखण्डी नाका, बाँदा
62.	1177 / 2003	श्रीमती सोनी	रमेशचन्द्र	फूटा कुंआ, बाँदा
63.	1178 / 2003	रामदुलारी	मिश्रीलाल	पांडादेव, नरैनी, बाँदा
64.	1179 / 2003	श्रीमती राजरानी	रामचन्द्र	मुरवल, बबेरू, बाँदा
65.	1180 / 2003	श्रीमती रुकमिन	रामखेलावन	मर्का, बाँदा
66.	1181 / 2003	सन्नो खातून	हबीब खाँ	बगेहटा, बबेरू, बाँदा
67.	1192 / 2003	श्रीमती ममता	सिद्धगोपाल	पचखुरा खुर्द, छनेहरा, बाँदा
68.	1193 / 2003	श्रीमती छोटिया	जाफिर	कुर्रही, बिसण्डा, बाँदा
69.	1194 / 2003	श्रीमती कलावती	रामसरन	नन्दवारा, नरैनी, बाँदा
70.	1195 / 2003	शिवप्यारी	आत्माराम	चिल्ला, बाँदा
71.	1196 / 2003	श्रीमती कुसमा	कोदा	बबेरू, बाँदा

72.	1197 / 2003	मीरा	कामता प्रसाद	अमलोर, पैलानी, बाँदा
73.	1198 / 2003	श्रीमती गोमती	मनीराम	मर्दननाका, बाँदा
74.	1199 / 2003	श्रीमती रानी	रामप्रकाश	नन्दवारा, नरैनी, बाँदा
75.	1200 / 2003	भानवती	राममूरत	जसपुरा, बाँदा
76.	1201 / 2003	चम्पा	कामता	कोरिनपुरवा, अतर्रा, बाँदा
77.	1202 / 2003	शशि पटेल	रामचन्द्र	बबेरू, बाँदा
78.	1213 / 2003	साबरा खातून	कमरूद्दीन	शिवहा, गिरवाँ, बाँदा
79.	1214 / 2003	अनीता	राजू	बलखण्डी नाका, बाँदा
80.	1215 / 2003	पुन्नी उर्फ कुन्नी	रामप्रताप	बबेरू, बाँदा
81.	1216 / 2003	शहीदा खातून	समीम	कुर्रही, बिसण्डा, बाँदा
82.	1217 / 2003	उर्मिला	नन्द किशोर	गरौंती, तिन्दवारी, बाँदा
83.	1218 / 2003	सुनैना	विनोद	घूरी, बिसण्डा, बाँदा
84.	1220 / 2003	केशनिया	देवराज	मुरवल, बबेरू, बाँदा
85.	1258 / 2003	सीमा	सिज्जू	खुरहण्ड, गिरवाँ, बाँदा
86.	1259 / 2003	सुनैना	कामता प्रसाद	नरैनी, बाँदा
87.	1260 / 2003	सावित्री साहू	मुन्नीलाल	भदेहू, चिल्ला, बाँदा
88.	1261 / 2003	संतोषिया	चन्द्रपाल	बंशीडेरा, पैलानी, बाँदा
89.	1262 / 2003	रामदेवी	अशोक कुमार	रेहुँटा, पैलानी, बाँदा
90.	1263 / 2003	किरन	विष्णुदत्त	महुई, तिन्दवारी, बाँदा
91.	1264 / 2003	रत्नावली	रामचन्द्र	अलीगंज, बाँदा
92.	1265 / 2003	ऊषा	शारदा	बबेरू, बाँदा
93.	1266 / 2003	मंजू	शत्रुघन	सुन्दरकुआँ, बबेरू, बाँदा
94.	1267 / 2003	शहनाज खातून	कसीम	अमवारा, बाँदा
95.	1268 / 2003	केवला	रामप्रसाद	खंप्टिहा खुर्द, बाँदा

96.	1273/2003	शबनमबानों	सरफराज	बंगालीपुरा, बाँदा
97.	1274/2003	जरीना	लिकायत	खाईपार, बाँदा
98.	1275/2003	अखिलेश	बद्रीप्रसाद	तरौंहा, कर्वी
99.	1276/2003	आशा देवी	छोटेलाल	बरसडा, गिरवाँ, बाँदा
100.	1277/2003	आयशा बानो	जलील अहमद	मर्दननाका, बाँदा
101.	1278/2004	सावित्री	रघुराज	सिंहपुर, बिसण्डा, बाँदा
102.	1279/2004	शीला	अव्वल	खाईपार, बाँदा
103.	1280/2004	शारदा देवी	श्यामसुन्दर	मरौली, मटौंध, बाँदा
104.	1281/2004	मीरा	बच्चू	छिरहुँटा, चिल्ला, बाँदा
105.	1282/2004	किरन देवी	बृजेश	कैलाशपुरी, बाँदा
106.	1283/2004	रेखा	रामलखन	गुमाई, अतर्रा, बाँदा
107.	1284/2004	गंगादेवी	विजय	अधाँव, मर्का, बाँदा
108.	1285/2004	शबनम परवीन	शेख सुल्तान	मर्दननाका, बाँदा
109.	1286/2004	नफीसा खातून	शहीद खान	निम्नीपार, बाँदा
110.	1288/2004	रुक्सार	शेखसुल्तान	मर्दननाका, बाँदा
111.	1289/2004	सुन्ना	राधेश्याम	पल्हरी, बिसण्डा, बाँदा
112.	1290/2004	कमला	प्रहलाद	मिलाथू, बिसण्डा, बाँदा
113	1291/2004	वन्दना	अवधनरेश	करहना, गिरवाँ, बाँदा
114.	1292/2004	बिटोला	चंगीलाल	मिरगहनी, तिन्दवारी, बाँदा
115.	1293/2004	पुष्पा	राकेश कुमार	अर्दली बाजार, बाँदा
116.	1294/2004	चन्द्रकली	रामबाबू	काफरपुरवा, बिसण्डा, बाँदा
117.	1295/2004	केशमती	अच्छाराम	साड़ा, मर्का, बाँदा
118.	1296/2004	विल्कीस	अबरार	तिहैट, कुर्रही, बिसण्डा, बाँदा
119.	1297/2004	साखिम	अखिलेश	बाँदा

120.	1298 / 2004	अरसी	सलीम	हाथीखाना, अलीगंज, बाँदा
121.	1303 / 2004	साबरा	सब्बीर	पुरानीबाजार, नरैनी, बाँदा
122.	1304 / 2004	माजदा बेगम	मुहम्मद मुस्तियाक	गोयरा मुगली, मटौंध, बाँदा
123.	1305 / 2004	जरीना बानो	हबीबशाह	पडोहरा, पैलानी, बाँदा
124.	1306 / 2004	शकीला बानों	यूसुफ	प्रेमनगर, तिन्दवारी, बाँदा
125.	1307 / 2004	कैरी	रामकेवल	खोरा, मर्का, बाँदा
126.	1308 / 2004	भूरी देवी	शिवलाल	जमालपुर, बाँदा
127.	1309 / 2004	इसरतु निशा	मुख्तायर	सादीमदनपुर, चिल्ला, बाँदा
128.	1310 / 2004	भूरी	शिव किशोर	तिलौसा, कमासिन, बाँदा
129.	1311 / 2004	गौरा देवी	राजेश कुमार	नाँदी पहाड़ी, कर्वी
130.	1313 / 2004	रामश्री	रामखेलावन	नरैनी, बाँदा
131.	1314 / 2004	शकीला	नफीस	हाथीखाना, अलीगंज, बाँदा
132.	1315 / 2004	मीरा	रामबाबू	भिडौरा, तिन्दवारी, बाँदा
133.	1316 / 2004	रिंकी	बब्लू	अमलोर, पैलानी, जसपुरा, बाँदा
134.	1317 / 2004	मायादेवी	मकरन्द सिंह	मरौली, मटौध, बाँदा
135.	1318 / 2004	मुन्नी देवी	रामनरेश	विष्णु का पुरवा कालिंजर, बाँदा
136.	1319 / 2004	किरन	देवनारायण	बक्सा, खन्ना, जसपुरा, बाँदा
137.	1320 / 2004	रुकमनी	अजयपाल	खुरहण्ड, गिरवाँ, बाँदा
138.	1321 / 2004	बिटोला	भूरा	महोखर, बाँदा
139.	1322 / 2004	शहीदा	शेख काफिर	क्योटरा, बाँदा
140.	1323 / 2004	जयन्ती	बाबू	महुई, तिन्दवारी, बाँदा
141.	1324 / 2004	सुधा	इन्द्रकुमार	हरदौली रोड़, बबेरू, बाँदा
142.	1326 / 2004	आशा	रमाशंकर	बदौसा, अतर्रा, बाँदा
143.	1327 / 2004	बिट्टी	तिजोला	तरायाँ, बबेरू, बाँदा

144	1328 / 2004	जहरी	छोटेलाल	पहाड़ी, कर्वी
145	1329 / 2004	देवी	शोभा	भदेहदू, बबेरू, बाँदा
146	1330 / 2004	जगरनिया	चुन्ना	लामा, तिन्दवारी, बाँदा
147	1331 / 2004	खुर्शीद	एजाज अहमद	शादीमदनपुर, चिल्ला, बाँदा
148	1332 / 2004	उर्मिला देवी	रामेश्वर भुर्जी	गौरीकला, जसपुरा, बाँदा
149	1334 / 2004	अर्चना	भुवनन्दन सिह	अतर्रा, बाँदा
150	1335 / 2004	शबनम	मु0 आरिफ	जमवारा, नरैनी, बाँदा
151	1336 / 2005	अनवरी खातून	मु0 असलम	हरदौली, बबेरू, बाँदा
152	1338 / 2005	गुडिया	मेवालाल	पनगरा, नरैनी, बाँदा
153	1337 / 2005	अनवरी बेगम	अन्सार अहमद	छनेहरा, बाँदा
154	1339 / 2005	कुसमा देवी	क्षत्रपाल	चिल्ला, बाँदा
155	1340 / 2005	सुनीता	कल्लू	मर्का, बबेरू, बाँदा
156	1341 / 2005	सबीहा खातून	आविदअली	आजाद नगर, बाँदा
157	1342 / 2005	सदीना	अकरम	छनेहरा, लालपुर, बाँदा
158	1344 / 2005	पुष्पादेवी	अरविन्द कुमार	पोडाबाग, अलीगंज, बाँदा
159	1345 / 2005	अख्तरी खातून	इसरार	हथौड़ा देहात कोत0, बाँदा
160	1346 / 2005	रामदेवी	लालाराम	पैलानी, बाँदा
161	1347 / 2005	विन्नू	संतराम	मुरवल, बबेरू, बाँदा
162	1348 / 2005	विशेषा	संतू	महोखर, देहात कोतवाली, बाँदा
163	1349 / 2005	मुन्नीदेवी	रमेशचन्द्र	कनवारा, बाँदा
164	1350 / 2005	कमला देवी	कौशल किशोर	तिन्दवारी, बाँदा
165	1351 / 2005	गोढ़िया	चून्नूलाल	बिछवाही, चिल्ला, बाँदा
166	1360 / 2005	उर्मिला देवी	रामऔतार	कतरावल, बबेरू, बाँदा
167	1361 / 2005	जरीना खातून	नौशाद	बलखण्डी नाका, बाँदा

192.	1393 / 2005	शबनम परवीन	अख्तर हुसैन	गूलरनाका, बाँदा
193.	1394 / 2005	गीता	राधेश्याम	कुचेन्दू, बबेरू, बाँदा
194.	1397 / 2005	मन्नू	रजोला	खप्टिहाकला, पैलानी, बाँदा
195.	1398 / 2005	राबिया	अब्दुल	रसूलपुर, बिसण्डा, बाँदा
196.	1399 / 2005	शान्ती	रामप्रकाश	बबेरू, बाँदा
197.	1400 / 2005	बिट्टी देवी	सरजू प्रसाद	पचोखर, मानिकपुर, कर्वी
198.	1401 / 2005	कलावती	शिवबदन	कटरा, बाँदा
199.	1402 / 2005	बतसिया	लाला भइया	रहुँची, कालिंजर, बाँदा
200.	1403 / 2005	शहरबा खातून	फरीद	मर्दननाका, बाँदा
201.	1406 / 2006	सविता	राकेश	मूँगुस, तिन्दवारी, बाँदा
202.	1407 / 2006	कुसुमवती	लक्ष्मी प्रसाद	मटौंध, बाँदा
203.	1408 / 2006	इन्द्राणी	जामुन	कैरी, बिसण्डा, बाँदा
204.	1409 / 2006	राजाबाई	श्यामबिहारी	रिहुँची कालिंजर, बाँदा
205.	1410 / 2006	कुसमा	श्रवण कुमार	भदवारी, बबेरू, बाँदा
206.	1411 / 2006	बौरी	बरातीलाल	इटरा मिलौली, बिसण्डा, बाँदा
207.	1412 / 2006	कलावती	शंकरलाल	पनगरा, नरैनी, बाँदा
208.	1413 / 2006	हसीना खातून	इशरत खाँ	बगेहटा, बबेरू, बाँदा
209.	1414 / 2006	सुमन	रामपाल	पारा, बिसण्डा, बाँदा
210.	1415 / 2006	किशोरी	रामरतन	तिन्दवारा, बाँदा
211.	1416 / 2006	पूर्णिमा तिवारी	शंकर तिवारी	जारी, देहात कोत0, बाँदा
212.	1417 / 2006	बच्ची देवी	नन्द कुमार	सादीमदनपुर, चिल्ला, बाँदा
213.	1418 / 2006	मानकुँवर	चन्द्रपाल	दुरेड़ी, मटौंध, बाँदा
214.	1419 / 2006	उमा देवी	परसुराम	पोडाबाग, बाँदा
215.	1480 / 2006	गुलबिया	पप्पू	गौरीकला, जसपुरा, बाँदा

216.	1500/2006	शक्तिबाई	अखलेश कुमार	गिरवाँ, बाँदा
217.	1501/2006	सहोद्रा	रामराज	तिन्दवारी, बाँदा
218.	1502/2006	रामपती	संतोष	महोखर, देहात कोत0, बाँदा
219.	1503/2006	रज्जन	राममनोहर	चिल्ला, बाँदा
220.	1504/2006	राजरानी	बलवीर	भण्डा, बबेरू, बाँदा
221.	1505/2006	सरोजकुमारी	रामकिशोर	पदमाकर चौराह, बाँदा
222.	1506/2006	राजाबाई	रामखिलावन	रामकरन का पुरवा नरैनी, बाँदा
223.	1507/2006	अतनिया	शिवनारायण	ब्योंजा, बबेरू, बाँदा
224.	1508/2006	सुमन देवी	शत्रुघन	खुरहण्ड, बाँदा
225.	1509/2006	कली	हरदेव	बरगहनी, बाँदा
226.	1510/2006	लक्ष्मनिया	सुरेश कुमार	पिपरी खेरवा, बिसण्डा, बाँदा
227.	1511/2006	कौशिल्या	ओमप्रकाश	देवगांव, पैलानी, बाँदा
228.	1512/2006	जयरानी	खेमराज	खप्टिहाकला,पैलानी, बाँदा
229.	1513/2006	रामदेवी	रामबहादुर	पैलानी डेरा, बाँदा
230.	1514/2006	पुनीता	पवन	कतरावल, बाँदा
231.	1515/2006	श्रद्धा	नरेन्द्र कुमार	बिजली खेड़ा, बाँदा
232.	1516/2006	नसरीना खातून	पान खाँ	परमपुरवा, मटौंध, बाँदा
233.	1517/2006	सूरजकली	बाबू	भरखरी, बाँदा
234.	1518/2006	केशकली	कामता	सढ़ा कालिंजर, बाँदा
235.	1519/2006	सावित्री	मोती	पिण्डारन, बबेरू, बाँदा
236.	1520/2006	राजकुमारी	ननकाई	बड़ागांव, पैलानी, बाँदा
237.	1521/2006	मंजू	राजेश	डिग्गी चौराहा, बाँदा
238.	1522/2006	प्रेमा	राकेश	अशोक नगर, कानपुर
239.	1523/2006	बूटू	रामेश्वर	निम्नीपार, बाँदा

240.	1537/2006	अभिलाषा	गुड्डू	मुरवाँ, गिरवाँ, बाँदा
241.	1538/2006	श्यामा	श्यामलाल	कबीरनगर, तिन्दवारी, बाँदा
242.	1539/2006	रेशमा खातून	नब्बू	मर्दननाका, बाँदा
243.	1559/2006	उमा	प्रेमनारायण	संग्रामपुर, चित्रकूट
244.	1562/2006	नरजीना	नईम अहमद	खाईपार, बाँदा
245.	1563/2006	प्रेमादेवी	ओम प्रकाश	कोर्राखुर्द, बिसण्डा, बाँदा
246.	1564/2006	हसीना बानो	बसीक अहमद	तिन्दवारी, बाँदा
247.	1565/2006	कुसुम रैकवार	महेश कुमार	बाँदा
248.	1566/2006	चम्पा देवी	रमेश प्रसाद	कालिंजर, बाँदा
249.	1567/2006	सरोज	संतोष कुमार	घुरौड़ा, गिरवाँ, बाँदा
250.	1568/2006	पनपतिया	बच्चा	खैरादा, मटौंध, बाँदा
251.	1569/2007	अनीसा खातून	आलेनवी	कुर्रही, बिसण्डा, बाँदा
252.	1570/2007	अनीता साहू	बृजकुमार	कमासिन, बाँदा
253.	1571/2007	रेहाना खातून	नफीस खाँ	नरैनी, बाँदा
254.	1572/2007	जाहिदा	हेदा खाँ	नरैनी, बाँदा
255.	1573/2007	आयशा बानो	हफीज	मर्दननाका, बाँदा
256.	1574/2007	.कलावती	शिवप्रकाश	चिल्ला, बाँदा
257.	1575/2007	चन्द्र किशोरी	हरीलाल	जसपुरा, बाँदा
258.	1576/2007	मीरा	शिवमोहन	बिजलीखेड़ा, बाँदा
259.	1577/2007	निशा देवी	अवण कुमार	तिन्दवारी, बाँदा
260.	1578/2007	जुलेखा बानों	किस्मत अली	समगरा,मर्का,बबेरू, बाँदा
261.	1579/2007	अनीता	अनिल कुमार	इन्द्रानगर, बाँदा
262.	1580/2007	संतोष कुमारी	कमलेश तिवारी	बिसण्डा, बाँदा
263.	1581/2007	श्रीमती शबनम	शकील खाँ	जेलरोड़ जरैलीकोठी, बाँदा

264.	1582/2007	तिरधका	बृजेन्द्र सिंह	पैलानी, बाँदा
265.	1583/2007	जमुना देवी	सुरेश	तिन्दवारा, बाँदा
266.	1584/2007	मंजू देवी	राजकुमार धुरिया	स्वराज कालोनी, बाँदा
267.	1585/2007	समीमबानो	शहादत	बरसडाखुर्द, गिरवाँ, बाँदा
268.	1586/2007	शतरूपा	राकेश कुमार	कुर्रही, बिसण्डा, बाँदा
269.	1587/2007	रूबीना	इम्तियाज	तरौसा, कुर्रही, बिसण्डा, बाँदा
270.	1588/2007	निकहत	रियाजुद्दीन	बाँदा
271.	1589/2007	सिमरन	जयकरन	अतर्रा, बाँदा
272.	1590/2007	प्रेमसुधा	कृष्ण बहादुर	अकबरपुर, गिरवाँ, नरैनी, बाँदा
273.	1591/2007	गुडिया	राजू	अमानडेरा, पैलानी, बाँदा
274.	1592/2007	आकांक्षा	रामचरण	अतरहट, चिल्ला, बाँदा
275.	1593/2007	मीरा	प्रजाशरन	पौहार, बदौसा, बाँदा
276.	1594/2007	रानी	लखन	चटगन, कोत0 देहात, बाँदा
277.	1595/2007	नछरिया	प्रमोद कुमार	हमीरपुर
278.	1596/2007	शहानाबेगम	रसीद उर्फ हमीम	मर्दननाका, बाँदा
279.	1597/2007	राजकुमारी	रोहित	सिविल लाइंस, बाँदा
280.	1598/2007	मीना	सोरन	अजयगढ़, पन्ना
281.	1599/2007	फूलकली	रामदास	जसपुरा, बाँदा
282.	1600/2007	चंदिया	खैरा	मटौंध, बाँदा
283.	1601/2007	फुलमतिया	जयकरन	सिंहपुर, बिसण्डा, बाँदा
284.	1602/2007	जग्गी	केशव प्रसाद	शिवरामपुर, चित्रकूट
285.	1603/2007	लल्ली	दिनेश कुमार	भरतकूप, चित्रकूट
286.	1604/2007	सियारानी	सियाशरण	जसईपुर, तिन्दवारी, बाँदा
287.	1605/2007	मीरा	मोतीलाल	राछा, बिसण्डा, बाँदा

288.	1606/2007	विमला	केशव	पछौंहा, कमासिन, बाँदा
289.	1607/2007	तुलसा	महादेव	क्योटरा, तिन्दवारी, बाँदा
290.	1608/2007	रनुवा	जगतपाल	बहादुरपुर, कालिंजर, बाँदा
291.	1609/2007	माया	इन्द्रजीत	रैपुरा, कर्वी, चित्रकूट
292.	1610/2007	चुन्नी	राजकिशोर	घनसौल, बिसण्डा, बाँदा
293.	1611/2007	रूक्मणी	क्षत्रपाल	तिन्दुही, मटौंध, बाँदा
294.	1612/2007	प्यारी	मोतीलाल	करतल, बाँदा
295.	1613/2007	केतकी	भूरेलाल	धरमपुर, कालिंजर, बाँदा
296.	1614/2007	रज्जूवती	वंशगोपाल	बदौली, बबेरू, बाँदा
297.	1615/2007	सम्पत	रामपाल	निवाइच, जसपुरा, बाँदा
298.	1616/2007	अनारकली	माताप्रसाद	खुरहण्ड, गिरवाँ, बाँदा
299.	1617/2007	जमीला खातून	हसीन खाँ	काजीटोला, बबेरू, बाँदा
300.	1618/2007	जाहिदा बेगम	जमाल उल्ला खाँ	मवई, बाँदा

अध्ययन पद्धति :— प्रस्तुत शोध 300 परित्यक्ता महिलओं पर आधारित है। ये वे महिलाएँ हैं जो अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने हेतु अदालतों का सहारा ले रही हैं और इनके मुकदमें न्यायालय में लम्बित हैं। इन महिलाओं का निवास क्षेत्र अधिकार बाँदा ही है परन्तु कुछ एक महिलाएँ बाहर के जिलों की भी हैं। बाँदा न्यायालय में हजारों निर्वाह भत्ता से सम्बन्धित केस वर्षों से लम्बित हैं। हमने अपने अध्ययन के लिए जिन केसों को लिया वे 2002 से 2007 के बीच के हैं। 2002 से 2007 के बीच के हमने अपने अध्ययन के लिए 300 केसों को लिया है। प्रत्येक वर्ष से हमने 50 केस लिए हैं। इन केसों और उत्तरदाताओं का चुनाव हमनें सुविधापूर्ण निदर्शन प्रणाली के द्वारा किया है। इन उत्तरदाताओं से जानकारी के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। बहुत सारी चीजें अवलोकन के माध्यम से ज्ञात की गई हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन में हमने अर्द्धसहभागी अवलोकन को भी अपनाया है। प्रस्तुत अध्ययन में हमने अन्वेषणात्मक शोध प्रचना का सहारा लिया है। चूंकि प्रस्तुत शोध में हमने

निदर्शन, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, आदि विधयों को अपनाया, इसलिए इन विधियों को विस्तारपूर्वक जान लेना आवश्यक है।

शोध प्रचना :— प्रत्येक सामाजिक शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि योजनाबद्ध रूप में शोध कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। इसी योजना की रूपरेखा को शोध प्रचना (Research Design) कहते हैं। R.L. Ackoff ने प्रचना का अर्थ समझाते हुए लिखा है कि "निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्रचना कहते हैं।"[1] इस दृष्टिकोण से उद्देश्य की प्राप्ति के पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके शोध कार्य की जो रूपरेखा बना ली जाती है, उसे शोध प्रचना कहते हैं।

शोध प्रचना के प्रकार :— समस्त शोधों का एक ही आधारभूत उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। पर इस उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है और उसी के अनुसार शोध प्रचना का रूप भी अलग—अलग हो सकता है। शोध प्रचना निम्नलिखित चार प्रकार की होती है –

(i) अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध प्रचना

(ii) वर्णनात्मक शोध प्रचना

(iii) निदानात्मक शोध प्रचना

(iv) परीक्षणात्मक शोध प्रचना

चूँकि प्रस्तुत शोध में हमने अन्वेषणात्मक शोध प्रचना को अपने अध्ययन में प्रयुक्त किया है। अतः यहाँ पर हम केवल इसी प्रचना के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किन्हीं सामाजिक घटना के अन्तर्निहित कारणों को ढूँढ निकालना होता है तो उससे सम्बद्ध रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध प्रचना कहते हैं। इस प्रकार की शोध प्रचरना में शोध कार्य की रूपरेखा इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि घटना की प्रकृति व धारा प्रवाहों की वास्तविकताओं की खोज की जा सके। समस्या या विषय के चुनाव के

---

1. Ackoff, R.L.; Design of Social Research, P. 5.

पश्चात् प्राकल्पना का सफलतापूर्वक निर्माण करने की लिए इस प्रकार की प्ररचना का बहुत महत्व हैं क्योंकि इसकी सहायता से हमारे लिए विषय का कार्य–कारण सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार की शोध प्ररचना की सफलता के लिए कुछ अनिवार्यताओं का पालन करना होता है जो निम्नवत हैं :–

(i) सम्बद्ध साहित्य का अध्ययन इस दिशा में प्रथम अनिवार्यता है क्योंकि इसके बिना विषय के सम्बन्ध में कोई भी आरम्भिक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता।

(ii) अनुभव–सर्वेक्षण इस दिशा में दूसरी आवश्यकता है। हमारे लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम उन सभी व्यक्तियों से अपना सम्पर्क स्थापित करें जिनके विषय में हमें यह सूचना मिले कि शोध विषय के सम्बन्ध में उनको पर्याप्त अनुभव या ज्ञान है। परन्तु अशिक्षा, अवसर का अभाव या अन्य किसी कारण से वे अपने ज्ञान को लिखित स्परूप दे नहीं सके हैं। ऐसे लोगों का व्यावहारिक अनुभव हमारे लिए पथ–प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। अतः इनसे लाभ न उठाने की विलासिता एक गंभीर शोधकर्ता कदापि नहीं कर सकता। इसलिए सूचनादाताओं का चुनाव इस ढंग से करना चाहिए कि विषय या समस्या के सम्बन्ध में अनुभव व ज्ञान रखने वाले सम्भावित सभी व्यक्ति उस चुनाव में आ जाएँ चाहे वे समस्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले उत्तरदायी अधिकारी हों या कर्मचारी हों अथवा समस्या को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने वाले आलोचक हों या समर्थक हों। ऐसा करने से ही विषय के कारणों की खोज वास्तविक रूप में हो सकेगी।

(iii) अर्न्तदृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का तीसरा आवश्यक तत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि अध्ययन वस्तु के सम्बन्ध में व्यावहारिक अर्न्तदृष्टि पनप सकती है। इस प्रकार की अर्न्तदृष्टि द्वारा प्राकल्पना के निर्माण में तथा वास्तविक शोध कार्य में अत्यधिक सहायता मिलती है। प्रत्येक समुदाय या समूह के जीवन में कुछ दृष्टि आकर्षक, कुछ अत्यन्त सरल व स्पष्ट, कुछ व्याधिकीय, कुछ व्यक्तिगत विशिष्ट गुण सम्बन्धी घटनाएँ होती हैं जो कि अर्न्तदृष्टि को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होती हैं।

अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना के प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं :-

(i) पूर्व निर्धारित प्राककल्पना का तत्कालिक स्थितियों के संदर्भ में परीक्षण करना

(ii) विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग की सम्भावनाओं का स्पष्टीकरण करना

(iii) सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर शोधकर्ता के ध्यान को आकर्षित करना

(iv) विस्तृत शोध कार्य के लिए अपरिचित क्षेत्र में व्यवस्थित उपकल्पना का आधार प्राप्त करना

(v) शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप में प्रारम्भ करने में सहायता करना

(vi) विज्ञान की सीमाओं में विस्तार करके उसके क्षेत्र का विकास करना

(vii) अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए शोधकर्ता को प्रेरित करना।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना उन आधारों को प्रस्तुत करती है जो कि एक सफल शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। Selltiz और उनके साथियों ने लिखा है " अन्बेषणात्मक अनुसंधान उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं जो कि अधिक निश्चित अनुसंधान के हेतु सम्बद्ध उपकल्पना के निरुपण में सहायक होगा।"[1]

निदर्शन :- "कुछ" को देखकर या परीक्षा कर "सब" के बारे में अनुमान लगा लेने की विधि को निदर्शन कहते हैं। इस प्रविधि की आधारभूत मान्यता यह है कि "कुछ" की विशेषताएँ "सब" की आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं। निदर्शन समग्र का छोटा अंश है जोकि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसमें समग्र की मौलिक विशेषताएँ पायी जाती हैं। दैनिक जीवन में हम निदर्शन का प्रयोग करते हैं जैसे हम चावल, गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हैं तो पहले इसका नमूना देखते हैं। नमूना ही प्रतिदर्श या निदर्शन हैं। अतः निदर्शन वह पद्धति है जिसके द्वारा केवल समग्र के एक अंश का निरीक्षण करके सम्पूर्ण समग्र के बारे में जाना जा सकता है। निदर्शन को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है :-

---

1. Selltiz, Jahoda, Deutsh and Cook; Research Methods in Social Relations, P. 33.

Goode and Hatt के अनुसार "एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है।"[1]

P.V. Young के अनुसार "एक सांख्यिकीय निदर्शन उस सम्पूर्ण समूह या योग का अति लघु चित्र है जिसमें से कि निदर्शन लिया गया है।"[2]

E.S. Bogardus के अनुसार "निदर्शन प्रविधि एक पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है।"[3]

H.P. Fairchild के अनुसार "एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों, मामलों या निरीक्षणों को एक समग्र विशेष में से निकालने की प्रक्रिया या पद्धति अथवा अध्ययन के हेतु एक समग्र समूह में से एक भाग को चुनना निदर्शन पद्धति कहलाती है।"[4]

V.D. Keskar के अनुसार निदर्शनात्मक अनुसंधान में हम समग्र समूह के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि संकलित तथ्य जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं समग्र के केवल एक भाग से सम्बन्धित होता है।

Hsin Pao Yang के अनुसार "एक सांख्यिकीय निदर्शन सम्पूर्ण समूह का प्रतिनिधिक भाग है। यह समूह 'जनसंख्या', 'समग्र' अथवा 'पूर्ति–स्रोत' के नाम से जाना जाता है।"[5]

Frank Yaton के शब्दों में "निदर्शन शब्द का प्रयोग केवल किसी समग्र चीज की इकाइयों के एक सेट या भाग के लिए किया जाना चाहिए जिसे इस विश्वास के साथ चुना गया है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निदर्शन किसी विशाल समूह, समग्र या योग का एक अंश है जोकि समग्र का प्रतिनिधि है अर्थात अंश की भी वही विशेषताएँ हैं जोकि सम्पूर्ण समूह या समग्र की हैं।

एक श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषताएँ :– सामाजिक घटनाओं के बारे में हमारा निष्कर्ष उतना ही यथार्थ होगा जितना की उत्तम हमारा निदर्शन होगा। अतः निदर्शन का उत्तम होना अध्ययन

1. Goode William, J. and Hatt Paul, K; Methods in Social Research, Mc-Graw Hill Book Company, Inc., New York, 1952. P. 209.
2. Young, P.V; Scientific Social Survey and Research, Asia Publising House, Bombay, 1960, P. 302.
3. Bogardus, E.S; Sociology, P. 548.
4. Fairchild, H.P; Dictionary of Sociology, P. 265.
5. Yang, Hsin Pao; Fact Finding with Rural People, P. 35.

की सफलता व यथार्थता दोनों के लिए आवश्यक है। P.V. Young[1] का कहना है कि सावधानी से चुना गया अपेक्षाकृत छोटा निदर्शन त्रुटिपूर्ण बड़े निदर्शनों से अधिक विश्वसनीय है। एक उत्तम निदर्शन की आवश्यक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

(i) निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण हो

(ii) पर्याप्त आकार

(iii) पक्षपात तथा पूर्वाग्रह से स्वतन्त्र

(iv) निदर्शन अध्ययन विषय के उद्देश्य के अनुकूल हो

(v) सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर आधारित

(vi) व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित

निदर्शन के प्रकार :– निदर्शन प्रविधि का तात्पर्य उस विधि से है जिसकी सहायता से प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अध्ययन निष्कर्षों की यथार्थता के लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए निदर्शन चुनाव का काम मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सुनिश्चित प्रविधियों को अपनाना आवश्यक है। निदर्शन के चुनाव की ये प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं :–

(i) **दैव निदर्शन** :– प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में अनुसन्धानकर्ता के स्वयं के पक्षपात तथा मिथ्या झुकाव, अथवा पूर्वाग्रह की सम्भावना से बचने के लिए तथा सम्पूर्ण समग्र की प्रत्येक इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर प्रदान करने के लिए दैव प्रणाली द्वारा निदर्शनों का चुनाव एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। इस अर्थ में दैव निदर्शन वे निदर्शन हैं जिन्हें कि दैव प्रणाली या संयोग प्रणाली से चुना जाता है। इस प्रकार इस पद्धति में निदर्शन का चुनाव मनुष्य के हाथ से निकलकर दैवयोग द्वारा होता है। इसीलिए Thomas Carson ने लिखा है कि "दैव निदर्शन में आने या निकल जाने का अवसर घटना के लक्षण से स्वतन्त्र होता है।"[2] Dr. J.C. Chaturvedi का भी कथन है कि "दैव निदर्शन में चुनाव दैव तौर पर किया जाता है ताकि किसी भी इकाई को

---

1. Young, P.V; Scientific Social Survey and Research, Asia Publising House, Bombay, 1960.
2. Carson, Thomas; Elementary Social Statistics, 1941, P. 224.

प्राथमिकता न मिले। इसमें किसी भी एक इकाई के चुने जाने का अवसर उतना ही रहता है जितना कि अन्य किसी इकाई के चुने जाने का।"[1] दैव निदर्शन में निदर्शन चुनने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से प्रमुख तरीके निम्नलिखित है :–

(i) लाटरी प्रणाली (Lottery Method)

(ii) कार्ड अथवा टिकट प्रणाली (Card or Ticket Method)

(iii) नियमित अंकन प्रणाली (Regular Marking Method)

(vi) अनियमित अंकन प्रणाली (Irregular Marking Method)

(v) टिप्पेट प्रणाली (Tippet Method)

(vi) ग्रिड प्रणाली (Grid Method)

(vii) कोटा निदर्शन (Quata Method)

दैव निदर्शन के गुण :– दैव निदर्शन के अपने कुछ गुण हैं जिन्हें हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं :–

(i) दैव निदर्शन में निष्पक्षता का गुण होता है। इसमें किसी प्रकार का मिथ्या झुकाव या पक्षपात की सम्भावना नहीं रहती। क्योंकि निदर्शन के चुनाव में किसी भी इकाई को प्राथमिकता या प्रमुखता या अधिमान्यता नहीं दी जाती और प्रत्येक इकाई के निदर्शन में चुने जाने की समान सम्भावना रहती है।

(ii) दैव निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर होने के कारण दैव निदर्शन की इकाइयों में समग्र के अधिकाधिक लक्षण विद्यमान होते हैं।

(iii) दैव निदर्शन, निदर्शन की सबसे सरल पद्धति है जिसमें किसी जटिल प्रक्रिया अथवा गूढ़ नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है।

(iv) दैव निदर्शन में सम्भावित अशुद्धता का पता लगाया जा सकता है। यदि निदर्शन पूर्णतया दैव निदर्शन प्रणाली द्वारा चुना गया है तो गणितीय विधियों द्वारा इस बात का सही–सही

---

1. Dr. Chaturvedi, J.C; Mathematical Sataistics, P. 12.

अनुमान लगाया जा सकता है कि निदर्शन का वास्तविक माप से कितना अन्तर है।

(2) **उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन :–** जब अनुसंधानकर्ता किसी विशेष उद्देश्यों को सामने रखकर जानबूझकर समग्र में कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहते हैं। इस प्रकार के निदर्शन के चुनाव का मुख्य आधार यही है कि इसमें अनुसंधानकर्ता समग्र की इकाइयों के लक्षणों से पूर्णपरिचित होकर सविस्तारपूर्वक निदर्शनों का चुनाव करता है। चुनाव का आधार अध्ययन का उद्देश्य होता है और उद्देश्यों को सामने रखते हुए उसी के अनुरूप अनुसंधानकर्ता सम्पूर्ण क्षेत्र से सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चुनाव करता है।

(3) **संस्तरित अथवा वर्गीकृत निदर्शन :–** Hsin Pao Yang ने लिखा है कि "संस्तरित निदर्शन का अर्थ समग्र में से उप–निदर्शनों को लेना है जिनकी की समान विशेषताएँ हैं जैसे खेती के प्रकार, खेतों के आकार, भूमि पर स्वामित्व, शिक्षा स्तर, आय, लिंग, सामाजिक वर्ग आदि। उप–निदर्शनों के अन्तर्गत आने वाले इन तत्वों को एक साथ लेकर प्रारूप या श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।"[1] संस्तरित निदर्शन तीन प्रकार का होता है :–

(i) समानुपातिक संस्तरित निदर्शन

(ii) असमानुपातिक संस्तरित निदर्शन

(iii) भारयुक्त संस्तरित निदर्शन

(4) **बहुस्तरीय निदर्शन :–** इसका उपयोग बड़े अध्ययन क्षेत्र से निदर्शन चुनने के लिए किया जाता है। इसे बहुस्तरीय निदर्शन इसलिए भी कहते हैं कि इसमें निदर्शन के चुनाव की प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुजरती है। बहुस्तरीय निदर्शन, दैव निदर्शन एवं संस्तरित निदर्शन का सम्मिलित रूप है और यदि पर्याप्त सावधानी बरती गई तो इनमें उक्त दोनों प्रणालियों के लाभ प्राप्त हो जाते हैं।

(5) **सुविधाजनक निदर्शन :–** जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार निदर्शन का चुनाव करता है। अनुसंधानकर्ता निदर्शन को चुनने से पहले उपलब्ध धन, समय, साधन, सूची की उपलब्धता, इकाइयों से सम्पर्क स्थापित करने की

---

1. Yang, Hsin Pao; Fact Finding with Rural People, PP. 36-37.

योग्यता आदि विषयों को ध्यान में रखते हुए जैसी सुविधा उपलब्ध होती है उसी के अनुसार निदर्शन का चुनाव करता है।

(6) **स्वयं निर्वाचित निदर्शन** :– जब सम्बन्धित व्यक्ति (जिनका कि अध्ययन करना है अथवा जो सूचनादाता है) स्वयं अपना नामी देकर निदर्शन की इकाई बन जाते हैं और अनुसंधानकर्ता को उनका चुनाव नहीं करना पड़ता है तो उसे स्वयं निर्वाचित निदर्शन कहते हैं।

(7) **क्षेत्रीय निदर्शन** :– क्षेत्रीय निदर्शन वह निदर्शन है जिसे विभिन्न छोटे–छोटे क्षेत्रों में से अनुसंधानकर्ता के द्वारा उसकी सुविधा तथा निर्णय के अनुसार चुन लिया जाता है तथा उस एक क्षेत्र के सभी निवासियों का सम्पूर्ण अध्ययन किया जाता है।

निदर्शन की उपयोगिता :– सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं :–

(i) निदर्शन के प्रयोग द्वारा अनुसंधानकर्ता के समय की बचत होती है क्योंकि इसमें सीमित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है।

(ii) इसमें धन की बचत होती है।

(iii) इसके द्वारा विस्तृत एवं गहन अध्ययन संभव हो जाता है। सीमित इकाइयों के अध्ययन के कारण अनुसंधानकर्ता विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन कर सकता है और साथ ही सूचनाओं के संकलन में गहनता ला सकता है।

(iv) इसमें वैज्ञानिकता का समावेश होता है।

अनुसूची :– अनुसूची सामाजिक अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने का एक उपकरण है। यह सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि है क्योंकि इसका यथार्थ एवं वास्तविक आँकडों को प्रत्यक्ष रूप में संकलन करने में महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रश्नों की एक सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास लेकर जाता है तथा उससे प्रश्नों के उत्तर पूँछकर स्वयं उन्हें अनुसूची में अंकित करता है क्योंकि इसमें साक्षात्कार तथा अवलोकन पूरक (सहायक) प्रविधियों का कार्य करती हैं। अतः यह अधिक विश्वनीय आंकड़ों के संकलन में

सहायक है। भारतीय समाज में हो रहे सामाजिक अनुसंधानों में इस प्रविधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसके द्वारा शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं से आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं।

अनुसूची का अर्थ एवं परिभाषाएँ :– अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है अर्थात यह अनुसंधान समस्या से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की एक तालिका है जिसे अनुसंधानकर्ता प्रत्येक सूचनादाता के पास लेकर जाता है तथा साक्षात्कार द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके उन्हें स्वयं प्रपत्र पर अंकित करता है, जिस पर कि प्रश्न अंकित है। इसमें अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक सूचनादाता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है। प्रायः लोग अनुसूची तथा प्रश्नावली को एक ही समझ लेते हैं क्योंकि प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक सूची है अर्थात एक ऐसा प्रपत्र है जिस पर कुछ प्रश्न छपे हुए हैं। परन्तु प्रश्नावली को लेकर अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के पास नही जाता अपितु इसे डाक द्वारा भेजता है जिसके कारण इसे डाक प्रश्नावली कहते हैं। यदि सूचनादाता एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं तो अनुसंधानकर्ता प्रत्येक सूचनादाता को एक–एक प्रश्नावली दे देता हैं जिसका उत्तर स्वयं सूचनादाता भरते हैं। अतः अनुसूची तथा प्रश्नावली एक ही नहीं है वरन् इनमें उत्तर प्राप्त करने के ढंग तथा उत्तरों को अंकित करने की दृष्टि से मूलभूत अन्तर है। प्रमुख विद्वानों ने अनुसूची को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है –

Goode and Hatt के अनुसार "अनुसूची ऐसे प्रश्नों के समूह का नाम है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति से आमने–सामने की स्थिति में पूंछता है तथा उनके उत्तर स्वयं भरता है।"[1]

Bogardus के अनुसार "अनुसूची तथ्यों को एकत्रित करने के लिए एक औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वस्तुनिष्ठ के रूप में है एवं आसानी से प्रत्यक्ष अनुभव किए जाने योग्य है। अनुसूची स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा भरी जाती है।"[2]

---

1. Goode William, J. and Hatt Paul, K; Methods in Social Research, Mc-Graw Hill Book Company, Inc., New York, 1952. P. 133.
2. Bogardus, E.S; Introduction to Social Research, 1936. P. 45.

P.V. Young के अनुसार "अनुसूची औपचारिक तथा मानक अनुसंधानों में प्रयोग किए जाने वाला ऐसा उपकरण है जिसका प्रमुख उद्देश्य बहुस्तरीय गणनात्मक आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करना है।"[1]

Mc-Cromic के अनुसार "अनुसूची प्रश्नों की एक सूची से अधिक कुछ भी नहीं है जिनका उपकल्पना या उपकल्पनाओं की जांच के लिए उत्तर देना आवश्यक दिखाई देता है।"[2]

अनुसूची के उद्देश्य :– सामाजिक अनुसंधान में आकड़े संकलन करने में अनुसूची का विशेष महत्व है। अधिकतर अध्ययनों में इसी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें साक्षात्कार तथा अवलोकन पूरक प्रविधियों का कार्य करती हैं तथा इसका उद्देश्य ही अध्ययन को अधिक गहन, सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक बनाना है। अनुसूची के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

(1) अवलोकन में सहायता प्रदान करना :– अनुसूची का उद्देश्य अवलोकनकर्ता की अवलोकन क्षमता को बढ़ाना तथा अवलोकन को अधिक वैज्ञानिक बनाना है क्योंकि यह प्रविधि वस्तुनिष्ठ अभिलेखन एवं अनिवार्य सूचना संकलन करने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करती है। यह अवलोकनकर्ता को विभिन्न पहलुओं के बारे में अवलोकन का अवसर प्रदान करके अध्ययन को अधिक विश्वनीय बनाती है। अतः यह अवलोकन में निम्न प्रकार से योगदान प्रदान करती है।

(i) यह प्रविधि अवलोकनकर्ता की अवलोकन क्षमता को बढाने में सहायता प्रदान करती हैं

(ii) यह प्रविधि अवलोकन को उद्देश्यों के अनुरूप बनाती है

(iii) यह प्रविधि अवलोकन को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाती है तथा

(vi) यह प्रविधि अवलोकन परिणामों का प्रमापीकरण करने में सहायता प्रदान करती है।

(2) अध्ययन को गहन एवं अधिक अर्थपूर्ण बनाना :– अनुसूची क्योंकि अवलोकन एवं साक्षात्कार प्रविधियों को भी अपने में सन्निहित करती है। अतः यह अध्ययन को अन्य

---

1. Young, P.V; Scientific Social Survey and Research, Asia Publising House, Bombay, 1960, PP. 186-187.
2. Mc-Cromic, Thomas Carson; Elementary Social Statistics, 1941. P. 37.

प्रविधियों की अपेक्षा अधिक गहन एवं अर्थपूर्ण बनाने में सहायक है।

(3) **मूल्यांकन अध्ययनों में सहायता प्रदान करना** :– अनुसूची का उद्देश्य मूल्यांकन अध्ययनों में सहायता प्रदान करना है। इससे हम सूचनादाताओं के मतों, रुचियों, मनोवृत्तियों तथा विचारों में पाए जाने वाली भिन्नताओं एवं समानताओं का पता लगा सकते हैं अर्थात् उनके मूल्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं।

(vi) अनुसूची केवल प्राथमिक आकड़े संकलन करने में ही सहायक नहीं है अपितु प्रलेखीय या ऐतिहासिक आंकड़े संकलन करने में भी सहायक है। संस्था अनुसूची या प्रलेख अनुसूची द्वितीयक आकड़ों के संकलन में सहायता प्रदान करती हैं।

अनुसूची के प्रकार :– सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की अनुसूचियों को प्रयोग में लाया जाता है। G.A. Lundberg ने उद्देश्यों के आधार पर अनुसूचियों की तीन श्रेणियों का उल्लेख किया है :–

(i) वस्तुनिष्ठ तथ्यों के संकलन के लिए निर्मित अनुसूची

(ii) मनोवृत्तियों तथा मतों का पता लगाने वाली अनुसूची तथा

(iii) सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं की स्थिति एवं कार्यों का पता लगाने के लिए निर्मित अनुसूची।

P.V. Young ने अपनी पुस्तक Scientific Social Survey and Research में चार प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया है –

(i) अवलोकन अनुसूची

(ii) मूल्यांकन अनुसूची

(iii) प्रलेख अनुसूची तथा

(vi) संस्था सर्वेक्षण अनुसूची

मुख्य रूप से सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली अनुसूचियों को निम्नलिखित श्रेणियों या प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं :–

(1) **अवलोकन अनुसूची** :– अवलोकन अनुसूचियों का प्रयोग किसी प्रक्रिया, घटना या

परिस्थि के निरीक्षण या व्यक्तियों द्वारा निश्चित अवधि के दौरान प्रदर्शित व्यवहार के निरीक्षण के लिए किया जाता है। अनुसूचियों का प्रयोग करने से अवलोकन अधिक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो जाता है। Dorothy Thomas and Charlotte Buhler नामक विद्वानों ने अवलोकन अनुसूची द्वारा शास्त्रीय अध्ययन किए हैं। इस प्रकार की अनुसूची में सामान्यतः प्रश्न आधार बिन्दुओं के रूप में लिखे रहते हैं अर्थात् जरूरी नहीं है कि पूरे ही लिखे जाएँ। इन्हें संकतों में भी लिखा जा सकता है। साथ ही इस प्रकार की अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के पास उत्तर लेने के लिए नहीं जाना पड़ता अपितु वह इन प्रश्नों के उत्तर अवलोकन द्वारा ही प्राप्त करता है। वस्तुतः अवलोकन अनुसूची अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बना देती है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ अभिलेखन एवं केवल अनिवार्य सूचना संकलन में सहायता देने के साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता को सभी पहलुओं के बारे में निरीक्षण करने का भी अवसर प्रदान करती है। इसके द्वारा एकत्रित सूचनाएँ सामान्यतः अधिक विश्वसनीय होती हैं।

(2) **मूल्यांकन अनुसूची** :– इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग सूचनादाताओं के मतों, रुचियों एवं विचारों में पाई जाने वाली भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अर्थात् किसी विषय के बारे में सूचनादाताओं के मूल्यों एवं मनोवृत्तियों इत्यादि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान में अनेक पैमानों का निर्माण किया जाता है जिनसे किसी सामाजिक घटना या पहलू के बारे में पक्ष एवं विपक्ष के विचारों तथा विभिन्न जातियों एवं समूहों में सामाजिक दूरी का पता चलता है। ये पैमाने वास्तव में मूल्यांकन अनुसूचियाँ ही हैं। जनमत का अध्ययन करने तथा मनोवृत्तियों एवं मूल्यों का मूल्यांकन करने में इस प्रकार की अनुसूचियाँ विशेष रूप से उपयोगी हैं।

(3) **संस्था सर्वेक्षण अनुसूची** :– इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है संस्था के सर्वेक्षण अथवा इसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची वास्तव में संस्था से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एक लम्बी प्रश्नों की सूची होती है। P.V. Young ने अपनी पुस्तक Scientific Social Survey and Research में इस अनुसूची के विषय में लिखा है कि संस्था

सर्वेक्षण अनुसूची का प्रयोग किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है।

(4) **साक्षात्कार अनुसूची** :– साक्षात्कार अनुसूची सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क स्थापित करके, उनसे औपचारिक साक्षात्कार द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने से सम्बन्धित है। इसमें प्रश्नों की रचना पहले से ही की होती है और साक्षात्कारकर्ता या कार्यकर्ता इन्हें एक–एक करके सूचनादाता से पूछता जाता है और उनके उत्तर स्वयं भरता जाता है। यह साक्षात्कार को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।

(5) **प्रलेख अनुसूची** :– इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रलेखों से सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रकाशित ग्रन्थों, पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा अन्य प्रकार की लिखित सामग्री से सूचनायें प्राप्त करने में प्रलेख अनुसूची अत्यधिक उपयोगी है। विभिन्न विषयों का विकास जानने के लिए किसी विषय में अध्ययन रुचियों मे हो रहे परिवर्तन जानने के लिए तथा अन्तवस्तु विश्लेषण के लिए प्रलेख अनुसूचियाँ ही अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं।

साक्षात्कार :– साक्षात्कार अनुसंधान में आकड़ें संकलन करने की एक प्राचीन एवं बहुचर्चित प्रविधि है जिसका समाजशास्त्र में इतना अधिक प्रयोग किया गया है कि यह आज एक सर्वाधिक प्रचलित एवं सर्वोपरि प्रविधि मानी जाती है। अवलोकन द्वारा हम अनेक प्रकार के अध्ययन नहीं कर सकते परन्तु साक्षात्कार प्रविधि सूचनादाता के सामने बैठकर वार्तालाप का अवसर प्रदान करती है जिससे कि उसके मनोभावों, मनोवृत्तियों तथा दृष्टिकोणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसका प्रयोग केवल समाजशास्त्र में ही नहीं किया जाता अपितु अन्य सामाजिक विज्ञानों, मनोचिकित्सा, मनोविश्लेषण एवं चिकित्सा जैसे विषयों में भी अत्याधिक प्रचलन देखा जा सकता है। साक्षात्कार प्रविधि द्वारा अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के बाहरी एवं आन्तरिक जीवन का अध्ययन कर सकता है। आलपोर्ट के अनुसार यह प्रविधि सूचनादाताओं की भावनाओं, अनुभवों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों के अध्ययन में विशेष रूप से उपयोगी है।

साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषाएँ :– साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक बैठक है जिसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाताओं से अपनी अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित औपचारिक या अनौपचारिक रूप से प्रश्न पूँछकर सूचनाएँ एकत्रित करता है। साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ ही 'सूचनादाता के आन्तरिक जीवन को देखना' अर्थात् इससे भीतरी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना है। दैनिक जीवन में भी "साक्षात्कार" शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से आमने–सामने की परिस्थिति में प्रश्न पूछे जाने के रूप में किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने साक्षात्कार की परिभाषाएँ निम्न प्रकार दी हैं :–

William, J.Goode and Paul, K .Hatt ने अनुसार "साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अन्तर्क्रिया की एक प्रक्रिया है।"[1]

P.V. Young ने अनुसार "साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध पद्धति माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य ऐसे व्यक्ति जो सामान्यतः उसके लिए तुलनात्मक रूप से अजनबी होता है, के आन्तरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है।"[2]

Hsin Pao Yang ने अनुसार "साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक पद्धति है जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करने, कथनों को अंकित करने तथा सामाजिक एंव सामूहिक अन्तर्क्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसलिए यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः दो व्यक्तियों में अन्तक्रिया पाई जाती है।"[3]

V.M. Palmer ने अनुसार "साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य एक सामाजिक स्थिति की रचना करता है तथा इसमें प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दोनों को परस्पर प्रत्युत्तर देने पड़ते हैं।"[4]

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार सामाजिक

---

1. Goode William, J. and Hatt Paul, K; Methods in Social Research, Mc-Graw Hill Book Company, Inc., New York, 1952. P. 186.
2. Young, P.V; Scientific Social Survey and Research, Asia Publising House, Bombay, 1960, P. 242.
3. Yang, Hsin Pao; Fact Finding with Rural People, P. 38.
4. Palmer, V.M; Field Studies in Sociology, P. 170.

अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने की एक प्रविधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के बाहरी एवं आन्तरिक जीवन से सम्बन्धित तथ्यों का परस्पर वार्तालाप (औपचारिक या अनौपचारिक) द्वारा पता लगता है। परिभाषाओं के आधार पर साक्षात्कार की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं।

(i) साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने की एक प्रविधि है।

(ii) इसमें कम से कम व्यक्ति प्रत्यक्ष या आमने–सामने का सम्पर्क स्थापित करते हैं।

(iii) साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता औपचारिक रूप में (साक्षात्कार अनुसूची या निर्देशिका की सहायता से) या अनौपचारिक रूप में साक्षात्कारदाता से अपनी अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित प्रश्न पूछता है अर्थात् उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है।

(vi) साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता के मध्य प्राथमिक सम्बन्ध विकसित होते हैं।

साक्षात्कार के उद्देश्य :– साक्षात्कार केवल दो व्यक्तियों में ऐसे ही वार्तालाप करने की प्रक्रिया नहीं है अपितु इसके अनेक उद्देश्य हैं अर्थात् साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता में वार्तालाप किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य निम्ननिखित है :–

(i) साक्षात्कार का प्रथम उद्देश्य अनुसंधानकर्ता को सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष या आमने–सामने का सम्पर्क स्थापित करके उनसे आंकडे संकलन करने में सहायता प्रदान करना है। आमने–सामने बैठकर केवल अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से खुलकर वार्तालाप ही नहीं, अपितु उनके चेहरे पर आने वाले मनोभावों को समझने का भी प्रयत्न करता है।

(ii) साक्षात्कार उपकल्पनाओं का निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका प्रयोग दो अथवा दो से अधिक चरों के परस्पर सम्बन्धों को जानने के लिए अर्थात् अन्वेषणात्मक ढंग से सूचना प्राप्त करके उपकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है।

(iii) साक्षात्कार का उद्देश्य सूचनादाताओं के आन्तरिक जीवन में झांकना है। P.V. Young के अनुसार इसका उद्देश्य सूचनादाता के व्यक्तित्व का एक चित्र बनाना है। अतः यह

सूचनादाताओं के आन्तरिक जीवन से सम्बन्धित जिसे हम अवलोकन द्वारा नहीं देख सकते, आंकड़े एकत्रित करने में विशेष रूप से सहायक प्रविधि है।

(iv) साक्षात्कार द्वारा सूचनादाताओं के दोनों आन्तरिक एवं बाहरी जीवन के अध्ययन करने का अवसर मिलता है। अनुसंधानकर्ता को सूचनादाताओं के बारे में बहुत सी बातें देखकर ही पता चल जाती हैं।

(v) साक्षात्कार जहाँ एक ओर अपने में पूर्ण प्रविधि है वहीं यह अन्य प्रविधियों की प्रभाव पूर्णता को बढ़ाने की दृष्टि से एक पूरक प्रविधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है। अनुसूची तथा अवलोकन में यह एक पूरक प्रविधि के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। P.V. Young के अनुसार "सामाजिक अनुसंधानों में साक्षात्कार कोई पृथक उपकरण नहीं है अपितु यह अन्य विधियों एवं प्रविधियों का पूरक है। यह अध्ययन को गहन बनाता है और अन्य स्रोतों एवं साधनों द्वारा एकत्रित सूचनाओं को नियंत्रित करता है।

साक्षात्कार के प्रकार :– साक्षात्कार के कितने प्रकार है; यह बताना एक कठिन कार्य है क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने साक्षात्कार का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया है। साक्षात्कार के वर्गीकरण में जो आधार अपनाए गए हैं उनमें उत्तरदाताओं की संख्या, सम्पर्क, औपचारिकता, पद्धतिशास्त्र एवं संरचना आदि प्रमुख हैं।

उत्तरदातााओं की संख्या के आधार पर साक्षात्कार को दो श्रेणियों में बाटा गया है:–

(i) व्यक्तिगत साक्षात्कार

(ii) सामूहिक साक्षात्कार

साक्षात्कार का प्रयोग विविध प्रकार की परिस्थितियों में किया जाता है। उद्देश्यों के आधार पर इसे मुख्य रूप से निम्नांकित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :–

(i) निदानात्मक या लक्षण परीक्षक साक्षात्कार

(ii) उपचारात्मक साक्षात्कार

(iii) अनुसंधानात्मक साक्षात्कार

साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कारदाता में सम्पर्क के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण

निम्न प्रकार से किया गया है :–

(i) प्रत्यक्ष साक्षात्कार

(ii) अप्रत्यक्ष साक्षात्कार

सम्पर्क की अवधि के आधार पर भी साक्षात्कार का वर्गीकरण किया जा सकता है ; जैसे अल्पकालीन साक्षात्कार जिसमें सम्पर्क की अवधि छोटी होती है जैसा कि सामान्यतः अनुसंधानों में होता है तथा दीर्घकालीन साक्षात्कार जिसमें सम्पर्क की अवधि काफी लम्बी होती है। मनोचिकित्सीय साक्षात्कार सामान्यतः दीर्घकालीन अवधि के होते है।

प्रश्न पूँछे जाने की पद्धति तथा उत्तरों को लेखबद्ध करने में किस प्रकार का ढंग अपनाया जाता है, इसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार को निम्नांकित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :–

(i) औपचारिक साक्षात्कार

(ii) अनौपचारिक साक्षात्कार

पद्धतिशास्त्र, अध्ययन पद्धति अथवा अध्ययन क्षेत्र के आधार पर साक्षात्कार को निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :–

(i) केन्द्रित साक्षात्कार

(ii) गैर–निर्देशित साक्षात्कार

(iii) पुनरावृत्ति साक्षात्कार

साक्षात्कार के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों की संरचना, प्रकृति के आधार पर भी साक्षात्कार को निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :–

(i) मतदान प्रकार का साक्षात्कार

(ii) खुला साक्षात्कार

(iii) अप्रतिबन्धित साक्षात्कार

निरीक्षण :– निरीक्षण प्रविधि सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्धित अनुसंधान–कार्यों के संदर्भ में कोई नवीन प्रविधि नहीं है। सामाजिक विज्ञानों की बात तो और है, प्राकृतिक विज्ञानों में तो इस प्रविधि का सम्भवतः शुरू से ही प्रयोग होता आया है। Goode and Hatt ने उचित ही लिखा

है कि ''विज्ञान निरीक्षण से प्रारम्भ होता है और फिर सत्यापन के लिए अन्तिम रूप से निरीक्षण पर ही लौटकर आना पड़ता है।''[1]

P.V. Young के अनुसार ''निरीक्षण को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ सम्पूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।''[2]

C.A.Moser ने निरीक्षण के बारे में कहा है कि ''ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों तथा वाली की अपेक्षा आंखों के प्रयोग की स्वतन्त्रता है।''[3]

उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट ही है कि एक निरीक्षण प्रविधि प्राथमिक सामग्री के संग्रहण की प्रत्यक्ष प्रविधि है। निरीक्षण का तात्पर्य उस प्रविधि से है जिसमे नेत्रों द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचारपूर्वक संकलन किया जाता हो, साथ ही इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता अध्ययन के अन्तर्गत आए समूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए अथवा उससे दूर बैठकर उनके सामाजिक एंव व्यक्तिगत व्यवहारों का अपनी ज्ञानेद्रियों द्वारा निरीक्षण करता है।

निरीक्षण के प्रकार :– अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से निरीक्षण को प्रायः कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख रूप से निरीक्षण का निम्नवत् वर्गीकरण किया जा संकता है :–

1. अनियन्त्रित निरीक्षण (Uncontrolled Observation)
2. नियन्त्रित निरीक्षण (Controlled Observation)
3. सहभागी निरीक्षण (Participant Observation)
4. असहभागी निरीक्षण (Non-Participant Observation)
5. अर्द्ध– सहभागी निरीक्षण (Quasi Participant Observation)
6. सामूहिक निरीक्षण (Mass Observation)

---

1. Goode William, J. and Hatt Paul, K; Methods in Social Research, Mc-Graw Hill Book Company, Inc., New York, 1952. P. 119.
2. Young, P.V; Scientific Social Survey and Research, Asia Publising House, Bombay, 1960, P. 199.
3. Moser, C.A; Survey Methods in Social Investigation, London, 1961. P. 169.

प्रस्तुत अध्ययन में हमने अर्द्धसहभागी निरीक्षण का सहारा लिया है। अतः हम निरीक्षण के अन्य प्रकारों का वर्णन न करते हुए यहाँ पर केवल अर्द्ध–सहभागी निरीक्षण का उल्लेख कर रहे हैं। पूर्ण–सहभागी या पूर्ण–असहभागी निरीक्षण कभी–कभी संभव हो पाता है। इसलिए Goode and Hatt ने इन दोनों के मध्यवर्ती मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया है जिसको कि अर्द्ध–सहभागी निरीक्षण कहा जाता है। इस प्रकार के निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के कुछ साधारण कार्यों में भाग भी लेता है, यद्यपि अधिकांशतः वह तटस्थ भाव से बिना भाग लिए उनका निरीक्षण करता है। Prof . William White का कहना कि हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यवहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका सम्बन्ध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्द्ध–तटस्थ नीति ही बनाए रखना अधिक उत्तम होता है।

निरीक्षण प्रविधि के गुणों या महत्व के विषय में आज संभवतः किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं क्योंकि वास्तव में सर्वप्रचलित एवं सर्वमान्य विधि होने के कारण अनुसंधान कार्यों में इसकी उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गई। संक्षेप में इसके कुछ मुख्य गुण इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते हैं :–

(i) निरीक्षण प्रविधि का सबसे प्रमुख गुण उसकी सरलता है। किसी भी प्रविधि में प्रायः किसी न किसी प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्कता होती है। परन्तु इस प्रविधि में निरीक्षण करना अत्यन्न सरल है।

(ii) निरीक्षण प्रविधि के प्रयोग से अनुसंधान से प्राप्त हुए निष्कर्षों से अत्यधिक यथार्थता एवं विश्वसनीयता होती है।

(iii) प्राककल्पनाओं के निर्माण में भी निरीक्षण प्रविधि अत्यधिक सहायक होती है।

(iv) निरीक्षण प्रविधि की एक मुख्य बात यह है कि इस प्रविधि से प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन को भी आसानी से आंका जा सकता है। अनुसंधानकर्ता एक ही सामाजिक घटना को कई बार निरीक्षण करके उस घटना का सत्यापन परख सकता है। संभवतः अन्य प्रविधि में यह सुविधा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती।

अध्याय तृतीय

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु पारित सामाजिक विधान, अधिनियम एवं संवैधानिक सुधार

अध्याय तृतीय

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु पारित सामाजिक विधान, अधिनियम एवं संवैधानिक सुधार

सामाजिक विधान का अर्थ राज्य द्वारा पारित उन कानूनों से हैं जिनका उद्देश्य समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान करना हैं। सामाजिक विधान सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने तथा सुधार एवं कल्याण के द्वारा सामाजिक विघटन को रोकने के लिए निर्मित किए जाते हैं।

सााामजिक विधान को परिभाषित करते हुए Dr. R.N. Saxena ने लिखा है कि "साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वह विधान जिसका उद्देश्य समाज को परिवर्तित अथवा पुर्नसंगठित करना होता है सामाजिक विधान की श्रेणी में आता है। इस प्रकार सामाजिक विधान में समाज सुधार, समाज परिवर्तन, सामाजिक समस्याओं का निराकरण और सामाजिक आदर्श नियमों का प्रतिपादन एक साथ सन्निहित है।"[1]

सामाजिक विधानों के निर्माण में आदर्श एवं व्यवहार का मिश्रण होना चाहिए। कोरे आदर्शवादी सामाजिक विधान भी सफल नहीं हो सकते। यही करण है कि भारत में समाजिक कल्याण हेतु अनेक विधान बनाए गए किन्तु व्यावहारिकता के अभाव के कारण वे केवल कागजी कार्यवाही बनकर रह गए।

किसी भी समाज में सामजिक विधानों का निर्माण समाज को नियन्त्रित एवं नियमित करने एवं उसके कल्याण व सुधार की दृष्टि से आवश्यक है। जब समाज में अत्यधिक जटिलता उत्पन्न हो जाए और एकरूपता का अभाव हो तथा नियन्त्रण का कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जा रहा हो अथवा समाज में ऐसी नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हों जिनसे सम्बन्धित प्रथाएँ न हों तो ऐसी स्थिति में समाज को सुचारू रूप से चलाने एवं संगठित बनाए रखने के लिए सामाजिक विधानों की आवश्यकता होती है। भारत में बने सामाजिक विधानों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम वे सामाजिक विधान जो अंग्रेजी शासन काल में बने और

---

1. Dr. Saxena, R.N; Indian Society and Social Institution, P. 111.

दूसरे वे जो स्ततन्त्र भारत में बने।

अंग्रेजी शासन काल में बने सामाजिक विधान :– अग्रेजी शासन काल में बने प्रमुख सामाजिक विधान इस प्रकार हैं :–

(1) **सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829** :– सन् 1829 के पूर्व भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। एक तरफ हिन्दुओं में बाल विवाह का प्रचलन था और दूसरी तरफ विधवा हो जाने पर स्त्रियों को पति के साथ चिता में जल जाने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें यह प्रलोभन दिया जाता था कि सती होने पर स्वर्ग मिलेगा। कई बार तो विधवाओं को जबरन मृत पति के साथ सती होने के लिए मजबूर किया जाता था और चिता में धकेल दिया जाता था। इस अमानुषिक प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने कठोर परिश्रम और आन्दोलन किया और उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम बना। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी विधवा स्त्री को सती होने में सहायता करता हैं तो वह दण्डनीय अपराध माना जाएगा। इस अधिनियम को धीरे–धीरे समाज की सहमति प्राप्त हुई और आज सती प्रथा अपवादों को छोड़कर पूरी तरह समाप्त हो गई है।

(2) **हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856** :– सन् 1856 के पूर्व विधवाओं को न तो पुनर्विवाह की स्वीकृति थी और न उन्हें अपने मृत पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार ही था। बाल विवाह एवं बेमेल विवाह के कारण समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ गई थी तथा उनकी दशा बड़ी दयनीय थी। कई विधवाएँ तो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई बन गई थीं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा राजाराम मोहंन राय ने सरकार का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनके प्रयासों से 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। इस अधिनियम द्वारा हिन्दू विधवाओं की पुनर्विवाह की कानूनी बाधाओं को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :–

(i) यदि दूसरे विवाह के समय किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो चुकी है, तो यह विवाह बैध माना जाएगा।

(ii) इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतानें भी वैध मानी जायेगी।

(iii) यदि पुनर्विवाह के समय विधवा नाबालिग है और पहले पति से उसका यौन सम्बन्ध नहीं हुआ है तो पुनर्विवाह के लिए पिता, दादा, बड़े भाई व नजदीक के किसी उक्त सम्बन्धी की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

(iv) यदि विधवा बालिग है और विधवा होने से पूर्व पति से यौन सम्बन्ध स्थापित कर चुकी है तो वह किसी सम्बन्धी की स्वीकृति के बिना ही पुनर्विवाह कर सकती है।

(v) पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को अपने मृत पति की सम्पत्ति में अधिकार नहीं होगा।

(vi) यदि मृत पति ने उसके लिए कोई वसीयतनामा लिखा हो या परिवार के सदस्यों से कोई समझौता हो गया हो तो पुनर्विवाह कर लेने पर भी उसे अपने पूर्व पति की सम्पत्ति पर अधिकार होगा।

(vii) पुनर्विवाह के बाद स्त्री को नए परिवार में वे सारे अधिकार मिलेंगे जो पहली बार विवाह करने पर उसे प्राप्त थे।

(3) बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 :– सन् 1929 में बाल विवाह रोकने का अधिनियम पारित किया गया। यद्यपि इससे पूर्व भी छोटे–छोटे बच्चों के विवाह पर रोक लगाने के लिए 1860 तथा 1891 में अधिनियम पारित कर विवाह की आयु लड़कियों के लिए क्रमशः 10 तथा 12 वर्ष कर दी गई थी। किन्तु 1929 में हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ जिसे 'शारदा एक्ट' के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :–

(i) इस अधिनियम के अनुसार विवाह के समय लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु के विवाह को बाल विवाह माना जाएगा।

(ii) जो व्यक्ति बाल विवाह कराने में सहयोग देंगे (जैसे माता–पिता, पंडित, नाई आदि) उन्हें तीन महीने का कारावास और जुर्माना हो सकता है।

(iii) ऐसे मुकदमों की सुनवाई केवल प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ही कर सकता है।

(iv) विवाह के पूर्व अदालत को सूचना मिल जाने पर वह ऐसे विवाह को रोकने का आदेश दे सकती है।

(v) किसी भी स्त्री को कारावास का दण्ड नहीं दिया जाएगा।

किन्तु यह अधिनियम बाल विवाह को रोकने में अधिक सफल नहीं रहा। इसके कई कारण हैं :—

(i) सदियों से भारतीय समाज में बाल विवाह की प्रथा दृढ़ स्थापित हो चुकी थी, अतः लोग कानून की अवहेलना करके भी प्रथा का पालन करते हैं।

(ii) इसके अतिरिक्त कानून में भी कई कमियां हैं जैसे एक बार विवाह हो जाने पर उसे रदद् नहीं किया जा सकता। अतः लोग सोचते हैं विवाह तो हो गया, दण्ड भी भुगत लेंगे।

(iii) दण्ड की मात्रा बहुत कम है।

(iv) ज्ञातव्य अपराध होने के कारण अदालत भी तब तक कोई कदम नही उठती जब तक ऐसे विवाह के विरुद्ध कोई शिकायत न करे और कोई व्यक्ति शिकायत पर दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में भी लड़के व लड़की के विवाह की आयु 18 वर्ष व 15 वर्ष ही रखी गयी। मई 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर विवाह की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष कर दी गई है। यह अधिनियम 1 अक्टूबर 1978 से लागू है।

(4) हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1937 :— हिन्दू स्त्री के विधवा होने पर मृत पति की सम्पत्ति में अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से 1937 में यह अधिनियम पारित किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि :—

(i) यदि दायभाग से नियन्त्रित परिवार का कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति में बँटवारा अथवा वसीयत किए बिना ही मर गया हैं तो उसकी विधवा स्त्री को पुत्र के बराबर हिस्सा मिलेगा।

(ii) मिताक्षरा से नियन्त्रित परिवार में मृतक पति की सम्पत्ति में यदि उसने कोई वसीयत नहीं की है तो विधवा स्त्री को उसका उत्तराधिकार मिलेगा किन्तु वह उस सम्पत्ति का सीमित उपयोग ही कर सकती है, वह उसे न तो किसी को दे सकती है और न बेच ही सकती है।

(iii) अन्य नियमों से नियन्त्रित परिवारों में विधवा को अपने मृत पति की सम्पत्ति में लड़कों के समान ही हिस्सा दिया जाएगा।

(5) **अलग रहने और भरण-पोषण हेतु स्त्रियों का अधिनियम, 1946:-** इस अधिनियम के अनुसार हिन्दू स्त्रियों को कुछ परिस्थितियों में पति से अलग रहने पर भरण–पोषण के अधिकार प्राप्त होते हैं। स्त्री को भरण–पोषण का अधिकार तभी मिलता है जबः–

(i) पति किसी ऐसे घृणित रोग से पीड़ित हो जो उसे पत्नी के संसर्ग से न हुआ हो।

(ii) पति निर्दयता का व्यवहार करता हो अथवा पत्नी, पति के साथ रहना खतरनाक समझती हो।

(iii) पत्नी को उसके पति ने छोड़ रखा हो।

(iv) पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो।

(v) पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो।

(vi) पति किसी अन्य स्त्री से सम्बन्ध रखता हो।

मुस्लिम विवाह से सम्बन्धित अधिनियमः- अंग्रेजी शासनकाल में मुसलमानों के विवाह से सम्बन्धित दो अधिनियम बने। मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937 एवं मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939।

(1) **शरीयत अधिनियम, 1937:-** शरीयत अधिनियम 1937 ने मुस्लिम स्त्री को पति के नपुंसक होने और उसके द्वारा पत्नी पर झूठा व्यभिचार का दोषारोपण करने की स्थिति में तलाक का अधिकार प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त इला एवं जिहर के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है।

(2) **मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 :-** सन् 1939 में मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधिनियम बना। इस अधिनियम ने मुस्लिम स्त्री को निम्नांकित आधारों पर तलाक देने का अधिकार प्रदान किया है :–

(i) यदि चार वर्ष से पति का कोई पता न हो।

(ii) यदि पति दो वर्ष से पत्नी का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो।

(iii) यदि पति को सात या अधिक वर्षों के लिए सजा हुई हो।

(iv) यदि पति तीन वर्ष से बिना किसी कारण के अपने वैवाहिक कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ रहा है।

(v) यदि पति नपुंसक हो।

(vi) यदि पति पागल हो।

(vii) यदि पति संक्रामक रोग एवं कोढ़ से ग्रस्त हो।

(viii) यदि उसका विवाह 15 वर्ष से कम की आयु में उसके पिता या अन्य संरक्षकों द्वारा कर दिया गया हो और इस अवधि में पति–पत्नी में यौन सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए हों और लड़के की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले ही ऐसे विवाह के विरुद्ध प्रतिवेदन कर दिया गया हो।

(ix) यदि पति, पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता हो।

(x) यदि पति चरित्रहीन स्त्रियों से सम्पर्क रखता हो।

(xi) यदि पति, पत्नी को व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने को बाध्य करता हो।

(xii) यदि पति, पत्नी की सम्पत्ति बेंचता हो, उसके सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में बाधा डालता हो।

(xiii) यदि पत्नी के धार्मिक कार्यों में बाधा डालता हो।

(xiv) एक से अधिक पत्नियां होने पर पति समान व्यवहार नहीं करता हो।

(xv) किसी अन्य आधार पर जो मुस्लिम कानून के आधार पर तलाक के लिए मान्य हो।

अंग्रेजी शासन काल में हिन्दू एवं मुसलमानों में परिवार एवं विवाह से सम्बन्धित अधिनियमों के अतिरिक्त ईसाइयों, पारसियों, सिक्खों, जैनों एवं बौद्धों के विवाह से सम्बन्धित अधिनियम भी बने जैसे "भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872" और भारतीय विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1869 जो ईसाइयों में विवाह एवं तलाक के नियमों को व्यवस्थित करते हैं। पारसी विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 पारसियों में विवाह एवं विच्छेद की शर्तों का

उल्लेख करता है। 1909 में 'आनन्द विवाह अधिनियम' द्वारा आनन्द उत्सव पर सिक्खों द्वारा किए गए विवाह को वैध ठहराया गया। 1955 का हिन्दू विवाह अधिनियम अब सिक्खों, जैनो और बौद्धों पर लागू होता है।

स्वतन्त्र भारत में बने सामाजिक विधान :- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विवाह, परिवार, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, सम्पत्ति, उत्तराधिकार, अस्पृश्यता, दहेज आदि से सम्बन्धित अनेक अधिनियम पारित किए। उनमें से कुछ प्रमुख अधिनियम इस प्रकार हैं :–

(1) विशेष विवाह अधिनियम, 1954:- किसी भी धर्म को न मानने वालों को परस्पर विवाह की स्वीकृति देने के लिए 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया। 1923 में इस अधिनियम को संशोधित कर विभिन्न जातियों के बीच होने वाले विवाह को वैध घोषित किया गया। 1954 के इस अधिनियम द्वारा विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोगों को परस्पर विवाह की स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिनियम में एक विवाह की व्यवस्था है तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के व 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह उनके माता–पिता अथवा संरक्षकों की स्वीकृति से होगा। इस अधिनियम का लाभ उठाने वालों का विवाह प्रथागत रीति से नहीं होकर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होता है। इस अधिनियम के अनुसार :–

(i) ऐसे विवाह केवल विवाह अधिकारी की मौजूदगी या उसके कार्यालय में ही हो सकते हैं।

(ii) वर–वधू में से किसी एक का विवाह अधिकारी के जिले में विवाह के पूर्व कम से कम पिछले तीन दिन पहले से रहना जरूरी है।

(iii) विवाह का प्रार्थना पत्र आने पर विवाह अधिकारी इस आशय की विज्ञप्ति सूचना–पट पर कराता है। यदि 30 दिन की अवधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठायी जाती है तो तीन गवाहों की उपस्थिति में विवाह अधिकारी ऐसा विवाह सम्पन्न करा देता है।

(iv) इस अवसर पर वर–वधू को यह घोषणा करनी पड़ती है कि वे एक–दूसरे को पति–पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं।

(v) ऐसे विवाह का सर्टीफिकेट विवाह अधिकारी सर्टीफिकेट पुस्तक में लिख देता है जिस पर वर–वधू एवं तीन गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। यह अधिनियम क्रूरता, पागलपन, असाध्य रोग से पीड़ित होने, सात वर्ष तक किसी पक्ष के जीवित होने के प्रमाण न होने, परस्पर समझौता हो जाने, साथ रहने में असमर्थ होने और पति–पत्नी से अलग रहने आदि की स्थिति में तलाक की व्यवस्था भी करता है।

(2) **हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955:–** 18 मई 1955 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में निवास करने वाले हिन्दूओं जिनमें जैन, बौद्ध एवं सिक्ख भी सम्मिलित हैं, "हिन्दु विवाह अधिनियम" लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से सम्बन्धित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्ध कर दिए गए और सभी हिन्दुओं पर एक समान कानून लागू किया गया है। इस अधिनियम में हिन्दू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई। साथ ही सभी जातियों के स्त्री–पुरुषों को विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किए गए। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं :–

विवाह की शर्ते :– किन्हीं दो हिन्दू स्त्री–पुरुषों के बीच विवाह के लिये निम्नांकित शर्ते रखी गयी हैं :–

(i) स्त्री एवं पुरूष दोनों में से किसी एक का विवाह के समय दूसरा जीवन साथी जीवित न हो।

(ii) वर–वधू दोनों में से कोई भी विवाह के समय पागल या मूर्ख न हो।

(iii) विवाह के समय वर की आयु 18 वर्ष और वधू की आयु 15 वर्ष से कम न हो। किन्तु मई 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष कर दी गई है।

(iv) दोनों पक्ष निषेधात्मक नातेदारी सम्बन्धों में न आते हों अर्थात जिन प्रथाओं से वे नियन्त्रित होते हैं उनके विपरीत न हों।

(v) दोनों पक्ष सपिण्डी न हों, यदि उनकी परम्परा के अनुसार सपिण्ड विवाह मान्य हैं तो ऐसे विवाह को मान्यता दी जायेगी।

(vi) यदि वधू की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके अभिभावकों की स्वीकृति जरूरी है, अभिभावक न होने पर ऐसी अनुमति के बिना भी विवाह वैध है।

विवाह सम्बन्ध की समाप्ति :– निम्नांकित दशाओं में विवाह होने पर उसे रदद् किया जा सकता है :–

(i) विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का जीवन–साथी जीवित हो और उससे तलाक न हुआ हो।

(ii) विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो।

(iii) एक वर्ष के अन्दर यह प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक या कपट से ली गयी थी।

(iv) विवाह के एक वर्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था।

न्यायिक पृथक्करण :- इस अधिनियम की धारा 10 में कुछ आधारों पर पति–पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती हैं। यदि पृथक रहकर वे मतभेदों को भुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक सम्बन्धों की पुर्नस्थापना की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण के आधार निम्नांकित हैं :–

(i) बिना कारण बताये प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना–पत्र देने के दो वर्ष पूर्व छोड़ रखा हो।

(ii) प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाता हो।

(iii) प्रार्थना पत्र देने के एक वर्ष से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो।

(iv) दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रामक यौन रोग हो जो प्रार्थी के संसर्ग से नहीं हुआ हो।

(v) यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने के एक वर्ष पूर्व से पागल हो।

(vi) यदि दूसरे पक्ष ने विवाह होने के बाद अन्य व्यक्ति से सम्भोग किया हो।

न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद दो वर्ष के भीतर भी वे अपने सम्बन्धों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए प्रार्थना–पत्र दे सकते हैं जोकि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है।

विवाह–विच्छेद (Divorce):– निम्नांकित आधारों पर न्यायालय विवाह विच्छेद की स्वीकृति दे सकता हैं :–

(i) दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो।

(ii) दूसरे पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो।

(iii) दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ या संक्रामक रोग से पीड़ित हो।

(iv) दूसरा पक्ष असाध्य पागलपन से पीड़ित हो।

(v) दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो।

(vi) पिछले सात वर्षों से दूसरे पक्ष के जीवित होने के बारे में न सुना गया हो।

(vii) दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण के एक वर्ष या उससे अधिक के बाद तक पुनः सहवास न किया हो।

(viii) दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों के पुनःस्थापना हो जाने के एक वर्ष बाद तक उस पर अमल न किया हो।

(ix) पति बलात्कार, गुदा मैथुन (Sodomy) अथवा पशुगमन (Bestiality) को दोषी हो।

इस अधिनियम से स्पष्ट है कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह–विच्छेद दो भिन्न बातें हैं। पृथक्करण की आज्ञा देकर न्यायालय दोनों पक्षों को समझौते के अवसर प्रदान करता है। यदि फिर भी वे साथ रहने को सहमत न हों तो विवाह भंग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कुछ परिस्थितियों में विवाह–विच्छेद की सीधी अनुमति दी जा सकती है। इस अधिनियम में पति अथवा पत्नी के लिए निर्वास धन की व्यवस्था भी की गई है। यह राशि उस समय तक दी जाएगी जब तक निर्वास धन प्राप्त करने वाला दूसरा विवाह न कर ले। इस अधिनियम के द्वारा पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद प्राप्त करना उतना सरल नहीं है जितना सोचा जाता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1976 में विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 68 के आधार पर कुछ संशोधन किए गए हैं। अब पति–पत्नी पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह–विच्छेद कर सकते हैं, यदि वे पिछले एक वर्ष या अधिक समय से अलग–अलग रह रहे हों और यह

महसूस करते हों कि उनका साथ–साथ रहना सम्भव नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में वे पारस्परिक रूप से विवाह को समाप्त करने के पक्ष में हों, तो विवाह विच्छेद हो सकता है। अब विवाह के एक वर्ष बाद ही विवाह विच्छेद के लिए अदालत में प्रार्थना–पत्र दिया जा सकता है। पहले यह अवधि तीन वर्ष थी। अब विवाह विच्छेद की राजाज्ञा प्राप्त होने के तुरन्त बाद विवाह किया जा सकता है। पहले एक वर्ष के बाद ही विवाह किया जा सकता था। इससे स्पष्ट है कि अब विवाह–विच्छेद की प्रक्रिया को पहले की तुलना में कुछ सरल कर दिया गया है।

(3) **अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 :-** अस्पृश्यता को समाप्त करने, इससे सम्बन्धित सभी आचरणों को रोकने और अस्पृश्यों पर विभिन्न निर्योग्यताओं को लागू करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने के उददेश्य से जून 1955 से 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955' सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। इस अधिनियम की 17 धाराओं के द्वारा अस्पृश्यों की सभी प्रकार की निर्योग्यताओं को समाप्त किया जा चुका है।

इस अधिनियम के अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोगों को सार्वजानिक पूजा के स्थानों में प्रवेश करने, पवित्र नदी, तालाब, कुएँ, झरने आदि में स्नान करने या पानी लेने, किसी भी दुकान, जलपान गृह, होटल अथवा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने तथा धर्मशालाओं और मुसाफिरखानों के उपयोग में लाने से रोकने पर दण्ड की व्यवस्था की गई है। ऐसे व्यक्ति को छः मास के कारावास या 500 रूपया जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। इस कानून में यह भी बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को नदी, कुएँ, तालाब या नल, घाट, श्मशान आदि को काम में लेने या किसी मोहल्ले में जमीन खरीदने, मकान बनवाने या रहने से रोकेगा तो उसके कार्य को दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

इस अधिनियम द्वारा अस्पृश्यता सम्बन्धी आचरण तथा अस्पृश्यता को किसी भी रूप में प्रोत्साहन देने पर प्रतिबन्ध अवश्य लगा दिया गया है। परन्तु व्यावहारिक रूप में यह आज भी पाई जाती है। कई स्थानों पर और विशेषतः ग्रामों में आज भी अस्पृश्यता सम्बन्धी आचरण दिखलायी पड़ते हैं। अस्पृश्यता को दूर करने में कानून उसी समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा

सकता हैं जब उसे कठोर दंड दिया जाए। इसी उददेश्य से भारत सरकार ने एक पृथक कानून "नागरिक अधिकार संरक्षण कानून" पास किया जो 19 नवम्बर 1976 से सारे देश में लागू कर दिया गया। यह अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का ही संशोधित रूप है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :–

(i) अस्पृश्यता के अपराध में दण्डित लोग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

(ii) पहली बार अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराध के लिए एक से छः महीने तक की कैद और 100 रूपये से लेकर 500 रूपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

(iii) सामूहिक रूप से अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराध करने पर ऐसे किसी क्षेत्र के लोगों पर सामूहिक जुर्माना करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है।

(iv) इस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दण्ड देने हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति और मामलों की सुनवाई हेतु विशेष अदालतों के गठन की व्यवस्था की गई है।

(4) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:- सन् 1937 के 'हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम' भी विधवा को अपने मृत पति की सम्पत्ति में सीमित अधिकार प्रदान करता था तथा मिताक्षरा व दायभाग के सम्पत्ति उत्तराधिकार के अलग–अलग नियम थे। सम्पत्ति अधिकार की बाधाओं को समाप्त करने और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं :–

(i) उत्तराधिकार से सम्बन्धित दायभाग और मिताक्षरा नियमों को समाप्त कर सभी हिन्दुओं पर एक सा नियम लागू किया गया।

(ii) विधवा स्त्री अपने मृत पति से प्राप्त अपने हिस्से की सम्पत्ति का अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकती है। किन्तु यदि वह पुनर्विवाह कर लेती हैं तो मृत पति की सम्पत्ति पर उसका अधिकार नहीं रहेगा।

(iii) इस अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होंगे।

(iv) लड़की को भी अपने पिता की सम्पत्ति में उसकी पत्नी और बच्चों के समान एक भाग प्राप्त होगा।

(v) पुत्र की मृत्यु होने पर माता को भी पुत्र की सम्पत्ति में उसकी पत्नी और बच्चों के समान एक भाग प्राप्त होगा।

(vi) विधवा स्त्री को अपने मृत पति की सम्पत्ति में पुत्र के बराबर हिस्सा प्राप्त होगा। यदि कोई संतान नहीं है तो विधवा को अपने मृत पति की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होगा।

(5) हिन्दू नाबालिग तथा सरंक्षकता अधिनियम, 1956:- इस अधिनियम के पूर्व नाबालिक बच्चों के पिता की आयु की मृत्यु होने पर संरक्षक बनने का अधिकार केवल पितृपक्ष के लोगों को ही था। सम्पत्ति का दुरुपयोग होने पर भी माँ कुछ नहीं कर सकती थी। इस अधिनियम ने इस कमी को दूर कर दिया है। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

(i) इस अधिनियम के अनुसार नाबालिग उसे माना गया है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो।

(ii) संरक्षकों में पहला स्थान पिता का और दूसरा स्थान माँ का होगा। नाबालिग विवाहिता लड़की का संरक्षक उसका पति होगा।

(iii) यदि पिता और माता दोनों मर चुके हैं तो नाबालिक बच्चों का संरक्षक न्यायालय नियुक्ति करेगा यदि पिता अथवा माता के मरने के पूर्व उन्होंने किसी को संरक्षक नियुक्त नहीं किया हो।

(iv) कोई भी संरक्षक बच्चों की सम्पत्ति को पांच वर्षो से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दे सकता। न्यायालय की अनुमति के बिना संरक्षक नाबालिग की सम्पत्ति को न बेच सकता हैं, न गिरवी रख सकता है और न ही उपहार या इन्तकाल ही कर सकता है।

(v) इस अधिनियम के द्वारा माता–पिता की मृत्यु होने पर नाबालिग बच्चे की सम्पत्ति की

रक्षा के लिए संरक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। संरक्षक नियुक्त करते समय न्यायालय नाबालिग बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखेगा।

(6) **हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956:-** इस अधिनियम में गोद लेने एवं स्त्रियों तथा उनके आश्रितों के भरण–पोषण के बारे में विस्तार से व्यवस्थाएँ की गयी हैं। गोद लेने सम्बन्धी इसमें निम्नांकित व्यवस्थाएँ की गई हैं :–

(i) गोद लेने वाला व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम का न हो, वह पागल न हो या उसके पहले से कोई स्वाभाविक या गोद लिया हुआ पुत्र, पौत्र या प्रपोत्र न हो।

(ii) पत्नी के जीवित होने पर पति द्वारा उसकी सहमति से ही किसी को गोद लिया जा सकता है।

(iii) अब लड़के ही नहीं वरन् लड़कियों को भी गोद लिया जा सकता है।

(iv) पहले केवल पुरुष ही गोद ले सकता था किन्तु अब स्त्रियाँ भी गोद ले सकती हैं। विवाहिता स्त्री किसी को गोद लेती है तो उसे अपने पति की स्वीकृति लेनी होगी। अविवाहित, विधवा या तलाक प्राप्त स्त्री भी लड़के या लड़की गोद ले सकती है।

(v) जिस लड़के या लड़की को गोद लिया जाता है वह हिन्दू हो, अविवाहित हो और 15 वर्ष से कम की आयु का होना चाहिए। एक ही बालक को दो व्यक्ति गोद नहीं ले सकते।

(vi) गोद लेने वाला अपने से विषम लिंग के बच्चे को (जैसे पुरुष किसी लड़की को, स्त्री किसी लड़के को) गोद ले रहा हो तो उनकी आयु के बीच 21 वर्ष से अधिक का अन्तर होना चाहिए।

(vii) गोद लेने के लिए बच्चे के मूल माता–पिता को कोई धन न दिया जाए।

(viii) गोद चले जाने वाले बच्चे का अपने मूल पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा।

(ix) वैध रीति से गोद चले जाने के बाद गोद गया हुआ व्यक्ति पुनः अपने मूल परिवार में नहीं लौट सकता है।

भरण-पोषण :- इस कानून के तीसरे अध्याय में भरण–पोषण के नियमों का उल्लेख है जो

इस प्रकार है :–

(i) इस अधिनियम के अन्तर्गत भरण–पोषण का अधिकार स्त्री व पुरुष दोनों को है अर्थात स्त्री अपने पति से और पति अपनी पत्नी से भरण–पोषण की रकम पाने का दावेदार है, यदि उनके पास आय के अन्य साधन नहीं हैं।

(ii) इस अधिनियम में पत्नी, विधवा, पुत्रवधू, नाबालिग संतान, वृद्ध माता–पिता और अन्य आश्रितों को भरण–पोषण पाने का अधिकार दिया गया है।

(iii) यदि कोई स्त्री अपने पति से तलाक ले लेने, उसके साथ क्रूर व्यवहार करते, कुष्ठ रोग से पीड़ित होने, धर्म परिवर्तन कर लेने अथवा अन्य स्त्री को रखैल रखने के कारण अलग रहती है तो धर्म परिवर्तन न करने व सच्चरित्र होने की अवस्था में वह अपने पति से भरण–पोषण पाने की अधिकारिणी होगी।

(iv) यदि किसी मृतक ने वसीयत के द्वारा अपने आश्रितों के भरण–पोषण की व्यवस्था नहीं की है तो उसके आश्रितों की उसकी सम्पत्ति में भरण–पोषण पाने का अधिकार है। इस प्रकार यह अधिनियम पृथक्करण और तलाक की स्थिति में स्त्रियों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करता है।

(7) स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956:-

"सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य विज्ञान समिति" के सुझाव पर वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यवहार को रोकने की दृष्टि से भारत सरकार ने 1956 में यह अधिनियम पारित किया जो 1 मई 1958 से भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :–

(i) वेश्यावृत्ति एक दण्डनीय अपराध है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी स्त्री जो धन या वस्तु के बदले यौन सम्बन्ध के लिए अपना शरीर अर्पित करती है, वेश्या है तथा अपने शरीर को इस प्रकार यौन सम्बन्ध के लिए अर्पण करना वेश्यावृत्ति है।

(ii) वेश्यालय में रहने वाला व्यक्ति (संतान को छोड़कर) 18 वर्ष से अधिक का है और वेश्या की आय पर आश्रित रहता है तो उसे दो वर्ष का कारावास अथवा एक हजार रूपये तक का दंड दिया जा सकता है।

(iii) वेश्यालय चलाने वाले व्यक्ति को 1 से 15 वर्ष तक का कारावास तथा दो हजार रूपये तक का जुर्माना आदि दण्ड दिया जा सकता है।

(iv) 12 वर्ष से कम आयु की 'लड़की' को जो वेश्यावृत्ति में संलग्न है, सुधार व पुनर्वास के लिए संरक्षण गृह में भेजने की व्यवस्था की गई है।

(v) किसी लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए फुसलाना, बाध्य करना, नजरबन्द रखना और उसके साथ रहना दण्डनीय अपराध है।

(8) **दहेज निरोधक अधिनियम, 1961:–** हिन्दू समाज में दहेज की भीषण समस्या को हल करने के लिए भारतीय संसद में मई 1961 में "दहेज निरोधक अधिनियम" पारित किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं :–

(i) इस अधिनियम में दहेज को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैं : "विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में, एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तु 'दहेज' कहलायेगी।"

(ii) विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को 'दहेज' नहीं माना जाएगा।

(iii) दहेज लेने व देने वाला तथा इस कार्य में मदद करने वाले व्यक्ति को छः माह की जेल और पांच हजार रूपये तक का दण्ड दिया जा सकता है।

(iv) दहेज लेने व देने सम्बन्धी किया गया कोई भी समझौता गैर कानूनी होगा।

(v) विवाह में भेंट दी गई वस्तुओं पर कन्या का अधिकार होगा।

(vi) धारा 7 के अनुसार दहेज सम्बन्धी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ही कर सकता है और ऐसी शिकायत लिखित रूप से एक वर्ष के अन्दर ही की जानी चाहिए।

यह अधिनियम दहेज प्रथा को रोकने में असफल रहा है। इसका मूल कारण यह है कि विवाह के अवसर पर लिए जाने वाले उपहारों को दहेज नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में जो कुछ लिया और दिया जाएगा, उसे सब भेंट या उपहार ही कहेंगे, न कि विवाह की एक शर्त के रूप में दिया गया दहेज। इसका एक अन्य कारण यह है कि दहेज लेने और देने वाले के विरुद्ध अदालत उस समय तक कोई कार्यवाही नहीं करेगी जब तक कि इस

सम्बन्ध में कोई लिखित शिकायत न की जाय। साधारणतः कोई व्यक्ति ऐसी शिकायत करके अपने को परेशानी में नहीं डालना चाहेगा।

भारतीय सामाजिक ढांचा समाज में पुरुष और महिलाओं की अलग–अलग भूमिकाएँ निर्धारित करता है। विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरुषों के समान नहीं है। वर्तमान सामाजिक ढांचा में पुरुषों को अधिक अधिकार, संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को परम्परागत भूमिकाएँ सौपी गई हैं। वे हैं माता, पत्नी बनाम गृहणी रसोईया और बच्चों की देखभाल करने वाली मानी गयी है। गांवों में महिलाएँ खेती का अधिकांश कार्य–बीच छींटना, पौधारोपण, खाद–पानी, फसल की कटाई एवं उन्हें घर लाने तक सभी कार्य करती हैं। इसके बावजूद महिलाओं को कृषक श्रेणी में नहीं रखा गया है, केवल पुरुष ही कृषक श्रेणी में आते हैं। एक समान कार्य के लिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन, कम मजदूरी दी जाती है। नौकरियों में भर्ती, पदोन्नति में भी भेदभाव किया जाता है। सरकारी नौकरी में भी समान पद पर कार्य करने वाली महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकांश महिलाओं को आफिशियल कार्यों में ही संलग्न किया जाता है। जिन्दगी भर माता–पिता की सेवा के बावजूद मुखाग्नि देने का अधिकार केवल पुरुषों को है। समान शैक्षिक योग्यता, समान पद के बावजूद विवाह के समय दिया जाने वाला दहेज, समाज में महिलाओं की स्थिति स्वयं उजागर करता है। साथ ही महिला उत्पीड़न, बलात्कार, भ्रूण हत्याओं का सिलसिला समाज में महिलओं की निम्न स्थिति का द्योतक है। असमान स्तर के कारण उन्हें शारीरिक एवं मानसिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने पर भी घर के मुख्य निर्णयों की जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौपी जाती। यद्यपि निर्णय लेने वाले निकायों और राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई है, तथापि इन स्थितियों में अभी भी महिलाओं का प्रतिशत कम है।

अमेरिका जैसे विकसित देश तक में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनायी गई है। वहाँ महिलाओं और पुरुषों के वेतन के बीच अन्तर का अनुपात पिछले एक सौ वर्षों में ही नहीं बदला है जबकि महिलाओं द्वारा अवैतनिक घर के काम की कीमत आंकी गई है। 1995

की Human Development Report के अनुसार सालाना कीमत 11 ट्रिलियन डालर अर्थात् 11 हजार बिलियन डालर आंकी गई है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार महिलाएँ सारी दुनिया में किए गए काम के घंटों में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है जबकि उन्हें दुनिया की कुल आय का मात्र 10 प्रतिशत प्राप्त होता है और वे केवल एक प्रतिशत सम्पत्ति की मालिक हैं। पूरे विश्व में सिर्फ 15 प्रतिशत महिलाएँ उच्च प्रबंधकीय पदों पर हैं। विश्व के 70 प्रतिशत सबसे गरीब और अनपढ़ लोगों में महिलाएँ आती हैं।

संसार में चुने हुए देशों में सरकारी क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत

क्र.सं.	देश	सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिशत	लिपिकीय पदों पर प्रतिशत	लिपिकीय पदों से निम्न स्तरों पर प्रतिशत
1.	संरा. अमेरिका	33.1	14.3	34.5
2.	स्वीडन	30.8	38.1	27.3
3.	न्यूजीलैण्ड	26.4	9.1	28.9
4.	फिलीपींस	22.8	4.5	25.3
5.	आस्ट्रेलिया	22.6	14.7	25.9
6.	कनाड़ा	17.7	18.5	17.6
7.	ब्राजील	13.7	4.3	15.1
8.	फ्रांस	10.8	14.7	9.7
9.	श्रीलंका	10.2	13.2	9.6
10.	मारीशस	9.8	00.0	12.6
11.	जापान	9.3	5.9	10.1
12.	जाम्बिया	8.4	7.7	8.6
13.	मैक्सिको	7.5	15.8	5.9
14.	इंग्लैंड	6.9	8.3	6.6
15.	जर्मनी	6.1	10.7	5.3

16.	भारत	5.8	3.2	6.2
17.	भूटान	5.3	12.5	00.0
18.	मिस्र	4.0	3.1	4.5
19.	पाकिस्तान	2.6	4.0	2.2
20.	रूस	2.6	2.4	2.6
21.	बांग्लादेश	1.9	7.7	0.0
22.	इण्डोनेशिया	1.9	3.6	1.6
23.	कोरिया	1.0	3.0	0.6
24.	नेपाल	0.0	0.0	0.0
25.	सऊदी अरब	0.0	0.0	0.0

पिछली एक शताब्दी में लिंगभेद का अनुपात घटा है। जहाँ वर्ष 1911 में प्रति एक हजार पुरुषों पर 973 महिलायें थीं, वही 2001 की जनगणना में यह संख्या 933 हुई है। उल्लेखनीय है कि देश के महानगरों में स्थिति और भी विस्फोटक है। दिल्ली में प्रति हजार पुरुषों पर 813, पंजाब में 886, हरियाणा में 869, गुजरात में 927 और बिहार राज्य में 921 थी। ये सभी संख्यायें राष्ट्रीय औसत से कम हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख, 15 हजार 247 है। इनमें महिलाओं की संख्या 49 करोड़ 57 लाख, 38 हजार 169 है और पुरुषों की जनसंख्या 53 करोड़ 12 लाख 77 हजार 78 है।

सम्पूर्ण भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत है। केरल में यह सर्वाधिक 87.86 प्रतिशत तथा बिहार में निम्नतम यानि 33.57 प्रतिशत अर्थात वहाँ 66.43 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं जबकि बिहार जनसंख्या में तीसरा स्थान रखता है और कुल जनसंख्या का 8.07 प्रतिशत है। आंकड़े बताते है कि भारत में हर 101 मिनट में दहेज के कारण एक मृत्यु होती है। पूरे देश में हर वर्ष लगभग 5000 महिलाओं की दहेज के कारण मौत की सूचना पायी गई है। उत्तर प्रदेश में दहेज के कारण औसत 100 मौतें होती हैं जो देश में सर्वोपरि है।

तत्पश्चात महाराष्ट्र उसके बाद मध्य प्रदेश तथा बिहार का नाम लिया जाता है।

भारत में हर वर्ष 67 लाख महिलायें गर्भपात कराती हैं जिनमें से जानकारी तथा तकनीकि अभाव के कारण अनेक महिलओं की अकाल मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत कामकाजी महिलायें कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन का सामना करती हैं एवं 85 प्रतिशत महिलायें उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अनभिज्ञ हैं। 68.26 प्रतिशत महिलाएँ सीटी बजाने, कटाक्ष, कामुक टिप्पणी तथा यौन संकेतों के कारण मानसिक उत्पीड़न का सामना करती हैं। 25.17 प्रतिशत महिलाएँ स्पर्श जैसे शारीरिक उत्पीड़न का सामना करती हैं।

इतने शोषण एवं उत्पीड़न के बावजूद महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चत की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं और पुरुषों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को रोजगार का समान अवसर देता है। अनुच्छेद 39 सुरक्षा तथा रोजगार का समान कार्य के लिये समान वेतन भी स्थापित करता है।

महिलाओं के विभिन्न संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने महिलाओं को विशेष ध्यान में रखकर उनसे सम्बन्धित अनेकों कानून बनाए हैं, ताकि उन्हें शोषण–उत्पीड़न से बचाकर पूरा सम्मान दिया जा सके। इसके अतिरिक्त महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु समेकित बाल विकास योजना तथा आर्थिक विकास हेतु महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित कर महिला सशक्तिकरण नीति तैयार की गई।

महिला कल्याण हेतु राज्यों द्वारा किए गए प्रयास :- विभिन्न राज्यों ने महिला कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं जो निम्नवत् हैं :–

कामधेनु योजना :- महाराष्ट्र में संचालित इस योजना के तहत अपंग परित्यक्ता व आश्रयहीन महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र

में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक व्यावसायिक शिक्षा में लड़कियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की भी व्यवस्था है।

किशोरी बालिका योजना :- बिहार सरकार ने 11 से 18 वर्ष तक की लड़कियों के पोषण तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें अक्षर एवं अंक ज्ञान देने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की है। इसके अन्तर्गत 6400 रूपये से कम वार्षिक आमदनी वाले परिवारों की किशोरियाँ लाभ प्राप्त करने की पात्र होती हैं।

स्वस्थ सखी योजना :- उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत आठवीं कक्षा तक पढ़ी 18 से 35 वर्ष की आयु की अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिडवाइफ के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। चयनित महिलाओं को 500 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।

सैनेट्री मार्ट योजना :- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाये जाने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए लोगों के पुर्नवास के उद्देश्य से यह योजना आरम्भ की गई है। इस प्रकार से बेरोजगार हुए लोगों को सैनेट्री की दुकानें स्थापित करने के लिए ढाई लाख रूपये तक के ऋण की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसमें अनुदान की राशि भी शामिल है।

अपनी बेटी अपना धन योजना :- बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1994 से हरियाणा सरकार ने यह योजना आरम्भ की। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की नवजात बालिकाओं के नाम से 2500 रूपये सरकार द्वारा इंदिरा विकास पत्र के माध्यम से निवेश कर दिया जाता है। 18 वर्ष के पश्चात यह राशि लगभग 25000 रूपये के रूप में देय होती है। यह राशि उसी को दी जाती है जिसके नाम से यह निवेशित होती है।

देवी रूपक योजना :- हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर 25 सितम्बर 2002 को इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना का मूल उद्देश्य जनसख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों के लिए दंपतियों को जागरुक करना है। प्रजनन योग्य दंपतियों, विशेषतः नवविवाहितों को लक्षित करते हुए यह योजना शुरू की गई। पहले बच्चे

लड़की के जन्म पर नसबंदी कराने पर 500 रूपये प्रतिमाह तथा पहले बच्चे लडके के जन्म पर नसबंदी कराने पर 200 रूपये प्रतिमाह की राशि इस योजना के तहत दंपति को दी जोयगी। दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि दोनों लड़कियाँ हों, तब नसबन्दी कराने पर यह राशि 200 रूपये प्रतिमाह होगी।

बालिका संरक्षण योजना :- आन्ध्र प्रदेश में बालिकाओं को संरक्षण एवं समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना प्रारम्भ की। इस योजना में 60 हजार से अधिक ऐसी बालिकाओं को लक्षित किया जाएगा, जो ऐसे निर्धन परिवारों की हैं, जिनकी वार्षिक आय 1100 रूपये से कम है। योजना का उद्देश्य कम से कम माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं को शिक्षित करना तथा 18 वर्ष के बाद ही उनका विवाह सुनिश्चित करना है। इस योजना में कन्या के नाम से कुछ कल्याण राशि को निवेश करने का प्रावधान भी है।

पंचधारा योजना :- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवम्बर 1991 से विशेषतः ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण एंव विकास हेतु पंचधारा योजना आरम्भ की गई। इस योजना में पांच उप योजनाएँ शामिल हैं :—

(i) **वात्सल्य योजना :-** प्रसवकाल में महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना।

(ii) **ग्राम्य योजना :-** ग्रामीण महिलाओं को लघु व्यवसाय आरम्भ करने हेतु कार्यशील पूँजी प्रदान करना।

(iii) **आयुष्मति योजना :-** अति निर्धन महिलाओं के बीमार होने पर उनके उपचार एवं पौष्टिक आहार का प्रबंध करना।

(iv) **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-** निराश्रित विधवाओं के लिए।

(v) **कल्पवृक्ष योजना :-** आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलओं को रोजगार उपलब्ध कराना।

ग्रामीण इंजीनियर योजना :- 20 मई 2003 से मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना आरम्भ की। इसके तहत सभी 52 हजार गांवों में एक—एक ग्रामीण इंजीनियर उपलब्ध कराने के लिए

25 हजार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया जायेगा। इनको 10+2 पद्धति से उत्तीर्ण युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। महिलाओं को इसमें वरीयता दी जायेगी।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मनाने के निर्णय से इस वर्ष विशेष में देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से अधिक सशक्त बनाने, उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और उनके प्रति बढ रहे दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं में कमी लाने, महिला अधिकारों और नारी शक्ति के सम्बन्ध में उनमें जागरुकता और चेतना विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सार्थक प्रयास किये जाने की घोषणायें की गई। महिला सशक्तिकरण वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा देश में पहली बार एक 'राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति' बनायी गई ताकि देश में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास के लिए आधारभूत व्यवस्थाएँ निर्धारित किया जाना सम्भव हो सके।

इसके अतिरिक्त 'सती प्रथा अधिनियम' 'इन्डीसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट' तथा 'आई.टी.पी. एक्ट' में संशोधन करने के अतिरिक्त 'परित्यक्ता महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता संशोधन विधेयक' के साथ–साथ सरकार द्वारा महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण को नयी दिशा प्रदान करने हेतु उन्हें संसद और राज्य विधानमण्डलों में आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी 84वें संविधान संशोधन विधेयक 1998 को भी संसद से पारित कराने के लिए प्रयास किये गए। ईसाई समुदाय की महिलाओं को पुरूषों की भांति तलाक का अधिकार प्रदान करने हेतु 'भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम, 2001' को संसद से पास भी करा लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर भ्रूण हत्या रोकने विषयक 'प्रसवपूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994' के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विशेष प्रयास भी किये गए। इनके अतिरिक्त महिला स्वयंसिद्धा, महिला स्वाधार, किशोरी शक्ति, महिला स्वशक्ति जैसी कई विकास और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करके उन्हें संचालित करने के साथ–साथ 'महिला शक्ति पुरुस्कारों' आदि की भी घोषणा की गई। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में उठाये गए

अनेक कदमों और इस दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैं :–

सर्वांगीण विकास हेतु महिला उत्थान नीति, 2001 की घोषणा:- देश में महिलाओं को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में बरावरी की भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए प्रमुख उद्देश्य को लेकर 'राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति, 2001' की घोषणा की गई और इनमें किए गए प्रावधानों को भलीभांति लागू करने का दृढ़ निश्चय भी व्यक्त किया गया। इस नीति के तहत महिलाओं के समुचित विकास और उन्हें पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कानूनों के निर्माण करने का आश्वासन भी दिया गया है। महिला उत्थान समिति, 2001 के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं :–

(i) देश में महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे वे ऐसा महसूस कर सकें कि वे आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ बनाने में शामिल हैं।

(ii) महिलाओं को मानव अधिकारों का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना तथा उन्हें पुरुषों के साथ सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और न्यायिक आदि सभी क्षेत्रों में आधारभूत स्वतन्त्रता को समान रूप से हिस्सेदार बनाना।

(iii) देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करना।

(iv) महिलाओं के प्रति किसी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित कानूनी प्रणाली और सामुदायिक प्रक्रिया विकसित करना।

(v) देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन में महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाना।

(vi) समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं और पुरुषों को समाज में बराबर की भागीदारी निभाने को बढ़ावा देना।

(vii) महिलाओं और बालिकाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध के रूप में व्याप्त असमानताओं को दूर करना।

उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए वर्ष 2003 तक की

समय सीमा निश्चित की गई थी। इसके अतिरिक्त उल्लिखित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति को देश भर में पूरी तरह लागू करने के लिए 10 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है।

आर्थिक सशक्तिकरण हेतु नयी योजनाओ की घोषणा :- महिला सशक्तिकरण वर्ष में सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कुछ नई विकास और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करते हुए उन्हें संचालित किया गया है और इनके लिए पूर्व से संचालित विशेष योजनाओं यथा–न्यू मॉडल चर्चा योजना (1987), नौराड प्रशिक्षण योजना (1989), महिला समाख्या योजना (1989), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (1992), राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य ऋण योजना (1993), ऋण प्रोत्साहन योजना (1993), स्वयं सहायता समूह योजना (1993), विपणन वित्त योजना (1993), के अतिरिक्त राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (1994), मार्जिन मनी ऋण योजना (1995), ग्रामीण महिला विकास परियोजना (1996), राज राजेश्वरी बीमा योजना (1997), स्वास्थ्य सखी योजना (1997), डवाकरा योजना (1997) आदि को भी साथ–साथ अधिक व्यापक पैमाने पर संचालित करने का प्रयास किया गया। नई संचालित योजनाओं में किशोरी शक्ति योजना, महिला स्वयंसिद्धा योजना, महिला स्वाधार योजना, महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना, स्वशक्ति योजना आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त पूर्व से संचालित बालिका समृद्धि योजना में व्यापक संशोधन कर इसे अधिक व्यावहारिक बनाने का भी प्रयास किया गया है। नई योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैं

महिला स्वयंसिद्धा योजना :- इस योजना की घोषणा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ0 मुरली मनोहर जोशी द्वारा 12 जुलाई 2001 को 'केन्द्रीय परामर्श समिति' की बैठक में की गई। महिला स्वयंसिद्धा योजना को पूर्व में संचालित 'इन्दिरा महिला योजना' और 'महिला समृद्धि योजना' के स्थान पर संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। चूंकि ये दोनों योजनाएँ कुछ निहित कमियों के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पायी हैं। नई योजना को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से संचालित किया जाना है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। प्रारम्भ में प्रथम चरण में देश

के 650 विकासखंडों में इसे 116 करोड़ रूपये व्यय करते हुए संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 9.30 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा सकेगा।

महिला स्वाधार योजना :- महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बन प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से इस योजना के संचालन की घोषणा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 12 जुलाई 2001 को की गयी। योजना के अन्तर्गत निराश्रित, परित्यक्ता, विधवा तथा प्रवासी महिलाओं को वरीयता दिये जाने की बात कही गयी है। इस योजना को पूरे देश में कई चरणों में संचालित किया जाना है। योजना को त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से चलाया जायेगा। केंन्द्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित संसाधनों से इस योजना को संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना :- यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2001 को घोषित की गयी। महिला सशक्तिकरण वर्ष के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में बैंक ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के संचालन की घोषणा की गयी है। योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक बैंक अगले तीन वर्षों तक अपनी कुल राशि का 5 प्रतिशत भाग महिला उद्यमियों को आवश्यक रूप से प्रदान करेंगे। इस योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों को 17 हजार करोड़ रूपये का ऋण मुहैया कराया जायेगा। निश्चित रूप से इस योजना के संचालित होने से महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन मिल सकेगा।

स्वशक्ति योजना :- विश्व बैंक की सहायता से यह योजना सात राज्यों के 35 जिलों में संचालित की गयी है। इस योजना को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित करते हुए संचालित किया जा रहा है। अभी तक 91 स्वयं सेवी संगठनों द्वारा 9 हजार महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत और अधिक स्वयंसेवी संगठनों को सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त महिलाओं के और भी अधिक समूहों के गठन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

किशोरी शक्ति योजना :- समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के लिए

विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु किशोरी शक्ति योजना को संचालित किया गया है। प्रथम चरण में इस योजना को देश भर के 507 विकासखण्डों में लागू किया गया है। जबकि अवशेष विकासखण्डों में भी अतिशीघ्र लागू करने की कोशिश की जा रही हैं। यह योजना ऐसे परिवार की बालिकाओं के लिये है जिनकी वार्षिक आमदनी 6400 रूपये तक है। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले गरीब परिवारों की बालिकाओं के उचित लालन–पालन, स्वास्थ्य और शिक्षित होने की संभावनायें तथा समाज में लड़के और लड़कियों में बरते जाने वाले भेद–भाव और सामाजिक विषमता में कमी लाने की संभावनाए व्यक्त की गयी हैं। इस योजना को दो भागों में बांटकर चलाया जा रहा है। पहली योजना गर्ल टू गर्ल एप्रोच" तथा दूसरी योजना को "बालिका मण्डल योजना" का नाम दिया गया है। पहली योजना 11 से 15 आयुवर्ग की किशोरियों के लिए है जबकि दूसरी योजना 15 से 18 वर्ष की आयुवर्ग की किशोरियों के लिए है। दूसरे वर्ग की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

बालिका समृद्धि योजना में संशोधन :– "बालिका समृद्धि योजना" को संशोधन करते हुए "प्रसवोपरान्त अनुदान" के रूप में मिलने वाले 500 रूपये को अब बालिका के नाम से ब्याज युक्त एकाउंट में डाले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त यह बालिका स्कूल में पढ़ाई के लिए प्रत्येक सफल वर्ष हेतु वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये पात्र भी होगी।

जननी सुरक्षा योजना :– निर्धनता रेखा के नीचे–यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए एक नयी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005 से प्रारम्भ की गयी है। पूर्णतः केन्द्र प्रायोजित इस योजना ने पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया है तथा यह बजट में प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक होगी। मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाकर गर्भवती महिलाओं के हितार्थ लागू की गई इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पहले दो जीवित प्रसवों के समय प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग :– यह सांविधिक संस्था महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित किया गया है। यह संविधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा से

सम्बद्ध प्रावधानों की समीक्षा करता है। यह महिलाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए याचिकाएँ स्वीकार करता है और महिलाओं की प्रगति के लिए अनुसंधान कार्य भी करता है। यह आयोग महिलाओं से सम्बन्धित विषयों/ मुद्दों के बारे में सम्मेलन, सभाएँ आदि आयोजित करके जागरुकता बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान करता है।

राष्ट्रीय महिला कोष :- समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत मार्च 1993 को गठित इस संस्था का लक्ष्य गरीब महिलाओं को उनके सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। यह ऋण गैर–सरकारी संगठनों, महिला विकास निगमों, महिला सरकारी समितियों, स्व–सहायता समूहों तथा उपयुक्त राज्य सरकार एजेंसियों के माध्यम से दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष इन संगठनों की 8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की दर से ऋण देता है और ये संगठन लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराता है। कोष द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता पर किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। राष्ट्रीय महिला कोष ने 31 मार्च, 2005 तक 1156 आई.एम.ओ. के माध्यम से 167.47 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं और 126.80 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं। इससे 31 मार्च, 2005 तक 521.362 गरीब महिलाओं को लाभ पहुँचा है।

पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में आरक्षण :- 73वें व 74वें संविधान संशोधनों द्वारा पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण के लिये बिहार सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2002):- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2002) ने महिला विकास से सम्बन्धित कुछ उद्देश्यों को रेखांकित किया है जिसे 2010 तक प्राप्त करने का ध्येय रखा गया है। ये हैं :–

(i) आधारभूत उत्पादकता से सम्बन्धित समस्याओं का निदान कर शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

(ii) 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क एवं अति आवश्यक बनाया

जाये एवं साथ ही 20 प्रतिशत तक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में बीच में ही स्कूल छोड़ने को घटाना है।

(iii) शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार 30 से कम लाना है।

(iv) मातृत्व मृत्यु दर को प्रति एक लाख 100 से कम लाना है।

(v) सभी बच्चों को सभी बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को वृहत स्तर से चलाकर इस उद्देश्य को प्राप्त करना होगा।

(vi) लड़कियों के विवाह की आयु को बढ़ाना होगा एवं यह आयु निश्चित रूप से 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं 20 वर्ष से अधिक की आयु को प्रोत्साहित करना होगा।

(vii) प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है।

(viii) जन्म, मृत्यु, विवाह एवं गर्भधारण करने वाली महिलाओं का नामांकन 100 प्रतिशत तक करना होगा।

(ix) छोटे परिवार की व्यवस्था को पूरी तन्मयता के साथ पूरा करना होगा जिससे कुल जनन दर को कम किया जा सके।

(x) परिवार कल्याण से सम्बन्धित सभी उपायों को सरकारी योजनाओं के साथ–साथ सामाजिक स्तर पर भी प्रयास में लाना होगा।

उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को प्रकाश में लाना आवश्यक है।

व्यापार सम्बन्धित उद्यमिता सहायता और विकास योजना :- इस योजनान्तर्गत लघु उद्योग मंत्रालय गैर कृषि क्षेत्रों में लघु और वृहत उद्यम लगाने के लिए सहायता समूहों को अथवा व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करायेगा। मंत्रालय इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत तक सहायता राशि उपलब्ध करायेगा, इसका उपयोग गैर सरकारी संगठन की क्षमता निर्माण और महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने में उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। गैर सरकारी संगठन अनुदान का उपयोग प्रशिक्षण, परामर्श और लाभधारकों की तरफ से विपणन के लिए समझौते के वास्ते कर

सकेंगे। योजना के अधीन पहचान किए गए महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिसाब से अधिक से अधिक एक लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा पर शर्त यह होगी कि ये संस्थाएं अनुदान राशि का 25 प्रतिशत तक अपना हिस्सा भी लगायेंगी।

पैतृक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार :- पैतृक सम्पत्ति में बेटे के समान ही बेटी को अधिकार देने वाला कानून 9 दिसम्बर 2005 को सरकारी अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रभावी हो गया। हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 में अनुच्छेद 6 में हिन्दू परिवार की लड़कियों के साथ भेदभाव करते हुए उसकी घोर उपेक्षा की गई है। यह कानून लड़कियों को उसके पैतृक सम्पत्ति में हक से वंचित कर न केवल लैंगिक आधार पर उनसे भेदभाव करता है बल्कि संविधान द्वारा दिए गए समानता के मौलिक अधिकारों से भी वंचित करता है। हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा–6 में संशोधन के माध्यम से जहाँ पैतृक सम्पत्ति और स्वअर्जित सम्पत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार दिया गया है, वहीं एक अन्य संशोधन के द्वारा विवाहित पुत्रियों को भी सम्पत्ति में अधिकार मिलेगा। एक अन्य संशोधन के साथ बेंटों के बच्चों के समान ही पुत्रियों के बच्चों को भी समान दर्जा देने की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण महिलाओं के लिए जागरुकता अभियान :- राष्ट्रीय महिला आयोग ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और जागरुक बनाने के लिए चलो गांव की ओर परियोजना शुरु की है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने 3 फरवरी 2006, को नई दिल्ली में इस परियोजना का उद्घाटन किया। चलो गांव की ओर परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक हर लिहाज से सशक्त और दक्ष बनाना है। इसके तहत कानूनी परामर्श से लेकर शैक्षणिक योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर कमाई के संसाधनों और अवसरों की उन्हें जानकारी दी जायेगी। उन्हें बताया जायेगा कि संविधान में उन्हें क्या अधिकार दिए गए हैं। वे कैसे मुफ्त कानूनी सहायता पा सकती हैं। इसमें महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायतीराज, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद समेत तमाम संस्थानों और संगठनों से सहायता ली जायेगी। यह कार्यक्रम महिलाओं के साथ–साथ पुरुषों के लिए भी होगा।

महिला एवं बाल कल्याण पर यूनीसेफ की रिपोर्ट :- यूनीसेफ द्वारा विश्व भर के बच्चों की स्थिति पर नई दिल्ली में जारी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि महिलाओं के अधिकार सम्पन्न होने से बच्चों के बेहतर विकास की पूरी संभावना बनती है। रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है, वहीं यह स्थिति अधिक बेहतर है। पश्चिम बंगाल के 165 गांवों में जहाँ पंचायतों में महिलायें नेतृत्व प्रदान कर रही थी, विकास की गति में काफी बढ़ोत्तरी हुई। इन गांवों में पेयजल, स्वास्थ्य एवं यातायात जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में अधिक ध्यान दिया गया। सम्बन्धित गांवों में बच्चों के विद्यालय जाने में लिंगानुपात में 13 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। लड़कियों को स्कूल भेजने के पूरे प्रयास हुये। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में भी महिलाओं को निर्णय का अधिकार मिलने से बच्चों पर आधा असर देखने को मिला है। हालाकि रिपोर्ट में भारत में तेजी से घट रहे लिंगानुपात पर चिंता प्रकट की गयी है।

बाल विवाह बना अधिक गंभीर अपराध :- देश में बाल विवाह की कुरीति पर पाबंदी लगाने वाले बाल विवाह निवारण निधेयक को 14 दिसम्बर 2006 को राज्य सभा ने अपनी मंजूरी दे दी। इस विधेयक में विवाह से जुड़े किसी पक्ष की शिकायत पर बाल विवाह को अमान्य घोषित करने और इस प्रथा का शिकार बनी लड़कियों को समुचित भरण–पोषण व संरक्षण देने का प्रावधान है। बाल विवाह की शिकार लड़की या महिला अगर अपने विवाह से असंतुष्ट है तो वह इस बारे में शिकायत कर सकती है और ऐसे में उसका विवाह रदद् माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में ससुराल वालों को महिला का दहेज व अन्य सामान और धनराशि लौटानी होगी और तब तक उसकी पूरी आर्थिक मदद व देखभाल करनी होगी जब तक की महिला दूसरा विवाह नहीं कर लेती। विधेयक में वर–वधू के मां–बाप सहित शादी कराने वाले पंड़ित, मौलवी दोनों को दो–दो साल की सजा और एक–एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधन किया गया है। इसके अलावा शादी में शामिल रिश्तेदारों को भी सजा के दायरे में रखा गया है। भारत सरकार के अनुसार इस विधेयक में बाल–विवाह से जन्में बच्चों की देखभाल और भरण–पोषण का भी प्रावधान है। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा बाल–

विवाह निवारण अधिकारियों की नियुक्ति किये जाने और राज्य सरकारों को कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये नियम बनाने का अधिकार देने का भी प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि मध्यकाल में राजा–महाराजाओं और विदेशी आक्रांताओं की बुरी नजर और वासना से बचने के लिये पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी बुराइयां बनी थीं। 1938 में बाल विवाह रोकने के लिये पहली बार कानून बनाया गया था। इस कानून के परिणाम सकारात्मक रहे। अब इस संशोधित विधेयक में बाल विवाह को और गंभीर अपराध बना दिया गया है।

महिला सशक्तिकरण के अग्रणी प्रयासों के संदर्भ

क्र.स	वर्ष	देश का नाम	घटना का विवरण
1.	1611	संयुक्त राज्य अमेरिका	मैन्साच्युसेट्स राज्य में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
2.	1780	संयुक्त राज्य अमेरिका	मैन्साच्युसेट्स राज्य में महिलाओं को वोट देने का अधिकार वापस लिया गया है।
3.	1788	फ्रांस	फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ कांडसैट ने महिलाओं को शिक्षा नौकरी प्रदान करने तथा राजनीति में भाग लेने की मांग की थी।
4.	1840	संयुक्त राज्य अमेरिका	लुकीशिया ने ईक्वल राइट एसोशियेसन अर्थात् समान अधिकार संगठन की स्थापना करके अन्य महिलाओं की भांति नीग्रो महिलाओं के समान अधिकारों की जोरदार मांग की थी।
5.	1857	संयुक्त राज्य अमेरिका	8 मार्च 1857 को न्यूयार्क के सिलाई उद्योग और वस्त्र उद्योग में कार्यरत महिलाओं ने पुरुषों के समान वेतन एवं 10 घण्टे के कार्य दिवस के निर्धारण हेतु हड़ताल की थी। इसी दिवस को विश्व

			भर में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।
6.	1856	सोवियत संघ	सेंट पीटर्सबर्ग में महिला मुक्ति आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था।
7.	1859	संयुक्त राज्य अमेरिका	अमेरिका में राष्ट्रीय महिला मताधिकार संगठन की स्थापना की गयी।
8.	1982	फ्रांस	फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगों के संरक्षण में महिला अधिकार संगठन की स्थापना की गयी।
9.	1893	न्यूजीलैंड	यहाँ महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया।
10	1904	संयुक्त राज्य अमेरिका	अमेरिका में "इंटरनेशनल वीमेन्स राइट एलाइन्स" अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार समिति की स्थापना की गयी।
11	1906	फिनलैण्ड	यहाँ पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
12	1908	ब्रिटेन	वीमेन्स फ्रीडम लीग अर्थात् महिला मुक्ति संगठन की ब्रिटेन में स्थापना हुयी।
13	1911	जापान	जापान में पहला महिला मुक्ति आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।
14	1912	चीन	महिलाओं के मताधिकार की मांग को लेकर नानकिंग में कई महिला संगठनों की जोरदार बहस हुई।
15	1913	नार्वे	यहाँ महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार दिया गया।
16	1913	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया में पहली बार महिला दिवस मनाया गया।

17.	1913	स्विटजरलैंड		यहाँ पहली बार महिला दिवस मनाया जा सका।
18.	1913	डेनमार्क		डेनमार्क में प्रथम बार महिला दिवस मनाया गया।
19.	1936	फ्रांस	(i)	महिलाओं को पहली बार फ्रांस में मताधिकार दिया गया।
			(ii)	नोबल पुरस्कार से सम्मानित मैडम क्यूरी सहित तीन महिलायें पहली बार फ्रांस में मंत्री बनीं।
20.	1945	इटली		महिलाओं को इटली में मताधिकार दिया गया।
21.	1951	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर		अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन दिलाने हेतु समान श्रम के लिए समान वेतन सम्बन्धी नियम पारित किया।
22.	1952	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर		संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भारी बहुमत से महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों का नियम पारित किया।
23.	1957	ट्यूनीशिया		यहाँ स्त्री पुरुष समानता का कानून पास किया गया।
24.	1959	श्रीलंका		श्रीलंका में विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती भंडारनायके चुनी गयीं।
25.	1968	ईरान		यहाँ महिलाओं को अपने पति की आज्ञा के बिना नौकरी करने का अधिकार प्रदान किया गया।
26.	1975	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर		पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया।
27.	1975	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर		मैक्सिको में पहला अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया।
28.	1985	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर		कोपेनहेगन में दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ।

29.	1990	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	नैरोबी में तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ।
30.	1993	रूस	"वीमेन आफ एशिया" नामक राजनैतिक आन्दोलन की नींव रखी गयी और इस आन्दोलन की 21 सदस्य महिलाएं संसदीय चुनाव में विजयी हुयीं।
31.	1993	भारत	महिलाओं की सेना के साथ–साथ नौसेना और वायुसेना में भी नियुक्तियाँ की गयीं।
32.	1995	चीन	"बीजिंग" में चौथा अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया।
33.	1997	ईरान	पहली बार महिला न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ दी गयीं।
34.	2000	ओमान	महिलाओं को पहली बार टैक्सियाँ चलाने तक की इजाजत दी गयी।
35.	2000	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	22 दिसम्बर 2000 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू इस व्यवस्था में दुनिया भर की महिलाओं को अपने देश की न्याय व्यवस्था से न्याय नहीं मिलने पर सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत का अधिकार प्राप्त हुआ।
36.	2001	भारत	सरकार द्वारा कराये जाने वाले वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत पहली बार "जेण्डर इश्यू" विषय पर देश में महिलाओं के स्तर सम्बन्धी विस्तृत विवरण तैयार कराया गया।

राजनैतिक सशक्तिकरण हेतु "महिला आरक्षण विधेयक (प्रस्तावित) को पास करने का प्रयास" :- केन्द्र सरकार द्वारा संसद तथा विधान मण्डलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 1998 एवं 1999 में प्रस्तावित इस विधेयक को पास कराने हेतु सभी राजनैतिक पार्टियों में आम राय बनाने की कोशिश की गयी तथा इसको पास कराने का भरसक प्रयास किया गया। यद्यपि यह विधेयक कुछ राजनैतिक पार्टियों के द्वारा विभिन्न वर्गों और जातियों की महिलाओं के लिये अलग–अलग आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए विरोध प्रदर्शन के कारण पास नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अप्रैल 1993 में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर सदस्यों और अध्यक्षों के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने हेतु 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन से देश के सभी प्रान्तों में ग्रामीण और शहरी पंचायतों के सभी स्तरों पर महिला जनप्रतिनिधियों के रूप में लगभग कई लाख महिला अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।

इस प्रकार की व्यवस्था "महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से संसद और राज्य विधानमण्डलों में प्रस्तावित की गयी है। इस बहुचर्चित विधेयक के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :–

(i) संविधान के अनुच्छेद 33 के खण्ड (1) में लोगसभा में महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित होगें।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 330 के खण्ड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के जहाँ तक संभव हो, एक तिहाई स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

(iii) किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र में लोकसभा के लिये प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के, जहाँ तक संभव हो, एक तिहाई स्थान जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, महिलाओं के लिये आरक्षित रहेगें और ऐसे स्थान उस राज्य या संघ राज्य

क्षेत्र में भिन्न–भिन्न चुनाव क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किये जा सकेंगे।

(iv) जहाँ ऐसे नाम निर्देशक लोकसभा के लिये तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लाक के सम्बन्ध में किये जाते हैं, वहाँ एक स्थान प्रथम, दो साधारण निर्वाचनों के पश्चात गठित की जाने वाली प्रत्येक लोकसभा के लिए एंग्लो–इडियन समुदाय की महिला के नाम निर्देशन के लिए आरक्षित रहेगा और तीसरे साधारण निर्वाचन के पश्चात गठित की जाने वाली लोकसभा में उस समुदाय की महिला के लिये कोई स्थान आरक्षित नहीं रहेगा।

(v) संविधान के अनुच्छेद 332 क (1) प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित रहेंगे।

(vi) इस अधिनियम द्वारा संविधान में किये गये संशोधनों से लोकसभा, किसी राज्य की विधानसभा या दिल्ली की विधानसभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान (यथास्थिति) लोकसभा, किसी राज्य की विधानसभा या दिल्ली की विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है।

संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण हेतु प्रस्तावित / पास कराये गये विधेयकः– महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु या तो पूर्व में अनेक व्यवस्थाओं और अधिनियमों को लागू किया जाता रहा है, जैसे संविधान के अनुच्छेद 14,15,17,19,23 और 39 में राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जीविका, कानून आदि के आधार पर अवसरों की समानता की गारंटी तथा जबरन काम करवाने आदि को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया गया है। इसी प्रकार कुछ विशेष कानूनों जैसे :–

(i) बागान श्रम अधिनियम (1951)

(ii) खान अधिनियम (1952)

(iii) बीडी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम (1966)

(iv) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961)

(v) दहेज निषेध अधिनियम (1961)

(vi) दहेज निषेध अधिनियम संशोधन (1986)

(vii) टेका श्रम अधिनियम (1970)

(viii) समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)

(ix) बाल विवाह निषेध अधिनियम (1980)

(x) सती निषेध अधिनियम (1987)

(xi) प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (1974)

आदि उन्हें विशेष सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के प्रयास किये गये हैं। इनके अतिरिक्त भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम (2001) को इसी वर्ष पास कराया गया है। इस प्रकार के और भी कई अधिनियमों/विधेयकों को सरकार द्वारा इस वर्ष पारित कराने का प्रयास किया गया। यद्यपि इनकों अभी पास नहीं कराया जा सका है, लेकिन आशा है कि ये तीनों विधेयक शीघ्र ही पास कराये जा सकेंगे। इस वर्ष पास कराये गये भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम (2001) तथा अन्य तीनों प्रस्तावित विधेयकों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैं :–

(i) **(पारित) "भारतीय तलाक (संशोधन)," 2001 :–** तलाक के मामले में ईसाई समाज में पुरुषों के समान ही महिलाओं को अधिकार दिये जाने का प्रावधान करने सम्बन्धी भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से 132 वर्ष पुराने "भारतीय तलाक अधिनियम 1869" में (संशोधन) करके इसकी धारा 10, 17 और 20 में महिलाओं और पुरुषों दोनों के मामलें में एकरूपता ला दी गयी है। इस प्रकार अब तलाक के मामले में ईसाई पुरुषों की तुलना में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विसगंतियों को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अब ईसाई महिलाओं को तलाक के मामले में व्यापक अधिकार मिल गया हैं जिसकी मांग उनके द्वारा काफी अरसे से की जा रही थी।

(ii) **(पारित) महिलाओं पर घरेलू हिंसा (निरोधक) अधिनियम, 2005 :–** घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु संसद द्वारा पारित घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति ने सितम्बर 2005 में स्वीकृति दे दी। यह अधिनियम महिलाओं को

शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार से बचाने का प्रयास करेगा। इस अधिनियम में ऐसी महिलाओं के संरक्षण की भी व्यवस्था है, जो विधवा हो चुकी है या अकेले रहने को मजबूर हैं। अधिनियम में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिए गए हैं कि महिला को घरेलू हिंसा मानवीय अधिकारों का मुद्दा है और विकास के लिए बाधक है। 1994 के वियना समझौता और बीजिंग घोषणा कार्यवाही मंच 1995 ने भी इसे स्वीकार किया है।

(iii) **(प्रस्तावित) "परित्यक्ताओं के लिये गुजारा भत्ता (संशोधन) अधिनियम बिल 2001" :-** परित्यक्ता महिला के लिये उसके पति से जल्दी गुजारा भत्ता दिलाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। विधेयक में प्रावधान है कि गुजारा भत्ते की सारी अर्जियों पर अदालतें 60 दिनों के भीतर आदेश पारित करेंगी। इसमें विवाह कानूनों में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है। पति से अलग रहने वाली महिला को वर्तमान कानून के अनुसार अधिकतम राशि 500 रूपये निर्धारित है, जो अब से 45 वर्ष पूर्व तय की गयी थी। यह राशि भी लम्बी अदालती लड़ाई के बाद ही उन्हें मिल पाती है। इस प्रस्तावित संशोधन के बाद अदालतें पति की वास्तवित आय के आधार पर पत्नी और बच्चों के लिये गुजारे भत्ते की रकम तय करने के लिये स्वतंन्त्र होंगी।

नए कानून से महिलाओं को समय पर और समुचित मात्रा में गुजारा भत्ता मिल सकेगा। अन्तरिम आवेदन पर प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर अदालतें फैसला सुनाने के लिये बाध्य होंगी और इससे अब पति मुकदमें की सुनवाई बार–बार टलवा नहीं सकेगा। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने के लिये विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू व पारसी विवाह और तलाक अधिनियम में संशोधन भी किया जायेगा।

(iv) **(प्रस्तावित) "बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक 2001" :-** केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह विधेयक महिला सशक्तिकरण वर्ष में संसद में पेश किया गया है। इस विधेयक में बालिकाओं के लिये शिक्षा को विशेष रूप से अनिवार्य बनाने तथा उनके कल्याण और विकास के लिये आवश्यक व्यवस्थायें निर्धारित करने के लिये मानदण्ड प्रस्तावित किये गये हैं। इस विधेयक के पास हो जाने से बालिकाओं को

विकास के पर्याप्त अवसर कानूनी रूप से प्राप्त होने की सम्भावनायें हैं।

(v) **अन्य विधिक प्रयास**

भ्रूण हत्या रोकने हेतु कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास :- यद्यपि ''प्रसव'' पूर्व परीक्षण तकनीक (पी0एन0डी0टी0) अधिनियम, 1994 देश में 1 जनवरी, 1996 से लागू है जिसके अन्तर्गत अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त गर्भावस्था में भ्रूण के लिंग का पता लगाना गैर कानूनी घोषित किया गया है। इस तकनीक के दुरुपयोग करने पर 10 से 15 हजार रूपये तक जुर्माना तथा 3 से 5 वर्ष की सजा की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। इस अधिनियम का भलीभांति क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण देश में मादा–भ्रूण हत्याओं की लगातार तेजी से हो रही वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त करते हुये जून 2001 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, जिसके बाद से इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने हेतु सरकार द्वारा विशेष कदम उठाये गये हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में दो ''उप समितियों'' तथा 'एक सेल' को गठित किया है। इनमें से उप समितियों का मुख्य कार्य मादा भ्रूण हत्याओं के विरुद्ध जनजागरण करना, मौजूदा अधिनियम में उल्लिखित धाराओं का अध्ययन कर उसमें अपेक्षित संशोधन का सुझाव देना अथवा अधिनियम को दुरुस्त बनाकर उसे लागू कराना है। विशेष सेल के अन्तर्गत इससे सम्बन्धित विशेष परियोजनायें हाथ में ली जायेंगी और उनका क्रियान्वयन किया जायेगा।

महिला शक्ति पुरस्कारों की घोषणा :- यद्यपि महिलाओं और महिला संगठनों/ संस्थाओं को जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट स्तर का योगदान किया है, को केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष ''श्री शक्ति पुरस्कार'' से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि उनके उत्कृष्ट कृत्यों की समाज में जानकारी हो सके और उन्हें पहचान मिल सके। इन पुरस्कारों को देश की 5 शीर्ष स्तरीय वीरांगनाओं के नाम पर रखा गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं :–

(a) देवी अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार

(b) रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार

(c) माता जीजाबाई पुरस्कार

(d) रानी गैदन्लियू जेलियांग पुरस्कार

(e) कन्नाणी पुरस्कार

वर्ष 2001 से उपरोक्त पाँचो पुरस्कारों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उठाये गये अतिरिक्त कदम :-

(i) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में महिलाओं के लिये उनके कार्य स्थान पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समिति का गठन।

(ii) महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन तथा इन समितियों के भली–भांति कार्य निष्पादन हेतु मार्ग निर्देशों का जारी किया जाना।

(iii) महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन हेतु "महिला आर्थिक कार्यक्रम" (नौराड) द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए कई "नयी परियोजनाओं" को स्वीकृति प्रदत्त।

(iv) गरीब तबके की महिलाओं को कृषि, पशुपालन, डेयरी, हैण्डलूम, हस्तशिल्प इत्यादि क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ प्रारम्भ करने हेतु प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 12 नयी परियोजनाएँ "स्टैप कार्यक्रम" के अन्तर्गत इस वर्ष स्वीकृत की गयी।

(v) वर्ष 2001 में पहली बार विभिन्न राज्यों तथा जिलों के "हेडर डपलपमंट इन्डेन्स" तैयार करने हेतु कदम उठाये गयें। इनके निर्माण से महिलाओं के लिये क्षेत्र आधारित जरूरी विकास योजनाओं के तैयार करने हेतु मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

(vi) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में देश के विभिन्न भागों में कार्यरत महिलाओं के लिये 29 महिला छात्रावासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन छात्रावासों में "डे केयर" सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जायेंगी। इनके निर्माण से 61, 564 महिलाओं को आवश्यक आवासीय सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी।

(vii) महिलाओं के लिये देश में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की व्यापक समीक्षा हेतु "टास्क फोर्स" का गठन किया गया ताकि उनको अधिक व्यावहारिक और उपयोगी बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा सकें।

उपर्युक्त सामाजिक विधानों, अधिनियमों, कानूनों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

(i) सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829

(ii) हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856

(iii) बाल–विवाह निरोधक अधिनियम, 1929

(iv) हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1937

(v) अलग रहने और भरण–पोषण हेतु स्त्रियों का अधिनियम, 1946

(vi) शरीयत अधिनियम 1937

(vii) मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939

(viii) मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन आफ राइटस आन डाइवोर्स) एक्ट, 1986

(ix) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

(x) अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955

(xi) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

(xii) हिन्दू नाबालिक तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956

(xiii) हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956

(xiv) स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956

(xv) दहेज निरोध अधिनियम, 1961

(xvi) महिला कल्याण हेतु राज्यों द्वारा चालू की गई योजनाएँ :–

(a) कामधेनु योजना

(b) किशोरी बालिका योजना

(c) स्वस्थ सखी योजना

(d) सैनेट्री मार्ट योजना

(e) अपनी बेटी अपना धन योजना

(f) देवी रूपक योजना

(g) बालिक संरक्षण योजना

(h) पंचधारा योजना

(i) वात्सल्य योजना

(j) आयुष्मति योजना

(k) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

(l) कल्पवृक्ष योजना

(m) ग्रामीण इंजीनियर योजना

(xvii) सर्वांगीण विकास हेतु महिला उत्थान नीति, 2001.

(xviii) आर्थिक सशक्तिकरण हेतु नयी योजनाओं की घोषणा :–

(a) महिला स्वयंसिद्धा योजना

(b) महिला स्वाधार योजना

(c) महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना

(d) स्वशक्ति योजना

(e) किशोरी शक्ति योजना

(f) बालिका समृद्धि योजना

(g) जननी सुरक्षा योजना

(h) राष्ट्रीय महिला आयोग

(i) राष्ट्रीय महिला कोष

(xix) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था

(xx) पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं को समान अधिकार, 2005

(xxi) ग्रामीण महिलाओं के लिए जागरुकता अभियान

(xxii) बाल विवाह बना गंभीर अपराध विधेयक, 2006

(xxiii) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

(xxiv) प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994

(xxv) भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम, 2001

(xxvi) घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम, 2005

(xxvii)परित्यक्ताओं के लिए गुजारा भत्ता संशोधन अधिनियम बिल, 2001

(xxviii)दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, (पूर्व 1898)

(xxix) भारतीय दंड संहिता, 1860

(xxx) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

उपर्युक्त सामाजिक विधानों एवं अधिनियमों का परिवार एवं विवाह पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इनके कुछ प्रभाव निम्नवत् हैं :–

(i) परिवार में स्त्री व पुरुषों को सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त हुए।

(ii) पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी तलाक के अधिकार मिले।

(iii) नाबालिक बच्चों को संरक्षण प्राप्त हुआ और अब मां भी संरक्षक बन सकती है।

(iv) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों को पृथक रहने पर भी भरण–पोषण के अधिकार प्राप्त हुए।

(v) स्त्रियों को भी गोद लेने का अधिकार प्राप्त हुआ।

(vi) विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति मिली।

(vii) बहुपत्नी विवाह की समाप्ति हुई।

(viii) बाल–विवाह की समाप्ति हुई।

(ix) दहेज की सम्पत्ति पर स्त्रियों को अधिकार प्राप्त हुए।

(x) उपर्युक्त सभी सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के कारण परिवार में स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हुए, इससे स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और पुरूषों का एकाधिकार समाप्त हुआ।

(xi) स्त्रियों को नवीन प्राप्त अधिकारों के कारण उनमें व्यक्तिवादिता की भावना पनपी, वे संयुक्त परिवार से पृथक रहने पर जोर देने लगीं। इससे संयुक्त परिवार की विघटन की प्रक्रिया तीव्र हुई।

(xii) स्त्रियों की शिक्षा एवं जागृति में वृद्धि हुई, अतः वे धार्मिक रूढ़ियों का विरोध करने

लगीं। वे सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समकक्ष कार्य करने लगीं और स्त्रियों के मानसिक क्षितिज का विस्तार हुआ है।

भारतीय संदर्भ में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु पारित सामाजिक विधान, अधिनियम ज्यादा सफल नहीं रहे। इसके अनेक कारक हैं –

(i) सामाजिक कानूनों के पालन के प्रति स्वयं शासन भी उदासीन रहा है।

(ii) कानूनों का जनसाधारण को ज्ञान न होने के कारण उनका सहयोग नहीं मिल सका।

(iii) धार्मिक विश्वासों एवं रूढ़ियों ने भी इनके पालन में बाधा उपस्थित की।

(iv) देश की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित होने के कारण तार्किकता के स्थान पर रूढ़ियों का ही अधिक पालन करती हैं।

(v) भारत में स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं, अतः वे पुरुषों के विरुद्ध अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकी हैं।

(vi) कठोर जातीय नियमों ने भी व्यक्ति को जाति सम्बन्धी अस्पृश्पयता और अन्तर्विवाह के नियमों की अवहेलना नहीं करने दी है।

(vii) निर्धनता के कारण भी कई व्यक्ति इच्छुक होने पर भी नवीन विधानों का प्रयोग करने में असफल रहे हैं।

सामाजिक विधानों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि –

(i) उनके पक्ष में जन जागृति पैदा की जाय और जनमत का निर्माण किया जाए।

(ii) सामाजिक विधान लागू करने के लिये सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सहयोग प्राप्त किया जाए।

(iii) सरकार ऐसे सेवा केन्द्रों की स्थापना करे जहाँ लोगों को उनके वैधिक अधिकारों एंव कर्तव्यों के प्रति सलाह दी जा सकें।

(vi) शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए।

(v) कानूनी कमियों को संशोधनों द्वारा दूर किया जाए।

(vi) ग्रामीणों को नवीन साधनों का ज्ञान कराया जाए और उन्हें कानूनी सलाह एवं सहायता मुफ्त उपलब्ध करायी जाए।

अध्याय चतुर्थ

परित्यक्ता महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि

अध्याय चतुर्थ
परित्यक्ता महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि

समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है। जब असंख्य सामाजिक सम्बन्धों का जाल अनेक रीतियों एवं मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे समाज कहते हैं। समाज की मूल इकाई व्यक्ति है। एक व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और विवाह करने के पश्चात एक नया परिवार बसाता है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पाया जाता रहा है। चाहे इस स्वरूप भिन्न–भिन्न क्यों न रहा हो। एक सामाजिक इकाई एवं समूह के रूप में परिवार अनेक प्रकार्य करता है। शारीरिक आवश्यकताओं से ही इसका जन्म होता है। परिवार में ही गर्भवती माताओं एवं छोटे शिशुओं की सुरक्षा व देखभाल होती है। परिवार ही काम की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर यौन–सम्बन्ध और संतानोत्पत्ति की क्रियाओं का नियमन करता है और भावानात्मक घनिष्ठता का वातावरण पैदा करता है। स्त्री–पुरुष का यौन आकर्षण जब विवाह के रूप में समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह स्वतः ही परिवार में परिवर्तित हो जाता है। विवाह से एक नया परिवार अस्तित्व में आता है। परिवार और विवाह सार्वभौमिक संस्थाएँ हैं और इनके द्वारा ही समाज अपने सदस्यों के यौन व्यवहारों का नियंत्रण करता है। परिवार की स्थापना द्वारा यौन–तृप्ति समाज द्वारा स्वीकार विधि है। Bohannan के अनुसार परिवार लगभग सभी स्थानों पर यौन क्रियाओं के नियमन और समाज के नए सदस्यों की भर्ती के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार परिवार ही नए सदस्यों को जन्म देकर समाज की निरन्तरता बनाए रखता है। परिवार ही मृत्यु या अमरत्व दो विरोधी अवस्थाओं का सुन्दर समन्वय है, जिसमें एक तरफ मनुष्य को मरने का दुःख है तो दूसरी तरफ उसे यह भी सुख है कि नई पीढ़ी उसी का रूप होगी।

MacIver and Page ने परिवार को परिभाषति करते हुए लिखा है कि "परिवार पर्याप्त निश्चित यौन सम्बन्धों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और लालन–पालन की व्यवस्था करता है।"[1]

---

1. MacIver, R.M. and C.H. Page ;Society, P. 238.

G.P. Murdock के अनुसार "परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन हैं।"[1]

Dr. S.C. Dube के अनुसार "परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती हैं, उनमें से कम से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन सम्बन्धों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न सन्तानें मिलकर परिवार का निर्माण करती हैं।"[2]

Lucy Mayer के अनुसार "परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता–पिता और सन्तान साथ–साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दम्पति और उसकी सन्तानें रहती हैं।"[3]

संक्षेप में हम परिवार को जैवकीय सम्बन्धों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें माता–पिता और बच्चे होते हैं तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन सन्तुष्टि और प्रजनन, समाजीकरण और शिक्षा आदि की सुविधाएँ जुटाना है।

विवाह :– मानव की विभिन्न प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं में यौन सन्तुष्टि एक आधारभूत आवश्यकता है। मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी यौन–इच्छज्ञओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उनमें केवल इसका दैहिक आधार है। मानव में यौन–इच्छाओं की पूर्ति का आधार अंशतः दैहिक, अंशतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक है। यौन–इच्छाओं की सन्तुष्टि ने ही विवाह, परिवार तथा नातेदारी संस्थाओं को जन्म दिया है। परिवार के बाहर यौन सन्तुष्टि सम्भव है किन्तु समाज ऐसे सम्बन्धों को अनुचित मानता है। यौन–इच्छाओं की पूर्ति स्वस्थ जीवन एवं सामान्य रूप से जीवित रहने के लिए भी आवश्यक मानी गयी है। इसके अभाव में कई मनोविकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। यौन इच्छा की पूर्ति किस प्रकार की जाय, यह समाज और संस्कृति द्वारा निश्चित होता है।

विवाह का शाब्दिक अर्थ है 'उद्वह' अर्थात् वधू को वर के घर ले जाना।[4] विवाह को परिभाषित करते हुए Lucy Mayer ने लिखा है "विवाह स्त्री–पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता–पिता की वैध सन्तान माना जाए।"[5]

---

1. Murdock, G.P. Social Structure, P. 1.
2. डॉ0 दुबे, एस0सी0; मानव और संस्कृति, पृ0 101 ।
3. मेयर, लूसी; सामाजिक नृ–विज्ञान की भूमिका, हिन्दी अनुवाद, पृ0 89 ।
4. मनुस्मृति, 3/20।

W.H.R.Rivers के अनुसार "जिन साधनों द्वारा मानव यौन सम्बन्ध का नियमन करता हैं। उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है।"[1]

E.A. Westermark के अनुसार "विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता हैं।"[2]

E.S. Bogardus के अनुसार "विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था हैं।"[3]

Dr. D.N. Majumdar and T.N. Madan ने लिखा है कि "विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो विषम लिंगियों को यौन–क्रिया और उससे सम्बन्धित सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है।"[4]

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विवाह दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। स्त्री–पुरुषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सहयोगी बनाना, संतानोत्पत्ति करना तथा उनका लालन–पालन एवं समाजीकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य हैं।

परिवार एवं विवाह के विभिन्न पहलुओं को हमने इस अध्याय में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। विभिन्न सारणियों द्वारा परिवार एवं विवाह की विभिन्न समस्याओं एवं उनके बदलते प्रतिमानों को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

---

1. रिवर्स, डब्ल्यू0एच0आर0; सामाजिक संगठन, हिन्दी अनुवाद, पृ0 29 ।
1. Westermark, E.A; The History of Human Marriage, Vol. I, P. 26.
3. Bogards, E.S; Sociology, P. 75.
4. Dr. Majumdar, D.N. and Madan, T.N; An Introduction to Social Anthropology, P. 79.

सारणी संख्या 4.1

उत्तरदाताओं की आयु सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	आयुवर्ग	संख्या	प्रतिशत
1.	15–20	20	6.67
2.	20–25	69	23.00
3.	25–30	101	33.67
4.	30–35	61	20.33
5.	35–40	33	11
6.	40–45	09	3.00
7.	45 से ऊपर	07	2.33
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.1 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि चयनित उत्तरदाता किस आयुवर्ग के हैं। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 20 (6.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जो 15–20 आयुवर्ग के हैं। 20–25 आयुवर्ग के जो उत्तरदाता मिले उनकी संख्या 69 (23 प्रतिशत) है। 25–30 आयुवर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 101 (33.67 प्रतिशत) है। 30–35 आयुवर्ग के जो उत्तरदाता मिले उनकी 61(20.33 प्रतिशत) है। 35–40 आयुवर्ग के जो उत्तरदाता प्राप्त हुए उनकी संख्या 33 (11 प्रतिशत) है। 40–45 आयुवर्ग के जो उत्तरदाता मिले उनकी संख्या 9 (3 प्रतिशत) है। 45 के ऊपर के जो उत्तरदाता मिले उनकी संख्या 07 (2.33 प्रतिशत) है।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनकी आयु 25–30 के मध्य है। दूसरे स्थान पर ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या जिनकी आयु 20–25 के बीच है। इस सारणी से यह पता चलता है कि अधिकतर परित्यक्त महिलाएं नयी पीढ़ी की है। नई पीढ़ी के लिए आज विवाह संस्कार न रहकर एक समझौते का

रूप लेता जा रहा है। दूसरी ओर भौतिकवादी प्रवृत्ति ने भी अनेक समस्याएं उत्पन्न की है जिससे परिवार एवं विवाह जल्दी विघटित होते जा रहे हैं।

सारणी संख्या 4.2

उत्तरदाताओं की जाति सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	जाति	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	110	36.67
2.	पिछड़ी जाति	142	47.33
3.	अनुसूचित जाति	42	14.00
4.	अन्य	06	02.00
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.2 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि कुल 300 उत्तरदाताओं में से किस–किस जाति के उत्तरदाता सम्मिलित है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से सामान्य जाति के 110 (36.67 प्रतिशत) उत्तरदाता प्राप्त हुए। पिछड़ी जाति के 142 (47.33 प्रतिशत) मिले। अनुसूचित जाति के 42 (14 प्रतिशत) उत्तरदाता मिले। अन्य जाति के उत्तरदाताओं की संख्या 6 (2 प्रतिशत) रही। यहां पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि अन्य जाति से हमारा तात्पर्य विमुक्त जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से है। विकास की प्रक्रिया के दौरान तमाम विमुक्त जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ भी मुख्य धारा से जुड़ रही है। इसलिए ये सदस्य भी विभिन्न मामलों के निपटारे के लिये न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। इसलिए हमने अपने अध्ययन में कुछ सदस्य इन समूहों से भी लिये हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता पिछड़ी जाति के हैं।

सारणी संख्या 4.3

उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	शैक्षिक योग्यता	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	02	00.67
2.	प्राइमरी	07	02.33
3.	जूनियर हाईस्कूल	16	05.33
4.	हाईस्कूल	50	16.67
5.	इण्टरमीडिएट	75	25.00
6.	स्नातक	70	23.33
7.	परास्नातक	62	20.67
8.	अन्य	18	06.00
	योग	300	100.00

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.3 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता कितनी है। 300 उत्तरदाताओं में से 2 (.67 प्रतिशत) ऐसे उत्तरदाता मिले जो अशिक्षित हैं। प्राइमरी तक जो शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं उनकी संख्या 7 (2.33 प्रतिशत) हैं। जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 16 (5.33 प्रतिशत) है। हाईस्कूल तक पढ़े उत्तरदाताओं की संख्या 50 (16.67 प्रतिशत) प्राप्त हुई। इण्टरमीडिएट तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 75 (25.00 प्रतिशत) मिली। स्नातक तक जिन उत्तरदाताओं की योग्यता है उनकी संख्या 70 (23.33 प्रतिशत) प्राप्त हुई। परास्नातक तक पढ़े उत्तरदाताओं की संख्या 62 (20.67 प्रतिशत) मिली। अन्य प्रकार की प्राविधिक शिक्षा ग्रहण किए हुए उत्तरदाताओं की संख्या 18 (6.00 प्रतिशत) प्राप्त हुई।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं।

सारणी संख्या 4.4

उत्तरदाताओं के पति की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	शैक्षिक योग्यता	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	07	02.33
2.	प्राइमरी	30	10.00
3.	जूनियर हाईस्कूल	42	14.00
4.	हाईस्कूल	50	16.67
5.	इण्टरमीडिएट	74	24.67
6.	स्नातक	64	21.33
7.	परास्नातक	24	08.67
8.	अन्य	07	02.33
	योग	300	100.00

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.4 के माध्यम से उत्तरदाताओं के पति की शैक्षिक योग्यता को जानने का प्रयास किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 7(2.33 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनके पति अशिक्षित थे। 30 (10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पति की योग्यता प्राइमरी तक की है। 42 (14 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनके पति की योग्यता जूनियर हाईस्कूल तक की है। 50 (16.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनके पति की योग्यता हाईस्कूल तक की है। 74 (24.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनके पति की योग्यता इण्टरमीडिएट तक की है। 64 (21.33 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनके पति की योग्यता स्नातक तक की है। 24 (8.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनके पति परास्नातक तक शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। अन्य उत्तरदाताओं की संख्या 7 (2.33) प्रतिशत है जिनके पति विभिन्न प्राविधिक शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक हैं जिनके पति इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं।

सारणी संख्या 4.5

उत्तरदाताओं की जाति एवं आयु में सम्बन्ध

क्र.स.	जाति / आयुवर्ग (वर्ष में)	सामान्य जाति		पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15—20	06	30.00	09	04.50	04	20.00	01	05.00	20	100
2.	20—25	28	40.58	36	52.17	04	05.80	01	01.45	69	100
3.	25—30	41	40.59	48	47.53	11	10.89	01	00.99	101	100
4.	30—35	20	32.79	27	44.26	13	21.31	01	01.64	61	100
5.	35—40	10	30.30	13	39.40	09	27.27	01	03.03	33	100
6.	40—45	04	44.45	04	44.45	01	11.11	—	—	09	100
7.	45 से अधिक	01	14.29	05	71.42	00	00.00	01	14.29	07	100
	योग	110	36.67	142	47.33	42	14.00	06	02.00	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.5 के माध्यम से उत्तरदाताओं की जाति एवं आयुवर्ग में सम्बन्ध को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 15–20 आयुवर्ग के 20 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 6 (30 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 9 (45 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 4 (20 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 1 (5 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता शामिल हैं। 20–25 आयुवर्ग के 69 उत्तरदाता मिले जिनमें 28 (40.58 प्रतिशत) सामान्य जाति, 36 (52.17 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 4 (20 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 1 (1.45 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता के शामिल है। 25–30 आयुवर्ग के 101 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 41 (40.59 प्रतिशत) सामान्य जाति, 48 (47.53 प्रतिशत) पिछड़ी जाति, 11 (10.89 प्रतिशत) अनुसूचित जाति 1 (.99 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता शामिल हैं। 30–35 आयुवर्ग के 61 उत्तरदाताओं में से 20 (32.79 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 27 (44.26 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 13 (21.31 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के,1 (1.64 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता शामिल हैं। 35–40 आयुवर्ग के 33 उत्तरदाताओं में से 10 (30.30 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 13 (39.40 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 9 (27.27 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 1 (3.03 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 40–45 आयुवर्ग के 9 उत्तरदाताओं में से सामान्य जाति के 4 (44.45 प्रतिशत), पिछड़ी जाति के 4 (44.45 प्रतिशत), अनुसूचित जाति के 1 (11.11 प्रतिशत) उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 45 से अधिक आयुवर्ग के 7 उत्तरदाता प्राप्त हुए। इन सात उत्तरदाताओं में से 1 (14.29 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 5 (71.42 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के एवं 1 (14.29 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक संख्या पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं की है। इस सारणी से यह भी स्पष्ट है कि 25–30 आयुवर्ग के उत्तरदाता सर्वाधिक है।

सारणी संख्या 4.6

उत्तरदाताओं की जाति एवं शैक्षिक योग्यता का विवरण

क्र.स.	जाति / विवरण	सामान्य जाति		पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	—	—	—	—	01	50.00	01	50.00	02	100
2.	प्राइमरी	01	14.205	01	14.285	03	42.86	02	28.57	07	100
3.	जू0 हाईस्कूल	05	31.25	07	43.75	03	18.75	01	06.25	16	100
4.	हाईस्कूल	21	42.00	19	38.00	06	12.00	04	08.00	50	100
5.	इण्टरमीडिएट	39	52.00	24	32.00	07	09.33	05	06.67	75	100
6.	स्नातक	42	60.00	21	30.00	04	05.72	03	04.28	70	100
7.	परास्नातक	26	41.95	24	38.71	06	09.67	06	09.67	62	100
8.	अन्य	06	33.33	05	27.78	04	22.22	03	16.67	18	100
	योग	110	36.67	142	47.33	42	14.00	06	02	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.6 के माध्यम से उत्तरदाताओं की जाति एवं शैक्षिक योग्यता में सम्बन्ध को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से अशिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 2 प्राप्त हुई जिनमें 1 (50 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 1 (50 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त किए हुए उत्तरादाताओं की संख्या 7 प्राप्त हुई है। इन सात उत्तरदाताओं में से 1 (14.285 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 1 (14.285 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 3 (42.86 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 2 (28.57 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता के शामिल हैं। जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 16 प्राप्त हुई जिनमें 5 (31.25 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 7 (43.75 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 3 (18.75 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 1 (6.25 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता के शामिल हैं। हाईस्कूल तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 50 प्राप्त हुई जिनमें 21 (42 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 19 (38 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 6(12 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 4 (8 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। इण्टरमीडिएट तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 75 प्राप्त हुई जिनमें 39 (52 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 24 (32 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 7(9.33 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 5 (6.67 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। जिन उत्तरदाताओं की योग्यता स्नातक है उनकी संख्या 70 प्राप्त हुई। इन 70 उत्तरदाताओं में से 42 (60 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 21 (30 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 4(5.72 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 3 (4.28 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। जिन उत्तरदाताओं की योग्यता परास्नातक तक है उनकी संख्या 62 प्राप्त हुई। इन 62 उत्तरदाताओं में से 26 (41.95 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 24 (38.71 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 6(9.67 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 6 (9.67 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। अन्य योग्यताधारी 18 उत्तरदाता मिले जिनमें 6 (33. 33 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 5 (27.78प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 4 (22.22 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 3 (16.67 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इण्टरमीडिएट योग्यता वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। इस सारणी के लम्बवत विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद सामान्य जाति के उत्तरदाताओं की संख्या है।

सारणी संख्या 4.7

उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता एवं आयु में सम्बन्ध

क्र. स.	जाति / आयुवर्ग (वर्ष में)	अशिक्षित		प्राइमरी		जू0हा0 स्कूल		हाईस्कूल		इण्टरमीडिएट		स्नातक		परास्नातक		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15—20	—	—	02	10.00	09	45.00	04	20.00	02	10.00	01	05.00	01	05.00	01	05.00	20	100
2.	20—25	—	—	02	02.90	03	04.35	09	13.04	20	28.99	22	31.88	11	15.94	02	02.90	69	100
3.	25—30	—	—	01	00.99	02	01.98	20	19.80	18	17.82	29	28.71	31	30.70	—	—	101	100
4.	30—35	—	—	01	01.64	01	01.64	08	13.11	20	32.79	12	19.67	13	21.31	06	09.84	61	100
5.	35—40	—	—	01	03.03	01	03.03	04	12.12	12	36.37	04	12.12	04	12.12	07	21.21	33	100
6.	40—45	01	11.11	—	—	—	—	03	33.34	02	22.22	01	11.11	01	11.11	01	11.11	09	100
7.	45सेअधिक	01	14.286	—	—	—	—	02	28.57	01	14.286	01	14.286	01	14.286	01	14.286	07	100
	योग	02	.67	07	02.33	16	05.33	50	16.67	75	25	70	23.33	62	20.067	18	06.00	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.7 में उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता एवं आयु में सम्बन्ध को दर्शाया गया है। 15–20 आयुवर्ग के 20 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 2 (10 प्रतिशत) प्राइमरी, 9(45 प्रतिशत) जूनियर हाईस्कूल, 4 (20 प्रतिशत) हाईस्कूल, 2 (10 प्रतिशत) इण्टमीडिएट, 1(5 प्रतिशत) स्नातक, 1 (5 प्रतिशत) परास्नातक एवं 1 (5 प्रतिशत) अन्य प्राविधिक शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। 20–25 आयुवर्ग के 69 उत्तरदाता मिले जिनमें 2 (2.90 प्रतिशत) प्राइमरी, 3(4.35 प्रतिशत) जूनियर हाईस्कूल, 9 (13.04 प्रतिशत) हाईस्कूल, 20 (28.99 प्रतिशत) इण्टमीडिएट, 22(31.88 प्रतिशत) स्नातक, 11 (15.94 प्रतिशत) परास्नातक, 2(2.90 प्रतिशत) अन्य प्रकार की शिक्षा ग्रहण किए हुए उत्तरादाता प्राप्त हुए। 25–30 आयुवर्ग के 101 उत्तरदाता मिले जिनमें 1 (.99 प्रतिशत) प्राइमरी, 2(1.98 प्रतिशत) जूनियर हाईस्कूल, 20 (19.80 प्रतिशत) हाईस्कूल, 18 (17.82 प्रतिशत) इण्टमीडिएट, 29(28.71 प्रतिशत) स्नातक, 31 (30.70 प्रतिशत) परास्नातक तक शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। 30–35 आयुवर्ग के 61 उत्तरदाताओं में से 1 (1.64 प्रतिशत) प्राइमरी, 1(1.64 प्रतिशत) जूनियर हाईस्कूल, 8 (13.11 प्रतिशत) हाईस्कूल, 20 (32.79 प्रतिशत) इण्टमीडिएट, 12(19.67 प्रतिशत) स्नातक, 13 (21.13 प्रतिशत) परास्नातक एवं 6 (9.84 प्रतिशत) अन्य प्रकार की शिक्षा से शिक्षित उत्तरदाता हैं। 35–40 आयुवर्ग के 33 उत्तरदाताओं में से 1 (3.03 प्रतिशत) प्राइमरी, 1(3.03 प्रतिशत) जूनियर हाईस्कूल, 4 (12.12 प्रतिशत) हाईस्कूल, 12 (36.37 प्रतिशत) इण्टमीडिएट, 4(12.12 प्रतिशत) स्नातक, 4 (12.12 प्रतिशत) परास्नातक, 7 (21.21 प्रतिशत) अन्य योग्यताधारी उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 40–45 आयुवर्ग के 9 उत्तरदाताओं मिले जिनमें 1 (11.11 प्रतिशत) अशिक्षित, 3(33.34 प्रतिशत) हाईस्कूल, 2 (22.22 प्रतिशत) इण्टमीडिएट, 1(11.11 प्रतिशत) स्नातक, 1(11.11 प्रतिशत) परास्नातक एवं 1(11.11 प्रतिशत) अन्य योग्यता वाले उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 45 से अधिक आयुवर्ग के 7 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 1 (14.286 प्रतिशत) अशिक्षित, 2(28.57 प्रतिशत) हाईस्कूल, 1 (14.286 प्रतिशत) इण्टमीडिएट, 1 (14.286 प्रतिशत) स्नातक, 1 (14.286 प्रतिशत) परास्नातक एवं 1 (14.286 प्रतिशत) अन्य योग्यता वाले उत्तरदाता सम्मिलित है।

उपर्युक्त सारणी का लम्बवत विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि कुल 300

उत्तरदाताओं में से 2 (.67 प्रतिशत) अशिक्षित, 7(2.33 प्रतिशत) प्राइमरी, 16(5.33 प्रतिशत) जूनियर हाईस्कूल, 50 (16.67 प्रतिशत) हाईस्कूल, 75 (25 प्रतिशत) इण्टमीडिएट, 70(23.33 प्रतिशत) स्नातक, 62 (20.67 प्रतिशत) परास्नातक, 18 (6 प्रतिशत) अन्य योग्यता वाले उत्तरदाता सम्मिलित हैं। इस सारणी से यह पता चलता है कि इण्टरमीडिएट वाले उत्तरदाता अधिक हैं। आयुवर्ग वाले उत्तरदाताओं में 25–30 वाले उत्तरदाता अधिक हैं।

सारणी संख्या 4.8
उत्तरदाताओं के पति के व्यवसाय सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	37	12.33
2.	नौकरी	101	33.67
3.	मजदूरी	105	35.00
4.	व्यापार	34	11.33
5.	अन्य	23	07.67
	योग	300	100.00

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.8 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि परित्यक्त महिलायें जो हमारे उत्तरदाता हैं, उनके पति का व्यवसाय क्या है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 37 (12.33 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे है जिनके पति कृषि कार्य करते हैं। जिन उत्तरदाताओं के पति नौकरी करते हैं उनकी संख्या 101 (33.67 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं के पति मजदूरी इत्यादि करके अपना जीविकोत्पार्जन करते हैं, उनकी संख्या 105 (35 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं के पति व्यापार आदि करते हैं, उनकी संख्या 34 (11.33 प्रतिशत) है। अन्य प्रकार के कार्यों को करके जीविकोपार्जन करने वाले उत्तरदाताओं के पति की संख्या 23 (7.67 प्रतिशत) है।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके पति मजदूरी करते हैं। इसके बाद ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या है जिनके पति नौकरी करते हैं।

सारणी संख्या 4.9

उत्तरदाताओं के पति की मासिक आय सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	मासिक आय (रूपयों में)	संख्या	प्रतिशत
1.	2000–4000	26	08.67
2.	4000–6000	32	10.67
3.	6000–8000	73	24.33
4.	8000–10,000	64	21.33
5.	10,000–12,000	41	13.67
6.	12,000–14,000	23	07.67
7.	14,000–16,000	19	06.33
8.	16,000–18,000	15	05.00
9.	18,000–20,000	04	01.33
10.	20,000 से अधिक	03	01.00
	आय	300	100.00

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.9 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया है कि उत्तरदाताओं के पति की मासिक आय क्या है। जिन उत्तरदाताओं के पति की मासिक आय 2000–4000 तक है उनकी संख्या 26 (8.67 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं के पति की मासिक आय 4000–6000 तक है उनकी संख्या 32(10.67 प्रतिशत) है। जिनके पति की आय 6000–8000 तक है उनकी संख्या 73(24.33 प्रतिशत) है। जिनके पति की आय 8000–10,000 तक है उनकी संख्या 64(21.33 प्रतिशत) है। जिनके पति की मासिक आय 10,000–12,000 तक है उनकी संख्या 41(13.67 प्रतिशत) है। जिनके पति की आय 12,000–14,000 तक है उनकी संख्या 23(7.67 प्रतिशत) है। जिनके पति की आय 14,000–16000 तक है उनकी संख्या 19(6.33 प्रतिशत) है। जिनके पति की आय 16000–18000 तक है उनकी संख्या 15 (5 प्रतिशत) है। जिनके पति की आय 18000–20000 तक है उनकी संख्या 4(1.33 प्रतिशत) है। जिनके पति की आय 20000 से अधिक है उनकी संख्या 3(1 प्रतिशत) है।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके पति की आय 6000–8000 के बीच है। इसके बाद ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या है जिनके पति की आय 8000–10,000 के बीच है।

सारणी संख्या 4.10

उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	सदस्यों की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1.	2 से 4	59	19.67
2.	4 से 6	196	65.33
3.	6 से 8	32	10.67
4.	8 से 10	07	02.33
5.	10 से 12	04	01.33
6.	12 से अधिक	01	00.67
	योग	300	100.00

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.10 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। जिन उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या 2 से 4 तक हैं उनकी संख्या 59 (19.67 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से 6 तक हैं उनकी संख्या 196 (65.33 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या 6 से 8 तक है उनकी संख्या 32 (10.67 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या 8 से 10 तक है उनकी संख्या 07 (2.33 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्योंकी संख्या 10 से 12 तक है उनकी संख्या 4 (1.33 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या 12 से अधिक है उनकी संख्या 1 (.67 प्रतिशत) है।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या अधिक जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से 6 तक है। इसके बाद ऐसे उत्तरदाताओं का स्थान है जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 2 से 4 तक है।

सारणी संख्या 4.11

उत्तरदाताओं की आयु एवं स्वंय कार्य करने सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	विवरण / आयुवर्ग	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15–20	11	55.00	09	45.00	20	100
2.	20–25	34	49.28	35	50.72	69	100
3.	25–30	38	37.62	63	62.38	101	100
4.	30–35	33	54.10	28	45.90	61	100
5.	35–40	21	63.64	12	36.36	33	100
6.	40–45	08	88.89	01	11.11	09	100
7.	45 से अधिक	06	85.71	01	14.29	07	100
	योग	151	50.33	149	49.67	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.11 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु एवं स्वयं कार्य करने सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 15–20 आयुवर्ग के 20 उत्तरदाता मिले जिनमें 11 (55 प्रतिशत) का कहना है कि वे स्वयं कुछ कार्य करती हैं जबकि इसी आयुवर्ग की 9 (45 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि वे स्वयं कुछ कार्य नहीं करती। 20–25 आयुवर्ग की 69 उत्तरदाता प्राप्त हुई जिनमें 34 (49.28 प्रतिशत) का कहना है कि वे स्वयं कार्य करती हैं जबकि इसी आयुवर्ग की 35 (50.72 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि वे स्वयं कुछ कार्य नहीं करती। 25–30 आयुवर्ग की 101 उत्तरदाता मिली जिनमें 38 (37.62 प्रतिशत) स्वयं कुछ कार्य करती जबकि इसी आयुवर्ग की 63 (62.38 प्रतिशत) स्वयं कुछ कार्य नहीं करती। 30–35 आयुवर्ग की 61 उत्तरदाता मिली जिनमें 33 (54.10 प्रतिशत) स्वयं कुछ कार्य करती हैं जबकि 28 (45.90 प्रतिशत) स्वयं कुछ कार्य नहीं करती। 35–40 आयुवर्ग के जो उत्तरदाता प्राप्त हुए उनमें 21 (63.64 प्रतिशत) स्वयं कुछ कार्य करती हैं जबकि 12 (36.36 प्रतिशत) स्वयं कुछ कार्य नहीं करती। 40–45 आयुवर्ग के 9 उत्तरदाता प्राप्त हुए उनमें 8 (88.89प्रतिशत) स्वयं कुछ कार्य करती हैं जबकि 1 (11.11 प्रतिशत) स्वयं कुछ कार्य नहीं करती। 45 से अधिक के 7 उत्तरदाता मिली जिनमें 6(85.71 प्रतिशत) स्वयं कुछ कार्य करती हैं जबकि 1 (14.29 प्रतिशत) कुछ कार्य नहीं करती।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक हैं जो स्वयं कुछ न कुछ कार्य करती हैं।

सारणी संख्या 4.12

उत्तरदाताओं की आयु एवं कार्य का स्वरूप सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	विवरण / आयुवर्ग	मजदूरी		अध्यापन		सिलाई–कढ़ाई		प्राइवेट नौकरी		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15–20	03	27.27	–	–	02	18.18	05	45.45	01	09.10	11	100
2.	20–25	04	11.76	06	17.65	08	23.53	09	26.47	07	20.59	34	100
3.	25–30	12	31.58	14	36.84	07	18.42	–	–	05	13.16	38	100
4.	30–35	03	09.10	07	21.21	02	06.06	16	48.48	05	15.15	33	100
5.	35–40	–	–	09	42.86	01	04.76	02	09.52	09	42.86	21	100
6.	40–45	04	50.00	01	12.05	02	25.00	01	12.05	–	–	08	100
7.	45 से अधिक	–	–	01	16.67	01	16.67	–	–	04	66.66	06	100
	योग	26	17.22	38	25.17	23	15.23	33	21.85	31	20.53	151	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.12 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु एवं कार्य के स्वरूप को दर्शाने का प्रयास किया गया है। स्वयं कुछ कार्य करने वाले 151 उत्तरदाताओं में से 15 से 20 आयुवर्ग के 11 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 3 (27.27 प्रतिशत) मजदूरी, 2 (18.18 प्रतिशत) सिलाई–कढ़ाई, 5 (45.45 प्रतिशत) प्राइवेट नौकरी एवं 1 (9.10 प्रतिशत) अन्य कार्य करते हैं। 20 से 25 आयुवर्ग के 34 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 4 (11.76 प्रतिशत) मजदूरी, 6 (17.65 प्रतिशत) अध्ययन–अध्यापन, 8 (23.53 प्रतिशत) सिलाई–कढ़ाई, 9 (26.47 प्रतिशत) प्राइवेट नौकरी एवं 7 (20.59 प्रतिशत) अन्य कार्य करते हैं। 25 से 30 आयुवर्ग के 38 उत्तरदाता मिले जिनमें 12 (31.58 प्रतिशत) मजदूरी, 14 (36.84 प्रतिशत) अध्ययन–अध्यापन, 7 (18.42 प्रतिशत) सिलाई–कढ़ाई, एवं 5 (13.16 प्रतिशत) अन्य कार्य करते हैं। 30 से 35 आयुवर्ग के 33 उत्तरदाता मिले जिनमें 3 (9.10 प्रतिशत) मजदूरी, 7 (21.21 प्रतिशत) अध्ययन–अध्यापन, 2 (6.06 प्रतिशत) सिलाई–कढ़ाई, 16 (48.48 प्रतिशत) प्राइवेट नौकरी एवं 5 (15.15 प्रतिशत) अन्य कार्यों में संलग्न हैं। 35 से 40 आयुवर्ग के 21 उत्तरदाता मिले जिनमें 9 (42.86 प्रतिशत) अध्ययन–अध्यापन, 1 (4.76 प्रतिशत) सिलाई–कढ़ाई, 2 (9.52 प्रतिशत) प्राइवेट नौकरी एवं 9 (42.86 प्रतिशत) अन्य कार्यों में संलग्न हैं। 40 से 45 आयुवर्ग के 8 उत्तरदाता मिले जिनमें 4(50 प्रतिशत) मजदूरी, 1 (12.5 प्रतिशत) अध्ययन– अध्यापन, 2 (25 प्रतिशत) सिलाई–कढ़ाई, 1 (12.5प्रतिशत) प्राइवेट नौकरी करते हैं। 45 से अधिक उम्र के 6 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 1 (16.67 प्रतिशत) अध्ययन–अध्यापन, 1 (16.67 प्रतिशत) सिलाई–कढ़ाई एवं 4 (66.60 प्रतिशत) अन्य कार्यों में संलग्न हैं।

सारणी के लम्बवत् विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 26 (17.22 प्रतिशत) मजदूरी, 38 (25.17 प्रतिशत) अध्ययन–अध्यापन, 23 (15.23 प्रतिशत) सिलाई–कढ़ाई, 33 (21.85 प्रतिशत) प्राइवेट नौकरी एवं 31 (20.53 प्रतिशत) अन्य कार्यों में रत हैं। इस सारणी के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो अध्ययन अध्यापन के कार्यों में लगे हुए हैं।

सारणी संख्या 4.13

उत्तरदाताओं की आयु एवं बच्चों की संख्या सम्बन्धी विवरण

क्र. स.	विवरण / आयुवर्ग	उत्तरदाताओं के लडकों की संख्या						उत्तरदाताओं की लड़कियों की संख्या						योग	
		1–2 लड़के		3–4 लड़के		योग		1–2 लड़की		3–4 लड़की		योग		संख्या	प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
1.	15–20	08	53.33	–	–	08	53.33	07	46.67	–	–	07	46.67	15	100
2.	20–25	09	33.33	03	11.11	12	44.44	12	44.45	03	11.11	15	55.56	27	100
3.	25–30	15	29.42	05	09.80	20	39.22	26	50.98	05	09.80	31	60.78	51	100
4.	30–35	24	41.38	13	22.41	37	63.79	12	20.69	09	15.52	21	36.21	58	100
5.	35–40	09	25.00	12	33.33	21	58.33	03	08.33	12	33.34	15	41.67	36	100
6.	40–45	07	25.00	12	42.86	19	67.86	02	07.14	07	25.00	09	32.14	28	100
7.	45से अधिक	06	17.14	15	42.86	21	60.00	06	17.14	08	22.86	14	40.00	35	100
	योग	78	31.20	60	24.00	138	55.20	68	27.20	44	17.60	112	44.80	250	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.13 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु एवं उत्तरदाताओं के बच्चों की संख्या को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 250 उत्तरदाताओं के पास बच्चे हैं। इसलिए इस सारणी में 250 उत्तरदाता को ही आधार बनाया गया है। कुल 250 उत्तरदाताओं में से 15–20 आयुवर्ग के 15 उत्तरदाता मिले जिनमें 8 (53.33 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे हैं जिनके 1–2 लड़के हैं जबकि इसी आयु वर्ग के 7 (46.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जिनमें लड़कियों की संख्या 1–2 के बीच है। 20–25 आयुवर्ग के 27 उत्तरदाताओं में से 9 (33.33 प्रतिशत) के पास लड़कों की संख्या 1–2 के बीच पाई गई जबकि 3 (11.11 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास लड़कों की संख्या 3–4 के बीच पाई गई। इसी आयुवर्ग के 12 (44.45 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास लड़कियों की संख्या 1–2 के बीच में पाई गई जबकि 3 (11.11 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास लड़कियों की संख्या 3–4 की बीच प्राप्त हुई।

25–30 आयुवर्ग के 51 उत्तरदाताओं में से 15 (29.42 प्रतिशत) के पास लड़कों की संख्या 1–2 के बीच, 5 (9.80 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास लड़कों की संख्या 3–4 के बीच प्राप्त हुई जबकि इसी आयुवर्ग के 26 (50.98 प्रतिशत) के पास लड़कियों की संख्या 1–2 के बीच, 5 (9.8 प्रतिशत) के पास लड़कियों की संख्या 3–4 के बीच प्राप्त हुई। 30–35 आयुवर्ग के 58 उत्तरदाताओं में से 24 (41.38 प्रतिशत) के पास लड़कों की संख्या 1–2 के बीच, 13 (22.41 प्रतिशत) के पास लड़कों की संख्या 3–4 के बीच मिली जबकि इसी आयुवर्ग के 12 (20.69 प्रतिशत) के पास लड़कियों की 1–2 के बीच एवं 9 (15.52 प्रतिशत) के पास लड़कियों की संख्या 3–4 के बीच प्राप्त हुई।

35–40 आयुवर्ग के 36 उत्तरदाताओं में से 9 (25 प्रतिशत) के पास लड़कों की संख्या 1–2 के बीच, 12 (33.33 प्रतिशत) के पास लड़कों की संख्या 3–4 के बीच मिली जबकि 3 (8.33 प्रतिशत) के पास लड़कियों की संख्या 1–2 के बीच, 12 (33.34 प्रतिशत) के पास लड़कियों की संख्या 3–4 के बीच प्राप्त हुई। 40–45 आयुवर्ग के 28 उत्तरदाताओं में से 7 (25 प्रतिशत) के पास लड़कों की संख्या 1–2 के बीच, 12 (42.86 प्रतिशत) के पास लड़कों

की संख्या 3–4 के बीच मिली जबकि इसी आयुवर्ग के 2 (7.14 प्रतिशत) के पास लड़कियों की संख्या 1–2 के बीच एवं 7 (25 प्रतिशत) के पास लड़कियों की संख्या 3–4 के बीच प्राप्त हुई। 45 से अधिक आयुवर्ग के 35 उत्तरदाताओं में से 6 (17.14 प्रतिशत) के पास लड़कों की संख्या 1–2 के बीच, 6 (17.14) के पास लड़कियों की संख्या 1–2 के बीच, 15 (42.86 प्रतिशत) के पास लड़कों की संख्या 3–4 के बीच तथा 8 (22.86 प्रतिशत) के पास लड़कियों की संख्या 3–4 के बीच प्राप्त हुई।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके लड़के हैं। लड़के वाले उत्तरदाताओं में से ऐसे उत्तरदाता अधिक है जिनके 1–2 के बीच लड़के हैं। लड़कियों वाले उत्तरदाताओं में भी ऐसे उत्तरदाता अधिक है जिनके 1–2 के बीच लड़कियाँ हैं।

सारणी संख्या 4.14

उत्तरदाताओं के बच्चों के साथ रहने सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	पिता	39	15.60
2.	माता	131	52.40
3.	दोनों	49	19.60
4.	अन्य	31	12.40
	योग	250	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.14 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि जिन परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे हैं वे किसके साथ रहते है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 250 उत्तरदाता ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं। इसलिए इस सारणी में 250 उत्तरदाताओं को आधार मानकर उनका विश्लेषण किया गया है। 250 उत्तरदाताओं में से 39 (15.60 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका कहना है कि बच्चे पिता के साथ रहते हैं। 131 (52.40 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका कहना है कि बच्चे माता के साथ रहते हैं। 49 (19.60 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका कहना है कि बच्चे माता–पिता दोनों के साथ रहते हैं। इसमें वे

उत्तरदाता सम्मिलित है जिनके कुछ बच्चे पिता के साथ व कुछ बच्चे माता के साथ रहते है। 31 (12.40 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका कहना है कि उनके बच्चे अन्यजनों जैसे दादा–दादी, नाना–नानी व अन्य रिश्तेदारों के साथ रहते हैं।

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके बच्चे अपनी माता के साथ रहते हैं।

सारणी संख्या 4.15

उत्तरदाताओं का बच्चों के भविष्य के प्रति दृष्टिकोण

क्र0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	बच्चे विघटित हो जाते हैं	53	21.20
2.	बच्चे अपराधी हो जाते हैं	51	20.40
3.	पिता का साया न होने से समाज गलत दृष्टि से देखता है	38	15.20
4.	बच्चे बिगड़ जाते हैं	31	12.40
5.	बच्चे अच्छे नहीं बन पाते	72	28.80
6.	अन्य	05	02.00
	योग	250	100.

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.15 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि जिन परित्यक्ता महिलाओं के पास बच्चे हैं, वे उनके भविष्य के प्रति क्या दृष्टिकोण रखती हैं। कुल 250 उत्तरदाताओं में से 53 (21.2 प्रतिशत) का कहना है कि परित्यक्ता परिवारों के बच्चे विघटित हो जाते हैं। 51 (20.4 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि ऐसे परिवारों के बच्चे अपराधिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। 38 (15.2 प्रतिशत) का कहना है कि पति का साया न होने से ऐसे बच्चों को समाज गलत दृष्टि से देखता है। 31 (12.4 प्रतिशत) का कहना है कि माता–पिता के अलग होने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसे बच्चे दो में से किसी एक के प्यार से वंचित हो जाते हैं। 72 (28.8 प्रतिशत) का कहना है कि ऐसे परिवारों के बच्चे अच्छे नहीं बन

पाते। 5 (2 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जो बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ रहे।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह मानते हैं कि परित्यक्त परिवारों के बच्चे अच्छे नहीं बन पाते।

सारणी संख्या 4.16

उत्तरदाताओं की आयु एवं विवाह पूर्व परिचय सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	विवरण / आयुवर्ग	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15–20	15	33.33	30	66.67	45	100
2.	20–25	23	60.53	15	39.47	38	100
3.	25–30	18	36.73	31	63.27	49	100
4.	30–35	24	47.06	27	52.94	51	100
5.	35–40	15	37.50	25	62.50	40	100
6.	40–45	18	43.90	23	56.10	41	100
7.	45 से अधिक	16	44.44	20	55.56	36	100
	योग	129	43.00	171	57.00	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.16 के आधार पर उत्तरदाताओं की आयु एवं विवाह पूर्व परिचय को दर्शाया गया है। 15–20 आयुवर्ग के 45 उत्तरदाता मिले जिनमें 15 (33.33 प्रतिशत) विवाह पूर्व परिचित थे जबकि 30 (66.67 प्रतिशत) उत्तरदाता विवाह पूर्व एक–दूसरे से परिचित नहीं थे। 20–25 आयुवर्ग के 38 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 23 (60.53 प्रतिशत) उत्तरदाता विवाह पूर्व एक दूसरे से परिचित थे जबकि 15 (39.47 प्रतिशत) परिचित नहीं थे। 25–30 आयुवर्ग के 49 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 18 (36.73 प्रतिशत) परिचित थे जबकि 31 (63.27 प्रतिशत) परिचित नहीं थे। 30–35 आयुवर्ग के 51 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 24 (47.06 प्रतिशत) उत्तरदाता एक–दूसरे से परिचित थे जबकि 27 (52.94 प्रतिशत) एक–दूसरे से परिचित नहीं थे। 35–40 आयुवर्ग के 40 उत्तरदाता मिले जिनमें 15 (37.50 प्रतिशत) विवाह पूर्व एक–दूसरे से परिचित थे जबकि 25 (62.50 प्रतिशत) एक–दूसरे से परिचित नहीं थे। 40–45 आयुवर्ग के 41 उत्तरदाता मिले जिनमें 18 (43.90 प्रतिशत) विवाह पूर्व परिचित थे जबकि 23

(56.10 प्रतिशत) परिचित नहीं थे। 45 से अधिक आयुवर्ग 36 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 16 (44.44 प्रतिशत) एक–दूसरे से परिचित थे जबकि 20 (55.56 प्रतिशत) एक दूसरे से परिचित नहीं थे।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता हैं कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो विवाह पूर्व एक–दूसरे से परिचित नहीं थे।

सारणी संख्या 4.17

उत्तरदाताओं का पति से अलग होने के कारण सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	पति द्वारा भरण पोषण एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना	43	14.33
2.	पति या उनके परिवार द्वारा प्रताड़ना	189	63.00
3.	पति का चरित्र ठीक न होने के कारण	63	21.00
4.	अन्य कारण	05	01.67
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.17 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाताओं के पति से अलग होने के क्या कारण हैं। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 43 (14.33 प्रतिशत) का कहना है कि पति द्वारा भरण–पोषण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने के कारण वे पति से अलग होने को विवश हुईं। 189 (63 प्रतिशत) का कहना है कि पति एवं उनके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने पर उन्हें पति का घर छोड़ना पड़ा। 63 (21 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि पति का चरित्र ठीक न होने के कारण उन्हें पति का घर छोड़ना पड़ा। 5 (1.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्होंने अन्य कारणों के कारण पति का घर छोड़ा हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिन्होंने पति या उनके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने के कारण पति का घर छोड़ा। इसके पश्चात् ऐसे उत्तरदाताओं का स्थान है जिन्होंने पति के चरित्रहीन होने के कारण उनके घर का परित्याग किया।

सारणी संख्या 4.18

उत्तरदाताओं की जाति एवं पति से अलगाव के कारण सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	जाति / विवरण	सामान्य जाति		पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	पति द्वारा भरण–पोषण न कर पाना	05	11.63	15	34.88	20	46.51	03	06.98	43	100
2.	पति या उनके परिवार द्वारा प्रताड़ना	55	29.10	125	66.14	09	04.76	—	—	189	100
3.	पति का चरित्र ठीक न होने के कारण।	49	77.78	—	—	13	20.63	01	01.59	63	100
4.	अन्य	01	20.00	02	40.00	—	—	02	40.00	05	100
	योग	110	36.67	142	47.33	42	14.00	06	02.00	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.18 के माध्यम से उत्तरदाताओं की जाति एवं पति से अलगाव के कारण सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से सामान्य जाति के 110 उत्तरदाता मिले जिनमें 5 (11.63 प्रतिशत) पति द्वारा भरण–पोषण एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने, 55 (29.10 प्रतिशत) पति या उनके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने, 49 (77.78 प्रतिशत) पति का चरित्र ठीक न होने एवं 1 (20 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अन्य कारणों से पति से अलग हुई। पिछड़ी जाति के 142 उत्तरदाता मिले जिनमें 15 (34.88 प्रतिशत) पति द्वारा भरण–पोषण एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने, 125 (66.14 प्रतिशत) पति या उनके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने, 2 (40 प्रतिशत) अन्य कारणों को पति से अलगाव के कारण बताए। अनुसूचित जाति के 42 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 20 (46.51 प्रतिशत) पति द्वारा भरण–पोषण एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने, 9 (4.76 प्रतिशत) पति या उनके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने एवं 13 (20.63 प्रतिशत) पति का चरित्र ठीक न होने के कारण उत्तरदाताओं ने पति से अलगाव किया। अन्य जाति के उत्तरदाताओं की संख्या 6 प्राप्त हुई जिनमें 3 (6.98 प्रतिशत) पति द्वारा भरण–पोषण एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने, 1 (1.59 प्रतिशत) पति का चरित्र ठीक न होने एवं 2 (40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अन्य कारणों को पति से अलगाव के लिए उत्तरदायी ठहराया।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिन्होंने पति या उनके परिवार द्वारा प्रताडना को पति से अलगाव का प्रमुख कारण माना है।

सारणी संख्या 4.19

पति द्वारा भरण-पोषण न कर पाने के कारण सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	पति की दयनीय आर्थिक स्थिति	07	16.28
2.	पति की अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां	19	44.19
3.	पति का शराबी होना	06	13.95
4.	गलत कार्यों में पैसा खर्च करना	05	11.63
5.	अन्य	06	13.95
	योग	43	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.19 के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाताओं के पति द्वारा भरण–पोषण न कर पाने के कौन–कौन से कारण रहे हैं। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 43 उत्तरदाता ही ऐसे मिले जो पत्नी का भरण–पोषण करने में असक्षम थे। इसलिए इस सारणी में 43 उत्तरदाताओं को ही आधार माना गया है। कुल 43 उत्तरदाताओं में 7 (16.28 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका कहना था कि पति अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण उनका भरण–पोषण नहीं कर पाता था। 19 (44.19 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जिनके अनुसार पति अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से उनका भरण–पोषण नहीं कर पाता था। 6 (13.95 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि उनका पति शराबी था जिसके कारण वह उनका भरण–पोषण नहीं कर पाता था। 5 (11.63 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनका पति गलत कार्यों में पैसा लगाने की वजह से उनका भरण–पोषण नहीं कर पाता था जबकि 6 (13.95 प्रतिशत) उत्तरदाता अन्य कारकों को उत्तरदायी ठहराते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह कहते हैं पति पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से उनका भरण–पोषण नहीं कर पाता था।

सारणी संख्या 4.20

उत्तरदाताओं के पति का व्यवसाय एवं भरण-पोषण न कर पाने के कारण सम्बन्धी विवरण

क्र. स.	विवरण / व्यवसाय	पति की दयनीय आर्थिक स्थिति		पति की अन्य पारवारिक जिम्मेदारियाँ		पति का शराबी होना		गलत कार्यों में पैसा खर्च करना		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	02	66.67	01	33.33	—	—	—	—	—	—	03	100
2.	नौकरी	02	11.765	06	35.29	04	23.53	03	17.65	02	11.765	17	100
3.	मजदूरी	03	16.67	11	61.11	—	—	01	05.55	03	16.67	18	100
4.	व्यापार	—	—	02	66.67	01	33.33	—	—	—	—	03	100
5.	अन्य	01	50	—	—	01	50	—	—	—	—	02	100
	योग	08	18.62	20	46.51	06	13.95	04	09.30	05	11.63	43	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.20 के माध्यम से उत्तरदाताओं के पति का व्यवसाय एवं भरण–पोषण न कर पाने के कारण सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 43 ऐसे उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनका कहना है कि उनके पति उनका भरण–पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस सारणी में 43 उत्तरदाताओं को ही आधार बनाया गया है। 3 उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका कहना है कि उनके पति कृषि कार्य करते हैं। इन 3 उत्तरदाताओं में से 2 (66.67 प्रतिशत) पति की दयनीय आर्थिक स्थिति एवं 1 (33.33 प्रतिशत) पति की अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों को उत्तरदायी मानती है जिनके कारण उनका पति भरण–पोषण नहीं कर पा रहा था। 17 उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जिनके पति नौकरी करते हैं परन्तु 2 (11.765 प्रतिशत) के अनुसार उनके पति दयनीय आर्थिक स्थिति, 6 (35.29 प्रतिशत) के अनुसार उनके पति अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों, 4 (23.53 प्रतिशत) के अनुसार पति के शराबी होने, 3 (17.65 प्रतिशत) के अनुसार गलत कार्यों में पैसा खर्च करने के कारण एवं 2 (11.765 प्रतिशत) अन्य कारकों को उत्तरदायी ठहराते हैं जिनके कारण उनका पति भरण–पोषण नहीं कर पा रहा था। 18 उत्तरदाता ऐसे मिले जिनके पति मजदूरी करते हैं। इन 18 उत्तरदाताओं में से 3 (16.67 प्रतिशत) के अनुसार पति की दयनीय आर्थिक स्थिति, 11 (61.11 प्रतिशत) के अनुसार पति की अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों, 1 (5.55 प्रतिशत) के अनुसार पति द्वारा गलत कार्यों में पैसा खर्च करने के कारण एवं 3 (16.67 प्रतिशत) अन्य कारणों की वजह से पति उनका भरण–पोषण नहीं कर पा रहा था। 3 उत्तरदाता ऐसे मिले जिनके पति व्यापार करते है। इन 3 उत्तरदाताओं में 2 (66.67 प्रतिशत) के अनुसार पति अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण एवं 1 (33.33 प्रतिशत) के अनुसार पति के शराबी होने के कारण उनका पति भरण–पोषण नहीं कर पा रहा था। 2 उत्तरदाता ऐसे मिले जो अन्य कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन दो उत्तरदाताओं में 1 (50 प्रतिशत) के अनुसार पति की दयनीय आर्थिक स्थिति एवं 1 (50 प्रतिशत) के अनुसार पति के शराबी होने के कारण पति उनका भरण–पोषण नहीं कर पा रहा था।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के क्षैतिज विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की

संख्या सर्वाधिक है जिनके पति मजदूरी करते हैं। इस सारणी को लम्बवत् आधार पर देखने से पता चलता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके पति अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भरण–पोषण करने में असक्षम थे।

सारणी संख्या 4.21

पति के चरित्रहीनता के कारण सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	अक्सर दूसरी औरतों को घर में लाना	02	03.17
2.	दूसरी औरतों के घर जाना	24	38.10
3.	घर की किसी अन्य स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध	12	19.05
4.	मोहल्ले की किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध	23	36.51
5.	अन्य	02	03.17
	योग	63	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.21 के द्वारा उत्तरदाताओं के पति के चरित्रहीनता के कारणों को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 63 लोगों का मानना है कि उनके पति चरित्रहीन थे। 63 उत्तरदाताओं में से 2 (3.17 प्रतिशत) का कहना है कि उनका पति अक्सर दूसरी औरतों को घर लाता था। 24 (38.10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनका पति दूसरी औरतों के घर जाता था। 12 (19.05 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके पति के घर की अन्य स्त्रियों के साथ अवैध सम्बन्ध थे। 23 (36.51 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पति के मोहल्ले की स्त्रियों के साथ अवैध सम्बन्ध थे। 2 (3.17 प्रतिशत) उत्तरदाता अन्य अनेक कारकों को पति की चरित्रहीनता के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनका कहना है कि उनके पति दूसरी औरतों के घर जाते थे।

सारणी संख्या 4.22

उत्तरदाताओं की आयु एवं पति की चरित्रहीनता के कारण सम्बन्धी विवरण

क्र. स.	विवरण / आयुवर्ग	अक्सर दूसरी औरत को घर में लाना		दूसरी औरतों के घर जाना		घर की किसी अन्य स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध		मोहल्ले की किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15—20	—	—	02	50.00	—	—	01	25.00	01	25.00	04	100
2.	20—25	—	—	10	55.56	05	27.78	02	11.11	01	05.55	18	100
3.	25—30	—	—	04	30.77	02	15.38	07	53.85	—	—	13	100
4.	30—35	01	07.14	04	28.57	03	21.43	06	42.86	—	—	14	100
5.	35—40	01	14.29	02	28.57	01	14.29	03	42.85	—	—	07	100
6.	40—45	—	—	02	40.00	01	20.00	02	40.00	—	—	05	100
7.	45से अधिक	—	—	—	—	—	—	02	100	—	—	02	100
	योग	02	03.17	24	38.10	12	19.05	23	36.51	02	03.17	63	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.22 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु एवं उनके पति की चरित्रहीनता के कारणों को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 63 उत्तरदाता ऐसे मिले जो पति की चरित्रहींनता से ग्रसित थे। इन 63 उत्तरदाताओं में से 15–20 आयुवर्ग के 4 उत्तरदाता प्राप्त हुए। इन चार उत्तरदाताओं में 2 (50 प्रतिशत) का कहना है कि उनका पति अक्सर दूसरी औरतों के घर जाता था। 1 (25 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति के मोहल्ले के किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध थे। 1 (25 प्रतिशत) अन्य कारक को पति की चरित्रहीनता के लिये उत्तरदायी ठहराती है। 18 उत्तरदाता ऐसे मिले जो 20–25 आयुवर्ग के हैं। इन 18 उत्तरदाताओं में से 10 (55.56 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका कहना है कि उनके पति दूसरी औरतों के घर जाते थे। 5 (27.78 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति के घर की किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध थे। 2 (11.11 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति के मोहल्ले के किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध थे। 1 (5.55 प्रतिशत) अन्य कारक को पति की चरित्रहीनता के लिए दोषी मानती हैं। 25–30 आयुवर्ग के 13 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 4 (30.77 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति दूसरी औरतों के घर जाते थे। 2 (15.38 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति के घर की किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध थे। 7 (53.85 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति के मुहल्ले की किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध थे। 30–35 आयुवर्ग के 14 उत्तरदाता मिले। इन 14 उत्तरदाताओं ने पति की चरित्रहीनता के जो कारण बतायें उनमें 1 (7.14 प्रतिशत) का अक्सर दूसरी औरतों को घर में लाना, 4.(28.57 प्रतिशत) का दूसरी औरतों के घर जाना, 3 (21.43 प्रतिशत) का घर की किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध, 6 (42.86 प्रतिशत) का मोहल्ले की किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध शामिल है। 7 उत्तरदाता ऐसे मिले जो 35–40 आयुवर्ग के थे। इन 7 उत्तरदाताओं ने पति के चरित्रहीनता के जो कारण बताये उनमें 1 (14.29 प्रतिशत) का अक्सर दूसरी औरतों को घर में लाना, 2 (28.57 प्रतिशत) का दूसरी औरतों के घर जाना, 1 (14.29 प्रतिशत) का घर की किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध एवं 3 (42.85 प्रतिशत) का मुहल्ले कि किसी स्त्री के पास अवैध सम्बन्ध शामिल हैं। 40–45 आयुवर्ग के जो उत्तरदाता प्राप्त हुए उनमें 2 (40 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति दूसरे औरते के

साथ जाते थे। 1 (20 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति के घर की किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध थे। 2 (40 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति के मुहल्ले की स्त्रियों के साथ अवैध सम्बन्ध थे। 45 से अधिक आयुवर्ग के 2 उत्तरदाता प्राप्त हुए। इन 2 उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पति के मुहल्ले की किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध थे।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के क्षैतिज विश्लेषण से स्पष्ट है कि 20–25 आयुवर्ग के उत्तरदाता अधिक हैं। सारणी को लम्बवत् आधार पर देखने से ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह कहते है कि उनके पति दूसरी औरतों के घर जाते थे।

सारणी संख्या 4.23

उत्तरदाताओं के पति द्वारा प्रताड़ित करने के स्वरूप सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	पति मारता था	69	23
2.	पति गाली–गलौज करता था	54	18
3.	पति सबके सामने बेइज्जत करता था	36	12
4.	पति और दहेज लाने के लिये विवश करता था	111	37
5.	अक्सर शराब पीकर आता था	21	07
6.	अन्य	09	03
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.23 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाताओं के पति उत्तरदाताओं को किस रूप से प्रताड़ित करते थे। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 69 (23 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पति उन्हें मारते थे। 54 (18 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना कि उनके पति उनके साथ गाली–गलौज करता था।

36 (12 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनका पति उसे सबके सामने बेइज्जत करता था। 111 (37 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनका पति और दहेज लाने के लिए विवश करता था। 21 (7 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनका पति अक्सर शराब पीकर आता था। 9 (3 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनका पति उन्हें अन्य प्रकार से प्रताड़ित करता था

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके पति और दहेज लाने के विवश करते थे।

सारणी संख्या 4.24

पति द्वारा प्रताड़ना में परिवारजनों की भूमिका का विवरण

क्र0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	सास	24	08.00
2.	ससुर	31	10.33
3.	ननद	19	06.33
4.	देवर	12	04.00
5.	उपरोक्त सभी (सास, ससुर, ननद, देवर)	96	32.00
6.	देवरानी	35	11.67
7.	जेठानी	38	12.67
8.	देवरानी, जेठानी एवं अन्य	45	15.00
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.24 के माध्यम से पति द्वारा प्रताड़ना में परिवारजनों (ससुरालजनों) की भूमिका को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 24 (8 प्रतिशत) का कहना है कि पति द्वारा प्रताड़ना में सास की भूमिका अहम थी। 31 (10.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि पति द्वारा प्रताड़ना में ससुर की भूमिका अहम थी। 19

(6.33 प्रतिशत) का कहना है कि पति द्वारा प्रताड़ना में ननद की भूमिका अहम थी। 12 (4 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि पति द्वारा प्रताड़ना में देवर की भूमिका अहम थी। 96 (32 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि पति द्वारा प्रताड़ना में सास, ससुर, ननद, देवर आदि सभी की भूमिका प्रमुख थी। 35 (11.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना पति द्वारा प्रताड़ना में देवरानी की भूमिका प्रमुख थीं। 38 (12.67 प्रतिशत) का कहना है कि पति द्वारा प्रताड़ना में जेठानी की भूमिका प्रमुख थी। 45 (15 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि पति द्वारा प्रताड़ना में देवरानी, जेठानी एवं अन्य की भूमिकाएं प्रमुख थीं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है जिनमें पति द्वारा प्रताड़ना में सास, ससुर, ननद, देवर आदि की भूमिकाएं प्रमुख थीं।

सारणी संख्या 4.25

उत्तरदाताओं की जाति एवं पति से अलगाव में सास की भूमिका का विवरण

क्र0 सं0	विवरण / जाति	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य जाति	23	20.91	87	79.09	110	100
2.	पिछड़ी जाति	43	30.28	99	69.72	142	100
3.	अनुसूचित जाति	25	59.52	17	40.48	42	100
4.	अन्य	05	83.33	01	16.67	06	100
	योग	96	32.00	204	68.00	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.25 के माध्यम से उत्तरदाताओं की जाति एवं पति से अलगाव में सास की भूमिका को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से सामान्य जाति के 110 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 23 (20.91 प्रतिशत) ने पति से अलगाव में सास की भूमिका को स्वीकार किया जबकि 87 (79.09 प्रतिशत) ने पति से अलगाव में सास की भूमिका का अस्वीकार किया। पिछड़ी जाति के 142 उत्तरदाता मिले जिनमें 43(30.28 प्रतिशत) ने पति से

अलगाव में सास की भूमिका को स्वीकार किया जबकि 99 (69.72 प्रतिशत) ने पति से अलगाव में सास की भूमिका को अस्वीकार किया। अनुसूचित जाति के 42 उत्तरदाताओं में से 25 (59.52 प्रतिशत) ने पति से अलगाव में सास की भूमिका को स्वीकार किया जबकि 17 (40.48 प्रतिशत) ने पति से अलगाव में सास की भूमिका को अस्वीकार किया। अन्य जाति के 6 उत्तरदाताओं में से 5 (83.33 प्रतिशत) ने पति से अलगाव में सास की भूमिका को स्वीकार किया जबकि 1 (16.67 प्रतिशत) ने पति से अलगाव में सास की भूमिका को अस्वीकार किया।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिन्होंने पति से अलगाव में सास की भूमिका को अस्वीकार किया। ऐसे उत्तरदाता जिन्होंने पति से अलगाव में सास की भूमिका को स्वीकार किया उनकी संख्या 96 प्राप्त हुई है।

सारणी संख्या 4.26

पति से अलगाव में सास की भूमिका के स्वरूप का विवरण

क्र0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हमेशा पति को उकसाती रही	22	22.92
2.	मार–पीट में पति का साथ देती रही	28	29.17
3.	दहेज लाने को प्रताड़ित करती रही	11	11.46
4.	विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती रही	08	08.33
5.	भरपेट भोजन को तरसाती रही	24	25.00
6.	अन्य	03	03.12
	योग	96	100

कुल 300 उत्तरदाताओं में से 96 उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जिन्होंने पति से अलगाव में सास की भूमिका को स्वीकार किया। इसलिए इस सारणी में 96 उत्तरदाताओं को ही आधार बनाया गया है। इन 96 उत्तरदाताओं में से 22 (22.92 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका

कहना है कि उनकी सास हमेशा पति को उकसाती रही। 28 (29.17 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी सास मारपीट में में पति का साथ देती रही। 11 (11.46 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास दहेज लाने को प्रताड़ित करती रही। 8 (8.33 प्रतिशत) का कहना है कि उंनकी सास उन पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगायी रही। 24 (25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी सास भरपेट भोजन को तरसाती रही। अन्य 3 (3.12 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जो इस सम्बन्ध में कुछ भी बताने में असमर्थता व्यक्त की।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं कीं संख्या सर्वाधिक है जिनका कहना है कि उनकी सास मारपीट में पति का साथ देती रही।

सारणी संख्या 4.27

उत्तरदाताओं की आयु एवं पति से अलगाव में सास की भूमिका के स्वरूप का विवरण

क्र. स.	विवरण / आयु (वर्ष में)	हमेशा पति को उकसाती रही		मारपीट में पति का साथ देती रही		दहेज लाने को प्रताडित करती रही		विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती रही		भरपेट भोजन को तरसाती रही		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15—20	03	16.67	05	27.78	04	22.22	02	11.11	03	16.67	01	05.55	18	100
2.	20—25	09	31.03	08	27.59	02	06.90	01	03.45	08	27.58	01	03.45	29	100
3.	25—30	02	28.57	02	28.57	—	—	01	14.29	02	28.57	—	—	07	100
4.	30—35	03	25.00	02	16.67	01	08.33	02	16.67	04	33.33	—	—	12	100
5.	35—40	02	14.29	05	35.71	01	07.14	02	14.29	03	21.43	01	07.14	14	100
6.	40—45	02	22.22	03	33.33	02	22.22	—	—	02	22.22	—	—	09	100
7.	45से अधिक	01	14.28	03	42.88	01	14.27	—	—	02	28.57	—	—	07	100
	योग	22	22.92	28	29.17	11	11.46	08	08.33	24	25.00	03	03.12	96	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.27 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु एवं पति से अलगाव में सास की भूमिका के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। कुल 96 उत्तरदाताओं में से 15 से 20 आयुवर्ग के 18 उत्तरदाता मिले। इन 18 उत्तरदाताओं में से 3 (16.67 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास हमेशा पति को उकसाती रही। 5 (27.78 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास मार–पीट में पति का साथ देती रही। 4 (22.22 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करती रहीं। 2 (11.11 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती रही। 3 (16.67 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास भरपेट भोजन को तरसाती रही जबकि 1 (5.55 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास अन्य विभिन्न प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करती रही। 20–25 आयुवर्ग के 29 उत्तरदाता मिले जिनमें 9 (31.03 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास हमेशा पति को उकसाती रही। 8 (27.59 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास मार–पीट में पति का साथ देती रही। 2 (6.90 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करती रही। 1 (3.45 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती रही। 8 (27.58 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास भरपेट भोजन को तरसाती रही। 1 (3.45 प्रतिशत) का कहना है कि उनकी सास अन्य प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करती रही। 25–30 आयुवर्ग के 7 उत्तरदाता मिले। इन 7 उत्तरदाताओं में से 2 (28.57 प्रतिशत) उकसाने सम्बन्धी, 2 (28.57 प्रतिशत) मारपीट सम्बन्धी, 1 (14.29 प्रतिशत) विभिन्न प्रकार के आरोप सम्बन्धी, 2 (28.57 प्रतिशत) भरपेट भोजन संम्बन्धी आरोप उत्तरदाताओं ने सास पर लगाया । 30–35 आयुवर्ग के 12 उत्तरदाता मिले। इन 12 उत्तरदाताओं में से 3 (25 प्रतिशत) पति को उकसाने सम्बन्धी, 2 (16.67 प्रतिशत) मारपीट में पति का साथ देने सम्बन्धी, 1 (8.33 प्रतिशत) दहेज लाने सम्बन्धी, 2 (16.67 प्रतिशत) विभिन्न प्रकार के आरोप सम्बन्धी एवं 4 (33.33 प्रतिशत) भरपेट भोजन न देने सम्बन्धी आरोप सास पर लगाया। 35–40 आयुवर्ग के 14 उत्तरदाता मिले जिनमें 2 (14.29 प्रतिशत) पति को उकसाने सम्बन्धी, 5 (35.71 प्रतिशत) मारपीट में पति का साथ देने सम्बन्धी, 1 (7.14 प्रतिशत) दहेज लाने

सम्बन्धी, 2 (14.29 प्रतिशत) विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने सम्बन्धी 3 (21.43 प्रतिशत) भरपेट भोजन सम्बन्धी एवं 1 (7.14 प्रतिशत) अन्य प्रकार के आरोप सास पर लगाती दिखीं। 40–45 आयुवर्ग कके 9 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 2 (22.22 प्रतिशत) पति को उकसाने सम्बन्धी, 3 (33.33 प्रतिशत) मार–पीट में पति का साथ देने सम्बन्धी, 2 (22.22 प्रतिशत) दहेज लाने को प्रताड़ित करने सम्बन्धी एवं 2 (22.22 प्रतिशत) भरपेट भोजन को तरसाने सम्बन्धी आरोप सास पर लगाया। 45 से अधिक आयुवर्ग के 7 उत्तरदाता मिले जिनमें 1 (14.28 प्रतिशत) पति को उकसाने सम्बन्धी, 3 (42.88 प्रतिशत) मारपीट में पति का साथ देने सम्बन्धी, 1 (14.27 प्रतिशत) दहेज लाने को प्रताड़ित करने सम्बन्धी एवं 28 (20.57 प्रतिशत) भरपेट भोजन को तरसाने सम्बन्धी आरोप सास पर लगाया।

उपर्युक्त सारणी के लम्बवत् विश्लेषण से स्पष्ट है कि 22 (22.92 प्रतिशत) पति को उकसाने सम्बन्धी, 28 (29.17 प्रतिशत) मारपीट में पति का साथ देने सम्बन्धी, 11 (11.46 प्रतिशत) दहेज लाने को प्रताड़ित करने सम्बन्धी, 8 (8.33 प्रतिशत) विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने सम्बन्धी, 24 (25 प्रतिशत) भरपेट भोजन को तरसाने सम्बन्धी एवं 3 (3.12) अन्य प्रकार के आरोप उत्तरदाताओं ने सास पर लगाया। इस प्रकार इस सारणी से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाता की संख्या सर्वाधिक है जो यह कहती हैं कि उनकी सास हमेशा मारपीट में पति का साथ देती रहीं।

सारणी संख्या 4.28

उत्तरदाताओं की आयु एवं ससुरालजनों द्वारा मारने के प्रयास सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	विवरण / आयुवर्ग	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15—20	15	75.00	05	25.00	20	100
2.	20—25	31	44.93	38	55.07	69	100
3.	25—30	35	34.65	66	65.35	101	100
4.	30—35	17	27.87	44	72.13	61	100
5.	35—40	08	24.44	25	75.76	33	100
6.	40—45	03	33.33	06	66.67	09	100
7.	45 से अधिक	02	28.57	05	71.43	07	100
	योग	111	37.00	189	63.00	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.28 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु एवं ससुरालजनों द्वारा मारने के प्रयास सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। 15—20 आयुवर्ग के 20 उत्तरदाताओं में से 15 (75 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें मारने का प्रयास किया गया जबकि 5 (25 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें मारने का प्रयास नहीं किया है। 20—25 आयुवर्ग के 69 उत्तरदाताओं में से 31 (44.93 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें मारने का प्रयास किया गया जबकि 38 (55. 07) का कहना है कि ऐसा कोई प्रयास उनके लिए नहीं किया गया। 25—30 आयुवर्ग के 101 उत्तरदाताओं में से 35 (34.65 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में हाँ कहा जबकि 66(65.35 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में न कहा। 30—35 आयुवर्ग के 17 (27.87) ने हाँ में जवाब दिया जबकि 44 (72.13 प्रतिशत) ने नहीं में जवाब दिया। 35—40 आयुवर्ग के 33 उत्तरदाताओं में से 8 (24. 44 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में हाँ कहा जबकि 25 (75.76 प्रतिशत) ने नहीं कहा। 40—45 आयुवर्ग के 9 उत्तरदाताओं में से 3 (33.33 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में हाँ कहा जबकि 6 (66. 67) ने न कहा। 45 से अधिक आयुवर्ग के 7 उत्तरदाताओं में से 2 (28.57 प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें मारने का प्रयास किया गया जबकि 5 (71.43 प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें मारने का प्रयास नहीं किया गया।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 25—30 आयुवर्ग के उत्तरदाता

सबसे अधिक है। सारणी को लम्बवत् आधार पर देखने से पता चलता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक हैं जिन्हें मारने का प्रयास नहीं किया गया।

सारणी संख्या 4.29
उत्तरदाताओं की संख्या एवं ससुरालजनों द्वारा उन्हें मारने के तरीकों के प्रयास सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	मारने के प्रयास के तरीके	संख्या	प्रतिशत
1.	मिट्टी का तेल डालकर	36	32.43
2.	जहरीला पदार्थ खिलाकर	23	20.72
3.	गला दबाकर	08	07.21
4.	फाँसी लगाकर	29	26.13
5.	नाजुक अगों पर प्रहार करके	04	03.60
6.	करेंट लगाकर	05	04.50
7.	अन्य प्रकार से	06	05.41
	योग	111	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.29 के आधार पर हमने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जिन उत्तरदाताओं को ससुरालजनों ने मारने के प्रयास किए उनमें उन्होंने कौन से तरीके अपनाएं। कुल 111 उत्तरदाताओं में से 36 (32.43 प्रतिशत) का कहना हैं कि उन्हें मिट्टी का तेल डालकर मारने का प्रयास किया गया। 23 (20.72 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने का प्रयास किया गया। 8 (7.21 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया। 29 (26.13 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें फांसी लगाकर मारने का प्रयास किया गया। 4 (3.60 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि नाजुक अंगो पर प्रहार करके उन्हें मारने का प्रयास किया गया। 5 (4.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें करेंट लगाकर मारने का प्रयास किया गया। 6 (5.41 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें अन्य प्रकार से मारने का प्रयास किया गया।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह कहते है कि उन्हें मिट्टी का तेल डालकर मारने का प्रयास किया गया।

सारणी संख्या 4.30

उत्तरदाताओं की जाति एवं ससुरालजनों द्वारा उन्हें मारने के तरीकों के प्रयास सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	विवरण / जाति	सामान्य जाति		पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	मिट्टी का तेल डालकर	06	16.67	18	50.00	11	30.55	01	02.78	36	100
2.	जहरीला पदार्थ खिलाकर	10	43.47	09	39.13	02	08.70	02	08.69	23	100
3.	गला दबाकर	05	62.50	02	25.00	01	12.50	—	—	08	100
4.	फांसी लगाकर	17	58.62	07	24.14	04	13.79	01	03.45	29	100
5.	नाजुक अंगो पर प्रहार करके	02	50.00	01	25.00	01	25.00	—	—	04	100
6.	करेंट लगाकर	02	40.00	02	40.00	01	20.00	—	—	05	100
7.	अन्य प्रकार से	01	16.67	03	50.00	02	33.33	—	—	06	100
	योग	43	38.74	42	37.84	22	19.82	04	03.60	111	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.30 के माध्यम से उत्तरदाताओं की जाति एवं ससुरालजनों द्वारा उन्हें मारने के तरीकों के प्रयास सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 111 उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जिन्हें मारने का प्रयास किया गया। इसलिए इस सारणी में 111 उत्तरदाताओं को ही आधार बनाया गया है। इन 111 उत्तरदाताओं में से जिन उत्तरदाताओं को मिट्टी का तेल डालकर मारने का प्रयास किया गया उनकी संख्या 36 प्राप्त हुई जिनमें सामान्य जाति के 6 (16.67 प्रतिशत), पिछड़ी जाति के 18 (50 प्रतिशत), अनुसूचित जाति के 11 (30.55 प्रतिशत) एवं 1 (2.78 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 23 उत्तरदाताओं को जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने का प्रयास किया गया जिनमें 10 (43.47 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 9 (39.13 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 2 (8.70 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 2 (8.69 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 8 उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जिन्हें गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया। इनमें 5 (62.5 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 2 (25 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 1 (12.5 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। फांसी लगाकर जिन उत्तरदाताओं को मारने का प्रयास किया गया उनकी संख्या 29 प्राप्त हुई जिनमें 17 (58.62 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 7 (24.14 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 4 (13.79 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 1 (3.45 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। जिन उत्तरदाताओं को नाजुक अंगो पर प्रहार करके मारने का प्रयास किया उनकी संख्या 4 प्राप्त हुई। इनमें 2 (50 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 1 (25 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के एवं 1 (25 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता शामिल हैं। 5 उत्तरदाता ऐसे मिले जिन्हें करेंट लगाकर मारने का प्रयास किया गया। इनमें 2 (40 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 2 (40प्रतिशत) पिछड़ी जाति के एंव 1 (20 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता शामिल हैं। जिन उत्तरदाताओं को अन्य प्रकार से मारने का प्रयास किया गया उनकी संख्या 6 प्राप्त हुई। इनमें 1 (16.67 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 3 (50 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के एवं 2 (33.33 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता शामिल हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिन्हें मिट्टी का तेल डालकर मारने का प्रयास किया गया। इस सारणी से यह भी स्पष्ट है कि सामान्य जाति के उत्तरदाता सबसे अधिक हैं जिन्हें मारने का प्रयास किया

सारणी संख्या 4.31

उत्तरदाताओं की आयु एवं उन्हें दहेज के लिये प्रताडित करने सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	विवरण / आयुवर्ग	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15–20	15	75.00	05	25.00	20	100
2.	20–25	61	88.41	08	11.59	69	100
3.	25–30	87	86.14	14	13.86	101	100
4.	30–35	45	73.77	16	26.23	61	100
5.	35–40	13	39.40	20	60.60	33	100
6.	40–45	04	44.45	05	55.55	09	100
7.	45 से अधिक	03	42.86	04	57.14	07	100
	योग	228	76.00	72	24.00	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.31 के द्वारा उत्तरदाताओं की आयु एवं दहेज प्रताड़ना सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 15–20 आयुवर्ग के 20 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 15 (75 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया जबकि 5 (25 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें दहेज लाने के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया। 20–25 आयुवर्ग के 69 उत्तरदाता मिले जिनमें 61 (88.41 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताडित किया गया जबकि 8 (11.59 प्रतिशत) का कहनाहै कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया। 25–30 आयुवर्ग के 101 उत्तरदाताओं में से 87 (86.14 प्रतिशत) कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है जबकि इसी आयुवर्ग 14 (13.86 प्रतिशत) का कहना हैं कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया। 30–35 आयुवर्ग के 61 उत्तरदाता मिले जिनमें 45 (73.77 प्रतिशत) दहेज प्रताड़ना से सम्बन्धित हैं

जबकि 16 (26.23 प्रतिशत) उत्तरदाता दहेज प्रताड़ना से सम्बन्धित नहीं है। 35–40 आयुवर्ग के 33 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 13 (39.40 प्रतिशत) दहेज प्रताड़ना से सम्बन्धित हैं जबकि इसी आयुवर्ग के 20 (60.6 प्रतिशत) उत्तरदाता दहेज प्रताड़ना से सम्बन्धित नहीं है। 40–45 आयुवर्ग के 9 उत्तरदाता मिले जिनमें 4 (44.45 प्रतिशत) दहेज प्रताड़ना से सम्बन्धित हैं जबकि 5 (55.55 प्रतिशत) उत्तरदाता जो इसी आयुवर्ग के हैं दहेज प्रताड़ना से सम्बन्धित नहीं है। 45 से ऊपर आयुवर्ग के 7 उत्तरदाता मिले जिनमें 3 (42.86 प्रतिशत) दहेज प्रताड़ना से सम्बन्धित हैं जबकि 4 (57.14 प्रतिशत) दहेज प्रताड़ना से सम्बन्धित नहीं हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो दहेज प्रताड़ना से सम्बन्धित हैं।

सारणी संख्या 4.32

उत्तरदाताओं को दहेज लाने सम्बन्धी प्रताडना

क्र0सं0	दहेज सम्बन्धी प्रताडना	संख्या	प्रतिशत
1.	एक बार	02	00.88
2.	दो बार	54	23.68
3.	तीन बार	63	27.63
4.	कई बार	109	47.81
	योग	228	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.32 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाताओं को दहेज लाने हेतु कितनी बार प्रताड़ित किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 228 उत्तरदाता ऐसे मिले जिन्हें दहेज लाने हेतु प्रताड़ित किया गया। इन 228 उत्तरदाताओं में से 2 (.88 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिन्हें केवल एक बार दहेज लाने हेतु प्रताड़ित किया गया। 54 (23.68 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिन्हें दो बार दहेज लाने हेतु प्रताड़ित किया गया। 63 (27.63 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिन्हें तीन बार दहेज लाने हेतु

प्रताड़ित किया गया। 109 (47.81 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिन्हें कई बार दहेज लाने हेतु प्रताड़ित किया गया।

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिन्हें कई बार दहेज लाने हेतु प्रताड़ित किया गया।

सारणी संख्या 4.33

उत्तरदाताओं की आयु एवं पति से अलगाव में स्वयं की त्रुटि सम्बन्धी विवरण

क्र0 सं0	विवरण / आयुवर्ग	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15–20	01	05.00	19	95.00	20	100
2.	20–25	03	04.35	66	95.65	69	100
3.	25–30	01	00.99	100	99.01	101	100
4.	30–35	02	03.28	59	96.72	61	100
5.	35–40	02	06.06	31	93.94	33	100
6.	40–45	–	–	09	100	09	100
7.	45 से अधिक	02	28.57	05	71.43	07	100
	योग	11	03.67	289	96.33	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.33 उत्तरदाताओं की आयु एवं पति से अलगाव में स्वयं की त्रुटि से सम्बन्धित है। 15–20 आयुवर्ग के कुल 20 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 1 (5 प्रतिशत) का मानना है कि पति से अलगाव में उसकी स्वयं की त्रुटि थी जबकि 19 (95प्रतिशत) का कहना है कि पति से अलगाव में उनकी त्रुटि नहीं थी। 20–25 आयुवर्ग के 69 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 3 (4.35 प्रतिशत) का कहना है कि पति से अलगाव में उनकी स्वयं की त्रुटि थी जबकि 66 (95.65 प्रतिशत) का कहना है कि पति से अलगाव में उनकी कोई त्रुटि नहीं थी। 25–30

आयुवर्ग 101 उत्तरदाता मिले जिनमें 1 (.99 प्रतिशत) का कहना है कि पति से अलगाव में उनकी गलती थी जबकि 100 (99.01 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि पति से अलगाव में उनकी कोई गलती नहीं थी। 30–35 आयुवर्ग के 61 उत्तरदाता मिले जिनमें 2 (3.28 प्रतिशत) का कहना है कि पति से अलगाव में उनकी त्रुटि थी जबकि 59 (96.72 प्रतिशत) का कहना है कि पति से अलगाव में उनकी कोई गलती नहीं थी। 35–40 आयुवर्ग के 33 उत्तरदाता मिले जिनमें 2 (6.06 प्रतिशत) पति से अलगाव में अपनी त्रुटि मानते हैं। जबकि 31 (93.94 प्रतिशत) अपनी त्रुटि नहीं मानते। 40–45 आयुवर्ग के 9 उत्तरदाता मिले जिनमें कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। 45 से ऊपर आयु के 07 उत्तरदाता मिले जिनमें 2 (28.57 प्रतिशत) अपनी त्रुटि मानते हैं जबकि 5 (71.43 प्रतिशत) अपनी त्रुटि नहीं मानते।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह मानते हैं कि पति से अलगाव में उनकी गलती नहीं थी।

सारणी संख्या 4.34
उत्तरदाताओं का पति से अलगाव में स्वयं की त्रुटि के कारकों का विवरण

क्र0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	पति की कभी कद्र नहीं की	01	09.091
2.	पति का कभी कहना नहीं माना	01	09.091
3.	मनमाना खर्च की आदी हो गयी थी	02	18.182
4.	माता–पिता को ज्यादा महत्व देने लगी	02	18.182
5.	ससुरालजनों को कभी महत्व नहीं दिया	02	18.182
6.	विवाह के बाद भी सम्बन्ध दूसरों से बने रहे	01	09.091
7.	अन्य	02	18.182
	योग	11	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 4.34 के माध्यम से उत्तरदाताओं का पति से अलगाव में स्वयं त्रुटि के कारकों को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 11 उत्तरदाता ही ऐसे मिले जो पति से अलगाव में स्वयं की त्रुटि मानते हैं। इसलिए प्रस्तुत सारणी में केवल 11 उत्तरदाताओं को ही लिया गया है। इन 11 उत्तरदाताओं में से 1 (9.091 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका कहना है कि उन्होंने पति की कभी कद्र नहीं की। 01 (9.091 प्रतिशत) उत्तरदाता का कहना है कि पति का कभी कहना नहीं माना। 2 (18.182 प्रतिशत) का कहना है कि वे मनमाना खर्च की आदी हो गई थीं। 2 (18.182 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि वे अपने पति की अपेक्षा माता–पिता को ज्यादा महत्व देने लगी थीं। 2 (18.182 प्रतिशत) का कहना है कि उन्होंने ससुरालजनों को कभी महत्व नहीं दिया। 01 (9.091 प्रतिशत) का कहना है कि उनके सम्बन्ध विवाह के बाद भी दूसरों से बने रहे। 2 (18.182 प्रतिशत) अन्य कारकों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराते हैं।

अध्याय पंचम्

परित्यक्ता महिलाओं की मनः सामाजिक समस्यायें एवं वर्तमान में परित्यक्ता महिलाओं की स्थिति

अध्याय पंचम्
परित्यक्ता महिलाओं की मनः सामाजिक समस्याएँ एवं वर्तमान में परित्यक्ता महिलाओं की स्थिति

अध्यांय चतुर्थ में हमने परित्यक्ता महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त हमने अलगाव के कारकों को भी विभिन्न संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। पंचम अध्याय में हमने परित्यक्ता महिलाओं की मनः सामाजिक समस्याएँ एवं वर्तमान में परित्यक्ता महिलाओं की स्थिति को वर्णित एवं विश्लेषित किया है। परित्यक्ता महिलाओं की कौन–कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका खर्च कौन उठा रहा है, उन्होंने न्यायालय से अपने भरण–पोषण के लिए कितने रूपये की मांग की है, न्यायालय में मुकद्मा दायर करने का खयाल उन्हें कहाँ से आया, मुकद्में की पैरवी करने अकेले जाती हैं या किसी अन्य के साथ में, न्यायालय में दायर मुकद्में का खर्च कौन वहन करता है इत्यादि बातों को विस्तारपूर्वक उल्लेखित किया गया है। इसके साथ–साथ आपसी सुलह के लिए दोनों परिवारों के मध्य हुई पारिवारिक एवं जातीय पंचायत तथा उनमें भाग लेने वाले सदस्यों के बारे में भी चर्चा की गई है। अलगाव पश्चात परित्यक्ता महिलाओं का जीवन के बारे में क्या दृष्टिकोण है, इसको भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। अलगाव पश्चात क्या परित्यक्ता महिलाओं ने अपने पति से या उनके पति ने एक–दूसरे से मिलने की कोशिश की। यदि कोशिश की तो उसके क्या उद्देश्य थे, इस बारे में भी गहराई से प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। अन्य लोग परित्यक्ता महिलाओं को किस नजर से देखते हैं और क्या उनके संगे–साथियों ने पुनः पति के पास जाने को प्रेरित किया आदि बातों के बारे में भी प्रकाश डाला गया है। परित्यक्ता महिलाओं की वर्तमान में कैसी स्थिति है, वे इस घटना के लिए किन्हें जिम्मेदार मानती हैं, उन्होंने विवाह को किस रूप में देखा, क्या वे दोबारा विवाह करना चाहती हैं, उनकी नजर में पहले पति में क्या कमियाँ थीं, क्या वे भाग्वादी भी हैं, इत्यादि पहलुओं को सारणीयन के माध्यम से विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। परित्यक्ता महिलाएँ क्या अपने माता–पिता पर बोझ महसूस करती हैं, नाते–रिश्तेदार उनके बारे में माता–पिता से क्या कहते हैं, आदि बातों को भी उत्तरदाताओं के आन्तरिक पहलू से निकाला

गया है। परित्यक्ता महिलाएँ माता–पिता के घर में अकेले में कैसे समय व्यतीत करती हैं, क्या उनको घर में पहले जैसा सम्मान मिल रहा है, वे आगे के जीवन के लिए क्या योजनाएँ बना रही हैं, पति के बिना उनका जीवन कैसा है, क्या वे सुखी हैं, यदि सुखी नहीं हैं तो वे किन परिस्थितियों में सुखी रह सकती हैं आदि पहलुओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया है। उपरोक्त वर्णित विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित सारणीयन एवं विश्लेषण निम्नवत हैः–

सारणी संख्या 5.1

उत्तरदाताओं की जाति एवं घर छोड़ने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण / जाति	स्वयं पति का घर छोड़ा		पति ने निकाला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	5	4.55	105	95.45	110	100
2.	पिछड़ी जाति	15	10.56	127	89.44	142	100
3.	अनुसूचित जाति	4	9.52	38	90.48	42	100
4	अन्य	1	16.67	5	83.33	6	100
	योग	25	8.33	275	91.67	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.1 के माध्यम से उत्तरदाताओं की जाति एवं घर छोड़ने सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से सामान्य जाति के 110 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 5 (4.55 प्रतिशत) का कहना है कि उन्होंने स्वयं पति का घर छोड़ा जबकि 105 (95.45 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने उन्हें घर से निकाला। पिछड़ी जाति के 142 उत्तरदाता मिले जिनमें 15 (10.56 प्रतिशत) का कहना है कि उन्होंने स्वयं पति का घर छोड़ा जबकि 127 (89.44 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने उन्हें घर से निकाला। अनुसूचित जाति के 42 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 4 (9.52 प्रतिशत) का कहना है कि उन्होंने स्वयं पति का घर छोड़ा जबकि 38 (90.48 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने उन्हें घर से निकाला। अन्य जाति के उत्तरदाताओं की संख्या 6 प्राप्त हुई जिनमें (16.67 प्रतिशत) का कहना है कि उन्होंने स्वयं पति का घर छोड़ा जबकि 5 (83.33 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने उन्हें घर से निकाला।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। इस सारणी से यह भी ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके पति ने उन्हें घर से निकाला।

सारणी संख्या 5.2

उत्तरदाताओं का स्वयं पति का घर छोड़ते समय उत्पन्न विचार सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	पति के चंगुल से मुक्ति मिल गई	04	16
2.	ससुरालजनों से पीछा छूटा	07	28
3.	रोज–रोज की झंझटों से छुटकारा मिला	08	32
4.	गलत किया, घर नहीं छोड़ना चाहिए था	5	20
5	अन्य	1	4
	योग	25	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.2 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि जब उत्तरदाताओं ने स्वयं पति का घर छोड़ा तो उनके मन में किए तरह के विचार उत्पन्न हुए। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 25 उत्तरदाता ही ऐसे मिले जिन्होंने स्वयं पति का घर छोड़ा। इसलिए इस सारणी में 25 उत्तरदाताओं को ही आधार माना गया है। इन 25 उत्तरदाताओं में से 4 (16 प्रतिशत) का कहना है कि जब उन्होंने पति का घर छोड़ा तो उन्हें ऐसा लगा कि पति के चंगुल से मुक्ति मिल गई। 7 (28 प्रतिशत) का कहना है कि जब उन्होंने पति का घर छोड़ा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे ससुरालजनों से पीछा छूट गया। कुछ उत्तरदाताओं का कहना है कि जब उन्होंने पति का घर छोड़ा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे रोज–रोज की झंझटों से उन्हें छुटकारा मिल गया। ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या 8 (32 प्रतिशत) है। 5 (20 प्रतिशत) का कहना है कि उन्होंने गलत किया, उन्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। 1 (4 प्रतिशत) उत्तरदाता ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह कहती हैं कि पति का घर छोड़ने पर उन्हें रोज–रोज की झंझटों से छुटकारा मिल गया।

सारणी संख्या 5.3

पति द्वारा घर से निकालते समय उत्तरदाताओं के अन्दर उत्पन्न विचार सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	इस घर से मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया	64	23.27
2.	पति के क्रूरतम रूप को जाना	86	31.27
3.	आत्महत्या करने की सोची	12	4.36
4.	घर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था	32	11.64
5.	बहुत दुःख हुआ	48	17.46
6.	अन्य (बदला लेने की सोची)	33	12
	योग	275	100

पति द्वारा घर से निकालते समय उत्तरदाताओं के मन में कैसे–कैसे या किस तरह के विचार उत्पन्न हुए, इसी को सारणी संख्या 5.3 में दर्शाया गया है। कुल 275 उत्तरदाताओं में से 64 (23.27 प्रतिशत) का कहना है कि जब उनके पति ने उन्हें घर से निकाला तो उन्हें ऐसा लगा कि इस घर से उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। 86 (31.27 प्रतिशत) का कहना है कि जब उनके पति ने उन्हें घर से निकाला तब उन्होंने पति के क्रूरतम रूप को जाना। 12 (4.36 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि जब उनके पति ने उन्हें घर से निकाला तो उन्होंने आत्महत्या तक करने की सोची। 32 (11.64 प्रतिशत) का कहना है कि जब उनके पति ने उन्हें घर से निकाला तो उनका घर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। 48 (17.46 प्रतिशत) का कहना है कि जब उनके पति ने उन्हें घर से निकाला तो उन्हें बहुत दुःख हुआ। 33 (12 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि जब उनके पति ने उन्हें घर से निकाला तो उन्होंने अपने मन में इस अपमान का बदला लेने की सोची।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिन्होंने पति द्वारा घर से निकालते समय पति के क्रूरतम रूप को जाना।

सारणी संख्या 5.4

शादी के पश्चात पति के घर में निवास करने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	0–6 माह	37	12.33
2.	6 माह से एक वर्ष	67	22.33
3.	1–2 वर्ष	103	34.33
4.	2–4 वर्ष	41	13.67
5.	4–6 वर्ष	35	11.67
6.	6–8 वर्ष	8	2.67
7.	8–10 वर्ष	9	3
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.4 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि चयनित उत्तरदाता शादी के पश्चात् कितने माह या वर्ष पति के घर में रहीं। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 37 (12.33 प्रतिशत) का कहना है कि वे अपने पति के घर में मात्र 6 माह रहीं। 67 (22.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि वे पति के घर में 6 माह से 1 वर्ष तक लगभग रहीं। जो उत्तरदाता 1–2 वर्ष के लगभग पति के घर में रहीं उनकी संख्या 103 (34.33 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं ने 2–4 वर्ष के बीच पति के घर में निवास किया उनकी संख्या 41 (13.67 प्रतिशत) है। जो उत्तरदाता 4–6 वर्ष के बीच पति के घर में निवास किया उनकी संख्या 35 (11.67 प्रतिशत) है। जो उत्तरदाता 6–8 वर्ष के बीच पति के घर में रहीं उनकी संख्या 8 (2.67 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं ने 8–10 वर्ष तक पति के घर में निवास किया उनकी संख्या 9 (3 प्रतिशत) है।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो शादी के पश्चात अपने पति के यहाँ एक से दो वर्ष तक रहीं।

सारणी संख्या 5.5

पति से अलग होने के पश्चात खर्च उठाने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	माता–पिता	150	50
2.	भाई	33	11
3.	बहन	15	5
4.	रिश्तेदार	18	6
5.	स्वयं	76	25.33
6.	अन्य	8	2.67
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.5 के द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि पति से अलग होने के पश्चात उत्तरदाताओं का खर्च कौन उठाता है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 150 (50 प्रतिशत) का कहना है कि उनका खर्च उनके माता–पिता उठाते हैं। 33 (11 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनका खर्च उनका भाई उठाता है। 15 (5 प्रतिशत) का कहना है कि उनका खर्च उनकी बहन उठाती है। जिन उत्तरदाताओं का खर्च उनके रिश्तेदार वहन करते हैं उनकी संख्या 18 (6 प्रतिशत) है। जो उत्तरदाता अपना खर्च स्वयं उठाते हैं उनकी संख्या 76 (25.33 प्रतिशत) है। 8 (2.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका खर्च इन सभी के अतिरिक्त अन्य जन उठाते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनका खर्च उनके माता–पिता उठाते हैं।

सारणी संख्या 5.6

उत्तरदाताओं की संख्या एवं न्यायालय में दायर मासिक खर्चे की मांग का विवरण

क्र.सं.	खर्चा (रूपयों में)	संख्या	प्रतिशत
1.	1000—2000	22	7.33
2.	2000—4000	45	15
3.	4000—6000	105	35
4.	6000—8000	74	24.67
5.	8000—10000	26	8.67
6.	10000—12000	18	6
7.	12000 से अधिक	10	3.33
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.6 के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि चयनित उत्तरदाताओं ने न्यायालय में निर्वाह भत्ता के लिए कितने रूपये का क्लेम किया है। जिन उत्तरदाताओं ने 1000—2000 रूपये का क्लेम किया है उनकी संख्या 22 (7.33 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं ने 2000—4000 रूपये के बीच क्लेम किया है उनकी संख्या 45 (15 प्रतिशत) है। 105 (35 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जिन्होंने 4000—6000 रूपये के बीच क्लेम किया है। 74 (24.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिन्होंने 6000—8000 रूपये के बीच क्लेम किया है। 26 (8.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जिन्होंने 8000—10000 के बीच क्लेम किया है। जिन उत्तरदाताओं ने 10000—12000 रूपये के बीच क्लेम किया है उनकी संख्या 18 (6 प्रतिशत) है। 12000 से अधिक क्लेम जिन्होंने किया है उनकी संख्या 10 (3.33 प्रतिशत) है।

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिन्होंने अपने मुकद्में में 4000—6000 रूपये का क्लेम किया है।

सारणी संख्या 5.7

उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं न्यायालय में निर्वाह भत्ता के लिए दायर खर्चे का विवरण

खर्चा (रूपये में) / शिक्षा	अशिक्षित		प्राइमरी		जू0हा0स्कूल		हाईस्कूल		इण्टर		स्नातक		परास्नातक		अन्य		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1000—2000	1	4.55	4	18.18	8	36.36	8	36.36	1	4.55	—	—	—	—	—	—	22	100
2000—4000	1	2.22	2	4.44	2	4.44	12	26.67	10	22.22	10	22.22	6	13.33	2	4.44	45	100
4000—6000	—	—	1	0.95	3	2.86	18	17.14	22	20.95	28	26.67	25	23.81	8	7.62	105	100
6000—8000	—	—	—	—	2	2.70	6	8.11	22	29.73	21	28.38	21	28.38	2	2.70	74	100
8000—10000	—	—	—	—	1	3.85	4	15.38	16	61.54	3	11.53	1	3.85	1	3.85	26	100
10000—12000	—	—	—	—	—	—	2	11.11	3	16.67	6	33.33	5	27.78	2	11.11	18	100
12000 से अधिक	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	2	20	4	40	3	30	10	100
योग	02	0.67	7	2.33	16	5.33	50	16.67	75	25	70	23.33	62	20.67	18	6	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.7 के माध्यम से उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति एवं न्यायालय में निर्वाह भत्ता के लिए दायर खर्चे (रूपये) के विवरण को दर्शाया गया है। 1000–2000 रूपये मांग करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 22 प्राप्त हुई। इन 22 उत्तरदाताओं में से 1 (4.55 प्रतिशत) अशिक्षित, 4 (18.18 प्रतिशत) प्राइमरी, 8 (36.36 प्रतिशत) जूनियर हाईस्कूल, 8 (36.36 प्रतिशत) हाईस्कूल, 1 (4.55 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट पास उत्तरदाता शामिल हैं। 45 ऐसे उत्तरदाता मिले जिन्होंने न्यायालय से 2000–4000 रूपये की मांग की। इन 45 उत्तरदाताओं में से 1 (2.22 प्रतिशत) अशिक्षित, 2 (4.44 प्रतिशत) प्राइमरी, 2 (4.44 प्रतिशत) जूनियर हाईस्कूल, 12 (26.67 प्रतिशत) हाईस्कूल, 10 (22.22 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट, 10 (22.22 प्रतिशत) स्नातक, 6 (13.33 प्रतिशत) परास्नातक एवं 2 (4.44 प्रतिशत) अन्य शिक्षा प्राप्त उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 105 उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जिन्होंने न्यायालय से निर्वाह भत्ता के लिए 4000–6000 रूपये की मांग की। इन 105 उत्तरदाताओं में 1 (0.95 प्रतिशत) प्राइमरी, 3 (2.86 प्रतिशत) जूनियर हाईस्कूल, 18 (17.14 प्रतिशत) हाईस्कूल, 22 (20.95 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट, 28 (26.67 प्रतिशत) स्नातक, 25 (23.81 प्रतिशत) परास्नातक एवं 8 (7.62 प्रतिशत) अन्य योग्यताधारी उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 6000–8000 के बीच जिन उत्तरदाताओं ने न्यायालय से निर्वाह भत्ता के लिए मांग की उनकी संख्या 74 प्राप्त हुई। इन 74 उत्तरदाताओं में 2 (2.70 प्रतिशत) जूनियर हाईस्कूल, 6 (8.11 प्रतिशत) हाईस्कूल, 22 (29.73 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट, 21 (28.38 प्रतिशत) स्नातक, 21 (28.38 प्रतिशत) परास्नातक एवं 2 (2.70 प्रतिशत) अन्य योग्यता वाले उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 26 ऐसे उत्तरदाता मिले जिन्होंने न्यायालय से 8000–10000 रूपये की मांग निर्वाह भत्ता हेतु की। इन 26 उत्तरदाताओं में 1 (3.85 प्रतिशत) जूनियर हाईस्कूल, 4 (15.39 प्रतिशत) हाईस्कूल, 16 (61.54 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट, 3 (11.53 प्रतिशत) स्नातक, 1 (3.85 प्रतिशत) परास्नातक एवं 1 (3.85 प्रतिशत) अन्य योग्यता वाले उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 10,000–12,000 के बीच जिन उत्तरदाताओं ने निर्वाह भत्ता के लिए न्यायालय से मांग की उनकी संख्या 18 प्राप्त हुई। इन 18 उत्तरदाताओं में से 2 (11.11 प्रतिशत) हाईस्कूल, 3 (16.67 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट, 6 (33.33 प्रतिशत) स्नातक, 5 (27.78 प्रतिशत) परास्नातक एवं 2 (11.11 प्रतिशत) अन्य योग्यता

वाले उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 12,000 से अधिक जिन उत्तरदाताओं ने निर्वाह भत्ता हेतु खर्चे की मांग की उनकी संख्या 10 प्राप्त हुई। इन 10 उत्तरदाताओं में से 1 (10 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट, 2 (20 प्रतिशत) स्नातक, 4 (40 प्रतिशत) परास्नातक एवं 3 (30 प्रतिशत) अन्य योग्यताधारी उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के क्षैतिज विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिन्होंने 4000–6000 रूपये की मांग न्यायालय से निर्वाह भत्ता के लिए किया। सारणी को लम्बवत आधार पर देखने से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक संख्या इण्टरमीडिएट पास उत्तरदाताओं की है। इसके पश्चात स्नातक पास उत्तरदाता दिखाई देते हैं।

सारणी संख्या 5.8

उत्तरदाताओं की जाति एवं न्यायालय में निर्वाह भत्ता के लिए दायर खर्चे का विवरण

	जाति / खर्चा (रूपये में)	सामान्य		पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1000—2000	2	9.09	5	22.72	12	54.55	3	13.64	22	100
2.	2000—4000	12	26.67	21	46.67	10	22.22	2	4.44	45	100
3.	4000—6000	49	46.67	45	42.86	10	9.52	1	0.95	105	100
4.	6000—8000	18	24.32	50	67.57	6	8.11	—	—	74	100
5.	8000—10000	11	42.31	11	42.31	4	15.38	—	—	26	100
6.	10000—12000	10	55.56	8	44.44	—	—	—	—	18	100
7.	12000 से अधिक	8	80	2	20	—	—	—	—	10	100
	योग	110	36.67	142	47.33	42	14	6	2	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.8 के माध्यम से उत्तरदाताओं द्वारा न्यायालय में निर्वाह भत्ता के लिए खर्च एवं जाति में सम्बन्ध को दर्शाया गया है। 1000–2000 रूपये के बीच क्लेम करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 22 प्राप्त हुई। इन 22 उत्तरदाताओं में से 2 (9.09 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 5 (22.72 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 12 (54.55 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 3 (13.64 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। जिन उत्तरदाताओं ने 2000–4000 रूपये की मांग न्यायालय से की उनकी संख्या 45 प्राप्त हुई। इन 45 उत्तरदाताओं में से सामान्य जाति के 12 (26.67 प्रतिशत), पिछड़ी जाति के 21 (46.67 प्रतिशत), अनुसूचित जाति के 10 (22.22 प्रतिशत) एवं अन्य जाति के 2 (4.44 प्रतिशत) उत्तरदाता सम्मिलित हैं। जिन उत्तरदाताओं ने 4000–6000 रूपये की मांग न्यायालय से निर्वाह भत्ता के लिये किया उनकी संख्या 105 प्राप्त हुई। इन 105 उत्तरदाताओं में से 49 (46.67 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 45 (42.86 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 10 (9.52 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 1 (0.95 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता शामिल हैं। 6000–8000 रूपये की मांग करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 74 प्राप्त हुई जिनमें सामान्य जाति के 18 (24.32 प्रतिशत), 50 (67.57 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 6 (8.11 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 8000–10000 रूपये की मांग करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 26 प्राप्त हुई जिनमें 11 (42.31 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 11 (42.31 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के एवं 4 (15.38 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। ऐसे उत्तरदाता जिन्होंने 10000–12000 रूपये की मांग न्यायलय से की उनकी संख्या 18 प्राप्त हुई। इन 18 उत्तरदाताओं में से 10 (55.56 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 8 (44.44 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 12000 से अधिक रूपये की मांग करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 10 प्राप्त हुई जिनमें 8 (80 प्रतिशत) सामान्य जाति के एवं 2 (20 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के क्षैतिज विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिन्होंने न्यायालय से निर्वाह भत्ता के लिये 4000–6000 रूपये की मांग की। इस सारणी को लम्बवत दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात होता है कि पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है।

सारणी संख्या 5.9

न्यायालय में मुकदमा दायर करने सम्बन्धी प्रेरणा का विवरण

क्र.सं.	मुकद्मा दायर करने सम्बन्धी प्रेरणा	संख्या	प्रतिशत
1.	माता–पिता के कहने पर	75	25
2.	भाई की सलाह पर	29	9.67
3.	बहन की सलाह पर	30	10
4.	सहेलियों की सलाह पर	19	6.33
5.	पत्रिकाओं / टेलीविजन से प्रभावित होकर	11	3.67
6.	किसी पुरुष दोस्त के कहने पर	9	3
7.	रिश्तेदारों के कहने पर	86	28.66
8.	किसी के कहने पर नहीं (स्वयं)	26	8.67
9.	अन्यजनों की सलाह पर	15	5
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.9 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाताओं को न्यायालय में भरण–पोषण के हेतु मुकदमा दायर करने के लिये किसने प्रेरित किया। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 75 (25 प्रतिशत) का कहना है कि न्यायालय में मुकद्मा दायर करने के लिये उनके माता–पिता ने प्रेरित किया। 29 (9.67 प्रतिशत) ने भाई की सलाह पर न्यायालय में मुकद्मा दायर किया। 30 (10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपनी बहन की सलाह पर न्यायालय में मुकद्मा दायर किया। 19 (6.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपनी सहेलियों की सलाह पर न्यायालय में मुकदमा दायर किया। 11 (3.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने पत्रिकाओं / टेलीविजन इत्यादि से प्रभावित होकर न्यायालय में मुकद्मा दायर किया। 9 (3 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपने पुरुष दोस्त के कहने पर न्यायालय में मुकद्मा दायर किया। 86 (28.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने रिश्तेदारों के कहने पर न्यायालय में मुकद्मा दायर किया। 26 (8.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्वयं अपने निर्णय से न्यायालय में मुकद्मा दायर किया। 15 (5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अन्य लोगों की सलाह पर न्यायालय में मुकद्मा दायर किया।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के कहने पर न्यायालय में भरण–पोषण के लिये

सारणी संख्या 5.10

उत्तरदाताओं की जाति एवं न्यायालय में मुकदमा दायर करने सम्बन्धी प्रेरणा का विवरण

क्र. सं.	जाति / प्रेरणा स्रोत का विवरण	सामान्य		पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	माता–पिता के कहने पर	35	46.67	29	38.67	9	12	2	2.66	75	100
2.	भाई की सलाह पर	13	44.83	8	27.59	7	24.14	1	3.44	29	100
3.	बहन की सलाह पर	7	23.33	12	40	10	33.33	1	3.33	30	100
4.	सहेलियों के कहने पर	6	31.58	8	42.10	5	26.32	—	—	19	100
5.	पत्रिकाओं / टेलीविजन से प्रभावित होकर	7	63.64	2	18.18	1	9.09	1	9.09	11	100
6.	किसी पुरुष दोस्त के कहने पर	2	22.22	5	55.56	2	22.22	—	—	9	100
7.	रिश्तेदारों के कहने पर	22	25.58	58	67.45	5	5.81	1	1.16	86	100
8.	किसी के कहने पर नहीं (स्वयं)	10	38.46	14	53.85	2	7.69	—	—	26	100
9.	अन्यजनों की सलाह पर	8	53.33	6	40	1	6.67	—	—	15	100
	योग	110	36.67	142	47.33	42	14	6	2	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.10 के आधार पर उत्तरदाताओं की जाति एवं न्यायालय में मुकद्मा करने सम्बन्धी प्रेरणा स्रोत को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 75 उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका कहना है कि उन्होंने माता–पिता के कहने पर न्यायालय में मुकद्मा दायर किया। इन 75 उत्तरदाताओं में से 35 (46.67 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 29 (38.67 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 9 (12 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 2 (2.66 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता शामिल हैं। भाई की सलाह पर जिन लोगों ने न्यायालय में मुकद्मा दायर किया उनकी संख्या 29 प्राप्त हुई। इन 29 उत्तरदाताओं में 13 (44.83 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 8 (27.59 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 7 (24.14 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 1 (3.44 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। बहन की सलाह पर 30 उत्तरदाताओं ने न्यायालय में मुकद्मा दायर किया जिनमें 7 (23.33 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 12 (40 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 10 (33.33 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 1 (3.33 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। सहेलियों की सलाह पर 19 उत्तरदाताओं ने मुकद्मा दायर किया जिनमें 6 (31.58 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 8 (42.10 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के एवं 5 (26.32 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता सम्मिलित है। पत्रिकाओं/टेलीविजन से प्रभावित होकर 11 उत्तरदाताओं ने न्यायालय में मुकद्मा दायर किया जिनमें 7 (63.64 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 2 (18.18 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 1 (9.09 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के, 1 (9.09 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 9 उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जिन्होंने किसी पुरुष दोस्त के कहने पर न्यायालय में मुकद्मा दायर किया जिसमें 2 (22.22 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 5 (55.56 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 2 (22.22 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता शामिल हैं। रिश्तेदारों के कहने पर 86 लोगों ने निर्वाह भत्ता के लिये न्यायालय में मुकद्मा दायर किया जिसमें 22 (25.58 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 58 (67.45 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के, 5 (5.81 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 1 (1.16 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं।, 26 उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए हैं जिन्होंने स्वयं अपने आप निर्णय लेकर न्यायालय में मुकद्मा दायर किया जिनमें 10 (38.46 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 14 (53.85 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के एवं 2 (7.69 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता शामिल हैं। 15 उत्तरदाता ऐसे मिले जिन्होंने अन्यजनों की

सलाह पर न्यायालय में मुकद्मा दायर किया। इन उत्तरदाताओं में 8 (53.33 प्रतिशत) सामान्य जाति के, 6 (40 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के एवं 1 (6.67 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिन्होंने रिश्तेदारों के कहने पर निर्वाह भत्ता के लिये न्यायालय में मुकद्मा दायर किया।

सारणी संख्या 5.11

उत्तरदाताओं की आयु एवं मुकदमें की पैरवी अकेले करने जाने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण / आयुवर्ग	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15–20	3	15	17	85	20	100
2.	20–25	16	23.19	53	76.81	69	100
3.	25–30	47	46.53	54	53.47	101	100
4.	30–35	43	70.49	18	29.51	61	100
5.	35–40	22	66.67	11	33.33	33	100
6.	40–45	5	55.56	4	44.44	9	100
7.	45 से ऊपर	4	57.14	3	42.86	7	100
	योग	140	46.67	160	53.33	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.11 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु एवं मुकद्में की पैरवी अकेले करने जाने सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। 15–20 आयुवर्ग के 20 उत्तरदाता मिले जिनमें 3 (15 प्रतिशत) मुकद्में की पैरवी करने अकेले जाती हैं जबकि 17 (85 प्रतिशत) अकेले नहीं जातीं। 20–25 आयुवर्ग के 69 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 16 (23.19 प्रतिशत) मुकद्में की पैरवी करने अकेले जाती हैं जबकि इसी आयुवर्ग की 53 (76.81 प्रतिशत) मुकद्में की पैरवी करने अकेले नहीं जातीं। 25–30 आयुवर्ग के 101 उत्तरदाता मिले जिनमें 47 (46.53 प्रतिशत) उत्तरदाता मुकद्में की पैरवी करने अकेले जाती हैं जबकि इसी आयुवर्ग की

54 (53.47 प्रतिशत) उत्तरदाता मुकद्में की पैरवी करने अकेले नहीं जाती। 30–35 आयुवर्ग के 61 उत्तरदाता मिले जिनमें 43 (70.49 प्रतिशत) उत्तरदाता मुकदमें की पैरवी करने अकेले जाती हैं जब कि 18 (29.51 प्रतिशत) मुकदमें की पैरवी करने अकेले नहीं जाती हैं। 35 से 40 आयुवर्ग के 33 उत्तरदाताओं में से 22 (66.67 प्रतिशत) मुकदमें की पैरवी करने अकेले एवं 11 (33.33 प्रतिशत) मुकद्में की पैरवी करने अकेले नहीं जाती हैं। 40–45 आयुवर्ग के 5 (55.56 प्रतिशत) उत्तरदाता मुकद्में की पैरवी करने अकेले जाती हैं जबकि इसी आयुवर्ग के 4 (44.44 प्रतिशत) उत्तरदाता मुकद्में की पैरवी करने अकेले नहीं जातीं। 45 से ऊपर आयुवर्ग के 7 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 4 (57.14 प्रतिशत) मुकद्में की पैरवी करने अकेले जाती हैं जबकि 3 (42.86 प्रतिशत) मुकद्में की पैरवी करने अकेले नहीं जातीं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो मुकद्में की पैरवी करने अकेले नहीं जातीं।

सारणी संख्या 5.12

उत्तरदाताओं की आयु एवं मुकदमें की पैरवी हेतु परिजनों के साथ जाने सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	पैरवी हेतु साथ जाने वाले परिजन / आयुवर्ग	पिता		माता		भाई		बहन		दोस्त		रिश्तेदार		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15—20	9	52.94	2	11.77	3	17.65	1	5.88	1	5.88	1	5.88	—	—	17	100
2.	20—25	22	41.51	10	18.87	14	26.42	3	5.66	2	3.77	2	3.77	—	—	53	100
3.	25—30	17	31.48	12	22.22	15	27.77	3	5.56	3	5.56	3	5.56	1	1.85	54	100
4.	30—35	6	33.33	6	33.33	4	22.22	1	5.56	1	5.56	—	—	—	—	18	100
5.	35—40	4	36.37	2	18.18	—	—	1	9.09	3	27.27	1	9.09	—	—	11	100
6.	40—45	1	25	1	25	—	—	1	25	—	—	—	—	1	25	04	100
7.	45 से अधिक	1	33.33	—	—	1	33.33	—	—	1	33.33	—	—	—	—	03	100
	योग	60	37.5	33	20.62	37	23.13	10	6.25	11	6.87	07	4.38	02	1.25	160	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.12 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु एवं उत्तरदाताओं के साथ मुकद्में की पैरवी हेतु जाने वाले परिजनों के विवरण को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 160 उत्तरदाता ऐसे मिले जो मुकद्में की पैरवी करने अकेले नहीं जाते। इसलिए इस सारणी में 160 उत्तरदाताओं को ही आधार बनाया गया है। 15–20 आयुवर्ग के 17 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 9 (52.94 प्रतिशत) पिता के साथ, 2 (11.77 प्रतिशत) माता के साथ, 3 (17.65 प्रतिशत) भाई के साथ, 1 (5.88 प्रतिशत) बहन के साथ, 1 (5.88 प्रतिशत) दोस्त के साथ एवं 1 (5.88 प्रतिशत) रिश्तेदार के साथ मुकद्में की पैरवी करने जाती हैं। 20–25 आयुवर्ग के 53 उत्तरदाता मिले जिनमें 22 (41.51 प्रतिशत) पिता के साथ, 10 (18.87 प्रतिशत) माता के साथ, 14 (26.42 प्रतिशत) भाई के साथ, 3 (5.66 प्रतिशत) बहन के साथ, 2 (3.77 प्रतिशत) दोस्त के साथ, 2 (3.77 प्रतिशत) रिश्तेदार के साथ मुकद्में की पैरवी करने जाती हैं। 25–30 आयुवर्ग के 54 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 17 (31.48 प्रतिशत) पिता, 12 (22.22 प्रतिशत) माता, 15 (27.77 प्रतिशत) भाई, 3 (5.56 प्रतिशत) बहन, 3 (5.56 प्रतिशत) दोस्त, 3 (5.56 प्रतिशत) रिश्तेदार एवं 1 (1.85 प्रतिशत) अन्य के साथ मुकद्में की पैरवी करने जाती हैं। 30–35 आयुवर्ग के 18 उत्तरदाताओं में से 6 (33.33 प्रतिशत) पिता, 6 (33.33 प्रतिशत) माता, 4 (22.22 प्रतिशत) भाई, 1 (5.56 प्रतिशत) बहन एवं 1 (5.56 प्रतिशत) दोस्त के साथ मुकद्में की पैरवी करने जाती हैं। 35–40 आयुवर्ग के 11 उत्तरदाताओं में से 4 (36.37 प्रतिशत) पिता, 2 (18.18 प्रतिशत) माता, 1 (9.09 प्रतिशत) बहन, 3 (27.27 प्रतिशत) दोस्त एवं 1 (9.09 प्रतिशत) रिश्तेदार के साथ मुकद्में की पैरवी करने जाती हैं। 40–45 आयुवर्ग के 4 उत्तरदाताओं में से 1 (25 प्रतिशत) पिता, 1 (25 प्रतिशत) माता, 1 (25 प्रतिशत) बहन एवं 1 (25 प्रतिशत) अन्य के साथ मुकद्में की पैरवी करने जाती हैं। 45 से अधिक आयुवर्ग के 3 उत्तरदाताओं में से 1 (33.33 प्रतिशत) पिता, 1 (33.33 प्रतिशत) भाई एवं 1 (33.33 प्रतिशत) दोस्त के साथ मुकद्में की पैरवी करने जाती हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के क्षैतिज विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो 25–30 आयुवर्ग के हैं। इस सारणी को लम्बवत आधार पर देखने से पता चलता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो अपने पिता के साथ मुकद्में की पैरवी करने जाती हैं।

सारणी संख्या 5.13

उत्तरदाताओं की संख्या एवं दायर मुकदमें का खर्च उठाने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	मुकद्में का खर्च वहन करने वाले	संख्या	प्रतिशत
1.	पिता	92	30.67
2.	माता	43	14.33
3.	भाई	72	24.00
4.	बहन	23	7.67
5.	नाते–रिश्तेदार	18	6
6.	स्वयं	33	11
7.	अन्य	19	6.33
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.13 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाताओं के दायर मुकद्में का खर्च कौन उठाता है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 92 (30.67 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मुकद्में का खर्च उनके पिता उठाते हैं। 43 (14.33 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मुकद्में का खर्च उनकी माता उठाती हैं। 72 (24 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके मुकदमें का खर्च उनका भाई उठाता है। 23 (7.67 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मुकद्में का खर्च उनकी बहन उठाती है। 18 (6 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मुकद्में का खर्च उनके नाते–रिश्तेदार उठाते हैं। 33 (11 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मुकद्में का खर्च वे स्वयं वहन करती हैं। 19 (6.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके मुकद्में का खर्च अन्य लोग उठाते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके मुकद्में का खर्च उनके पिता उठाते हैं।

सारणी संख्या 5.14
उत्तरदाताओं की आयु तथा दोनों परिवारों के मध्य हुई पारिवारिक पंचायत का विवरण

क्र.सं.	विवरण / आयुवर्ग	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15–20	19	95	01	5	20	100
2.	20–25	67	97.10	02	2.90	69	100
3.	25–30	99	98.02	02	1.98	101	100
4.	30–35	59	96.72	02	3.28	61	100
5.	35–40	28	84.85	05	15.15	33	100
6.	40–45	09	100	–	–	09	100
7.	45 से अधिक	07	100	–	–	07	100
	योग	288	96	12	4	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.14 के द्वारा उत्तरदाताओं की आयु तथा दोनों परिवारों के मध्य हुई पारिवारिक पंचायत का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 15–20 आयुवर्ग के 20 उत्तरदाता मिले जिनमें 19 (95 प्रतिशत) का कहना है कि दोनों परिवारों के मध्य परिवारिक पंचायत हुई जबकि 1 (5 प्रतिशत) का कहना है कि उनके यहाँ कोई पारिवारिक पंचायत नहीं हुई। 20–25 आयुवर्ग के 69 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 67 (97.10 प्रतिशत) का कहना है कि उनके यहाँ पारिवारिक पंचायत हुई जबकि 2 (2.90 प्रतिशत) का कहना है कि उनके यहाँ कोई पारिवारिक पंचायत नहीं हुई। 25–30 आयुवर्ग के 101 उत्तरदाता मिले जिनमें 99 (98.02 प्रतिशत) का कहना है कि उनके यहाँ दोनों परिवार के मध्य पारिवारिक पंचायत हुई जबकि 2 (1.98 प्रतिशत) का कहना है कि उनके यहाँ कोई पारिवारिक पंचायत नहीं हुई। 30–35 आयुवर्ग के 61 उत्तरदाता मिले जिनमें 59 (96.72 प्रतिशत) का कहना है कि उनके यहाँ आपसी सुलह के लिए पारिवारिक पंचायत हुई जबकि 2 (3.28 प्रतिशत) का कहना है कि उनके यहाँ इस तरह की कोई पंचायत नहीं हुई। 35–40 आयुवर्ग के 33 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 28 (84.85 प्रतिशत) के यहाँ पारिवारिक

पंचायत हुई जबकि 5 (15.15 प्रतिशत) के यहाँ कोई पारिवारिक पंचायत नहीं हुई। 40–45 आयुवर्ग के 9 उत्तरदाता प्राप्त हुए और इन सभी के यहाँ आपसी सुलह के लिए पारिवारिक पंचायत हुई। 45 से अधिक आयुवर्ग के 7 उत्तरदाता मिले और इन सभी के यहाँ सुलह के लिए पारिवारिक पंचायत हुई।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके यहाँ आपसी सुलह के लिए पारिवारिक पंचायतें हुईं।

सारणी संख्या 5.15

उत्तरदाताओं की आयु तथा दोनों परिवारों के मध्य हुई जातीय पंचायत का विवरण

क्र.सं.	विवरण / आयुवर्ग	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15–20	13	22.03	46	77.97	59	100
2.	20–25	9	17.31	43	82.69	52	100
3.	25–30	18	33.33	36	66.67	54	100
4.	30–35	15	32.61	31	67.39	46	100
5.	35–40	25	65.79	13	34.21	38	100
6.	40–45	15	50	15	50	30	100
7.	45 से अधिक	13	61.90	8	38.10	21	100
	योग	108	36	192	64	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.15 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु तथा दोनों परिवारों के मध्य हुई जातीय पंचायत के विवरण को प्रस्तुत किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 15–20 आयुवर्ग के 59 उत्तरदाता मिले जिनमें 13 (22.03 प्रतिशत) के यहाँ जातीय पंचायत हुई जबकि 46 (77.97 प्रतिशत) के यहाँ इस प्रकार की कोई जातीय पंचायत नहीं हुई। 20–25 आयुवर्ग के 52 उत्तरदाता मिले जिनमें 9 (17.31 प्रतिशत) के यहाँ जातीय पंचायत हुई जबकि 43 (82.69 प्रतिशत) के यहाँ कोई जातीय पंचायत नहीं हुई। 25–30 आयुवर्ग के 54 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 18 (33.33 प्रतिशत) के यहाँ जातीय पंचायत हुई जबकि 36 (66.67 प्रतिशत) का कहना है कि उनके यहाँ इस प्रकार की कोई पंचायत नहीं हुई। 30–35

आयुवर्ग के 46 उत्तरदाताओं में से 15 (32.61 प्रतिशत) के यहाँ जातीय पंचायत हुई जबकि 31 (67.39 प्रतिशत) के यहाँ कोई जातीय पंचायत नहीं हुई। 35–40 आयुवर्ग के 38 उत्तरदाताओं में से 25 (65.79 प्रतिशत) के यहाँ जातीय पंचायत हुई जबकि 13 (34.21 प्रतिशत) के यहाँ कोई पंचायत नहीं हुई। 40–45 आयुवर्ग के 30 उत्तरदाताओं में से 15 (50 प्रतिशत) के यहाँ जातीय पंचायत हुई जबकि 15 (50 प्रतिशत) के यहाँ कोई पंचायत नहीं हुई। 45 से अधिक आयुवर्ग के 21 उत्तरदाता मिले जिनमें 13 (61.90 प्रतिशत) के यहाँ जातीय पंचायत हुई जबकि 8 (38.10 प्रतिशत) के यहाँ इस प्रकार की कोई जातीय पंचायत नहीं हुई।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके यहाँ जातीय पंचायत नहीं हुई।

सारणी संख्या 5.16

उत्तरदाताओं की संख्या तथा पारिवारिक पंचायत में सम्मिलित सदस्यों की संख्या

क्र.सं.	सदस्यों की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1.	माता–पिता, सास–ससुर	64	22.22
2.	माता–पिता, सास–ससुर, देवर–भाई	101	35.07
3.	माता–पिता, सास–ससुर, देवर–भाई, आस–पड़ोस के लोग	36	12.5
4.	माता–पिता, सास–ससुर, देवर–भाई, आस–पड़ोस के लोग, नाते–रिश्तेदार	87	30.21
	योग	288	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.16 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि जिन परित्यक्ता उत्तरदाताओं के सुलह के लिए पारिवारिक पंचायतें हुईं उनमें किन–किन सदस्यों ने भाग लिया। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 288 उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पारिवारिक सुलह के लिए पारिवारिक पंचायते हुईं। 64 (22.22 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके यहाँ जो पारिवारिक पंचायत हुई उसमें माता–पिता व सास–ससुर ही सम्मिलित हुए। 101 (35.07 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पारिवारिक सुलह

के लिए जो पंचायत हुई उनमें माता–पिता, सास–ससुर, देवर–भाई आदि ने भाग लिया। 36 (12.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके सुलह के लिए जो पारिवारिक पंचायत हुई उनमें माता–पिता, सास–ससुर, देवर–भाई, आस–पड़ोस के लोग शामिल थे। 87 (30.21 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके इस मामले के लिए जो पारिवारिक पंचायत हुई उसमें माता–पिता, सास–ससुर, देवर–भाई, आस–पड़ोस के लोग, नाते–रिश्तेदार आदि लोग शामिल हुए।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके पारिवारिक पंचायत में माता–पिता, सास–ससुर, देवर–भाई आदि ने भाग लिया।

सारणी संख्या 5.17

उत्तरदाताओं की संख्या एवं अलगाव पश्चात जीवन के बारे में दृष्टिकोण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	जीवन बहुत कठिन नजर आता है	78	26
2.	बच्चों के भविष्य की चिन्ता	125	41.67
3.	जीने का कोई सहारा नहीं बचा	46	15.33
4.	कभी–कभी लगता हैं आत्महत्या कर लूँ	44	14.67
5.	अन्य	07	2.33
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.17 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि पति से अलग होने के पश्चात उत्तरदाता क्या सोंचते हैं। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 78 (26 प्रतिशत) का कहना है कि पति से अलग होने के पश्चात् जीवन बहुत कठिन नजर आता है। 125 (41.67 प्रतिशत) का कहना है कि पति से अलग होने के पश्चात उन्हें सबसे ज्यादा चिंता बच्चों के भविष्य की है। 46 (15.33 प्रतिशत) का कहना है कि पति से अलग होने के पश्चात उन्हें ऐसा लगता है जैसे जीने का कोई सहारा नहीं बचा। 44 (14.67 प्रतिशत) का कहना है कि पति से अलग होने के पश्चात उन्हें ऐसा लगता है जैसे आत्महत्या कर लूँ। 7 (2.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह कहते हैं कि पति से अलग होने के पश्चात उन्हें सबसे ज्यादा चिंता बच्चों के भविष्य की है।

सारणी संख्या 5.18

उत्तरदाताओं की जाति एवं अलगाव पश्चात पति से मिलने की कोशिश सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण / जाति	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	01	0.91	109	99.09	110	100
2.	पिछड़ी जाति	03	2.11	139	97.89	142	100
3.	अनुसूचित जाति	2	4.76	40	95.24	42	100
4.	अन्य	3	50	3	50	6	100
	योग	9	3	291	97	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.18 के आधार पर उत्तरदाताओं की जाति एवं अलगाव पश्चात पति से मिलने की कोशिश सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 9 (3 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अलगाव पश्चात पति से मिलने की कोशिश की जबकि 291 (97 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अलगाव पश्चात पति से मिलने की कोशिश नहीं की। जिन 9 उत्तरदाताओं ने अलगाव पश्चात पति से मिलने की कोशिश की उनमें सामान्य जाति की 1 (0.91 प्रतिशत), पिछड़ी जाति 3 (2.11 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 2 (4.76 प्रतिशत) एवं अन्य जाति के 3 (50 प्रतिशत) उत्तरदाता सम्मिलित हैं। इसी प्रकार जिन 291 उत्तरदाताओं ने अलगाव पश्चात पति से मिलने की कोशिश नहीं की उसमें 109 (99.09 प्रतिशत) सामान्य जाति की, 139 (97.89 प्रतिशत) पिछड़ी जाति की, 40 (95.24 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की एवं 3 (50 प्रतिशत) अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन उत्तरदाताओं ने अलगाव पश्चात पति से मिलने की कोशिश की उनमें पिछड़ी एवं अन्य जाति के उत्तरदाता सर्वाधिक हैं।

सारणी संख्या 5.19

अलगाव पश्चात उत्तरदाताओं का पति से मिलने के उद्देश्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	उनकी याद आ रही थी	1	11.11
2.	पुनः एक होने के लिये	1	11.11
3.	बच्चों के लिये	5	55.56
4.	अन्य	2	22.22
	योग	9	100

कुल 300 उत्तरदाताओं में से 9 उत्तरदाताओं ने अलगाव पश्चात पति से मिलने की कोशिश की। इन उत्तरदाताओं के अलगाव पश्चात पति से मिलने के क्या उद्देश्य थे, इसी को सारणी संख्या 5.19 में प्रस्तुत किया गया है। 1 (11.11 प्रतिशत) उत्तरदाता का कहना है कि उसको पति की याद आ रही थी, इसीलिए अलगाव पश्चात पति से मिलने की कोशिश की। 1 (11.11 प्रतिशत) उत्तरदाता का कहना है कि पुनः एक होने के लिए उसने अलगाव पश्चात पति से मुलाकात की। 5 (55.56 प्रतिशत) का कहना है कि उसने बच्चों के खातिर अलगाव पश्चात पति से मुलाकात की। 2 (22.22 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में कुछ भी बताने में असमर्थता व्यक्त की।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिन्होंने बच्चों के लिए अलगाव पश्चात पति से मुलाकात की।

सारणी संख्या 5.20

उत्तरदाताओं की जाति एवं अलगाव पश्चात पति का उत्तरदाताओं से मिलने की कोशिश सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण / जाति	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	3	2.73	107	97.27	110	100
2.	पिछड़ी जाति	4	2.82	138	97.18	142	100
3.	अनुसूचित जाति	8	19.05	34	80.95	42	100
4.	अन्य	1	16.67	5	83.33	6	100
	योग	16	5.33	284	94.67	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.20 के माध्यम से उत्तरदाताओं की जाति एवं अलगाव पश्चात पति का उत्तरदाताओं से मिलने की कोशिश सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से सामान्य जाति के 110 उत्तरदाताओं में से 3 (2.73 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने उनसे मिलने की कोशिश की जबकि 107 (97.27 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। पिछड़ी जाति के 142 उत्तरदाताओं में से 4 (2.82 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में हाँ कहा जबकि 138 (97.18 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में नहीं में जवाब दिया। अनुसूचित जाति के 42 उत्तरदाताओं में से 8 (19.05 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने उनसे मिलने की कोशिश की जबकि 34 (80.45 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। अन्य जाति के 6 उत्तरदाताओं में से 1 (16.67 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में हाँ कहा जबकि 5 (83.33 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में नहीं कहा।

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके पति ने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की।

सारणी संख्या 5.21

अलगाव पश्चात पति का उत्तरदाताओं से मिलने के उद्देश्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	मिलने के उद्देश्य	संख्या	प्रतिशत
1.	पुनः ले जाने के लिये	1	6.25
2.	गलती की माफी मांगने के लिय	1	6.25
3.	यौन इच्छा की पूर्ति के लिये	3	18.75
4.	सुलह के लिये	2	12.50
5.	बच्चों के लिये	3	18.75
6.	चेतावनी देने के लिये	3	18.75
7.	धमकी देने के लिये	2	12.50
8.	अन्य	1	6.25
	योग	16	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.21 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि जिन उत्तरदाताओं के पति ने उनसे मिलने की कोशिश की, उनका उद्देश्य क्या था। कुल 16 उत्तरदाताओं में से 1 (6.25 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने उन्हें पुनः ले जाने के उद्देश्य से उनसे मिलने की कोशिश की। 1 (6.25 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने गलती की माफी मांगने के उद्देश्य से उनसे मुलाकात की। 3 (18.75 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति यौन इच्छा की पूर्ति के लिये उनसे मुलाकात की। 2 (12.50 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने सुलह के लिये उनसे मुलाकात की। 3 (18.75 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति बच्चों से मिलने के उद्देश्य से मुलाकात की। 3 (18.75 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने उन्हें चेतावनी देने के लिए मुलाकात की। 2 (12.50 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति उन्हें धमकी देने के उद्देश्य से उनसे मुलाकात की। 1 (6.25 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति अन्य उद्देश्य से उनसे मुलाकात की।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके पति यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों से मिलने एवं चेतावनी देने के लिए उनसे मुलाकात की।

सारणी संख्या 5.22

अन्य लोगों का उत्तरदाताओं को देखने सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्र.सं.	देखने सम्बन्धी दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
1.	बुरी नजर से	91	30.33
2.	अच्छी नजर से	24	8
3.	तटस्थ	78	26
4.	नहीं मालूम	107	35.67
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.22 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि अन्य लोग परित्यक्ता महिलाओं जो कि हमारे उत्तरदाता हैं, को किस नजर से देखते हैं। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 91 (30.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि अन्य लोग उन्हें बुरी नजर से देखते हैं। 24 (8 प्रतिशत) लोगों का कहना है कि अन्यजन उन्हें अच्छी नजर से देखते हैं। 78 (26 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि अन्य लोग उन्हें तटस्थ नजरों से देखते हैं। 107 (35.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह कहते हैं कि उन्हें यह नहीं मालूम कि अन्य लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। इसके बाद ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या है जो यह कहते हैं कि अन्य लोग उन्हें बुरी नजर से देखते हैं। इन महिलाओं का कहना है कि ऐसे मामलों में समाज उन्हें ही दोषी ठहराता है, भले ही उनकी गलती चाहें कुछ भी न हो।

सारणी संख्या 5.23

उत्तरदाताओं की आयु एवं अन्य लोगों का उत्तरदाताओं को देखने सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्र. सं.	विवरण / आयुवर्ग	बुरी नजर से		अच्छी नजर से		तटस्थ		नहीं मालूम		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15—20	4	20	3	15	3	15	10	50	20	100
2.	20—25	22	31.88	4	5.80	18	26.09	25	36.23	69	100
3.	25—30	36	35.64	5	4.95	39	38.62	21	20.79	101	100
4.	30—35	19	31.15	6	9.84	11	18.03	25	40.98	61	100
5.	35—40	5	15.15	3	9.09	4	12.12	21	63.64	33	100
6.	40—45	3	33.33	2	22.22	1	11.11	3	33.33	9	100
7.	45 से अधिक	2	28.57	1	14.29	2	28.57	2	28.57	7	100
	योग	91	30.33	24	8	78	26	107	35.67	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.23 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु एवं अन्य लोगों द्वारा उत्तरदाताओं को देखने सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। 15–20 आयुवर्ग के 20 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 4 (20 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें बुरी नजर से, 3 (15 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें अच्छी नजर से, 3 (15 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें तटस्थ भाव से देखते हैं। 10 (50 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि अन्य लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। 20–25 आयुवर्ग के 69 उत्तरदाता मिले जिनमें 22 (31.88 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें बुरी नजर से, 4 (5.80 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें अच्छी नजर से, 18 (26.09 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें तटस्थ भाव से तथा 25 (36.23 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि अन्य लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। 25 से 30 आयुवर्ग के 101 उत्तरदाता मिले जिनमें 36 (35.64 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें बुरी नजर से, 5 (4.95 प्रतिशत) का कहना है कि, अन्य लोग उन्हें अच्छी नजर से, 39 (38.62 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें तटस्थ भाव से व 21 (20.79 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि अन्य लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। 30 से 35 आयुवर्ग के 61 उत्तरदाता मिले जिनमें 19 (31.15 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें बुरी नजर से, 6 (9.84 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें अच्छी नजर से, 11 (18.03 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें तटस्थ भाव से एवं 25 (40.98 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि अन्य लोग किस नजर से देखते हैं। 35–40 आयुवर्ग के कुल 33 उत्तरदाता मिले जिनमें 5 (15.15 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग बुरी नजर से, 3 (9.09 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें अच्छी नजर से, 4 (12.12 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग तटस्थ भाव से और 21 (63.64 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। 40–45 आयुवर्ग के 9 उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर 3 (33.33 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें बुरी नजर से देखते हैं, 2 (22.22 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें अच्छी नजर से, 1 (11.11 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें तटस्थ भाव से एवं 3 (33.33 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि अन्य लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। 45 से अधिक आयुवर्ग के कुल 7 उत्तरदाताओं के उत्तर प्राप्त हुए जिनमें 2 (28.57 प्रतिशत) का कहना है

कि अन्य लोग उन्हें बुरी नजर से, 1 (14.29 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें अच्छी नजर से, 2 (28.57 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें तटस्थ भाव से तथा 2 (28.57 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि अन्य लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं।

सारणी के लम्बवत विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 300 उत्तरदाताओं में से 91 (30.33 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें बुरी नजर से, 24 (8 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें अच्छी नजर से, 78 (26 प्रतिशत) का कहना है कि अन्य लोग उन्हें तटस्थ भाव से एवं 107 (35.67 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम की अन्य लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं।

इस प्रकार उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह कहते है कि उन्हें नहीं मालूम कि अन्य लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं।

सारणी संख्या 5.24

उत्तरदाताओं की आयु तथा दोस्तों, सहेलियों द्वारा पुनः पति के पास जाने के लिये प्रेरित करने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण / आयुवर्ग	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15—20	15	75	05	25	20	100
2.	20—25	66	95.65	03	4.35	69	100
3.	25—30	88	87.13	13	12.87	101	100
4.	30—35	60	98.36	01	1.64	61	100
5.	35—40	28	84.85	05	15.15	33	100
6.	40—45	06	66.67	03	33.33	09	100
7.	45 से अधिक	04	57.14	03	42.86	7	100
	योग	267	89	33	11	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.24 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु तथा दोस्तों, सहेलियों द्वारा पुनः पति के पास जाने के लिए प्रेरित करने सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। 15—20 आयुवर्ग के 20 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 15 (75 प्रतिशत) का कहना है कि उनके दोस्तों, सहेलियो ने पुनः पति के पास जाने के लिए प्रेरित किया जबकि 5 (25 प्रतिशत) का कहना है कि इस प्रकार की कोई प्रेरणा उनके मित्रों द्वारा नहीं प्रदान की गई। 20—25 आयुवर्ग के 69 उत्तरदाता मिले जिनमें 66 (95.65 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मित्रों ने पुनः पति के पास जाने को कहा जबकि 3 (4.35 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मित्रों ने ऐसी कोई सलाह नहीं दी। 25—30 आयुवर्ग के 101 उत्तरदाताओं में से 88 (87.13 प्रतिशत) ने सकारात्मक जवाब दिया जबकि 13 (12.87 प्रतिशत) ने नकारात्मक जवाब दिया। 30—35 आयुवर्ग के 61 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 60 (98.36 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मित्रों ने पुनः पति के

पास जाने को प्रेरित किया जबकि 1 (1.64 प्रतिशत) का कहना है कि ऐसी कोई प्रेरणा उनके मित्रों ने नहीं दी। 35–40 आयुवर्ग के 33 उत्तरदाता मिले जिनमें 28 (84.85 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मित्रों ने पुनः उन्हें पति के पास जाने के लिए प्रेरित किया जबकि 5 (15.15 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मित्रों ने ऐसी कोई प्रेरणा उन्हें नहीं दी। 40–45 आयुवर्ग के 9 उत्तरदाता मिले जिनमें 6 (66.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके मित्रों ने उन्हें पुनः पति के पास जाने के लिए प्रेरित किया जबकि 3 (33.33 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मित्रों ने ऐसी कोई प्रेरणा नहीं दी। 45 से अधिक आयुवर्ग के 7 उत्तरदाता मिले जिनमें 4 (57.14 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मित्रों ने पति के पास पुनः जाने के लिए प्रेरित किया जबकि 3 (42.86 प्रतिशत) का कहना है कि उनके मित्रों ने ऐसी कोई प्रेरणा नहीं दी।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके मित्रों ने पुनः पति के पास जाने हेतु प्रेरित किया।

सारणी संख्या 5.25

उत्तरदाताओं की संख्या एवं उनकी वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के सम्बन्ध में दृष्टिकोण

क्र.सं.	उत्तरदायी व्यक्ति	संख्या	प्रतिशत
1.	स्वयं को	02	0.66
2.	पति को	89	29.67
3.	दोनों को	11	3.67
4.	ससुरालजनों को	173	57.67
5.	अन्य को	25	8.33
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.25 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि चयनित उत्तरदाता अपनी वर्तमान स्थिति के लिए किसे उत्तरदायी मानते हैं। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 2 (0.66 प्रतिशत) उत्तरदाता अपनी वर्तमान स्थिति के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं। 89 (29.67 प्रतिशत) उत्तरदाता अपनी वर्तमान स्थिति के लिए पति को उत्तरदायी ठहराते हैं। 11 (3.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जो अपनी वर्तमान स्थिति के लिए पति–पत्नी दोनों को उत्तरदायी मानते हैं। 173 (57.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जो अपनी वर्तमान स्थिति के लिए ससुरालजनों को उत्तरदायी ठहराते हैं। 25 (8.33 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जो अपनी स्थिति के लिए अन्यजनों को उत्तरदायी ठहराते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो अपनी वर्तमान स्थिति के लिए ससुरालजनों को उत्तरदायी मानते हैं।

सारणी संख्या 5.26

उत्तरदाताओं की संख्या एवं अपने विवाह को देखने सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्र.सं.	दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
1.	मात्र एक रस्म के रूप में	51	17
2.	एक अटूट बन्धन के रूप में	104	34.66
3.	एक समझौते के रूप में	65	21.67
4.	नहीं मालूम	80	26.67
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.26 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि चयनित उत्तरदाताओं ने अपने विवाह को किस रूप में देखा। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 51 (17 प्रतिशत) का कहना है कि उन्होंने विवाह को मात्र एक रस्म के रूप में देखा। 104 (34. 66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्होंने विवाह को एक अटूट बन्धन के रूप में देखा। 65 (21.67 प्रतिशत) का कहना है कि उन्होंने विवाह को एक समझौते के रूप में देखा जबकि 80 (26.67 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें यह नहीं मालूम कि उन्होंने विवाह को किस रूप में देखा।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है जिन्होंने विवाह को एक अटूट बन्धन के रूप में देखा।

सारणी संख्या 5.27

उत्तरदाताओं की संख्या एवं दूसरे विवाह के लिये पति के सम्बन्ध में विवरण

क्र.सं.	पति के सम्बन्ध में विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	कुवांरा	101	33.67
2.	तलाकशुदा	113	37.67
3.	विवाह नहीं करना चाहती	86	28.66
	योग	300	100

स्त्री हो चाहे पुरुष दोनों के लिए विवाह एक आवश्यक शर्त है। परित्यक्ता महिलाएँ जो अपना दूसरा विवाह करना चाहती है, उनकी दृष्टि में पति कैसा होना चाहिए, इसी को सारणी

संख्या 5.27 में दर्शाने का प्रयास किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 101 (33.67 प्रतिशत) का कहना है कि वे दूसरे विवाह के लिए कुँवारा पति चाहती हैं। ये ऐसी महिलाएँ है जो काफी कम उम्र की हैं। 113 (37.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जो दूसरे विवाह के लिए तलाकशुदा पति चाहती हैं। ये मध्यम उम्र की महिलाएँ हैं। अतः पति भी अपनी उम्र का ही चाहती हैं। 86 (28.66 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए जो दूसरा विवाह नहीं करना चाहतीं। इसमें जो कम उम्र की महिलाएँ हैं उनका विवाह से विश्वास उठ चुका है, इसलिए वे विवाह नहीं करना चाहतीं जबकि जो उम्रदराज महिलाएँ हैं वे अपने बच्चों के साथ ही जीवन काटना चाहती हैं, इसलिए वे दूसरे विवाह के पक्ष में नहीं हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो दूसरे विवाह के लिए अपनी ही भाँति तलाकशुदा पति चाहती हैं।

सारणी संख्या 5.28

उत्तरदाताओं का अपने पति के प्रति दृष्टिकोण

क्र.सं.	पति के प्रति दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
1.	पत्नी को कभी महत्व नहीं दिया	39	13
2.	हमेशा घरेलू कार्यों में व्यस्त रहे	47	15.67
3.	कभी कोई इच्छा पूरी नहीं की।	31	10.33
4.	हमेशा दूसरों के इशारे पर चलते रहे हैं	108	36
5.	घर की खुशियाँ ही उनके लिए सर्वोपरि थीं	31	10.33
6.	पत्नी को हमेशा दासी समझा	33	11.00
7.	अन्य	11	3.67
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.28 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाताओं का अपने पति के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। कुल 300 उत्तरदाताअें में से 39

(13 प्रतिशत) का कहना है कि उनके पति ने पत्नी को कभी महत्व नहीं दिया। 47 (15.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि जितने दिन वे पति के साथ रहीं, उन्होंने हमेंशा पति को घरेलू कार्यों में व्यस्त देखा। 31 (10.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पति ने उनकी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं की। 108 (36 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पति हमेशा दूसरों के इशारों पर चलते रहे। 31 (10.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि पति के लिए उनके घर की खुशियाँ ही सर्वोपरि थीं। 33 (11 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पति ने पत्नी को हमेशा दासी की भांति समझा। 11 (3. 67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे भी मिले जिन्होंने अपने पति के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह मानती हैं कि उनके पति हमेशा दूसरों के इशारे पर चलते रहे। दूसरे स्थान पर ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या है जो यह मानती हैं कि उनके पति हमेशा घरेलू कार्यों में व्यस्त रहे।

सारणी संख्या 5.29

उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति एवं भाग्यवाद में विश्वास सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	शैक्षिक स्थिति	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	2	100	—	—	2	100
2.	प्राइमरी	4	57.14	3	42.86	7	100
3.	जूनियर हाईस्कूल	11	68.75	5	31.25	16	100
4.	हाईस्कूल	39	78	11	22	50	100
5.	इण्टरमीडिएट	40	53.33	35	46.67	75	100
6.	स्नातक	31	44.29	39	55.71	70	100
7.	परास्नातक	42	67.74	20	32.26	62	100
8.	अन्य	15	83.33	3	16.67	18	100
	योग	184	61.33	116	38.67	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.29 के माध्यम से उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति एवं भाग्यवाद में विश्वास सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। इस सारणी के क्षैतिक विश्लेषण से पता चलता है कि अशिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 2 प्राप्त हुई। ये दोनों उत्तरदाता भाग्यवाद में विश्वास करते हैं। प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त किए हुए उत्तरदाताओं की संख्या 7 प्राप्त हुई। इन 7 उत्तरदाताओं में 4 (57.14 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास करते हैं जबकि 3 (42.86 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास नहीं करते। जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षित कुल उत्तरदाताओं की संख्या 16 प्राप्त हुई जिनमें 11 (68.75 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास करते हैं जबकि 5 (31.25 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास नहीं करते। हाईस्कूल तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 50 प्राप्त हुई जिनमें 39 (78 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास करते हैं जबकि 11 (22 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास नहीं करते। इण्टरमीडिएट तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 75 प्राप्त हुई जिनमें 40 (53.33 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास करते हैं जबकि 35 (46.67 प्रतिशत) भाग्यवाद पर विश्वास नहीं करते। स्नातक तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 70 प्राप्त हुई जिनमें 31 (44.29 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास करते हैं जबकि 39 (55.71 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास नहीं करते। परास्नातक तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 62 प्राप्त हुई जिनमें 42 (67.74 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास करते हैं जबकि 20 (32.26 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास नहीं करते। अन्य प्रकार की शिक्षा ग्रहण किए हुए उत्तरदाताओं की संख्या 18 है जिनमें 15 (83.33 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास करते हैं जबकि 3 (16.67 प्रतिशत) भाग्यवाद में विश्वास नहीं करते।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के क्षैतिज विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। सारणी को लम्बवत आधार पर देखने से पता चलता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो भाग्यवाद में विश्वास करते हैं।

सारणी संख्या 5.30

उत्तरदाताओं के माता-पिता की चिंता के बारे में नाते-रिश्तेदारों की सलाह सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सलाह	संख्या	प्रतिशत
1.	लड़की को घर पर बिठाना ठीक नहीं है	98	32.67
2.	सुलह करके वापस ससुराल भेज दो	113	37.67
3.	दूसरा विवाह कर दो	66	22
4.	कुछ नहीं कहते	23	7.66
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.30 के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि माता–पिता की चिंता के बारे में नाते–रिश्तेदारों की क्या सलाह है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 98 (32.67 प्रतिशत) का कहना है नाते–रिश्तेदार उनके माता–पिता से यह कहते हैं कि लड़की को घर में बिठाना ठीक नहीं है। 113 (37.67 प्रतिशत) का कहना है कि नाते–रिश्तेदार उनके माता–पिता से यह कहते हैं कि सुलह करके लड़की को वापस ससुराल भेज दो। जिन उत्तरदाताओं के नाते–रिश्तेदार उनके माता–पिता से दूसरा विवाह करने पर बल देते हैं उनकी संख्या 66 (22 प्रतिशत) है। 23 (7.66 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनके नाते–रिश्तेदार उनके माता–पिता से कुछ नहीं कहते।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके नाते–रिश्तेदार उनके माता–पिता से सुलह करके वापस ससुराल भेजने को कहते हैं।

सारणी संख्या 5.31

उत्तरदाताओं की जाति एवं माता-पिता पर बोझ समझने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं	विवरण / जाति	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	81	73.64	29	26.36	110	100
2.	पिछड़ी जाति	102	71.83	40	28.17	142	100
3.	अनुसूचित जाति	16	38.10	26	61.90	42	100
4.	अन्य	05	83.33	01	16.67	06	100
	योग	204	68	96	32	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.31 के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि क्या उत्तरदाता अपने आपको माता–पिता पर बोझ समझते हैं। सामान्य जाति के 110 उत्तरदाताओं में से 81 (73.64 प्रतिशत) का कहना है कि वे अपने माता–पिता पर बोझ हैं जबकि 29 (26.36 प्रतिशत) का कहना है कि वे अपने माता–पिता पर बोझ नहीं है। पिछड़ी जाति के 142 उत्तरदाताओं में से 102 (71.83 प्रतिशत) का कहना है कि वे अपने माता–पिता पर बोझ हैं जबकि 40 (28.17 प्रतिशत) का कहना है कि वे अपने माता–पिता पर बोझ नहीं हैं। अनुसूचित जाति के 42 उत्तरदाताओं में से 16 (38.10 प्रतिशत) का कहना है कि वे अपने माता–पिता पर बोझ हैं जबकि 26 (61.90 प्रतिशत) का कहना है कि वे अपने माता–पिता पर बोझ नहीं हैं। अन्य उत्तरदाता जिसमें विमुक्त व जनजातियों के उत्तरदाता सम्मिलित हैं उनकी संख्या 6 हैं जिसमें 5 (83.33 प्रतिशत) का कहना है कि वे अपने माता–पिता पर बोझ हैं जबकि 1 (16.67 प्रतिशत) का कहना है कि वे अपने माता–पिता पर बोझ नहीं हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह मानती हैं कि वे अपने माता–पिता पर बोझ बनी हुई हैं।

सारणी संख्या 5.32

उत्तरदाताओं की संख्या एवं माता-पिता के घर में अकेले में समय व्यतीत करने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	पुरानी बातों के बारे में सोचती रहती हैं	121	40.33
2.	भविष्य के बारे में सोंचती रहती हैं	89	29.67
3.	पूजा–पाठ में मन लगाती हैं।	13	4.33
4.	समाचार पत्र–पत्रिकायें, टी0वी0 देखती हैं	08	2.67
5.	सोती रहती हैं	02	0.67
6.	माता–पिता की सेवा में लगी रहती हैं	17	5.67
7.	दोस्तों के संग मस्त रहती हैं	01	0.33
8.	घरेलू कार्यों में मदद करती रहती हैं	47	15.66
9.	अन्य	2	.67
	योग	300	100

चयनित उत्तरदाता अपने माता–पिता के घर में अकेले कैसे जीवन व्यतीत कर रही हैं, इसी दृष्टिकोण को जानने का प्रयास सारणी संख्या 5.32 में किया गया है। कुल 300 उत्तरदताओं में से 121 (40.33 प्रतिशत) का कहना है कि वे ससुराल की पुरानी बातों के बारे में सोंचती रहती हैं। 89 (29.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि वे अकेले में भविष्य के बारे में सोचती रहती हैं। 13 (4.33 प्रतिशत) का कहना है कि वे अकेले में पूजा–पाठ व धार्मिक गतिविधियों में मन लगाती हैं। 8 (2.67 प्रतिशत) का कहना है कि वे अकेले में समाचार, पत्र–पत्रिकायें, टी0वी0 इत्यादि देखती रहती हैं। 2 (0.67 प्रतिशत) का कहना है कि वे अकेले में सोती रहती हैं। 17 (5.67 प्रतिशत) का कहना है कि वे अकेले में माता–पिता की सेवा में लगी रहती हैं। 1 (0.33 प्रतिशत) का कहना है कि वे दोस्तों के संग मस्त रहती हैं। 47 (15. 66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि वे घरेलू कार्यों में मदद करती रहती हैं। 2 (0.67 प्रतिशत) का कहना है कि वे अन्य कार्यों में व्यस्त रहती हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो अकेले में पुरानी बातों के बारे में सोचती रहती हैं।

सारणी संख्या 5.33

उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं माता-पिता के घर में अकेले में समय व्यतीत करने सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	विवरण / शिक्षा	पुरानी बातों के बारे में सोंचती रहती हैं		भविष्य के बारे में सोंचती रहती हैं		पूजा पाठ में मन लगाती हैं		समाचार पत्र-पत्रिकायें, टी0 वी0 देखती हैं		सोती रहती हैं		माता-पिता की सेवा में लगी रहती हैं		दोस्तों के संग मस्त रहती हैं		घरेलू कार्यों में मदद करती हैं		अन्य		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	–	–	–	–	01	50	–	–	–	–	–	–	–	–	1	50	–	–	2	100
2.	प्राइमरी	01	14.29	–	–	02	28.57	–	–	1	14.29	2	28.57		–	1	14.29	–	–	7	100
3.	जू0हाईस्कूल	03	18.75	2	12.5	03	18.75	2	12.5	1	6.25	2	12.5	1	6.25	2	12.5	–	–	16	100
4.	हाईस्कूल	22	44	11	22	02	4	1	2	–	–	5	10	–	–	8	16	1	2	50	100
5.	इण्टरमीडिएट	23	30.67	27	36	01	1.33	2	2.67	–	–	2	2.67	–	–	20	26.67	–	–	75	100
6.	स्नातक	32	45.71	21	30	02	2.86	2	2.86	–	–	2	2.86	–	–	10	14.29	1	1.42	70	100
7.	परास्नातक	27	43.55	27	43.55	1	1.61	1	1.61	–	–	3	4.84	–	–	3	4.84	–	–	62	100
8.	अन्य	13	72.22	1	5.56	1	5.56	–	–	–	–	1	5.56	–	–	2	11.11	–	–	18	100
	योग	121	40.33	89	29.67	13	4.33	08	2.67	02	.67	17	5.67	01	0.33	47	15.66	2	0.67	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.33 के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाता अकेले में अपने माता–पिता के घर में किन–किन कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कुल 300 उत्तरदाताओं में से अशिक्षित उत्तरदाता 2 प्राप्त हुए जिनमें 1 (50 प्रतिशत) का कहना है कि वे पूजा–पाठ में मन लगाती हैं जबकि 1 (50 प्रतिशत) का कहना है कि वे घरेलू कार्यों में मदद करती हैं। प्राइमरी तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 7 प्राप्त हुई जिनमें 1 (14.29 प्रतिशत) पुरानी बातों के बारे में, 2 (28.57 प्रतिशत) पूजा–पाठ में, 1 (14.29 प्रतिशत) सोने में, 2 (28.57 प्रतिशत) माता–पिता की सेवा में एवं 1 (14.29 प्रतिशत) घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती हैं। जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 16 प्राप्त हुई जिनमें 3 (18.75 प्रतिशत) पुरानी बातों के बारे में, 2 (12.5 प्रतिशत) भविष्य के बारे में, 3 (18.75 प्रतिशत) पूजा–पाठ में, 2 (12.5 प्रतिशत) समाचार–पत्र, टी0वी0 देखने में, 1 (6.25 प्रतिशत) सोने में, 2 (12.5 प्रतिशत) माता–पिता की सेवा करने में, 1 (6.25 प्रतिशत) दोस्तों के संग एवं 2 (12.5 प्रतिशत) घरेलू कार्यों में समय व्यतीत करती हैं। हाईस्कूल तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 50 प्राप्त हुई जिनमें 22 (44 प्रतिशत) पुरानी बातों में, 11 (22 प्रतिशत) भविष्य के बारे में, 2 (4 प्रतिशत) पूजा–पाठ में, 1 (2 प्रतिशत) टी0वी0 देखने में, 5 (10 प्रतिशत) माता–पिता की सेवा करने में, 8 (16 प्रतिशत) घरेलू कार्यों में एवं 1 (2 प्रतिशत) अन्य कार्यों में लगी रहती हैं। इण्टरमीडिएट तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 75 प्राप्त हुई जिनमें 23 (30.67 प्रतिशत) पुरानी बातों के बारे में, 27 (36 प्रतिशत) भविष्य के बारे में, 1 (1.33 प्रतिशत) पूजा–पाठ में, 2 (2.67 प्रतिशत) टी0वी0 देखने में, 2 (2.67 प्रतिशत) माता–पिता की सेवा करने में, 20 (20.67 प्रतिशत) घरेलू कार्यों में मदद करने में लगी रहती हैं। स्नातक तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 70 प्राप्त हुई जिनमें 32 (45.71 प्रतिशत) पुरानी बातों के बारे में, 21 (30 प्रतिशत) भविष्य के बारे में, 2 (2.86 प्रतिशत) पूजा–पाठ में, 2 (2.86 प्रतिशत) टी0वी0 देखने में, 2 (2.86 प्रतिशत) माता–पिता की सेवा करने में, 10 (14.29 प्रतिशत) घरेलू कार्यों में एवं 1 (1.42 प्रतिशत) अन्य कार्यों में अपने को व्यस्त रखती हैं। परास्नातक तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 62 मिली जिनमें 27 (43.55 प्रतिशत) पुरानी बातों के बारे में, 27 (43.55 प्रतिशत) भविष्य के बारे में, 1 (1.61 प्रतिशत) पूजा–पाठ में, 1 (1.61 प्रतिशत) टी0वी0 देखने में, 3 (4.84 प्रतिशत) माता–पिता की सेवा करने में एवं

3 (4.84 प्रतिशत) घरेलू कार्यों में अपने को व्यस्त रखती हैं। अन्य योग्यताधारी उत्तरदाताओं की संख्या 18 प्राप्त हुई जिनमें 13 (72.22 प्रतिशत) पुरानी बातों के बारे में, 1 (5.56 प्रतिशत) भविष्य के बारे में, 1 (5.56 प्रतिशत) पूजा–पाठ में, 1 (5.56 प्रतिशत) माता–पिता की सेवा करने में एवं 2 (11.11 प्रतिशत) घरेलू कार्यों में मदद करके अपने को व्यस्त रखती हैं।

सारणी को लम्बवत आधार पर देखने से ज्ञात होता है कि कुल 300 उत्तरदाताओं में से 121 (40.33 प्रतिशत) पुरानी बातों के बारे में, 89 (29.67 प्रतिशत) भविष्य के बारे में, 13 (4.33 प्रतिशत) पूजा–पाठ में, 8 (2.67 प्रतिशत) समाचार, पत्र–पत्रिकायें, टी0वी0 देखने में, 2 (0.67 प्रतिशत) सोने में, 17 (5.67 प्रतिशत) माता–पिता की सेवा करने में, 1 (0.33 प्रतिशत) दोस्तों के संग मस्त रहने में, 47 (15.66 प्रतिशत) घरेलू कार्यों में एवं 2 (0.67 प्रतिशत) अन्य कार्यों में अपने को लगाये रहती हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो अकेले में पुरानी बातों के बारे में सोचती रहती हैं।

सारणी संख्या 5.34

उत्तरदाताओं की जाति एवं माता-पिता के घर में पहले जैसा सम्मान मिलने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	38	34.55	72	65.45	110	100
2.	पिछड़ी जाति	46	32.39	96	67.61	142	100
3.	अनुसूचित जाति	23	54.76	19	45.24	42	100
4.	अन्य	03	50	03	50	06	100
	योग	110		190		300	100

विवाह पूर्व जितना सम्मान एक लड़की को मिलता था, अलगाव के पश्चात भी उतना ही सम्मान एक लड़की को मिलता है या नहीं इसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत सारणी संख्या 5.34 में प्रस्तुत किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से सामान्य जाति के 110 उत्तरदाता प्राप्त हुए जिनमें 38 (34.55 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें सम्मान पहले जैसा मिल रहा है जबकि

72 (65.45 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें पहले जैसा सम्मान नहीं मिल रहा है। पिछड़ी जाति के 142 उत्तरदाताओं में से 46 (32.39 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे मिले जिनका कहना है कि उन्हें घर में पहले जैसा सम्मान मिल रहा है जबकि 96 (67.61 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें पहले जैसा सम्मान नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जाति के 42 उत्तरदाताओं में से 23 (54.76 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें पहले जैसा सम्मान मिल रहा है जबकि 19 (45.24 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें घर में पहले जैसा सम्मान नहीं मिल रहा है। अन्य जिसमें अन्य जाति के 6 उत्तरदाता सम्मिलित हैं जिसमें 3 (50 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें घर में पहले जैसा सम्मान मिल रहा है जबकि 3 (50 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें घर में पहले जैसा सम्मान नहीं मिल रहा है।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिन्हें घर में पहले जैसा सम्मान नहीं मिल रहा।

सारणी संख्या 5.35

उत्तरदाताओं की संख्या एवं आगे के जीवन के लिए बनाई गई योजना के सम्बन्ध में दृष्टिकोण

क्र.सं.	योजना सम्बन्धी दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
1.	दूसरा विवाह करने की सोच रही हूँ	44	14.67
2.	स्वयं का कोई व्यवसाय करने के पक्ष में	33	11
3.	मजदूरी इत्यादि करके जीविकोपार्जन	42	14.00
4.	अध्ययन–अध्यापन करके जीविकोपार्जन	46	15.33
5.	माता–पिता के साथ ही रहकर उनकी सेवा करूँगी	96	32
6.	किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई	23	7.67
7.	अन्य	16	5.33
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.35 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि परित्यक्ता महिलाएँ जोकि हमारे उत्तरदाता हैं, उन्होंने आगे के जीवन के लिए क्या योजना बनाई है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 44 (14.67 प्रतिशत) का कहना है कि वे दूसरा विवाह करने की सोच रही हैं। 33 (11 प्रतिशत) का कहना है कि वे कोई व्यवसाय करने के पक्ष में हैं। 42 (14 प्रतिशत) का कहना है कि वे मजदूरी इत्यादि करके जीविकोपार्जन कर लेंगी। 46 (15.33 प्रतिशत) का कहना है कि वे अध्ययन–अध्यापन करके जीविकोपार्जन कर लेंगी। 96 (32 प्रतिशत) का कहना है कि वे माता–पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करेंगी। 23 (7.67 प्रतिशत) का कहना है कि उन्होंने आगे के लिए कोई योजना नहीं बनाई। 16 (5.33 प्रतिशत) का कहना है कि वे अन्य प्रकार से जीवन यापन कर लेंगी।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह कहती हैं कि वे माता–पिता के साथ ही रहकर उनकी सेवा करेंगी।

सारणी संख्या 5.36

उत्तरदाताओं का पति के बिना जीवन की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	अधूरा	13	04.33
2.	नरक के समान	102	34.00
3.	बहुत कठिनाईपूर्ण	129	43.00
4.	नहीं मालूम	56	18.67
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.36 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि परित्यक्ता महिलाओं का पति के बिना जीवन कैसा है? कुल 300 उत्तरदाताओं में से 13 (4.33 प्रतिशत) का कहना है कि पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा है। 102 (34 प्रतिशत) महिलाओं का कहना है कि पति के बिना उनका जीवन नरक के समान है। 129 (43 प्रतिशत) महिलाओं का कहना है कि पति के बिना उनका जीवन बहुत कठिनाईपूर्ण है। 56 (18.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने पति के बिना जीवन की स्थिति के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

भारतीय संदर्भ में पति–पत्नी रथ के दो पहिए माने जाते हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों एक–दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए सभी परित्यक्ता महिलाओं ने पति के महत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। परन्तु वे अलग क्यों हुई इसके पीछे उनके अलग–अलग तर्क व परिस्थितियाँ हैं। उपर्युक्त सारणी में ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह मानती है कि पति के बिना स्त्री का जीवन बहुत कठिनाईपूर्ण होता है।

सारणी संख्या 5.37

उत्तरदाताओं की जाति एवं पति के बिना जीवन की स्थिति का विवरण

क्र. सं.	विवरण / जाति	अधूरा		नरक के समान		बहुत कठिनाईपूर्ण		नहीं मालूम		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य	5	4.55	36	32.73	40	36.36	29	26.36	110	100
2	पिछड़ी जाति	2	1.41	56	39.44	60	42.25	24	16.90	142	100
3	अनुसूचित जाति	4	9.52	8	19.05	28	66.67	02	4.76	42	100
4	अन्य	2	33.33	2	33.33	1	16.67	1	16.67	06	100
	योग	13	4.33	102	34	129	43	56	18.67	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.37 के माध्यम से उत्तरदाताओं की जाति एवं पति के बिना जीवन की स्थिति सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। पति के बिना जीवन की स्थिति को हमने अधूरा, नरक के समान, बहुत कठिनाईपूर्ण एवं नहीं मालूम में विभक्त किया गया है। सारणी के क्षैतिक विश्लेषण से पता चलता है कि सामान्य जाति के 110, पिछड़ी जाति के 142, अनुसूचित जाति के 42 एवं अन्य जाति के 6 उत्तरदाता सम्मिलित हैं। सारणी को लम्बवत आधार पर देखने से ज्ञात होता है कि कुल 300 उत्तरदाताओं में से 13 (4.33 प्रतिशत) पति के बिना जीवन को अधूरा, 102 (34 प्रतिशत) नरक के समान, 129 (43 प्रतिशत) बहुत कठिनाईपूर्ण मानती हैं। 56 (18.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे भी मिले जिन्होंने इस सम्बन्ध में "नहीं मालूम" में जवाब दिया। पति के बिना जो उत्तरदाता जीवन को अधूरा मानती हैं उनकी संख्या 13 है। इन 13 उत्तरदाताओं में से 5 सामान्य जाति के, 2 पिछड़ी जाति के, 4 अनुसूचित जाति के एवं 2 अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। पति के बिना जीवन को नरक के समान मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 102 प्राप्त हुई जिनमें 36 सामान्य जाति के, 56 पिछड़ी जाति के, 8 अनुसूचित जाति के एवं 2 अन्य जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। जिन उत्तरदाताओं का कहना है कि पति के बिना जीवन बहुत कठिनाईपूर्ण है उनकी संख्या 129 है जिसमें 40 सामान्य जाति के, 60 पिछड़ी जाति के, 28 अनुसूचित जाति के एवं 1 अन्य जाति का उत्तरदाता शामिल हैं। जिन उत्तरदाताओं ने पति के बिना जीवन की स्थिति के बारे में अनभिज्ञाता जाहिर की उनमें 29 सामान्य जाति के, 24 पिछड़ी जाति के, 2 अनुसूचित जाति के एवं 1 अन्य जाति का उत्तरदाता शामिल हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है जो पति के बिना जीवन को बहुत कठिनाईपूर्ण मानती हैं।

सारणी संख्या 5.38

उत्तरदाताओं का वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में दृष्टिकोण

क्र.सं.	दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
1.	सुखी	22	7.33
2.	सामान्य	53	17.67
3.	दुःखी	144	48.00
4.	बहुत दुःखी	81	27
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.38 के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि परित्यक्ता महिलाओं का अपनी वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है। कुल 300 परित्यक्ता महिलाओं में से 22 (7.33 प्रतिशत) का कहना है कि वे अपनी वर्तमान स्थिति में सुखी हैं। 53 (17.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि वे वर्तमान में सामान्य जीवन व्यतीत कर रही हैं। 144 (48 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि वे वर्तमान समय में दुःखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। 81 (27 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना है कि वे वर्तमान में बहुत दुःखी जीवन व्यतीत कर रही हैं।

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो वर्तमान में दुःखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि परित्यक्ता महिलाओं का जीवन दुःखी ही होता है। यह अलग बात है कि बहुत सारी महिलायें इस बात को छुपा जाती हैं और अपने आपको सामान्य रूप में प्रस्तुत करती हैं।

सारणी संख्या 5.39

उत्तरदाताओं की आयु एवं नारी का नारी द्वारा शोषण सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	दृष्टिकोण / आयुवर्ग	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	15–20	08	40	12	60	20	100
2	20–25	31	44.93	38	55.07	69	100
3.	25–30	69	68.32	32	31.68	101	100
4.	30–35	52	85.25	9	14.75	61	100
5.	35.40	28	84.85	5	15.15	33	100
6.	40–45	04	44.44	05	55.56	09	100
7.	45 से अधिक	06	85.71	01	17.29	07	100
	योग	198	66	102	34	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.39 के माध्यम से उत्तरदाताओं की आयु एवं नारी का नारी द्वारा शोषण सम्बन्धी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 198 (66 प्रतिशत) का कहना है कि नारी ही नारी का शोषण करती है जबकि 102 (34 प्रतिशत) इस मत से सहमत नहीं हैं कि नारी ही नारी का शोषण करती है। जिन 198 उत्तरदाताओं ने यह कहा कि नारी ही नारी का शोषण करती है उनमें 15–20 आयुवर्ग के 8 (40 प्रतिशत), 20–25 आयुवर्ग के 31 (44.93 प्रतिशत), 25–30 आयुवर्ग के 69 (68.32 प्रतिशत), 30–35 आयुवर्ग के 52 (85.25 प्रतिशत), 35–40 आयुवर्ग के 28 (84.85 प्रतिशत), 40–45 आयुवर्ग के 4 (44.44 प्रतिशत) एवं 45 से अधिक आयुवर्ग के 6 (85.71 प्रतिशत) उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 102 (34 प्रतिशत) उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं है कि नारी ही नारी का शोषण करती है। इन 102 उत्तरदाताओं में से 15–20 आयुवर्ग के 12 (60 प्रतिशत), 20–25 आयुवर्ग के 38 (55.07 प्रतिशत), 25–30 आयुवर्ग के 32 (31.68 प्रतिशत), 30–35 आयुवर्ग के 9 (14.75 प्रतिशत), 35–40 आयुवर्ग के 5 (15.15 प्रतिशत), 40–45 आयुवर्ग के 5 (55.56 प्रतिशत) एवं 45 से अधिक आयुवर्ग के 1 (17.29 प्रतिशत) उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या

सारणी संख्या 5.40

उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति एवं वैधानिक अधिनियमों से नारी की प्रस्थिति में सुधार सम्बन्धी दृष्टिकोण

क्र.सं.	दृष्टिकोण / शैक्षिक स्थिति	हाँ		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	02	100	–	–	02	100
2.	प्राइमरी	04	57.14	03	42.86	07	100
3.	जू0हाईस्कूल	08	50	08	50	16	100
4.	हाईस्कूल	30	60	20	40	50	100
5.	इण्टरमीडिएट	60	80	15	20	75	100
6.	स्नातक	51	72.86	19	27.14	70	100
7	परास्नातक	50	80.65	12	19.35	62	100
8.	अन्य	11	61.11	07	38.89	18	100
	योग	216	72	84	28	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.40 के माध्यम से उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति एवं वैधानिक अधिनियमों से नारी की प्रस्थिति में सुधार सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 2 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित प्राप्त हुए। इन अशिक्षित उत्तरदाताओं का कहना है कि वैधानिक अधिनियमों से नारी की प्रस्थिति में सुधार हुआ है। प्राइमरी तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 7 प्राप्त हुई जिनमे 4 (57.14 प्रतिशत) का कहना है कि वैधानिक अधिनियमों से नारी की प्रस्थिति में सुधार हुआ है जबकि 3 (42.86 प्रतिशत) का कहना है कि वैधानिक अधिनियमों से नारी की प्रस्थिति में सुधार नहीं हुआ। जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 16 प्राप्त हुई जिनमें 8 (50 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में हाँ कहा जबकि 8 (50 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में न कहा। हाईस्कूल तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 50 प्राप्त हुई जिनमें 30 (60 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में हाँ कहा जबकि 20 (40 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में नहीं कहा। इण्टरमीडिएट योग्यताधारी उत्तरदाताओं की संख्या 75 प्राप्त हुई जिनमें 60 (80 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में हाँ कहा जबकि 15 (20 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में नहीं

कहा। स्नातक वाले उत्तरदाताओं की संख्या 70 प्राप्त हुई जिसमें 51 (72.86 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में हाँ कहा जबकि 19 (27.14 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में नहीं कहा। परास्नातक वाले उत्तरदाताओं की संख्या 62 प्राप्त हुई जिनमें 50 (80.65 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में हाँ कहा जबकि 12 (19.35 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में नहीं कहा। अन्य योग्यताधारी उत्तरदाताओं की संख्या 18 प्राप्त हुई जिनमें 11 (61.11 प्रतिशत) में इस सम्बन्ध में हाँ कहा जबकि 7 (38.89 प्रतिशत) ने इस सम्बन्ध में न कहा।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह मानती हैं कि वैधानिक अधिनियमों से नारी की प्रस्थिति में सुधार हुआ है।

सारणी संख्या 5.41

उत्तरदाताओं के सुखी रहने की परिस्थितियों के सम्बन्ध में दृष्टिकोण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	पुनर्मिलन	7	2.33
2.	भत्ता प्राप्ति	251	83.67
3.	स्वावलम्बन	30	10
4.	दूसरे विवाह से	5	1.67
5.	अन्य	7	2.33
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 5.41 के माध्यम से उत्तरदाताओं के सुखी रहने की परिस्थितियों के सम्बन्ध में दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। कुल 300 उत्तरदाताओं में से 7 (2.33 प्रतिशत) का मानना है कि यदि उनका पुनर्मिलन हो जाए तो वे सुखी रह सकती हैं। 251 (83.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि उन्हें न्यायालय से निर्वाह भत्ता हेतु आवश्यक धनराशि पति से मिल जाए तो वे सुखी रह सकती हैं। 30 (10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि वे स्वावलम्बन से ही सुखी रह सकती हैं। 5 (1.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि वे दूसरे विवाह से भी सुखी रह सकती हैं। 7 (2.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इन सबके अतिरिक्त अन्य आधारों पर सुखी रह सकती हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता ऐसे हैं जो भत्ता प्राप्ति पर ही सुखी रह सकती है।

अध्याय षष्ठम्

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय षष्ठम्
निष्कर्ष एवं सुझाव

नारी का मनुष्य जाति की सृष्टि में ही महत्वपूर्ण योग नहीं है, अपितु समाज निर्माण में भी वह अपरिहार्य अंग है। ''पत्नी और माता अपने लिए जैसा आदर्श निश्चित करती है, जिस रूप में वह अपने कर्तव्य और जीवन को समझती हैं, उसी से समग्र जाति का भाग्य–निर्माण होता है। पुराणों तथा प्राचीन भारतीय इतिहास में इस बात सुस्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों को समुचित सम्मान प्राप्त था। वैदिक युग भारतीय इतिहास का गौरवमय काल है। धार्मिक कृत्यों में स्त्रियों–पुरुषों को समान रूप से भाग लेने का अधिकार था। उन्हें धार्मिक कृत्यों में बाधक नहीं माना जाता था और धर्म की दृष्टि में वे पुरुष के समकक्ष थीं। स्त्रियों को उपनयन का अधिकार था, वे यज्ञोपवीत धारण करती थीं। बालकों के समान ही कन्याओं के उपनयन संस्कार का प्राविधान था ताकि उन्हें वेदाध्ययन की दीक्षा दी जा सके।

स्मृतिकाल में स्त्री, पुरुष के समकक्ष नहीं रह गई। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री पराधीन हो गई। मनु ने नियोग, विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का अनुमोदन किया। कन्या के लिए उसने उपनयन संस्कार को वर्जित कर दिया। फलतः वह शिक्षा अर्जित करने के अधिकार से वंचित हो गई। भारतीय इतिहासकारों द्वारा पुत्रियों की तुलना में पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाने का कारण यह बताया गया कि जब आर्य पंजाब से पूर्व की ओर बढे तो गंगा की घाटियों में बसने वाली विभिन्न जनजातियों से उनका मुकाबला हुआ। इससे पुत्रों की कामना बलवती हुई जो शत्रुओं के विरुद्ध में युद्ध में सहायक होते। दूसरी अवधारणा यह है कि ऋग्वैदिक काल के मुकाबले पितृ पूजा के प्रचलन में वृद्धि हुई। फलतः पुत्रों का महत्व पुत्रियों की तुलना में बढ गया।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वैदिक युग के बाद स्त्री स्वतंत्र नहीं रह गई। अनेक धार्मिक, सामाजिक, जंजीरों में उसे जकड दिया गया। वह अधिकाधिक परनिर्भर या पराश्रित होती गई, वर्जनाओं से लदती चली गई और सामाजिक दृष्टि से इतनी पराधीन हो

गई कि व्यवहारिक रूप से उन्हें द्वितीय श्रेणी का मानक कहा जा सकता है। बौद्ध काला से पहले ही उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने वाले विधि विधाना निर्मित हो गये। सांसारिकता में लिप्त करने वाली मानकर उन्हें तिरष्करणीय समझा जाने लगा। विभिन्न राजनीतिक दशाओं का भी स्त्रियों की प्रस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

समय ने पुनः एक मोड लिया और हमारे समाज के एक बडे भाग ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के व्यापक प्रयत्न किए। उन्होंने यह अनुभव किया कि राष्ट्र के विकास में स्त्रियों की भूमिका अपरिहार्य है। इन्हें तिरस्कृत कर राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास नहीं किया जा सकता। पुरुषों एवं स्त्रियों के संयुक्त क्रियाकलापों से ही विकास का मार्ग प्रसस्त हो सकेगा। इनकी उपेक्षा कर राष्ट्र के विकासात्मक लक्ष्य को कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता। नारी शक्ति का साकार रूप है। उसे पहचानना और सेवा के लिए नियोजित करना आज के भारतवर्ष का मुख्यं कार्य है। भारत वर्ष के पिछडेपन में अन्य कारकों में प्रमुख कारण यहाँ की स्त्रियों के प्रति उदासीनता रहा है। स्वतंत्रता के अभाव में स्त्रियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पा रहा है जिससे आज भी आर्थिक उत्पादन क्षेत्र में उनका सहयोग बहुत कम है। जब तक भारतीय स्त्रियों में जागरुकता एवं चेतना नहीं आयेगी तब तक न तो ये स्वतंत्रता का रसास्वादन ही कर सकेगी और न ही अपने व्यक्तित्व को विकसित कर देश का सामाजिक, आर्थिक उन्नयन ही कर सकेंगी।

यद्यपि पिछली एक शताब्दी से ही स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिये महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, सम्पूर्ण विश्व उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता था। डॉ.एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता को इन परिवर्तनों का प्रमुख कारण माना है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने व औद्योगीकरण के फलस्वरूप ही उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुए। इससे स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता कम होने लगी और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिले। संचार के साधनों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास होने से

स्त्रियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना प्रारम्भ किया। संयुक्त परिवारों का विघटन होने से स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि हुई। सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ जिससे बाल विवाह, दहेज प्रथा और अंतरजातीय विवाह की समस्याओं से छुटकारा पाना आसान हो गया।

वैश्वीकरण ने आधुनिक युवा महिलाओं को ग्लोबल सिटीजन बना दिया है जो आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्म–विश्वासी है जिसने पुरुष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल नर्स, शिक्षिका, स्त्रीरोगों की डॉक्टर न बनकर, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नये क्षेत्रों को अपना रही है। वस्तुतः इक्कीसवीं सदी महिला सदी है तथापि भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमत्ती सोनिया गांधी, सुश्री मायावती, सुश्री जयललिता, सुश्री ममता बनर्जी, सुश्री मेधा पाटेकर, श्रीमती किरण मजूमदार, सुश्री इलाभट्ट, श्रीमती वृंदाकरात, श्रीमती सुधा मूर्ति, सानिया मिर्जा जैसी सामाजिक, राजनीतिक जीवन की ख्याति प्राप्त महिलाओं को छोड दिया जाये तो समाज की अधिसंख्यक महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष उपलब्धि जैसा परिवर्तन नहीं आया है और निकट भविष्य में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा ऐसी संभावना भी नहीं है।

यह सत्य है कि स्वाधीनता उपरान्त न केवल शहरों में अपितु गांवों में भी जागरुकता बढी है। महिलायें घर परिवार की चहारदीवारी से निकलकर घर और बाहर दोनों दायित्वों को निभा रही हैं और दोहरी जिम्मेदारी के बोझ तले दब रही हैं। सार्वजनिक जीवन और क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में कोई बडा सुधार नहीं हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि इसका लक्ष्य न्याय प्राप्ति व समस्त नागरिकों को स्तर और अवसर की समानता प्रदान करना है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये संविधान के 73 वें, 74वें संशोधन द्वारा देशभर की पंचायतों व जिला परिषदों में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा, महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया गया। सैद्धान्तिक रूप से महिलाओं को कानून के सभी अधिकार प्राप्त हैं। जो पुरुषों को प्राप्त हैं, परन्तु व्यवहार में अनेक विसंगतियाँ हैं जिनकी भुक्तभोगी हम से अधिकांश महिलायें हैं। परिवार के अंदर ही लडकियों को भाइयों के समान

शिक्षा, खेलकूद, खाने–पीने तक की छूट नहीं मिलती, लडकों को बचपन से गैर शाकाहारी मिलता है, लडकियों को नहीं। लडके देर रात तक मटरगश्ती करते हैं, लडकियों को अंधेरा होने से पूर्व घर लौटना होता है अन्यथा जब तक लडकी घर वापस नहीं आती माता–पिता के प्राण अधर में लटके रहते हैं।

महिला विकास व अधिकारों की बात करना व्यर्थ है जब तक विश्व की आधी जनसंख्या को मूलभूत अधिकार प्राप्त न हों। भारत में विश्व की जनसंख्य का 1/7 वां हिस्सा है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 12 करोड कन्याओं का जन्म होता है जिसमें से 1.5 करोड अपना प्रथम जन्म दिवस नहीं देख पाती हैं। कन्यायें अनचाही होने के साथ–साथ अपने परिवार पर बोझ मानी जाती है। इसी कारण लड़कियों का शोषण जन्म से पूर्व प्रारम्भ होकर मृत्यु पर्यन्त चलता रहता है। कन्या को जन्म से शैशवावस्था, किशोरावस्था, वैधव्य सभी अवस्थाओं में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, भेदभाव का शिकार होना पडता हैं। लिंग निर्धारण की उच्च तकनीकि, चिकित्सीय नैतिकता के अभाव के कारण लाखों बेटियाँ जन्म से पहले ही खो जाती हैं। लिंग निर्धारण परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या के सम्बन्ध में सरकार को ठोस कदम उठाना होगा, कानूनों को सख्ती से क्रियान्वित करना होगा उनका सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक शोषण रोकना होगा, यही समय की मांग हैं। मुस्कुराती लक्ष्मी ही आधुनिक भारत का भविष्य है।

परिवर्तन एक सार्वभौमिक सत्य है। समाज और उसका कोई भी अंग परिवर्तन के प्रभाव से बच नहीं सका। औद्योगीकरण के पूर्व परिवार एक उत्पादनशील इकाई था किन्तु औद्योगीकरण होने पर उत्पादन कारखानों में होने लगा। पति–पत्नी और बच्चे सभी कारखानों में काम करने लगे। इससे बच्चों की उपेक्षा हुई, पिता का परिवार पर नियंत्रण शिथिल हुआ एवं सदस्यों में स्वतंत्रता और व्यक्तिवादिता में वृद्धि हुई। औद्योगीकरण में स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। वे पुरुष की आर्थिक दासता से मुक्त हुईं। अब स्त्री घर की चहारदीवारी से बाहर आई और घर अस्त–व्यस्त हुआ। स्त्री–पुरुषों में समानता की मांग हुई। राज्य एवं उसके कार्यों के विस्तार ने भी परिवार के कई कार्य हथिया लिये। नगरीकरण के कारण लोग गांव छोडकर शहरों में जाने लगे। आधुनिक चिकित्सा एवं औषधि विज्ञान ने भी

परिवार नियोजन में सहयोग देकर परिवार के आकार को छोटा किया है। पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति, व्यक्तिवादी विचार, यातायात के नवीन साधनों एवं विभिन्न प्रकार के संगठनों के निर्माण ने भी परिवार की संरचना एवं प्रकार्यों को प्रभावित किया है और उनमें अनेक परिवर्तन लाने में योग दिया है।

वर्तमान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत का सामाजिक संगठन एवं सामाजिक ढांचा बहुत कुछ बदल गया है। भारतीय समाज में परिवार का संगठन स्त्री एवं पुरुष के समन्वय से रहता है। लेकिन जब विवाह विच्छेद अथवा तलाक हो जाता है तो वह पारिवारिक विघटन समझा जाता है। तलाक या विवाह विच्छेद दोनों पक्षों के लिए अत्यधिक कठिनाइयाँ पैदा कर देता है। आजीवन साथ निभाने के संकल्प के कारण विवाह अविघटनीय माना जाता था, अब यह धारण धीरे–धीरे क्षींण हो रही है। जब विवाह होने की परिस्थितियाँ व कारण बदले तब विवाह विच्छेद की दर भी बढने लगी। आज भारत की सभी विधिक प्रणालियों में विवाह विच्छेद के अधिकार को सम्मिलित कर दिया गया है। किन्तु कानूनों में विभिन्नतायें एवं स्त्री–पुरुषों को लेकर असमानताएं पाई जाती है।

विवाह विच्छेद के पश्चात् स्त्री तथा पुरुष दोनों के सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक व मानसिक स्तर पर प्रभाव पडता है। विवाह की जो भूमिका सामाजिक स्तर पर मानी जाती है, तलाक के कारण उसकी महत्ता समाप्त होती नजर आती है। विवाह विच्छेद के बाद पुरुष एवं स्त्री पर 'तलाकशुदा' का धब्बा लग जाता है जिससे उनमें मानसिक तनाव बढता है। विवाह विच्छेद का प्रभाव पुरुषों की तुलना में महिलाओं के जीवन में अधिक पडता है। परित्यक्ता स्त्री को समाज में सम्मानपूर्वक पद प्राप्त नहीं होता है और स्त्री को असम्मानजनक यहाँ तक कि अनैतिक जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य किया जाता है। पति से अलग अथवा विवाह विच्छेद के परिणामस्वरूप अलग रहती महिला को समाज ने परित्यक्ता की संज्ञा प्रदान की अर्थात् जिसे पति रूपी पुरुष ने अपनी दासी या अनुगामी न बनने पर छोड दिया। भारतीय समाज में परित्यक्ता महिला को प्रारम्भ से लेकर आज तक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसे कुलच्छिणी, कलंकनी तथा दुष्चरित्रता आदि संज्ञाएँ प्रदान की जाती हैं।

विवाह विच्छेद के पश्चात् आज स्त्रियाँ अपने भरण–पोषण या निर्वाह भत्ता के लिये न्यायालय जाने लगी हैं। पहले इनकी संख्या बहुत कम हुआ करती थी परन्तु आज इनकी संख्या दिनोंदिन बढती जा रही है।

सामान्यतः हिन्दू विधि में भरण–पोषण को वृहत रूप में लिया गया है और इसके अन्तर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय परिचर्या के लिए उपबन्ध आते हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत अन्तरिम भरण–पोषण और कार्यवाही के व्यय और धारा 25 के अन्तर्गत स्थायी निर्वाहिका और भरण–पोषण के उपबन्ध हैं। अंग्रेजी विधि में अन्तरिम और स्थाई निर्वाहिका और भरण–पोषण पत्नी द्वारा ही मांगा जा सकता है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन यह पति या पत्नी किसी के भी द्वारा मांगा जा सकता है।

आज स्त्री–पुरुष के समानता के युग में जहाँ स्त्रियाँ भी उपार्जन करने लगी हैं, प्रश्न यह उठाया जाता है कि भरण–पोषण और निर्वाहिका पत्नी द्वारा पति को भी देनी चाहिए, यदि पत्नी उस योग्य है। लगभग सभी साम्यवादी देश इस नियम को मान्यता देते हैं। अन्य देशों में भी यह नियम मान्यता प्राप्त कर रहा है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से भरण–पोषण की रकम मांग सकते हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के अन्तर्गत भरण–पोषण और निर्वाहिका का अधिकार हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम के उपबन्धों से स्वतंत्र और पृथक है।

हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम की धारा 18 (2) के अन्तर्गत कुछ आधारों के होने पर पत्नी, पति से पृथक रह सकती है और भरण–पोषण की मांग कर सकती है। यह उपबन्ध हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक पृथक्करण के उपबन्ध से भिन्न है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में पत्नी, पति से न्यायिक पृथक्करण न ले परन्तु वह उसके साथ भी रहना चाहे, यह भी हो सकता है कि न्यायिक पृथक्करण का आधार ही उपलब्ध न हो। इन परिस्थितियों में यदि उसे हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम की धारा 18 (2) के अन्तर्गत कोई आधार उपलब्ध है तो वह पृथक रहकर भरण–पोषण की मांग कर सकती है।

न्यायिक पृथक्करण और विवाह–विच्छेद में मूलभूत अन्तर है। विवाह विच्छेद विवाह को ही समाप्त कर देता है। पक्षकारों के बीच विवाह के अन्तर्गत उपबन्ध में सब कर्त्तव्य, अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के पश्चात भी पक्षकार पति पत्नी रहते हैं, विवाह विद्यमान रहता है केवल दाम्पत्य सम्बन्ध निलम्बित रहते हैं। विवाह विच्छेद न्यायिक पृथक्करण की अपेक्षा बडा अनुतोष है। अतः यदि विवाह–विच्छेद की याचिका में विवाह का आधार स्थापित न हो सके, और न्यायिक पृथक्करण का आधार स्थापित हो जाए तो न्यायालय को यह विवेक है कि वह न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर दे। विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम 1976 के संशोधन द्वारा न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद के आधार एक बना दिए गए है।

बिना किसी कारण के या बिना पति की सहमति से पतिगृह छोड़कर चली जाने वाली पत्नी भरण–पोषण की अधिकारिणी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि पति की सहमति या औचित्यपूर्ण कारण से पतिगृह से बाहर रहने वाली पत्नी भरण–पोषण की अधिकारिणी है। इस अधिनियम के उपबन्धों को अब हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम की धारा 18 (2) में अधिनियमित किया गया है। धारा 18 की उपधारा (2) पतिगृह से पृथक निवास बनाकर रहने के सात आधार देती है ये आधार निम्नवत् हैं :–

(i) अभित्यजन

(ii) क्रूरता

(iii) उग्र कुष्ठ रोग

(iv) अन्य पत्नी का जीवित होना

(v) उपपत्नी का होना

(vi) धर्म परिवर्तन करना

(vii) अन्य कोई न्यायोचित आधार

मुस्लिम विधि एवं कुरान की विभिन्न आयातों में भी स्त्री के भरण–पोषण की बात कही गयी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 उपबन्ध करती है कि पत्नी शब्द के अन्तर्गत

''तलाकशुदा पत्नी'' सम्मिलित है। यद्यपि पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 में पत्नी की परिभाषा में तलाकशुदा पत्नी सम्मिलित नहीं थी। मुसलमानों का तर्क यह था कि उनकी स्वीय विधि तलाकशुदा पत्नी को इद्दत की अवधि के बाहर भरण–पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं बनाती है। किन्तु उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि तलाकशुदा पत्नी अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है तो ऐसे मामलों में मुस्लिम विधि के सिद्धान्त को विस्तृत करना अन्याय होगा। यह निर्णय दिया गया था कि मुस्लिम स्वीय विधि उन मामलों में प्रयोज्य होगी जहाँ तक तलाकशुदा पत्नी स्वयं का भरण–पोषण करने में समर्थ है और पति का दायित्व इद्दत की अवधि के पश्चात् समाप्त हो जाएगा किन्तु जहाँ वह स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है, वहाँ वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भरण–पोषण पाने की अधिकारिणी है।

प्रस्तुत अध्ययन ''परित्यक्ता महिलाओं का मनः सामाजिक अध्ययन'' बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाले बाँदा जिले पर आधारित है। बुन्देलखण्ड शब्द से स्पष्ट है कि जिस क्षेत्र में बुन्देले ठाकुरों का राज्य रहा है, उस क्षेत्र को बुन्देलखण्ड के नाम से पुकारा जाता है। बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना सर्वप्रथम पंचम सिंह ने की थी। बुन्देलखण्ड की प्राकृतिक बनावट विभिन्न प्रकार की है। दीवान प्रतिपाल सिंह ने बुन्देलखण्ड के इतिहास के समर्पण भाग में लिखा है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर पर्वतों की गगन चुम्बी चोटियां, बडे–बडे नदी–नाले, घाटियां आदि हैं। इस क्षेत्र में हीरे एवं अन्य कीमती पत्थर प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार से यह क्षेत्र आत्मनिर्भर है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद औद्योगिक दृष्टि से प्राचीनकाल से ही पिछडा हुआ है। यहाँ के शासकों ने यहाँ के उद्योग धन्धों, प्राकृतिक–संसाधनों के बारे में कोई योजना नहीं बनाई जिसके कारण यह क्षेत्र गरीब होता चला आया है। यहाँ के व्यक्तियों को केवल उदरपूर्ति के लिए कृषि और उससे सम्बन्धित उद्योगों पर निर्भर रहना पडा। कुछ छोटे–मोटे कुटीर उद्योग जो आदि काल से यहाँ चलते आ रहे थे, अंग्रेजों के यहाँ आ जाने के कारण वे भी नष्ट प्रायः हो गए। बुन्देलखण्ड के लोग देश के अन्य भागों से अधिक गरीब और पिछड़े हुए हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत चित्रकूटधाम मण्डल अभी हाल में विकसित मण्डल है। चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत चार जिले आते हैं–बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं महोबा। चित्रकूटधाम मण्डल का मुख्यालय बाँदा है। बाँदा के पूर्व में जनपद चित्रकूट, उत्तर में जनपद फतेहपुर, पश्चिम में महोबा और हमीरपुर, दक्षिण में मध्यप्रदेश के सतना पन्ना और छतरपुर जिले हैं। बाँदा जनपद चार तहसीलों एवं आठ विकासखंडों तथा 17 थानों में विभक्त है।

प्रत्येक शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इनकी प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि योजनाबद्ध रूप में शोध कार्य आरम्भ नहीं किया जाता। इसी योजना की रूपरेखा को अनुसंधान कहा जाता है। अनुसंधान विश्लेषण के वैज्ञानिक ढंग के प्रयोग की औपचारिक क्रमबद्ध एवं विस्तृत प्रक्रिया है। अनुसंधान ज्ञान की अभिवृद्धि, संशोधन एवं प्रमाणीकरण के विषय में सामान्यीकरण करने के उद्देश्य से वस्तुओं, अवधारणाओं अथवा संकेतों में परिवर्तन करता है। इन परिवर्तनों का अंतिम उद्देश्य सिद्धान्तों का निर्माण तथा कला के प्रयोग को संभव बनाता हैं

प्रस्तुत अध्ययन "परित्यक्ता महिलाओं का मनः सामाजिक अध्ययन" के संदर्भ में शोध कार्यों की न्यूनता है। यद्यपि महिलाओं के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन किए हैं। एन.ए. देशाई ने वेश्यावृत्ति का अध्ययन किया। पी. मेहता ने चुनाव–प्रचार एवं सामूहिक प्रभाव में महिलाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया। एच.आर. त्रिवेदी ने अनुसूचित जाति की महिलाओं का शोषण सम्बन्धी अध्ययन प्रस्तुत किया। प्रमिला कपूर ने कालगर्लो की जीवन शैली का अध्ययन किया और बताया कि असीमित धन की लालसा उन्हें इस व्यवसाय की ओर आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त एम.ए. खान एवं नूर आयशा द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं की परिस्थिति सम्बन्धी अध्ययन, एम. कृष्णाराज द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी अध्ययन, डॉ0 डी.एस. विष्ट द्वारा महिलायें: यौन हिंसा तथा बढते अपराध सम्बन्धी अध्ययन, डॉ. सुमेधा नीरज द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और महिला सशक्तीकरण, श्वेता सिंह द्वारा संवैधानिक अधिकारों के प्रति उच्च शिक्षित महिलाओं की संज्ञानात्मक जागरुकता, डॉ आभा सक्सेना द्वारा शिक्षित महिलायें : सामाजिक विधान एवं

सशक्तीकरण सम्बन्धी अध्ययन, डॉ0 मीनाक्षी व्यास द्वारा माध्यम एवं निम्नवर्गीय स्त्रियों की पारिवारिक स्थिति सम्बन्धी अध्ययन, डॉ0 जाहेदुन्निसा द्वारा मुस्लिम समाज में परिवार का बदलता हुआ प्रतिमान सम्बन्धी अध्ययन, हरिन्द्र कुमार द्वारा परित्यक्त महिलाओं का पुर्नव्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, डॉ0 सुरजीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा महिला सशक्तीकरण में महिलाओं की भूमिका सम्बन्धी अध्ययन, डॉ0 अंजलि गुप्ता द्वारा महिलाओं की स्थिति पर वैश्वीकरण का प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन आदि इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में हिन्दू व मुस्लिमों में विवाह विच्छेद तथा विवाह से सम्बन्धित समस्याओं के निदान में काफी फर्क है। मुस्लिम समाज में तलाक एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्यायालय के बाहर कुछ स्थितियां पूर्ण होने पर दिया जा सकता है। जैसे–पंचायत, (कुरान 2:228, 4:35) के पश्चात् मेहर की रकम अदा करके तलाक दिया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम विवाह एक संविदा है। इसके विपरीत हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो साधारणतया समाप्त नहीं हो सकता परन्तु 1956 में हिन्दू विवाह अधिनियम पारित होने के पश्चात् उसमें दी गई शर्तों के आधार पर पति अथवा पत्नी तलाक ले सकते हैं।

पति–पत्नी के बीच अलगाव के कारणों में औद्योगीकरण, नगरीकरण, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन, शिक्ष,ा महिला आन्दोलन, मीडिया व यातायात के साधन, नगरों–महानगरों में फैलता मानसिक असन्तुलन, राजनैतिक व सामाजिक चेतना, प्रताडना, पति अथवा पत्नी के अनैतिक सम्बन्ध तथा महिलाओं को दिया गया वैद्यानिक संरक्षण आदि प्रमुख हैं। पुराने धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्य अब महानगरीय जीवन में लगभग समाप्त हो चुके हैं जिसका प्रमाण यह है कि केवल दिल्ली में लगभग 35 तलाक के मुकदमें प्रतिदिन दायर किए जाते हैं जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत पति–पत्नी दोनों की ओर से दायर किए जाते हैं। आज की महानगरीय महिला व पुरुष पूर्णरूप से शिक्षित, जागरुक, आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा पाश्चात्य महिला आन्दोलन से ओत–प्रोत हैं। पुरुषों में भी अधिक धन कमाने की लालसा तथा कार्य करने की अधिकता के कारण मानसिक तनाव स्थाई रूप से बना रहता है जिसके कारण छोटी सी बात भी अलगाव का कारण बन जाती है, क्योंकि महिलाएं भी अब अपने वैधानिक अधिकारों के प्रति पूर्ण सचेत हैं।

प्रस्तुत अध्ययन इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि इसके द्वारा विवाह जैसी संस्था के महत्व तथा समाज की मूल इकाई परिवार को विघटित करने वाले कारकों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। विवाह–विच्छेद की स्थिति से बचने के लिये आवश्यक है कि पत्नी के रूप में महिला के साथ समानतापूर्ण व्यवहार किया जाए, फिर भी यदि विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो आवश्यक हो जाता है कि परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक व मानसिक विकारों से बचाने हेतु उन्हें पूर्ण सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाएं। सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसी महिलाओं को सामाजिक उपेक्षा व तिरस्कार नहीं अपितु समाज में उन्हें न्यायोचित अधिकार प्रदान कर उनकी सम्मानपूर्वक स्थिति व भूमिका का निर्धारण किया जाए। प्रस्तुत अध्ययन के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्नवत् हैं :–

(i) समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए विवाह संस्था के महत्व को बनाए रखने हेतु परिवार में पत्नी के रूप में रह रही महिला के साथ, समान व सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है या नहीं। यह जानना प्रस्तुत अध्ययन का प्रथम उद्देश्य है।

(ii) समाज में बढती हुई विवाह विच्छेद की प्रक्रिया को रोकने के लिए कौन–कौन से उपाय सहायक सिद्ध होंगे, यह जानना प्रस्तुत अध्ययन का द्वितीय उद्देश्य है।

(iii) पति द्वारा शोषित या उत्पीड़ित महिला जो पति से अलग जीवन व्यतीत कर रही है, उसकी मनः स्थिति को ज्ञात करना प्रस्तुत अध्ययन का तृतीय उद्देश्य है।

(iv) पति–पत्नी के मध्य अलगाव के कारणों को ज्ञात करना प्रस्तुत अध्ययन का चतुर्थ उद्देश्य है।

(v) परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक दृष्टिकोण से तिरस्कार व उपेक्षा नहीं अपितु न्यायोचित अधिकार मिलना चाहिए, यह जानना प्रस्तुत अध्ययन का पंचम उद्देश्य है।

(vi) परित्यक्ता महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को ज्ञात करना प्रस्तुत अध्ययन का षष्ठम उद्देश्य है।

(vii) दिन–प्रतिदिन बढती अलगाव की प्रवृत्ति का समाज पर क्या प्रभाव पड रहा है, इसे जानना प्रस्तुत अध्ययन का सप्तम उद्देश्य है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ सामान्य उपकल्पनाओं को निर्मित किया गया है जो निम्नवत् हैं :–

(i) वर्तमान समय में पति–पत्नी के मध्य अलगाव व विवाह विच्छेद की प्रक्रिया बढ़ रही है।

(ii) समाज की मूल ईकाई परिवार का औचित्य खतरे में पडता जा रहा है।

(iii) वर्तमान में भौतिकतावाद की बढती हुई प्रवृत्ति के कारण पति–पत्नी के सम्बन्ध टूट रहे हैं।

(iv) महिलाओं की आर्थिक निर्भरता उनके सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण का मूल कारण है।

(v) आज भी परित्यक्ता महिला को हेय दृष्टि से देखा जताा है जिसके फलस्वरूप उसे अनके मनः सामाजिक समस्याओं का सामना करना पडता है।

(vi) पति द्वारा छोडे जाने पर आवश्यक है कि पति उसे अपनी आय के अनुसार गुजारा भत्ता दे जिससे महिला अपना भरण–पोषण कर सके।

(vii) पति–पत्नी के मध्य अलगाव के कारणों को जानकर उसके कारगार सुझाव प्रस्तुत करना ताकि अलगाव, विवाह–विच्छेद की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण पाया जा सके।

प्रस्तुत अध्ययन चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाले बाँदा जिले पर आधारित है। बाँदा नगरपालिका परिषद 2006 के परिसीमन के अनुसार बाँदा 28 वार्डों में विभक्त है। वर्तमान में बाँदा जनपद की जनसंख्या 20.00 लाख है तथा हर 1000 पुरुष पर 930 महिलाएँ हैं। बाँदा जिले के अन्तर्गत नरैनी, बबेरू, अतर्रा एवं बाँदा चार तहसीलें आती हैं। बाँदा जनपद जसपुरा, महुआ, तिन्दवारी, कमासिन, बबेरू, नरैनी, बिसण्डा एवं बडोखर आदि आठ विकासखण्डों में विभक्त है। प्रस्तुत शोध 300 परित्यक्ता महिलाओं पर आधारित है। ये वे महिलाएँ हैं जो अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने हेतु अदालतों का सहारा ले रही हैं और इनके मुकदमें न्यायालय में लम्बित हैं। इन महिलाओं का निवास क्षेत्र अधिकतर बाँदा ही है परन्तु कुछ एक महिलाएँ बाहर के जिलों की भी हैं। बाँदा न्यायालय में हजारों निर्वाह भत्ता से सम्बन्धित केस वर्षों से लम्बित हैं। हमने अपने अध्ययन के लिए जिन केसों को लिया वे 2002 से 2007 के

बीच के हैं। 2002 से 2007 के बीच के हमने अपने अध्ययन के लिए 300 केसों को लिया है। प्रत्येक वर्ष से हमने 50 केस या मामले लिए हैं। इन केसों और उत्तरदाताओं का चुनाव हमने सुविधापूर्ण निदर्शन प्रणाली के द्वारा किया है। इन उत्तरदाताओं से जानकारी के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना को अपनाया गया है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु अनेक अधिनियम बनाए गए। अंग्रेजी शासनकाल में जो अधिनियम बने उनमें सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, अलग रहने और भरण–पोषण हेतु स्त्रियों का अधिनियम 1946, मुस्लिम विवाह से सम्बन्धित अधिनियम जिनमें शरीयत अधिनियम 1937 एवं मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 आदि प्रमुख हैं। स्वतंत्र भारत में जो अधिनियम बने उनमें विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू नाबालिग तथा संरक्षकता अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम 1956, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि प्रमुख हैं।

1946 में अलग रहने और भरण–पोषण हेतु स्त्रियों का जो अधिनियम बना उसके अनुसार हिन्दू स्त्रियों को कुछ परिस्थितियों में पति से अलग रहने पर भरण–पोषण के अधिकार प्राप्त होते हैं। ये परिस्थितियाँ निम्नालिखित हैं :–

(i) पति किसी ऐसे घृणित रोग से पीडित हो जो उसे पत्नी के संसर्ग से न हुआ हो।

(ii) पति निर्दयता का व्यवहार करता हो अथवा पत्नी पति के साथ रहना खतरनाक समझती हो।

(iii) पत्नी को उसके पति ने छोड़ रखा हो।

(iv) पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो।

(v) पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो।

(vi) पति किसी अन्य स्त्री से सम्बन्ध रखता हो।

सन् 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम बना। इस अधिनियम ने मुस्लिम स्त्री को निम्नांकित आधारों पर तलाक देने का अधिकार प्रदान किया –

(i) यदि चार वर्ष से पति का कोई पता न हो।

(ii) यदि पति दो वर्ष से पत्नी का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो।

(iii) यदि पति का सात या अधिक वर्षों के लिए सजा हुई हो।

(iv) यदि पति नपुंसक हो।

(v) यदि पति पागल हो।

(vi) यदि पति संक्रामक रोग एवं कोड से ग्रस्त हो।

(vii) यदि पति पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता हो।

(viii) यदि पति चरित्रहीन स्त्रियों से सम्पर्क रखता हो।

(ix) यदि पति पत्नी को व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने को बाध्य करता हो।

(x) किसी अन्य आधार पर जो मुस्लिम कानून के अनुसार तलाक के लिए मान्य हो।

अंग्रेजी शासनकाल में हिन्दू एवं मुसलमानों में परिवार एवं विवाह से सम्बन्धित अधिनियमों के अतिरिक्त ईसाइयों, पारसियों, सिक्खों, जैनों एवं बौद्धों के विवाह से सम्बन्धित अधिनियम भी बने जैसे " भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 " और भारतीय विवाह–विच्छेद अधिनियम 1869, जो ईसाइयों में विवाह एवं तलाक के नियमों को व्यवस्थित करते हैं। पारसी विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 पारसियों में विवाह एवं विच्छेद की शर्तों का उल्लेख करता है। 1909 में "आनन्द विवाह अधिनियम" द्वारा आनन्द उत्सव पर सिक्खों द्वारा किए गए विवाह को वैध ठहराया गया। 1955 का हिन्दू विवाह अधिनियम अब सिक्खों, जैनों और बौद्धों पर भी लागू होता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नांकित दशाओं में विवाह होने पर उसे रद्द किया जा सकता है :–

(i) विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का जीवन साथी जीवित हो और उससे

तलाक न हुआ हो।

(ii) विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो।

(iii) एक वर्ष के अन्दर यह प्रमाणित हो ज़ाए कि प्रार्थी अथवा उनके सरंक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक या कपट से ली गई थी।

(iv) विवाह के एक वर्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरूष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था।

इस अधिनियम की धारा 10 में कुछ आधारों पर पति–पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि पृथक रहकर वे अपने मतभेदों को भुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक सम्बन्धों की पुर्नस्थापना की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण के आधार निम्नांकित हैं :–

(i) बिना कारण बताए प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने के दो वर्ष पूर्व छोड रखा हो।

(ii) प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाता हो।

(iii) प्रार्थना पत्र देने के एक वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ रोग से पीडित हो।

(iv) दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रामक यौन रोग हो जो प्रार्थी के संसर्ग से नहीं हुआ हो।

(v) यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना देने के एक वर्ष पूर्व से पागल हो।

हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम 1956 के तीसरे अध्याय में भरण–पोषण के नियमों का उल्लेख है जो इस प्रकार हैं :–

(i) इस अधिनियम के अन्तर्गत भरण–पोषण का अधिकार स्त्री व पुरूष दोनों को है अर्थात् स्त्री अपने पति से और पति अपनी पत्नी से भरण–पोषण की रकम पाने का दावेदार है, यदि उनके पास आय के अन्य साधन नहीं है।

(ii) इस अधिनियम में पत्नी, विधवा, पुत्रवधू, नाबालिग संतान, वृद्ध माता–पिता और अन्य आश्रितों को भरण–पोषण पाने का अधिकार दिया गया है।

(iii) यदि कोई स्त्री अपने पति से तलाक ले लेने, उसके साथ क्रूर व्यवहार करते, कुष्ठ रोग से पीडित होने, धर्म परिवर्तन कर लेने अथवा अन्य स्त्री को रखैल रखने के कारण

अलग रहती है तो धर्म परिवर्तन न करने व सच्चरित्र होने की अवस्था में वह अपने पति से भरण–पोषण पाने की अधिकारिणी होगी।

(iv) यदि किसी मृतक ने वसीयत के द्वारा अपने आश्रितों के भरण–पोषण की व्यवस्था नहीं की है तो उसके आश्रितों को उसकी सम्मत्ति में भरण–पोषण पाने का अधिकार है। इस प्रकार यह अधिनियम पृथक्करण और तलाक की स्थिति में स्त्रियों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करता है।

उपर्युक्त अधिनियमों के अतिरिक्त महिलाओं के विभिन्न संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने महिलाओं को विशेष ध्यान में रखकर उनसे सम्बन्धित अनेकों कानून बनाए हैं, ताकि उन्हें शोषण–उत्पीड़न से बचाकर पूरा सम्मान दिया जा सके। विभिन्न राज्यों ने महिला कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ संचालित की हैं जिनमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा कामधेनू योजना, बिहार सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वस्थ सखी योजना एवं सैनेट्री मार्ट योजना, हरियाणा सरकार द्वारा अपनी बेटी अपना धन योजना एवं देवी रूपक योजना, आन्ध्रप्रदेश सरकार द्वारा बालिका संरक्षण योजना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचधारा योजना एवं ग्रामीण इंजीनियर योजना आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पंचधारा योजना जो आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण एवं विकास से सम्बन्धित है–में वात्सल्य योजना, ग्राम्य योजना, आयुष्मति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं कल्पवृक्ष योजना शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में केन्द्र सरकार द्वारा देश में पहली बार एक 'राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति' बनाई गई ताकि देश में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास के लिए आधारभूत व्यवस्थाएं निर्धारित किया जाना संभव हो सके।

इसके अतिरिक्त 'सती प्रथा अधिनियम' 'इन्डीसेंट रिप्रेजेन्टेशन एक्ट' तथा 'आई0टी0पी0 एक्ट' में संशोधन करने के अतिरिक्त 'परित्यक्ता' महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता संशोधन विधेयक' के साथ–साथ सरकार द्वारा महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करने हेतु उन्हें संसद और राज्य विधानमण्डलों में आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी 84वें

संविधान संशोधन विधेयक 1998 को भी संसद से पारित कराने के लिए प्रयास किए गए। ईसाई समुदाय की महिलाओं को पुरुषों की भांति तलाक का अधिकार प्रदान करने हेतु 'भारतीय तलाक् (संशोधन) अधिनियम, 2001' को संसद से पास भी करा लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर भ्रूण हत्या रोकने विषयक 'प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994' के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विशेष प्रयास भी किए गए।

महिला सशक्तिकरण वर्ष में सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कुछ नई विकास और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करते हुए उन्हें संचालित किया गया और इनके लिए पूर्व से संचालित विशेष योजनाओं यथा–न्यू माडल चर्चा योजना (1987), नौराड प्रशिक्षण योजना (1989), महिला समाख्या योजना (1989), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (1992), राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य ऋण योजना (1993), ऋण प्रोत्साहन योजना (1993), स्वयं सहायता समूह योजना (1993), विपणन वित्त योजना (1993), के अतिरिक्त राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (1994), मार्जिन मनी ऋण योजना (1995), ग्रामीण महिला विकास परियोजना (1996), राज राजेश्वरी बीमा योजना (1997), स्वास्थ्य सखी योजना (1997), डवाकरा योजना (1997) आदि को भी साथ–साथ अधिक व्यापक पैमाने पर संचालित करने का प्रयास किया गया। नई संचालित योजनाओं में किशोरी शक्ति योजना, महिला स्वयंसिद्धा योजना, महिला स्वाधार योजना, महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना, स्वशक्ति योजना आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त पूर्व से संचालित बालिका समृद्धि योजना में व्यापक संशोधन कर इसे अधिक व्यावहारिक बनाने का भी प्रयास किया गया है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु यों तो पूर्व में अनेक व्यवस्थाओं और अधिनियमों को लागू किया जाता रहा है, जैसे संविधान के अनुच्छेद 14 ,15,17, 19, 23 और 39 में राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जीविका, कानून आदि के आधार पर अवसरों की समानता की गारन्टी तथा जबरन काम करवाने आदि को पूरी तरह

प्रतिबन्धित किया गया है। इसी प्रकार बगान श्रम अधिनियम (1951), खान अधिनियम (1952), बीडी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम (1966), प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961), दहेज निषेध अधिनियम (1961), दहेज निषेध अधिनियम संशोधन (1986), ठेका श्रम अधिनियम (1970), समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1980) प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (1994) आदि के द्वारा महिलाओं को विशेष सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के प्रयास किए गए है।

परित्यक्ता महिला के लिए उसके पति से जल्दी गुजारा भत्ता दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संसद में 2001 में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। विधेयक में प्रावधान है कि गुजारा भत्ते की सारी आर्जियों पर अदालतें 60 दिनों के भीतर आदेश पारित करेंगी। इसमें विवाह कानूनों में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है। नए कानून से महिलाओं को समय पर और समुचित मात्रा में गुजारा भत्ता मिल सकेगा। अन्तरिम आवेदन पर प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर अदालतें फैसला सुनाने के लिए बाध्य होंगी और इससे अब पति मुकदमें की सुनवाई बार–बार टलवा नहीं सकेगा।

प्रस्तुत अध्ययन में हमनें अध्याय क्रम के संदर्भ में पहला अध्याय प्रस्तावना, द्वितीय अध्याय पद्धतिशास्त्र, तृतीय अध्याय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु पारित सामाजिक विधान, अधिनियम के रूप में वर्णित किया है। अध्याय चतुर्थ परित्यक्ता महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित है। इस अध्याय में हमनें उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की चर्चा विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में की है और उनको सारणीयन के माध्यम से स्पष्ट किया है।

सारणी संख्या 4.1 उत्तरदाताओं की आयु से सम्बन्धित है। यह सारणी इस तथ्य को प्रदर्शित करती है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनकी आयु 25–30 के बीच है। सारणी संख्या 4.2 उत्तरदाताओं की जाति से सम्बन्धित है जिसमें यह दर्शाया गया है कि पिछड़ी जाति के उत्तरदाता सर्वाधिक हैं।

सारणी संख्या 4.3 उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित है। इस सारणी से

यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। सारणी संख्या 4.4 उत्तरदाताओं के पति की शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित है। इस सारणी के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे उत्तरदाता अधिक है जिनके पति इण्टर पास है।

सारणी संख्या 4.5 उत्तरदाताओं की जाति एवं आयु में सम्बन्ध पर आधारित है। इस सारणी से यह स्पष्ट है कि सामान्य जाति के उत्तरदाता अधिक है। यह सारणी यह भी प्रदर्शित करती है कि 25–30 आयुवर्ग के उत्तरदाता अधिक हैं। सारणी संख्या 4.6 उत्तरदाताओं की जाति एवं शैक्षिक स्थिति से सम्बन्धित है। इस सारणी से यह पता चलता है कि इण्टरमीडिएट योग्यता वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। इस सारणी के लम्बवत विश्लेषण से यह पता चलता है कि पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है।

सारणी संख्या 4.7 उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता एवं आयु से सम्बन्धित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त किए हुए है। इस सारणी से यह भी पता चलता हैं कि 25–30 आयुवर्ग के उत्तरदाता सर्वाधिक हैं।

सारणी संख्या 4.8 के द्वारा उत्तरदाताओं के पति के व्यवसाय को दर्शाया गया है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है जिसके पति मजदूरी करते हैं। सारणी संख्या 4.9 उत्तरदाताओं के पति की मासिक आय से सम्बन्धित है। इस सारणी से यह पता चलता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके पति की मासिक आय 6000–8000 के बीच है।

सारणी संख्या 4.10 उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से 6 तक है।

सारणी संख्या 4.11 उत्तरदाताओं की आयु एवं स्वयं कार्य करने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक

है जो स्वयं कुछ न कुछ कार्य करती हैं। सारणी संख्या 4.12 के द्वारा उत्तरदाताओं की आयु एवं कार्य के स्वरूप को दर्शाया गया है। इस सारणी से यह ज्ञात हुआ है कि ऐसे उत्तरदाता सबसे अधिक हैं जो अध्ययन–अध्यापन के कार्यों में लगे हुए हैं।

सारणी संख्या 4.13 उत्तरदाताओं की आयु एवं बच्चों की संख्या सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाता अधिक हैं जिनके लडके हैं। लडके वाले उत्तरदाताओं में से ऐसे उत्तरदाता अधिक है जिनके 1–2 के बीच लडके हैं। लडकियों वाले उत्तरदाताओं में भी ऐसे उत्तरदाता अधिक है जिनके 1–2 के बीच लडकियाँ हैं।

सारणी 4.14 बच्चों का अपने माता–पिता के साथ रहने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके बच्चे अपनी माता के साथ रहते हैं।

सारणी संख्या 4.15 उत्तरदाताओं का बच्चों के भविष्य के प्रति दृष्टिकोण पर आधारित है। इस सारणी से यह पता चलता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की सख्या सर्वाधिक है जो यह मानते हैं कि परित्यक्त परिवारों के बच्चें अच्छे नहीं बन पाते।

सारणी संख्या 4.16 उत्तरदाताओं की आयु एवं विवाह पूर्व परिचय सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो विवाह पूर्व एक–दूसरे से परिचित नहीं थे। सारणी संख्या 4.17 उत्तरदाताओं का पति से अलग होने के कारण सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिन्होंने पति या उनके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने के कारण पति को छोडा या पति से अलग हुई।

सारणी संख्या 4.18 उत्तरदाताओं की जाति एवं पति से अलगाव के कारण सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिन्होंने पति या उनके परिवार द्वारा प्रताड़ना को पति से अलगाव का प्रमुख कारण माना है।

सारणी संख्या 4.19 पति द्वारा भरण–पोषण न कर पाने के कारण सम्बन्धी विवरण पर

आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह कहते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की वज़ह से उनका भरण–पोषण नहीं कर पाता था। सारणी संख्या 4.20 उत्तरदाताओं के पति के व्यवसाय एवं भरण–पोषण न कर पाने के कारणों को प्रदर्शित करती है। इस सारणी के क्षैतिज आधार पर विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके पति मजदूरी करते हैं।

सारणी संख्या 4.21 पति के चरित्रहीनता के कारणों को प्रदर्शित करती है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनका कहना है कि उनके पति के मोहल्ले के किसी स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध थे। सारणी संख्या 4.22 उत्तरदाताओं की आयु एवं पति की चरित्रहीनता के कारणों से सम्बन्धित है। इस सारणी से यह स्पष्ट है कि 20–25 आयुवर्ग के उत्तरदाता अधिक हैं।

सारणी संख्या 4.23 उत्तरदाताओं के पति द्वारा प्रताडित करने के स्वरूप को दर्शाती है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके पति और दहेज लाने के लिए विवश करते थे। सारणी संख्या 4.24 पति द्वारा प्रताड़ना में परिवारजनों की भूमिका को व्यक्त करती है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनमें पति द्वारा प्रताड़ना में सास, ससुर, ननद, देवर आदि की भूमिकाएं प्रमुख थीं।

सारणी संख्या 4.25 उत्तरदाताओं की जाति एवं पति से अलगाव में सास की भूमिका को व्यक्त करती है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि कुल 300 उत्तरदाताओं में से 96 उत्तरदाता ऐसे मिले जिन्होंने पति से अलगाव में सास की भूमिका को स्वीकार किया। सारणी संख्या 4.26 द्वारा पति से अलगाव में सास की भूमिका के स्वरूप को दर्शाया गया है। इस सारणी से यह पता चलता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है जिनका कहना है कि उनकी सास मारपीट में पति का साथ देती रही।

सारणी संख्या 4.27 उत्तरदाताओं की आयु एवं पति से अलगाव में सास की भूमिका के स्वरूप से सम्बन्धित है। इस सारणी के लम्बवत विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 96

उत्तरदाताओं में से 20–25 आयुवर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है।

सारणी संख्या 4.28 उत्तरदाताओं की आयु एवं ससुरालजनों द्वारा मारने के प्रयास सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिन्हें मारने का प्रयास नहीं किया गया है। सारणी संख्या 4.29 उत्तरदाताओं की संख्या एवं ससुरालजनों द्वारा उन्हें मारने के तरीकों के प्रयास सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है जिन उत्तरदाताओं को मारने का प्रयास किया गया उनमें सबसे अधिक मिट्टी के तेल डालने के केस हैं।

सारणी संख्या 4.30 उत्तरदाताओं की जाति एवं ससुरालजनों द्वारा उन्हें मारने के तरीकों के प्रयास सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि सामान्य जाति के उत्तरदाता सबसे अधिक हैं जिन्हें मारने का प्रयास किया गया। सारणी संख्या 4.31 उत्तरदाताओं की आयु एवं उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो दहेज प्रताड़ना से सम्बन्धित हैं।

सारणी संख्या 4.32 उत्तरदाताओं के दहेज लाने सम्बन्धी प्रताडना को दर्शाती है। इस सारणी से ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या अधिक हैं जिन्हें कई बार दहेज लाने हेतु प्रताडित किया गया।

सारणी संख्या 4.33 उत्तरदाताओं की आयु एवं पति से अलगाव में स्वयं की त्रुटि से सम्बन्धित है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह मानते है कि पति से अलगाव में उनकी गलती नहीं थी। सारणी संख्या 4. 34 उत्तरदाताओं का पति से अलगाव में स्वयं की त्रुटि के कारकों को प्रदर्शित करती है।

प्रस्तुत शोध का पंचम अध्याय परित्यक्त महिलाओं की मनः सामाजिक समस्याएं एवं वर्तमान में परित्यक्त महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित है। इस अध्याय में हमने परित्यक्त महिलाओं की मनः सामाजिक समस्याओं एंव वर्तमान में परित्यक्त महिलाओं की स्थिति को विभिन्न सारणियों के द्वारा स्पष्ट किया है।

सारणी संख्या 5.1 उत्तरदाताओं की जाति एवं घर छोडने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके पति ने उन्हें घर से निकाला। सारणी संख्या 5.2 उत्तरदाताओं का स्वयं पति का घर छोड़ते समय उत्पन्न विचार सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह कहती हैं कि पति का घर छोड़ने पर उन्हें रोज–रोज की झंझटों से छुटकारा मिल गया। सारणी संख्या 5.3 पति द्वारा घर से निकालते समय उत्तरदाताओं के अन्दर उत्पन्न विचार सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिन्होंने पति द्वारा घर से निकालते वक्त पति के क्रूरतम रूप को जाना।

सारणी संख्या 5.4 उत्तरदाताओं का शादी के पश्चात् पति के घर में निवास करने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो शादी के पश्चात् अपने पति के यहाँ एक से दो वर्ष के बीच रहीं। सारणी संख्या 5.5 पति से अलग होने के पश्चात् खर्च उठाने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनका खर्च उनके माता–पिता उठाते हैं।

सारणी संख्या 5.6 उत्तरदाताओं की संख्या एवं न्यायालय में दायर मासिक खर्चे की मांग से सम्बन्धित है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिन्होंने मुकदमें में 4000–6000 रूपये का क्लेम किया है। सारणी संख्या 5.7 उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं न्यायालय में निर्वाह भत्ता के लिए दायर खर्चे के विवरण पर आधारित है। सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक संख्या इण्टरमीडिएट पास उत्तरदाताओं की है।

सारणी संख्या 5.8 उत्तरदाताओं की जाति एवं न्यायालय में निर्वाह भत्ता के लिए दायर खर्चे के विवरण को दर्शाती है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। सारणी संख्या 5.9 न्यायालय में मुकदमा दायर करने

सम्बन्धी प्रेरणा को प्रदर्शित करती है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के कहने पर न्यायालय में भरण–पोषण के लिये मुकदमा दायर किया।

सारणी संख्या 5.10 उत्तरदाताओं की जाति एवं न्यायालय में मुकदमा दायर करने सम्बन्धी प्रेरणा को प्रदर्शित करती है। इस सारणी से यह पता चलता है कि पिछड़ी जाति के उत्तरदाता सबसे अधिक हैं। सारणी संख्या 5.11 उत्तरदाताओं की आयु एवं मुकदमें की पैरवी अकेले करने जाने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो मुकदमें की पैरवी करने अकेले जाती हैं।

सारणी संख्या 5.12 उत्तरदाताओं की आयु एवं मुकदमें की पैरवी हेतु परिजनों के साथ जाने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो अपने पिता के साथ मुकदमें की पैरवी करने जाती है। सारणी संख्या 5.13 उत्तरदाताओं की संख्या एंव दायर मुकदमें का खर्च उठाने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके मुकदमें का खर्च उनके पिता उठाते हैं।

सारणी संख्या 5.14 उत्तरदाताओं की आयु तथा दोनों परिवारों के मध्य हुई पारिवारिक पंचायत के विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके यहाँ आपसी सुलह के लिए पारिवारिक पंचायतें हुईं। सारणी संख्या 5.15 उत्तरदाताओं की आयु तथा दोनों परिवारों के मध्य हुई जातीय पंचायत के विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके यहाँ जातीय पंचायत नहीं हुई। सारणी संख्या 5.16 उत्तरदाताओं की संख्या तथा पारिवारिक पंचायत में सम्मिलित सदस्यों की संख्या के विवरण को दर्शाती है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनकी पारिवारिक पंचायत में माता–पिता, सास–ससुर, देवर–भाई आदि ने भाग लिया।

सारणी संख्या 5.17 उत्तरदाताओं की संख्या एवं अलगाव पश्चात् जीवन के बारे में

दृष्टिकोण को इंगित करती है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह मानते हैं कि पति से अलग होने के पश्चात् उन्हें सबसे ज्यादा चिंता बच्चों के भविष्य की है।

सारणी संख्या 5.18 उत्तरदाताओं की जाति एवं अलगाव पश्चात् पति से मिलने की कोशिश सम्बन्धी विवरण को दर्शाती है। इस सारणी से यह ज्ञात होता कि जिन उत्तरदाताओं ने अलगाव पश्चात् पति से मिलने की कोशिश की उनमें पिछड़ी एवं अन्य जाति के उत्तरदाता सर्वाधिक हैं। सारणी संख्या 5.19 अलगाव पश्चात् उत्तरदाताओं का पति से मिलने के उद्देश्य सम्बन्धी विवरण को दर्शाती है। इस सारणी से यह पता चलता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिन्होंने बच्चों के लिए अलगाव पश्चात् पति से मुलाकात की। सारणी संख्या 5.20 में उत्तरदाताओं की जाति एंव अलगाव पश्चात् पति का उत्तरदाताओं से मिलने की कोशिश सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है जिनके पति उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। सारणी संख्या 5.21 अलगाव पश्चात् पति का उत्तरदाताओं से मिलने के उद्देश्य सम्बन्धी विवरण को व्यक्त करती है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके पति यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों से मिलने एवं चेतावनी देने के लिए उनसे मुलाकात की।

सारणी संख्या 5.22 अन्य लोगों का उत्तरदाताओं को देखने सम्बन्धी दृष्टिकोण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि अन्य लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। इसके बाद ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या है जो यह कहते है कि अन्य लोग उन्हें बुरी नजर से देखते हैं। सारणी संख्या 5.23 उत्तरदाताओं की आयु एवं अन्य लोगों का उत्तरदाताओं को देखने सम्बन्धी दृष्टिकोण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि 20 से 25 आयु वर्ग के उत्तरदाता सर्वाधिक है।

सारणी संख्या 5.24 उत्तरदाताओं की आयु एंव दोस्तों, सहेलियों द्वारा पुनः पति के पास

जाने के लिए प्रेरित करने सम्बन्धी विवरण को दर्शाती है। इस सारणी से स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जिनके मित्रों ने पुनः पति के पास जाने हेतु प्रेरित किया।

सारणी संख्या 5.25 उत्तरदाताओं की संख्या एवं उनकी वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदाई व्यक्ति के सम्बन्ध में दृष्टिकोण को इंगित करती है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो अपनी वर्तमान स्थिति के लिए ससुरालजनों को उत्तरदाई मानती हैं। सारणी संख्या 5.26 उत्तरदाताओं की संख्या एवं अपने विवाह को देखने सम्बन्धी दृष्टिकोण को इंगित करती है। इस सारणी से ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है जिन्होंने विवाह को एक अटूट बन्धन के रूप में देखा। सारणी 5.27 में उत्तरदाताओं की संख्या एवं दूसरे विवाह योग्य पति के सम्बन्ध में विवरण को दर्शाया गया है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो दूसरे विवाह के लिए अपनी ही भाँति तलाकशुदा पति चाहती हैं।

सारणी संख्या 5.28 उत्तरदाताओं का अपने पति के प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह मानती हैं कि उनके पति हमेशा दूसरों के इशारे पर चलते रहे। दूसरे स्थान पर ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या है जो यह मानती है कि उनके पति हमेशा घरेलू कार्यों में व्यस्त रहे।

सारणी संख्या 5.29 उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति एवं भाग्यवाद में विश्वास सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। इस सारणी के लम्बवत् आधार पर देखने से पता चलता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो भाग्यवाद में विश्वास करते हैं।

सारणी संख्या 5.30 उत्तरदाताओं के माता–पिता की चिन्ता के बारे में नाते–रिश्तेदार की सलाह सम्बन्धी विवरण को दर्शाती है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके नाते–रिश्तेदार उनके माता–पिता से सुलह करके

वापस ससुराल भेजने को कहते हैं।

सारणी संख्या 5.31 उत्तरदाताओं की जाति एवं माता–पिता पर बोझ सम्बन्धी विवरण को दर्शाती है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह मानती है कि वे अपने माता–पिता पर बोझ बनी हुई हैं।

सारणी 5.32 उत्तरदाताओं की सख्या एवं माता–पिता के घर में अकेले समय व्यतीत करने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो पुरानी बातों के बारे में सोंच कर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। सारणी संख्या 5.33 उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं माता–पिता के घर में अकेले समय व्यतीत करने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट वाले उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है।

सारणी संख्या 5.34 उत्तरदाताओं की जाति एवं माता–पिता के घर में पहले जैसा सम्मान मिलने सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जिन्हें घर में पहले जैसा सम्मान नहीं मिल रहा है।

सारणी संख्या 5.35 उत्तरदाताओं की संख्या एवं आगे के जीवन के लिए बनाई गई योजना के सम्बन्ध में दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह कहती हैं कि वे माता–पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करेंगी। सारणी संख्या 5.36 में उत्तरदाताओं का पति के बिना जीवन की स्थिति के विवरण को दर्शाया गया है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो यह मानती हैं कि पति के बिना स्त्री का जीवन बहुत कठिनाईपूर्ण होता है। सारणी संख्या 5.37 में उत्तरदाताओं की जाति एवं पति के बिना जीवन की स्थिति के विवरण को दर्शाया गया है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है जो पति के बिना जीवन को नरक के समान मानती हैं।

सारणी संख्या 5.38 उत्तरदाताओं का वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में दृष्टिकोण पर आधारित है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है

जो वर्तमान में दुःखी जीवन व्यतीत कर रही है।

सारणी संख्या 5.39 उत्तरदाताओं की आयु एवं नारी का नारी द्वारा शोषण सम्बन्धी विवरण पर आधारित है। इस सारणी से यह स्पष्ट है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह मानती हैं कि नारी ही नारी का शोषण करती है। सारणी संख्या 5.40 में उत्तरदाता की शैक्षिक स्थिति एवं वैधानिक अधिनियमों से नारी की प्रस्थिति में सुधार सम्बन्धी विवरण को दर्शाया गया है। इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जो यह मानती हैं कि वैधानिक अधिनियमों से नारी की प्रस्थिति में सुधार हुआ है। सारणी संख्या 5.41 उत्तरदाताओं के सुखी रहने की परिस्थितियों से सम्बन्धित है। इस सारणी से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है जो भत्ता प्राप्ति पर ही सुखी रह सकती हैं।

सुझाव

(i) परित्यक्ता महिलायें अधिकतर नवयुतियाँ हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नवयुतियों में अनेक पारिवारिक गुण पहले की अपेक्षा क्षीण होते जा रहे हैं। परिवार को दृढ़ता देने वाले मूल्यों को बढ़ावा दिया जाय जिससे परिवार विघटित न हो।

(ii) परित्यक्ता महिलाओं में सबसे ज्यादा संख्या मध्यम वर्ग की है। स्पष्ट है कि मध्यम वर्ग में भौतिकतावाद की प्रवृत्ति बढ़ी है जिसे पूरा न कर पाने के कारण परिवार विखण्डन की ओर बढ़ता है। व्यक्ति को अपनी आय एवं हैसियत के अनुसार खर्च करना चाहिए।

(iii) महिलाओं में आर्थिक स्वतन्त्रता बलवती हुई है जिस कारण वे परिवार व पति में ज्यादा ध्यान नहीं दे पातीं। इसका सबसे बड़ा कुप्रभाव बच्चों को झेलना पड़ता है। अतः बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पति व पत्नी दोनों को बच्चों के सामने अपने को अच्छे माता–पिता साबित करना होगा।

(iv) पारिवारिक विघटन में सबसे ज्यादा मामले पति या परिवार द्वारा प्रताड़ना के हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति व ससुरालजनों को यह भलीभाँति जानना होगा कि उनकी भी लड़की या पुत्री

है जिसे दूसरों के घर जाना है। अतः उनको पत्नी या बहू में अपने घर की लड़की की तस्वीर देखनी चाहिए।

(v) पति–पत्नी के अलगाव में सास, ननद, देवरानी, जेठानी की भूमिकायें महत्वपूर्ण हैं। अतः नारी का नारी द्वारा ही शोषण हो रहा है। महिलाओं में यह जागरुकता लानी होगी कि नारियाँ सशक्त हों, एक–दूसरे का शोषण कर आपस में कमजोरी का भाव न उत्पन्न होने दें।

(vi) पुरुषों या पत्नियों को अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना होगा। अच्छा है कि पत्नी को दासी बनाने की अपेक्षा उसे एक दोस्त बनायें, दोस्त की भाँति व्यवहार करें। बहुत सारे घरेलू काम स्वयं भी करें जिनसे पारिवारिक तनाव बढ़ता हो। यदि पत्नी कामकाजी है तो उसको महत्व व सम्मान दें। यदि पत्नी कार्य करना चाहती है तो उसको प्राथमिकता दें। यदि पति बेरोजगार है तो उसे हीनभावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए।

(vii) पति–पत्नी के आपसी झगड़े तो होते ही रहते हैं। इन्हें पारिवारिक पंचायतों द्वारा आसानी से निपटाया भी जा सकता है जो एक तरह का अनौपचारिक नियंत्रण हैं। अतः अच्छा होगा कि तुरन्त अदालतों में पहुँचने की अपेक्षा परिवार के अनुभवी सदस्यों का सहारा भी लें।

(viii) पति–पत्नी दोनों को यह समझना होगा कि विवाह मात्र एक रस्म नहीं है बल्कि अटूट बन्धन भी है। उनका आपस में मिलना मात्र एक संयोग नहीं बल्कि दैवीय या ईश्वरीय विधान भी है। इस तरह के मूल्य दम्पत्तियों में नैतिक साहस उत्पन्न करते हैं जिससे पारिवारिक विखण्डन कम होगा। नई पीढ़ी में इसका ज्यादा प्रचार–प्रसार करना होगा।

(ix) महिलाओं को अभी वैधानिक नियमों के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसलिये इन अधिनियमों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय ताकि महिलाओं का उत्पीड़न न हो।

परिशिष्ट

संदर्भ ग्रन्थ सूची

साक्षात्कार अनुसूची

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Altekar, A.S. : The Position of Women in Hindu Civilization.
2. Ackoff, R.L. : Design of Social Research.
3. Ali, Abdulla Yusuf : Glorius Kuran
4. Ahuja, Mukesh : Widows, New Age Publishers, Delhi, 1996.
5. Ahuja, Ram : Crime Against Women, Rawat Publications, Jaipur, 1987.
6. Ahuja, Ram : Violence Against Women, Rawat Publications, Jaipur, 1987.
7. Bogardus, E.S. : Sociology.
8. Bogardus, E.S. : Introduction to Social Research, 1936.
9. Bottomore, T.B. : Sociology A Guide to Problems and Literature, London; 1962.
10. Chaudhary, S.C. : An Advanced History of India, Mc-Milion Co; London, 1946.
11. Cohen, M.R. : An Introduction to Logic and Scientific Methods, New York, 1936.
12. Dutt, K.K. : An Advanced History of India.
13. Dr. Dube, S.C. : Indian Society, National Book trust, India.
14. Davis, Kingsley : Human Society, New York, 1949.
15. Davis, Kingsley : Urbanization in India-Past and Future in India, Oxford University Press, 1962.
16. Fairchild, H.P. : Dictionary of Sociology

16. Fen, Elvin : Thirty Five Years in the Divorce Court, London, 1919.

17. Goode, William. J. and Hatt. Paul, K. : Methods in Social Research, Mc-Graw Hill Book Company, Inc, New York, 1952.

18. Haiman, Herbert : Survey Design and Analysis Principle, Cases and Proccer, The Free Press, London, 1960.

19. Hussain, Sekh Abrar : Marriage Customs Muslims in India, Starling Publishers, New Delhi, 1978.

20. Justice. Srivastav, A.B. and Dr. Gupta, H.P. : Law of Dowry Prohition, Modern Law House, Allahabad, 2002

21. Karve, Irawati : Kinship Organization in India.

22. Karve, Irawati : THe Husband Wife and Mother Son Relationship.

23. Dr. Kapadia, K.M. : Marriage and Family in India, Motilal Banarasilal, Delhi, 1963.

24. Kothari, Rajni : Politics in India, Orient Longman, New Delhi, 1970.

25. Kutgrow, S. : The Science of Society- An Introduction to Sociology, George Allen and Camp, London, 1992.

26. Dr. Lavania, M.M. : Sociology of Indian Women, College Book Depot, Jaipur.

27. MacIver and Page : Society.

28. Murdock, G.P. : Social Structure.

29.	Dr. Majumdar, D.N. and Madan, T.N.	:	An Introduction to Social Anthropology.
30.	Mukerjee, R.K.	:	Family in India Perspective, 1979.
31.	Madan. G.R.	:	Indian Social Problems, Allied Publishers.
32.	Mc-Cromic, Thomas Carson	:	Elementary Social Statistics, 1941.
33.	Mendalbaum, D.	:	The Family in India, New York, 1949.
34.	Dr. Majumdar, D.N.	:	Races and Culture of India, Asia Publishing House, Bombay, 1958.
35.	Moser, C.A.	:	Survey Methods in Social Investigation, London, 1961.
36.	Pearson, Karl	:	The Grammer of Science, A and C Black, London, 1911.
37.	Pannikar, K.M.	:	The Hindu Society At Cross Road, Asia Publishing House, Bombay, 1955.
38.	Palmer, V.M.	:	Field Studies in Sociology.
39.	Prabhu, P.H.	:	Hindu Social Organization.
40.	Qazalbash, Yawer	:	Principles of Muslim Law, Mordern Law House, Allahabad, 2003.
41.	Sridevi, S.	:	A Century of Indianwood.
42.	Selltiz, Jahoda and Cook	:	Research Methods in Social Relations.
43.	Dr. Saxena, R.N.	:	Indian Society and Social Institutions.
44.	Dr. Srinivas, M.N.	:	India : "Social Structure", Hindustan Publishing Corporation.
45.	Dr. Srinivas, M.N.	:	Social Change in Modern India, Allied Publishers, Bombay, 1966.

46. Sinha, R. : Social Changes in Indian Society, Prograsive Publishers, Bhopal, 1975.

47. Dr. Singh, Yogendra : Social Change (Mimiograph), New Delhi, NCERT, 1978.

48. Westermarck, E.A. : The History of Human Marriage.

49. Wilbert, E. Moore : Order and Change, Jhon Vily and Sons, New York, 1967.

50. Wernika : Hundred Years of Indian National Congress, 1985.

51. Yang, Hsin Pao : Fact Finding with Rural People.

52. Young, P.V. : Scientific Social Survey and Research, Asia Publishing House, Bombay, 1960.

53. डॉ0 रानी, आशु : महिला विकास कार्यक्रम, कालेज बुक डिपो, जयपुर।

54. डॉ0 श्रीवास्तव, रमेशचन्द्र : बाँदा वैभव, महेश्वरी प्रेस बाँदा, 1994 ।

55. डॉ0 जयशंकर मिश्र : प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना।

56. डॉ0 डी0एस0 बघेल : नगरीय समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।

57. डॉ0 दुबे, एस0सी0 : मानव और संस्कृति।

58. देशाई, मीरा : वीमेन इन मार्डन इण्डिया, 1947।

59. डॉ0 दीवान, पारस : हिन्दू विधि की रूपरेखा, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, 2002।

60. मेयर, लूसी : सामाजिक नृ–विज्ञान की भूमिका (हिन्दी अनुवाद)।

61. मनुस्मृति (हिन्दी)

62. रिवर्स, डब्ल्यू0एच0आर0 : सामाजिक संगठन (हिन्दी अनुवाद)।

63. लखनपाल, चन्द्रावती : स्त्रियों की स्थिति।

64. वी0एस0 उपाध्याय : वीमेन इन ऋग्वेद, 1941।

65. वेदालंकार, हरिदत्त : हिन्दू परिवार मीमांसा।

66. त्रिपाठी, शम्भूरत्न : भारतीय समाज व संस्कृति, 1963।

रिसर्च जर्नल एवं पत्र-पत्रिकाएँ

(i) राधा कमल मुकर्जी चिन्तन परम्परा : समाज विज्ञान विकास संस्थान, चाँदपुर, बिजनौर (उ0प्र0)।

(ii) झारखण्ड रिसर्च जर्नल : रामपुरहत, बीरभूम (पश्चिम बंगाल)।

(iii) सामाजिक सहयोग : शोध प्रबन्धन अभिषद, श्रीकृष्ण शिक्षण संस्थान, उज्जैन (म0प्र0)।

(iv) मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल : मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म0प्र0)।

(v) कुरूक्षेत्र : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(vi) योजना : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

अधिनियम

(i) सती प्रथा निरोधक अधिनियम, 1829

(ii) विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856

(iii) गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट, 1930

(iv) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 धारा (18)

(v) हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम, 1955

(vi) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 धारा 10 (2)

(vii) हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956, धारा (20)

(viii) हिन्दू अपृाप्तक्यता और संरक्षकता अधिनियम, 1956

(ix) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

(x) दहेज निरोधक अधिनियम, 1961

(xi) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (पूर्व 1898)

(xii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

(xiii) भारतीय दण्ड संहिता, 1860

Some Muslims Act

(i) The Guardians and Wards Act, 1890.

(ii) The Mussalman Wakf Validating Act, 1913.

(iii) The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937.

(iv) The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939.

(v) The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Rules, 1975.

(vi) The Family Courts Act, 1984.

(vii) The Central Wakf Council Rules, 1998.

(viii) The Muslims Women (Protection of Rights on Divorce Rules), 1986.

(ix) The Muslims Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986.

साक्षात्कार अनुसूची

1. नाम ....

2. निवास स्थान (i) ग्राम (ii) नगर

3. आपकी आयु क्या है ?

   (i) 15– 20 वर्ष (ii) 20– 25 वर्ष (ii) 25– 30 वर्ष

   (iv) 30– 35 वर्ष (v) 35–40 वर्ष (vi) 40– 45 वर्ष

   (vii) 45 से ऊपर।

4. आप किस धर्म से सम्बन्धित हैं ?

   (i) हिन्दू (ii) मुस्लिम (ii) सिक्ख (iv) ईसाई (v) जैन (vi) अन्य

5. आपकी जाति कौन सी हैं ?

   (i) सामान्य (ii) पिछड़ी जाति (iii) अनुसूचित जाति (iv) अन्य

6. आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है ?

   (i) अशिक्षित (ii) प्राइमरी (iii) जू0 हाईस्कूल (iv) हाईस्कूल (v) इण्टरमीडिएट

   (vi) स्नातक (vii) परास्नातक (viii) अन्य

7. आपके पति की शैक्षिक योग्यता क्या हैं ?

   (i) अशिक्षित (ii) प्राइमरी (iii) जू0 हाईस्कूल (iv) हाईस्कूल (v) इण्टरमीडिएट

   (vi) स्नातक (vii) परास्नातक (viii) अन्य

8. आपके पति का व्यवसाय क्या हैं ?

   (i) कृषि (ii) नौकरी (iii) मजदूरी (iv) व्यापार (v) अन्य

9. क्या आपके पिता के परिवार में अधिकतर लोग शिक्षित हैं ? हाँ/नहीं

10. क्या आपके पति के परिवार की अधिकतर महिलाएँ शिक्षित हैं? हाँ/नहीं

11. आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हैं ?

    (i) 2 से 4 (ii) 4 से 6 (iii) 6 से 8 (iv) 8 से 10 (v) 10 से 12

    (vi) 12 से अधिक।

12. आपके पति की मासिक आय कितनी हैं ?

    (i) 2000—4000 (ii) 4000—6000 (iii) 6000—8000 (iv) 8000—10000

    (v) 10000—12000 (vi) 12000—14000 (vii) 14000—16000 (viii) 16000—18000

    (ix) 18000—20000 (x) 20000 से अधिक।

13. इस आय के अलावा भी आपके पति से पास आय का कोई अन्य स्रोत भी हैं? हाँ / नहीं

14. यदि हाँ तो स्रोत से आने वाली आय कितनी है ? ....

15. क्या आप स्वयं कोई काम करके अपने लिए कुछ कमाती हैं ? हाँ / नहीं

16. यदि हाँ तो कौन सा काम करती हैं ?

    (i) मजदूरी (ii) अध्ययन—अध्यापन (iii) सिलाई—कढ़ाई

    (iv) कोई प्राइवेट नौकरी (v) अन्य

17. आपके कितने बच्चे हैं ? संख्या .... (i) पुत्र ....(ii) पुत्री ....

18. बच्चे किसके साथ रहते हैं ?

    (i) पिता (ii) माता (iii) दोनों (iv) अन्य

19. क्या इन बच्चों की संरक्षकता के सम्बन्ध में आपके पति ने कोई मुकदमा दायर कर रखा है ? हाँ / नहीं

20. यदि हाँ तो उसका परिणाम क्या निकाला ?

    (i) आपके पक्ष में (ii) आपके विपक्ष में (iii) अनिर्णित

21. क्या आप विवाह के पूर्व एक—दूसरे से परिचित थे ? हाँ / नहीं

22. पति से अलग होने का कारण क्या है?

    (i) पति द्वारा भरण—पोषण एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना

    (ii) पति या उनके परिवार द्वारा प्रताडना

    (iii) पति का चरित्र ठीक न होने के कारण

    (iv) अन्य

23. यदि पति आपका भरण–पोषण एवं आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा तो उसके क्या कारण हैं ?

(i) पति की दयनीय आर्थिक स्थिति

(ii) पति की अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां

(iii) पति का शराबी होना

(iv) गलत कार्यों में पैसा खर्च करना

(v) अन्य

24. पति द्वारा आपको किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा था ?

(i) पति मारता था

(ii) पति गाली–गलौज करता था

(iii) पति सबके सामने बेइज्जत करता था

(iv) पति और दहेज लाने के लिए विवश करता था

(v) अक्सर शराब पीकर आता था

(vi) अन्य

25. पति द्वारा प्रताड़ित करने पर, पति का और कौन–कौन से लोग साथ देते थे?

(i) सास (ii) ससुर (iii) ननद (iv) देवर (v) देवरानी (vi) जेठानी (vii) अन्य

26. पति के अतिरिक्त आपको प्रताड़ित करने में सबसे अहम भूमिका किसकी थी ?

(i) सास (ii) ससुर (iii) ननद (iv) देवर (v) देवरानी (vi) जेठानी (vii) अन्य

27. यदि पति चरित्रहीन था तो उसके क्या कारण थे ?

(i) अक्सर दूसरी औरतों को घर में लाना

(ii) दूसरी औरतों के घर जाना

(iii) घर की किसी अन्य स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध

(iv) मोहल्ले की किसी अन्य स्त्री के साथ अवैध सम्बन्ध

(v) अन्य

28. क्या आप स्वयं पति का घर छोडकर अपने पिता के पिता के घर आईं या पति ने आपको घर से निकाला?

    (i) स्वयं पित का घर छोडा (ii) पति ने निकाला

29. यदि आप स्वयं पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर आईं तो पति का घर छोड़ते वक्त आपको कैसा लगा?

    (i) पति के चंगुल से मुक्ति मिल गई

    (ii) ससुरालजनों से पीछा छूटा

    (iii) रोज–रोज की झझटों से छुटकारा मिला

    (iv) गलत किया, घर नही छोड़ना चाहिए था

    (v) अन्य

30. यदि पति ने घर से निकाला तो घर छोड़ते वक्त कैसा लगा?

    (i) इस घर से मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया

    (ii) पति के क्रूरतम रूप को जाना

    (iii) आत्महत्या करने की सोची

    (iv) घर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था

    (v) बहुत दुःख हुआ

    (vi) अन्य

31. पति से अलगाव में क्या आप स्वयं की त्रुटि मानती हैं ? हाँ/नहीं

32. यदि हाँ तो कैसे ?

    (i) पति की कभी कद्र नहीं की

    (ii) पति का कभी कहना नहीं माना

    (iii) मनमाना खर्च की आदी हो गई थी

    (iv) माता–पिता को ज्यादा महत्व देने लगी

    (v) ससुरालजनों को कभी महत्व नहीं दिया

    (vi) विवाह के बाद भी सम्बन्ध दूसरों से बने रहे

33. पति से अलगाव में क्या आपकी सास की कोई भूमिका थीं ? हाँ / नहीं

34. यदि हाँ तो किस प्रकार थी ?

(i) हमेशा पति को उकसाती रही

(ii) मार–पीट में पति का साथ देती रही

(iii) दहेज लाने को प्रताडित करती रही

(iv) विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती रही

(v) भरपेट भोजन को तरसाती रही

(vi) अन्य

35. क्या पति से अलगाव में आपके माता–पिता या अन्य परिवार वालों की भी कोई भूमिका थी? हाँ / नहीं

36. आप शादी के पश्चात् पति के घर में कितने दिन रहीं ?

(i) छः महीने (ii)1–2 वर्ष (iii) 2–4 वर्ष (iv) 4–6 वर्ष

(v) 6–8 वर्ष (vi) 8–10 वर्ष (vii) 10–12 वर्ष (viii) 12–14 वर्ष

(ix) 14–16 वर्ष (x) 16–18 वर्ष (ix) इससे अधिक

37. क्या आपके पति का परिवार संयुक्त परिवार हैं ? हाँ / नहीं

38. यदि हाँ तो क्या आप संयुक्त परिवार में रहीं या अलग ?

(i) संयुक्त परिवार में (ii) एकाकी परिवार में (iii) दोनों परिवारों में

39. यदि एकाकी परिवार में रहीं तो आवास कहाँ रहा ?

(i) उसी घर में (ii) उसी मोहल्ले में (iii) उसी शहर में

(iv) नाते रिश्तेदारों के घर में (v) अन्य जगह

40. क्या आपके पिता का परिवार संयुक्त हैं ? हाँ / नहीं

41. न्यायालय में मुकदमा दायर करने का ख्याल आपको कहाँ से आया ?

(i) माता–पिता के कहने पर (ii) सहेलियों की सलाह पर

(iii) पत्र– पत्रिकाओं को पढ़कर (iv) टेलीविजन से प्रभावित होकर

(v) किसी पुरुष दोस्त के कहने पर (vi) अन्य

42. पति से अलग होने के पश्चात् आपका खर्चा कौन उठात रहा हैं ?

    (i) माता–पिता (ii) भाई (iii) बहन (iv) रिश्तेदार (v) स्वयं (vi) अन्य

43. आपके द्वारा दयार किए गए वाद की संख्या ? ....

44. आपके वाद में कितने रूपये मासिक भत्ते का क्लेम किया हैं ?..............................

45. यदि बच्चों के लिए भी भत्ते का क्लेम किया है तो उसकी धनराशि? ....

46. क्या इस समय आपको न्यायालय की ओर से आदेश पर कोई अन्तरिम भत्ता मिल रहा है? हाँ/नहीं

47. क्या इस समय आप मुकदमें की पैरवी करने अकेले जाती हैं? हाँ/नहीं

48. यदि नहीं तो आपके साथ पैरवी करने कौन जाता है ?

    (i) पिता (ii) माता (iii) भाई (iv) बहन

    (v) दोस्त (vi) रिश्तेदार (vii) अन्य

49. आपके द्वारा दायर मुकदमें का खर्च कौन वहन करता है ?

    (i) पिता (ii) माता (iii) भाई (iv) बहन

    (v) रिश्तेदार (vi) अन्य

50. क्या पिता के घर में आपको पहले जैसा सम्मान मिल रहा हैं ? हाँ/नहीं

51. नाते–रिश्तेदार आपके माता–पिता से आपके बार में क्या कहते हैं ?

    (i) लड़की को घर में बिठाना ठीन नहीं है

    (ii) सुलह करके वापस ससुराल भेज दो

    (iii) दूसरा विवाह कर दो

    (iv) अन्य

52. क्या आपको लगता है कि आप माता–पिता पर बोझ हैं ? हाँ/नहीं

53. क्या आपको माता–पिता आपको लेकर चिंतित रहते हैं ? हाँ/नहीं

54. क्या माता–पिता के घर में अन्य व्यक्तियों द्वारा आपके ऊपर छींटाकशी भी की जाती है? हाँ/नहीं

55. अन्य लोग आपको किस नजर से देखते हैं ?

(i) बुरी नजर से (ii) अच्छी नजर से (iii) तटस्थ (iv) नहीं मालूम

56. पति से अलग होने पर आगे का जीवन आपको कैसा लगता हैं ?

(i) बहुत कठिन नजर आता है

(ii) बच्चों के भविष्य की चिंता

(iii) जीने का कोई सहारा नहीं बचा

(iv) कभी–कभी लगता है आत्महत्या कर लूँ

(v) अन्य

57. पति से अलग होने पर आपने आगे के जीवन के लिए क्या योजना बनाई ?

(i) दूसरा विवाह करने की सोंच रही हूँ

(ii) स्वयं का कोई व्यवसाय करने के पक्ष में

(iii) मजदूरी इत्यादि करके जीविकोपार्जन

(iv) अध्ययन–अध्यापन करके जीविकोपार्जन

(v) माता–पिता के साथ ही रहकर उनकी सेवा करूंगी

(vi) अन्य

58. आपने विवाह को किस रूप में देखा ?

(i) मात्र एक रस्म के रूप में (ii) एक अटूट बन्धन के रूप में

(iii) एक समझौते के रूप में (iv) नहीं मालूम (v) अन्य

59. आपके पति ने विवाह को किस रूप में देखा ?

(i) मात्र एक रस्म के रूप में (ii) एक अटूट बन्धन के रूप में

(iii) एक समझौते के रूप में (iv) नहीं मालूम (v) अन्य

60. पति से अलग होने पर क्या आप खुश हैं ? हाँ / नहीं

61. पति से अलग होने के पश्चात् क्या आपने कभी पति से मिलने की कोशिश की?

हाँ / नहीं

62. यदि हाँ तो किस उद्देश्य से ?

(i) उनकी याद आ रही थी (ii) पुनः एक होने के लिए

(iii) बच्चों के लिए (iv) अन्य

63. क्या आपके पति ने कभी मिलने की कोशिश की ? हाँ/नहीं

64. यह हाँ तो किस उद्देश्य से ?

(i) पुनः ले जाने के लिए

(ii) गलती की माफी मांगने के लिए

(iii) यौन इच्छा की पूर्ति के लिए

(iv) सुलह के लिए

(v) बच्चों के लिए

(vi) चेतावनी देने के लिए

(vii) धमकी देने के लिए

(viii) अन्य

65. क्या आपको लगता है कि यदि आपने और पति ने छोटी–मोटी गलतियों को नजरअंदाज किया होता या आपसी तालमेल बनाये रखते या दोनों एक दूसरे को समान महत्व देते तो यह स्थिति नहीं आती ? हाँ/नहीं

66. पति से अलग होने के बाद आपके लिए विवाह क्या रहा गया ?

(i) मात्र एक खिलवाड (ii) एक अटूट बन्धन (iii) एक समझौता

(iv) नहीं मालम (v) अन्य

67. क्या पति आपके चरित्र पर भी संदेह करता था? हाँ/नहीं

68. क्या आपके पुरुष दोस्त विवाह के बाद भी आपसे मिलने आते रहे? हाँ/नहीं

69. यह हाँ तो क्या पति या अन्य सदस्य इसके खिलाफ थे ? हाँ/नहीं

70. क्या पति के अलावा अन्य कोई पारिवारिक सदस्य आपसे यौन सम्बन्ध के उद्देश्य से छेड़खानी करता था ? हाँ/नहीं

71. यदि हाँ तो उसका आपसे रिश्ता ? ....

72. क्या आपको दहेज लाने के लिए प्रताडित किया गया हाँ/नहीं

73. यदि हाँ तो आप आपने माता–पिता के यहाँ से कितनी बार दहेज लायीं ?

(i) एक बार (ii)दो बार (iii) तीन बार (iv) इससे अधिक

74. क्या आपके ससुराल वाले किसी ऐसी चीज या इतना पैसा मांग रहे थे जिसे देने में आपके माता–पिता असमर्थ थे ? हाँ/नहीं

75. क्या कभी आपके पति या ससुरालजनों ने आपको जान से मारने की कोशिश की थी? हाँ/नहीं

76. यदि हाँ तो किस तरह से?

(i) मिट्टी का तेल डालकर

(ii) जहरीला पदार्थ मिलाकर

(iii) गला दबाकर

(iv) फांसी लगाकर

(v) नाजुक अंगों पर प्रहार करके

(vi) करेंट लगाकर

(vii) अन्य प्रकार से

77. क्या आपके व आपके पति के बीच सुलह करने हेतु कोई जातीय पंचायत हुई ? हाँ/नहीं

78. क्या आपके व आपके पति के बीच सुलह करने हेतु पारिवारिक पंचायत हुई ? हाँ/नहीं

79. यदि हाँ तो पारिवारिक पंचायत में किन–किन सदस्यों ने भाग लिया ?

(i) माता–पिता (ii) सास–ससुर (iii) आस–पडोस के लोग

(iv) नाते– रिश्तेदार (v) उपरोक्त सभी

80. पंचायतों का क्या परिणाम निकला ?

(i) सकारात्मक (ii) नकारात्मक (iii) कोई निर्णय नहीं

81. क्या आपके दोस्तों, सहेलियों ने पुनः पति के पास जाने हेतु प्रेरित किया ?

हाँ / नहीं

82. इस घटना के लिए आप किसे ज़िम्मेदार मानती हैं ?

(i) स्वयं को (ii) पति को (iii) दोनों को

(iv) ससुरालजनों (v) अन्य को

83. आप अपने माता–पिता के घर में अकेले में ज्यादातर क्या करती हैं ?

(i) पुरानी बातों के बारे में सोचती रहीत हैं

(ii) भविष्य के बारे में सोचती रहती हैं

(iii) पूजा–पाठ में मन लगाती हैं

(iv) समाचार, पत्र–पत्रिकाएँ, टी.वी. देखती हैं

(v) सोती रहती है

(vi) माता–पिता की सेवा में लगी रहती हैं

(vii) दोस्तों के संग मस्त रहती हैं

(viii) घरेलू कार्यों में मदद करती रहती हैं

(ix) अन्य

84. क्या आप भाग्यवाद में विश्वास करती हैं ? हाँ / नहीं

85. यदि हाँ तो क्या आप इस घटना को अपने भाग्य में लिखा होना मानती हैं?

हाँ / नहीं

86. क्या आप इस बात पर भी विश्वास करती हैं कि यदि आपके व पति के कर्म ठीक होते तो यह नौबत न आती ? हाँ / नहीं

87. दूसरे विवाह के लिए कैसा पति चाहती हैं ?

(i) विवाह नहीं करना चाहती (ii) कुंवारा

(iii) तलाकशुदा (iv) उपरोक्त में से कोई भी

88. क्या आपको यह विश्वास है कि दूसरे विवाह के फलस्वरूप आपका जीवन सुखी रहेगा?

(i) हाँ (ii) नहीं (iii) नहीं मालूम

89. क्या आपकी छोटी–मोटी जरूरतों पर पति ध्यान देता था ? हाँ / नहीं

90. क्या आप अपनी चीजें लाने के लिए पति पर दबाव डालती रहती थीं? हाँ / नहीं

91. आपकी किन–किन बातों पर पति खरा नहीं उतरा ?

(i) पत्नी को कभी महत्व नहीं दिया

(ii) हमेशा घरेलू कार्यों में व्यस्त रहे

(iii) कभी कोई इच्छा पूरी नहीं की

(iv) हमेशा दूसरों के इशारे पर चलते रहे

(v) घर की खुशियां ही उनके लिए सर्वोपरि थीं

(vi) पत्नी को हमेशा दासी समझा

(vii) अन्य

92. क्या आपके माता–पिता के घर का कोई सदस्य आपके ऊपर बुरी नजर रखता था? हाँ / नहीं

93. क्या कभी ससुराल वालों ने आपको इस बात के लिए प्रताड़ित किया कि आपके लड़की हुई है? हाँ / नहीं

94. आपकी दृष्टि से पति के बिना नारी का जीवन कैसा हैं ?

(i) अधूरा (ii) नरक के समान

(iii) बहुत कठिनाईपूर्ण (iv) नहीं मालूम

95. क्या आपकी दृष्टि से वैधानिक अधिनियमों से नारी की प्रस्थिति में सुधार हुआ हैं ? हाँ / नहीं

96. क्या आपके पति ने संतान न होने की वजह से अलगाव किया ? हाँ / नहीं

97. आपके दृष्टि से ऐसे परिवार के बच्चों का भविष्य क्या होता हैं ?

(i) बच्चे विघटित हो जाते हैं

(ii) बच्चे अपराधिक हो जाते हैं

(iii) पिता का साया न होने से समाज गलत दृष्टि से देखता है

(iv) बच्चे बिगड जाते हैं

(v) बच्चे अच्छे नहीं बन पाते

(vi) अन्य

98. क्या आप अभी सुलह करके पति के साथ रहना चाहती हैं ? हाँ / नहीं

99. क्या आपकी शादी माता–पिता ने अपने से कम आर्थिक स्थिति वाले परिवार में की हैं? हाँ / नहीं

100. अब आपका जीवन कैसा हैं ?

(i) सुखी (ii) सामान्य (iii) दुःखी (iv) बहुत दुःखी

101. क्या आप इस बात से सहमत है कि नारी, नारी का शोषण करती हैं? हाँ / नहीं

102. किन परिस्थितियों में आप सुखी रह सकती हैं ?

(i) पुर्नमिलन (ii) भत्ता प्राप्ति (iii) स्वावलम्बन

(iv) दूसरे विवाह से (v) अन्य